बीएईसी– 202
(BAEC – 202)

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था
(Economy of Uttarakhand)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
तीनपानी बाई पास रोड, ट्रान्सपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी – 263139
फोन नं. 05946 – 261122, 261123
टॉल फ्री नं. 18001804025
फैक्स नं. 05946–264232, ई–मेल info@uou.ac.in
http://uou.ac.in

पाठ्यक्रम समिति

प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
निदेशक समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

प्रो0 मधुबाला,
आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग,
इंदिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

प्रो0 एम0 के0 धडोलिया,
आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा, राजस्थान

प्रो0 आर0 सी0 मिश्र
निदेशक वाणिज्य एवं प्रबन्ध विद्याशाखा,
विशेष आमंत्रित सदस्य
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रो0 एस0 पी0 तिवारी,
आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ0 आर0 एम0 एल0 अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद उ0 प्र0

डॉ0 अमितेन्द्र सिंह
अर्थशास्त्र विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

पाठ्यक्रम संयोजन एवं संपादन

डॉ0 अमितेन्द्र सिंह
अर्थशास्त्र विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

इकाई लेखन

इकाई लेखक	इकाई संख्या
डॉ. एन. के. गर्ग रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, एस. एम. जे. एन. पी. जी. कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	**1,2,3,4**
डॉ. सुरजीत सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एस. एम. पी. जी. कॉलेज, रूड़की, उत्तराखण्ड	**5,6,7,8**
डॉ. अमितेन्द्र सिंह अर्थशास्त्र विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	**9**
डॉ. हितेश जोशी रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, पं. एल. एम. राजकीय पी. जी. कॉलेज, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड	**10,11,12**
कु. प्रीती आत्रेय असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एम. वी. पी. जी. कॉलेज, सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	**13,14,15,16**
डॉ. सत्यव्रत रावत असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एन. आर. ई. सी. पी. जी. कॉलेज, खुर्जा, बुलन्दशहर,उ. प्र.	**17,18,19,20**

संस्करणः 2017
आई.एस.बी.एन.: 978-93-84813-41-3

प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट): @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशकः कुल सचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल – 263139
email: studies@uou.ac.in
मुद्रकः

इस सामग्री के किसी भी अंश को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी चक्रमुद्रण द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था
(Economy of Uttarakhand)

बीएईसी–202
(BAEC – 202)

विषय–सूची

खण्ड– 1. अर्थव्यवस्था की संरचना **(Structure of Economy)**	पृष्ठ संख्या
इकाई– 1. उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं (Characteristics of Uttarakhand Economy)	1–12
इकाई– 2. मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या (Human Resources and Population)	13–24
इकाई– 3. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)	25–35
इकाई– 4. अधो–संरचना (Infrastructure)	26–44
खण्ड–2. उत्तराखण्ड का नियोजन (Economic Planning of Uttarakhand)	**पृष्ठ संख्या**
इकाई– 5. आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीतियां (Objectives and Strategies of Economic Planning)	45–54
इकाई– 6. नियोजन के साठ वर्ष एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Sixty years of Planning and Eleventh Five Year Plan)	55–69
इकाई– 7. गरीबी और बेरोजगारी (Poverty and Unemployment)	70–81
इकाई– 8. क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास (Regional Disparity and Tribal Development)	82–93
खण्ड– 3. कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector)	**पृष्ठ संख्या**
इकाई– 9. उत्तराखण्ड के कृषि आगत, उत्पादन और कृषि उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ (Trends of Framing, Production and Productivity of Agriculture of Uttarakhand)	94–102
इकाई– 10. भूमि सुधार एवं नवीन कृषि की रणनीतियाँ (Land Reform and New Strategies of Agriculture)	103–112
इकाई– 11. पशुपालन, महत्व एवं श्वेत क्रान्ति (Animal Husbandry, Importance and White Revolution)	113–122
इकाई– 12. ग्रामीण एवं कृषि वित्त (Rural and Agricultural Finance)	123–131

खण्ड– 4. उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास **(Industrial Development of Uttarakhand)**	पृष्ठ संख्या
इकाई– 13. औद्योगिक संरचना (Industrial Structure)	132–144
इकाई– 14. लघु, ग्रामोद्योग का विकास एवं प्रमुख समस्याएं (Problems and Development of Small and Village Industries)	145–159
इकाई– 15. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)	160–168
इकाई– 16. औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान (Auxiliary Institutions for Industrial Development)	169–178

खण्ड– 5. सेवा क्षेत्र **(Service Sector)**	पृष्ठ संख्या
इकाई– 17. सामाजिक क्षेत्र (Service Sector)	179–191
इकाई– 18. बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र (Banking and Finance Sector)	192–202
इकाई– 19. लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार (Structure of Public Finance and Regional Trade)	203–217
इकाई– 20. पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण (Tourism Industry and Environment)	218–232

इकाई 1 : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 उत्तराखण्डः एक सामान्य परिचय

1.4 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्थाः मुख्य विशेषताएँ

1.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.5 जनांककीय विशेषताएँ

1.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ

1.4.8 अन्य विशेषताएँ

1.5 सारांश

1.6 शब्दावली

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह प्रथम इकाई है। एक अर्थव्यवस्था उन सभी संस्थाओं, व्यवहारों व परम्पराओं से मिलकर बनती है जिनकी सहायता से मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु संसाधनों के उपयोग का सामूहिक प्रयास किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था का रूप निर्धारित करने में भूत व वर्तमान, दर्शन, संस्कृति, व्यक्तियों के आदर्श व दृष्टिकोण, उनकी इच्छायें, भौगोलिक विशेषतायें व प्राकृतिक संसाधन, प्रयास व त्रुटियाँ, आदि तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी उस अर्थव्यवस्था के विकास नियोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को इंगित करती अनेक सूचनायें केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न प्रकाशनों, अनेक विद्वानों की पुस्तकों व उनके लेखों में तथा आधुनिक युग के सशक्त माध्यम इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखण्ड राज्य की इन्हीं विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था को सामान्य दृष्टि से समझ सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषतायें कौन–सी हैं।
- उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य तथ्यों को बता सकेंगे।
- यह समझ सकेंगे कि कौन–सी विशेषताएँ उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक और कौन–सी नकारात्मक हैं।

1.3 उत्तराखण्डः एक सामान्य परिचय

आप जानते हैं कि 9 नवम्बर, 2000 ई0 को भारत के 27वे राज्य व 10वे हिमालय राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ। नाम संबंधी विवाद के चलते वर्ष 2006 में संसद में पारित विधेयक पर 3 जनवरी, 2007 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड हो गया।

इस राज्य के उत्तर में चीन व पूर्व में नेपाल राष्ट्र स्थित हैं। भारत में इसकी सीमायें पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में दो मंडल – गढ़वाल व कुमाऊँ हैं। गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले – चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी हैं जबकि कुमाऊँ मंडल में 6 जिले – अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ व उधमसिंह नगर हैं। राज्य के अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार, इस राज्य में 78 तहसील, 95 विकास खण्ड, 670 न्याय पंचायत, 7541 ग्राम पंचायत, 1 नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषद्, 30 नगर पंचायत व 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं।[1] वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, इस राज्य में 16826 ग्राम (जिसमें 15761 बसे हुए) हैं।[2] प्रशासनिक बोलचाल में, उत्तराखण्ड उन 8 राज्यों में से एक है जो भारत में सशक्त कार्य समूह (EAG अर्थात् Empowered Action Group) राज्य कहलाते हैं।

1.4 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्थाः मुख्य विशेषताएँ

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समान ही है। यह न तो पूर्णतया पूँजीवादी और न ही पूर्णतया समाजवादी है बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों (जैसे– ऊर्जा, सिंचाई आदि) में सरकारी नियोजन, अधिकांश क्षेत्रों (कृषि, व्यापार आदि) में बाजार तंत्र (माँग, पूर्ति व कीमत की परस्पर क्रिया पर आधारित) तथा कुछ क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि) में दोनों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। आर्थिक नियोजन की दृष्टि से यहाँ विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विषमताओं को दूर करना है। इस उद्देश्य के लिए प्रदेश की आर्थिक योजना का लगभग 50 प्रतिशत जिला योजना के लिए आबंटित किया जाता है।

कृषि, वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल–शक्ति, उद्योग, वास्तविक सम्पदा, योग व आयुर्वेद, मेले व पर्व, मठ–मन्दिर व आश्रम, पर्यटन व इससे जुड़े व्यवसाय उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। अब

आगे के अध्ययन में आप राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को वर्गीकृत रूप में समझ सकेंगे।

1.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ

राज्य में स्थापना के समय से ही आर्थिक विकास की ऊँची दर पाये जाने की प्रवृत्ति है। आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखण्ड का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2000 में 2.9 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2010 में यह बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गयी।[3] उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में 15000 थी जबकि वर्ष 2010 में यह 2.8 गुना बढ़कर 42000 हो गयी।[4]

यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्य प्रदेशों की भाँति इस प्रदेश में भी आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुआ है। विशेषकर मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से भिन्नता पायी जाती है। सब्यसाची द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन में अधो–संरचना व रहन–सहन के संकेतकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के आर्थिक विकास का स्तर अन्य पर्वतीय जिलों के विकास स्तर से बहुत अधिक है।[5]

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी की दृष्टि से आप सारणी 1.1 से स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तराखण्ड में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में घटी है, साथ में यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में भी कम है। द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है और अब यह तीनों क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर है। तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में थोड़ी सी ही घटी है जबकि यह अब भी शीर्ष स्थान पर है। यहाँ यह विशेष रूप से जानने योग्य बात है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति प्रदेश में व्यावसायिक संरचना व विकास की अवस्था को दर्शाता है। आय की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर कम निर्भरता व द्वितीयक क्षेत्र का बढ़ता योगदान तथा तृतीयक क्षेत्र का सर्वोच्च योगदान राज्य में आर्थिक विकास की उच्च अवस्था का प्रतीक है।

सारणी 1.1 – उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

क्षेत्र	उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	
	वर्ष 1999–2000	वर्ष 2009–010
प्राथमिक क्षेत्र	30.10	16.97
द्वितीयक क्षेत्र	18.79	33.86
तृतीयक क्षेत्र	51.11	49.17

अभ्यास प्रश्न :

1. रिक्त स्थान भरिए।
   आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखण्ड का देश में .... स्थान है।
2. बहुविकल्पीय प्रश्न।
   वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई–
   (1) 02 गुना (2) 2.8 गुना (3) 04 गुना (4) इनमें से कोई नहीं
3. सत्य–असत्य बताइए।
   मैदानी जिलों के आर्थिक विकास का स्तर पर्वतीय जिलों के स्तर से अधिक है।
   (सत्य / असत्य)

1.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के अनुसार राज्य के 70 प्रतिशत व्यक्तियों की आजीविका कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर

आधारित है।[1] पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की सीढ़ी–नुमा संरचना का पाया जाना राज्य में कृषि की मुख्य विशेषता है। यहाँ दो प्रकार की खेती पायी जाती है – मैदानी व पर्वतीय। मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए प्रायः आधुनिक तरीके व पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं का अपनाया जाना सम्भव नहीं है। मैदानी खेती पर हरित क्रान्ति का स्पष्ट प्रभाव है जबकि पर्वतीय खेती भू–क्षरण की समस्या से ग्रस्त है। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही 85 प्रतिशत भूमि भू–क्षरण की समस्या से ग्रसित है।[2] उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र (वर्ष 2008–09 में 5672568 हैक्टेयर) में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल का 13.29 प्रतिशत (753711 हैक्टेयर) है।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि यदि उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र की विकास दर की तुलना राष्ट्रीय दर से की जाये तो आप पायेंगे कि राज्य की कृषि विकास दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम है। परन्तु रोचक विशेषता यह है कि वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2008–2009 में राज्य की कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास दर में भारी गिरावट हुई है।

सारणी 1.2 – कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास दर से उत्तराखण्ड में विकास दर की तुलना (प्रतिशत में)

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि विकास दर	उत्तराखण्ड में कृषि विकास दर
1999–2000	4.9	0.44
2008–2009	1.6	0.7

(स्रोतः हिन्दुस्तान, 12 अप्रैल, 2011, देहरादून, प 0 2)

बाजार दबावों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की परम्परागत कृषि पर आत्मनिर्भरता कम होती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि पदार्थों पर पर्वतीय व्यक्तियों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। राज्य के हिमालय की तराई से बर्फ की पहाड़ियों तक फैला होने के कारण जलवायु में अत्यधिक विविधता पायी जाती है। इसलिए यहाँ जैव–विविधता भी अधिक है। उत्तराखण्ड कृषि जलवायु की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत जोन–9 और जोन–14 का भाग है।

प्रदेश में अनाज, दालों, तिलहन, गन्ना फसलों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की साग–सब्जियाँ, मसालें, फूल–फल व जड़ी–बूटियाँ उत्पादित किये जाते हैं। सारणी 1.3 से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रदेश में अनाज सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाये जाते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ना का स्थान है। दालों व तिलहन के बुआई क्षेत्रफल का स्थान क्रमशः तीसरा व चौथा है। प्रमुख अनाजों में मंडवा सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। दालों में बुआई क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान उड़द का, दूसरा स्थान मसूर का व तीसरा स्थान कुल्थी का है। प्रमुख तिलहन फसलों में सरसों का बुआई क्षेत्रफल पहले स्थान पर व सोयाबीन का बुआई क्षेत्रफल दूसरे स्थान पर है।

उत्पादकता की दृष्टि से गेहूँ की उत्पादकता पहले स्थान पर, चावल की उत्पादकता दूसरे स्थान पर व मक्का की उत्पादकता तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर मँडुआ की उत्पादकता है।

सारणी 1.3–वर्ष 2009–10 में प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता व उनका बुआई क्षेत्रफल

[1] *हिन्दुस्तान,* 12 अप्रैल, 2011, देहरादून, पृष्ठ 2

[2] मदनलाल (2010), *विकास की फसल,* ठाकुर, सुदीप व अन्य द्वारा सम्पादित पुस्तक, *उत्तराखंड उदयः एक दशक की यात्रा (2000 से 2010),* अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा, पृष्ठ 71

फसल	उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेअर)	बुआई क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)	फसल	उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेअर)	बुआई क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
अनाज	**18.73**	**944982**	**दालें**	**7.43**	**56895**
चावल	20.85	294223	उड़द	7.58	12760
गेहूँ	21.42	394633	मसूर	5.75	12500
जौं	11.15	23739	मटर	9.79	5568

मक्का	13.61	27960	कुल्थी	6.19	11032
मँडुआ	12.36	131795	राजमा	9.90	4767
सनवान	10.55	63636	चना	6.68	663
अन्य अनाज		**8996**	काला सोयाबीन	8.94	5559
तिलहन	10.81	29785	**अन्य दालें**		**4099**
सरसों	8.17	14847	अन्य फसलें		
तिल	2.05	2445	गन्ना	526.87	96072
मूंगफली	14.31	1340	प्याज	38.58	2317
सोयाबीन	15.82	11153			

(स्रोत-**Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** प शठ 4)

अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार, प्रदेश की कृषि में क्रियात्मक जोतों के आकार की दृष्टि से वर्ष 2001 में 628 हजार जोतें (01 हैक्टेयर से कम) 159 हजार लघु जोतें (1.0–2.0 हैक्टेअर), 103 हजार अर्द्ध–मध्यम व मध्यम जोतें (2.0–10 हैक्टेअर) व 1000 जोतें बड़ी जोतें (10 हैक्टेअर से अधिक) थी। विशेष बात यह है कि उक्त वर्ष में सीमान्त जोतों का क्षेत्रफल 242 हजार हैक्टेअर, लघु जोतों का क्षेत्रफल 221 हजार हैक्टेअर, अर्द्ध–मध्यम व मध्यम जोतों का क्षेत्र 344 हजार हैक्टेअर एवं बड़ी जोतों का क्षेत्रफल 36 हजार हैक्टेअर था जो इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश में संख्या की दृष्टि से तो सीमान्त जोतें तो सर्वाधिक हैं, परन्तु अर्द्ध–मध्यम व मध्यम जोतों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है।

पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों की अधिकता है। यहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग भी बहुत कम होता है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में यन्त्रीकरण भी अधिक नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तराखण्ड आत्मनिर्भर है और कृषि एवं बागवानी से जुड़े उद्योगों में लगभग पाँच लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।[1]

अभ्यास प्रश्न :

1. उत्तराखण्ड में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है–

   (1) 82 प्रतिशत (2) 65 प्रतिशत (3) 67 प्रतिशत (4) 70 प्रतिशत

2. सत्य–असत्य बताइए।

   उत्तराखण्ड के कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय दर से कम है। (सत्य/असत्य)

1.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ

यद्यपि उत्तराखण्ड के अधिकाँश भाग में पर्वत होने के कारण पहले उद्योगों की दृष्टि से अधिक विकास नहीं हो सका था, अब उत्तराखण्ड के उद्योग प्रदेश के आर्थिक ढाँचे का महत्त्वपूर्ण आधार हैं। उत्तराखण्ड में उद्योग मुख्य रूप से ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल में स्थापित हैं। फैक्ट्री एक्ट–1948 के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में प्रदेश में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1907 थी जिसमें 172861 श्रमिक कार्यरत थे। वर्ष 2009–10 में प्रदेश में खादी उद्योग व ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या 1210 (3750 कार्यरत श्रमिक) तथा लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 35955 (142780 कार्यरत श्रमिक) थी। राज्य गठन के समय इन उद्योगों में पूंजी निवेश 95 करोड़ था जो अब बढ़कर लगभग 26 हजार करोड़ हो चुका है। वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड के औद्योगीकरण की गति तेज करने के लिए सरकारी उपक्रम के रूप में स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) अस्तित्व में आया। सिडकुल एकल खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए मॉडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। इस समय प्रदेश में तीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान (आई.आई.ई.) हैं जो हरिद्वार, पंतनगर और सितारगंज में स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त देहरादून में फार्मा सिटी व कोटद्वार में ग्रोथ सेन्टर भी स्थापित किया गया है। परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड की औद्योगिक विकास दर जो वर्ष 2001–02 में 1.9 प्रतिशत थी, वर्ष 2010–11 में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गयी। राज्य में

उद्योगों व सरकार के बीच समन्वय का कार्य करने के लिए व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2003 में उत्तराखण्ड के लिए दिए गए टैक्स हॉलीडे पैकेज से आकर्षित होकर अनेक प्रमुख फर्मों ने उत्तराखण्ड में अपनी इकाईयाँ स्थापित की, यद्यपि इससे पहले उत्तराखण्ड में हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड पहले ही स्थापित हो चुका था। वर्तमान में उत्तराखण्ड की ऑटो मोबाइल हब व फार्मा सिटी के रूप में पहचान बन चुकी है।

उत्तराखण्ड के औद्योगीकरण में खाद्य प्रसंस्करण बॉयोटेक्नोलॉजी, कृषि व सम्बन्धित, हस्तशिल्प, मिनरल वाटर, इलैक्ट्रानिक्स, इत्यादि से सम्बन्धित उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखण्ड में अनेक प्रकार के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी हैं जिनमें जूता–चप्पल उद्योग, दियासलाई उद्योग, गुड़ व खाण्डसारी उद्योग, ऊनी शॉल व अन्य वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग आदि प्रमुख हैं।

अभ्यास प्रश्न :

1. बहुविकल्पीय प्रश्न।

वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास दर थी–

(1) 24 प्रतिशत (2) 32 प्रतिशत (3) 51 प्रतिशत (4) 26 प्रतिशत

2. सत्य–असत्य बताइए।

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर, हरिद्वार में स्थित है। (सत्य / असत्य)

(ख) विभिन्न प्रकार के उद्योग उत्तराखण्ड में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में समान रूप से स्थापित हैं।

(सत्य / असत्य)

3. एक शब्द में उत्तर दीजिए– वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड में उद्योगों की गति तेज करने के लिए कौन सा सरकारी उपक्रम अस्तित्व में आया?

1.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ

अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं–सामाजिक व आर्थिक। सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आर्थिक अधोसंरचना में संचार व यातायात, ऊर्जा, वित्तीय आदि सम्मिलित किये जाते हैं। ये अधोसंरचनाएँ आर्थिक विकास के लिए आधारभूत होती हैं।

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं की स्थिति लगातार सुधर रही है। आपकी जानकारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों की अधोसंरचनाओं के सम्बन्ध में आगे संक्षेप में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में – (वर्ष 2009–10 की स्थिति के आधार पर)

(1) (बेसिक व सैकेण्ड्री शिक्षा) स्कूल व कॉलेजों की संख्या – 22379; (2) (उच्च शिक्षा) स्नातक व स्नाकोत्तर कॉलेजों की संख्या – 106; केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या – 01; राज्य विश्वविद्यालय – 06; निजी विश्वविद्यालय – 05; डीम्ड विश्वविद्यालय 04; आईआईटी – 01; (3) (व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या – 06, पॉलीटैक्निक्स – 37; शिक्षा प्रशिक्षण के जिला संस्थानों की संख्या – 13; प्रदेश में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान, नैनीताल में आर्य भट्ट अनुसंधान संस्थान, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ऊधमसिंहनगर में में जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विशिष्ट शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित हैं। विशेष बात यह है कि उत्तराखण्ड के शिक्षा हब में बदलने के बावजूद आवश्यकता की दृष्टि से इस अधोसंरचना में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के क्षेत्र में – (वर्ष 2009–10 की स्थिति के आधार पर)

प्रदेश में जिला अस्पतालों की संख्या – 12; जिला महिला अस्पतालों की सख्या – 07; बेस अस्पतालों की संख्या – 03; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या – 250; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या – 55; राज्य एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या – 322; कुष्ठ रोगियों की लिए अस्पतालों की संख्या – 03; टी. बी. रोगियों के लिए अस्पतालों की संख्या – 18; आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पतालों की संख्या – 545; होम्योपैथिक अस्पतालों व डिस्पैंसरी की संख्या – 107; महिला व बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या – 02; व उपकेन्द्रों की संख्या – 1765; जबकि परिवार–कल्याण के मुख्य केन्द्रों की संख्या – 84; इसके अतिरिक्त प्रदेश में सचल चिकित्सा व्यवस्था (आपातकालीन सेवा–108) भी उपलब्ध है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ योग व आयुर्वेद के प्रचलन को देखते हुए उत्तराखण्ड 'आयुष प्रदेश' कहलाता है। परन्तु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना भी अपर्याप्त है।

ऊर्जा के क्षेत्र में – (वर्ष 2009–10 की स्थिति के आधार पर)

अनेक छोटी–बड़ी जल–विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा–प्रदेश' कहलाता है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 2009–10 में 1305.98 मेगावाट थी। जिसके द्वारा 4126.55 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोग 6249.22 मिलियन यूनिट से कम है। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखण्ड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखण्ड में अनेक नदियों पर बड़े व छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें टिहरी बाँध सबसे बड़ा है। जिससे वर्ष 2006 में बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। उत्तराखण्ड में विद्युत उत्पादन व वितरण के लिए उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड संस्था कार्य करती है।

यातायात व संचार के क्षेत्र में – (वर्ष 2009–10 की स्थिति के आधार पर)

प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण यहाँ सड़क यातायात मुख्य है। उत्तराखण्ड में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड जैसे पर्वतीय व सीमान्त प्रदेशों की तुलना में सड़कों की लम्बाई कम है। वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों थी – 1375.76 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय मार्ग, 1575. 50 किलोमीटर लम्बे राज्य मार्ग, 567.88 किलोमीटर लम्बी मुख्य जिला सड़कें, 6827.14 किलोमीटर लम्बी अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 12375.68 किलोमीटर।

प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से उत्तराखण्ड परिवहन निगम, जे.एन.यू.आर.एम., जी.एम.ओ.यू. व के.एम.ओ.यू. द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क यातायात में विभिन्न निजी पर्यटन एजेन्सियों के निजी वाहन व टैक्सियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सड़क यातायात के अतिरिक्त रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार व काठगोदाम प्रमुख रेल स्टेशन हैं, जबकि जौलीग्राण्ट प्रदेश का प्रमुख एयरपोर्ट है।

संचार की दृष्टि से उत्तराखण्ड में बी.एस.एन.एल. व अन्य निजी संस्थाओं के टेलीफोन नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है।

वित्तीय क्षेत्र में – वर्ष 2009–10 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 885 शाखायें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 184 शाखायें, अन्य निजी बैंकों की 112 शाखायें, 10 जिला सहकारी बैंक व इनकी 203 शाखायें कार्य कर रही थी।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में – प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 'शिखर' व 'आरोही' परियोजनायें चलायी जा रही हैं तथा साथ ही यहाँ ई–गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। विश्व की पहली माइक्रोसोफ्ट आई.टी. अकादमी देहरादून में स्थापित की गयी है।

अभ्यास प्रश्न :

1. रिक्त स्थान भरिए।

   (क) उत्तराखण्ड में सबसे बड़ा बाँध .... है।

(ख) प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा .... में स्थित है।

2. एक पंक्ति में उत्तर दीजिए।

उत्तराखण्ड को 'ऊर्जा प्रदेश' क्यों कहते हैं।

1.4.5 जनांककीय विशेषताएँ

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनंतिम परिणामों[2] के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,01,16,752 हो गयी जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,01,93,422) का 0.84 प्रतिशत है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड के 20वे स्थान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सृजन के पश्चात् उत्तराखण्ड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (19.17 प्रतिशत) भारत की औसत दर (17.64) से अधिक है। परन्तु विशेष बात यह है कि दशक 2001–2011 में उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) दशक 1991–2001 में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही।

वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी परिणामों के अनुसार उत्तराखण्ड में जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के कुल औसत (382) से बहुत कम है। इस औसत के कम होने का प्रमुख कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या का पाया जाना है।

प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.63 प्रतिशत हो गयी। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 17वें स्थान पर आ गया है। यह साक्षरता दर सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2001 में 64.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी।

लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरूषों पर 963 स्त्रियाँ पायी गयी, जो कि सम्पूर्ण भारत के लिंगानुपात 940 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरूष से अधिक है।

अभ्यास प्रश्न :

1. बहुविकल्पीय प्रश्न।

(क) उत्तराखण्ड की जनसंख्या का देश की जनसंख्या में निम्न में से कौन सा स्थान है–

(1) 17वा (2) 20वा (3) 25वा (4) इनमें से कोई नहीं

(ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड में प्रभावी साक्षरता दर है–

(1) 46.32 प्रतिशत (2) 74.04 प्रतिशत (3) 79.63 प्रतिशत (4) इनमें से कोई नहीं

1.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ

पर्यटन व इससे जुड़ी गतिविधियाँ इस राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण आधार हैं। उत्तराखण्ड में विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियाँ हैं। इनमें मुख्य हैं – अवकाश, धार्मिक, साहसिक, प्रकृति व वन्य जीवन।

अवकाश पर्यटन – बर्फबारी के आकर्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य व ग्रीष्म काल में ठंडे मौसम पाये जाने के कारण मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, पिथौरागढ़, आदि स्थल अवकाश के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।

धार्मिक पर्यटन – देवताओं के धाम के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य ऐसी विशेषताओं को भी समेटे हुए है जो धार्मिक पर्यटन से सम्बन्धित हैं। राज्य में चार धाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री) यात्रा व अनेक मैदानी (हरिद्वार, ऋषिकेश, पिरान–कलियर, आदि) व पर्वतीय धार्मिक स्थलों (हेमकुण्ड साहेब, नीलकण्ठ, आदि) की यात्रा यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का आधार है। राज्य में नियमित रूप से आयोजित होने वाले अनेक

बड़े व छोटे मेले तथा पर्व जहाँ एक ओर धार्मिक व सांस्कृतिक छटा बिखेरते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को व्यावसायिक दृष्टि से गति भी प्रदान करते हैं। मेलों व पर्वों के दौरान पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।

साहसिक पर्यटन – रिवर–राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग, आदि साहसिक खेल प्रदेश के पर्यटन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाल के वर्षों में, बर्फ पर स्कीइंग के लिए औली एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अलकनन्दा नदी में रिवर–राफ्टिंग पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करती है।

प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन – प्रदेश में प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन भी प्रमुख है। बड़ी संख्या में पर्यटक जिम कार्बेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, आदि स्थलों की यात्रा करते हैं।

अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार, वर्ष 2010 के दौरान प्रदेश के कुल 264 पर्यटन (तीर्थों सहित) स्थलों पर भारतीय पर्यटकों की संख्या 309.72 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.36 लाख थी जबकि राष्ट्रीय पार्कों व वन्य–जीव विहारों में वर्ष 2009–10 के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या 285412 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 15829 थी।[3] एक अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय योजना आयोग ने पाया है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर तथा देश के सभी राज्यों में सातवें स्थान पर है।[4]

अभ्यास प्रश्न :

1. रिक्त स्थान भरिए।

   (क) उत्तराखण्ड में तीर्थों सहित कुल पर्यटन स्थलों की संख्या .... है।

   (ख) उत्तराखण्ड में चार धामों के नाम हैं ....।

2. सत्य–असत्य बताइए।

   घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर है। (सत्य/असत्य)

1.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ

प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से भूमि, वन, जल, मत्स्य, खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस राज्य का कुल भूमि क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल – 46035 वर्ग किलामीटर) तथा शेष भाग मैदानी होने के कारण यह राज्य प्रमुख रूप से पर्वतीय है। अधिकांश भू–भाग पर्वतीय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में न तो कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं का अपनाया जाना सम्भव है और न ही बड़े उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश में लगभग 64.8 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल – 34651 वर्ग किलोमीटर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.7 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, बुग्यालों के अधीन, चट्टानी बलुवी नदी तट, जलमग्न होने के कारण वनों से आच्छादित नहीं है। वनों के कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। वन क्षेत्र सभी को प्राण वायु भी देता है। इसलिए प्रदेश में इतने भू–भाग के वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देश मे प्रथम स्थान है।[5] इतना होते हुए भी, विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों के अत्याधिक कटान से प्रदेश में भू–क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। राज्य में बर्फीले क्षेत्रों के कारण हिम–नद भी पाये जाते हैं। ये हिम–नद राज्य की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखते हैं।

प्रदेश में नदियों, नहरों, झीलों व तालाबों के पाये जाने के कारण ट्राउट, बुचवा, मुले आदि मछलियाँ पायी जाती हैं। इस कारण यहाँ मत्स्य–पालन अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है।

खनिज संसाधन प्राकृतिक होते हैं। आप यह जानते होंगे कि खनिजों के बिना अनेक औद्योगिक

वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। यद्यपि यहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं है, तथापि कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं। फॉस्फोराइट, जिप्सम, चूना–पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, शिलाजीत, संगमरमर आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वन खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं। देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय भी है।

अभ्यास प्रश्न :

1. सत्य–असत्य बताइए।

   मुख्य रुप से उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय है। (सत्य / असत्य)

2. रिक्त स्थान भरिए।

   उत्तराखण्ड में हरित आवरण प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का .... प्रतिशत है।

1.4.8 अन्य विशेषताएँ

उत्तराखण्ड में वर्ष 2005 से आवासीय व व्यावसायिक दोनों प्रकार की वास्तविक सम्पदा की लगातार मांग बढ़ने के कारण वास्तविक सम्पदा क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय की आशातीत प्रगति हुई है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में विदेशों से अ–निवासी भारतीयों का आगमन भी है। इस क्षेत्र में उत्पन्न समृद्धि से आकृषित होकर भूमि का विकास करने वाली अनेक कम्पनियों व भवन निर्माताओं ने उत्तराखण्ड में भूमि को क्रय करना आरम्भ किया है। ये कम्पनियाँ ऐसी आवासीय कालोनियों व व्यावसायिक काम्पलैक्स का भी विकास करती हैं जिसमें लगभग सभी सुविधायें होती है। इस कारण, प्रदेश में क्रेता व विक्रेता के मध्य लेन–देन हेतु वास्तविक सम्पदा के मध्यस्थ कारोबारियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है।

अनेक कारणों से विकास न हो पाने के कारण पर्वतीय ग्राम्य क्षेत्रों से परिवारों का रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों को स्थानान्तरण होता है।

इस राज्य के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत से व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा बलों में रोजगार प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक भाग मनीआर्डर से प्राप्त आय पर आधारित हो गया।

1.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था एक मिश्रित व विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था है। मुख्य रूप से इस पर्वतीय राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद विकास के लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को कम मिले हैं। व्यावसायिक संरचना उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि में अनेक मुख्य फसलें हैं। अधिकतर जोतों का आकार छोटा है। प्रदेश में अनेक छोटे–बड़े उद्योगों हैं यद्यपि ये मैदानी क्षेत्रों में ही अधिक स्थापित हुए हैं। इस ऊर्जा व आयुष प्रदेश में विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं जिसमें वन, जल व खनिज प्रमुख हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। यातायात, संचार, ऊर्जा, बैंकिंग, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विशाल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। देवताओं के निवास कहे जाने वाले इस प्रदेश में धार्मिक यात्रायें व मेंले अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण देश की तुलना में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होते हुए भी जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय स्तर से कम है परन्तु साक्षरता दर अधिक है। जनसंख्या वास्तविक सम्पदा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। रोजगार की तलाश में सुरक्षा बलों में जाने व मैदान की ओर स्थानान्तरण करने से पर्वतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस इकाई के अध्ययन से आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे।

1.6 शब्दावली

<u>उत्तरांचल</u> – विश्व भर के उत्तर जिसके आंचल में हैं उसे उत्तरांचल कहते हैं।[6] <u>उत्तराखण्ड</u> – देश का वह खण्ड या भाग जो देश के उत्तर में स्थित है। (Sanskrit: उत्तराखण्डम् , *Uttarâkhan?am* , Hindi: उत्तराखण्ड *Uttarâkhan?*)[7]

सशक्त कार्य समूह राज्य (EAG states) – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा । शेष सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश गैर–सशक्त कार्य समूह राज्य (Non-EAG states) कहलाते हैं।

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पालन व खनन सम्मिलित होते हैं।

द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित होते हैं।

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भंडारण व संचार, व्यापार, होटल व रेस्तराँ, बैंकिंग व बीमा, वास्तविक सम्पदा, भवन व व्यापार सेवाओं का स्वामित्त्व, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ सम्मिलित होते हैं।

सकल घरेलू राज्य उत्पाद – राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.4.1–(1) तीसरा, (2) 2.8 गुना, (3) सत्य, 1.4.2–(1) 70 प्रतिशत, (2) सत्य; 1.4.3–(1) 26 प्रतिशत, (2) क–सत्य, ख– असत्य (3) स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल); 1.4.4–(1) क–टिहरी बाँध, ख–जौलीग्राण्ट, (2) बहुत अधिक संख्या में जल–विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा प्रदेश' कहलाता है। 1.4.5–क– 20वा, ख–79.63 प्रतिशत; 1.4.6–(1) क–264, ख–बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री (2) सत्य; 1.4.7–(1) सत्य (2) 45.7

1.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई–लिंक्स

Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi

Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi

Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi

Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

Pant, J.C., (2001), Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development, India Literacy Board, Lucknow

Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi

Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi

अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में,* इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली

उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड सरकार, *मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की अनुपम पहल*

http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Figures_At_Glance.pdf

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Data_Sheet_prov_popu_tot_2011.pdf

http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf

http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf

http://www.mohfw.nic.in/NRHM/Documents/High_Focus_Reports/Uttarakhand%20Report.pdf

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html

http://www.uttaranchalbiz.com/why-uttarakhand/infrastructure/

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/real-estate.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/mineral-resources.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/industry.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/agriculture.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/fishing.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/tourism.html

http://www.im4change.org/docs/ 99605NCLUSIVE%20GROWTH%20IN %20HILLY%20REGIONS%20%20PRIORITIES.PDF

1.9 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री

ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदयः एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्डः एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ

पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचलः सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा

सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्डः समग्र अध्ययन,* तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1– उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2– उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की सकारात्मक व नकारात्मक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

[1] मदनलाल (2010), *विकास की फसल,* ठाकुर, सुदीप व अन्य द्वारा सम्पादित पुस्तक, *उत्तराखंड उदयः एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा, पृष्ठ 71

[2] **C. Chandramouli (2011),** ***Census of India 2011-Provisional Population Totals: Paper 1 of 2011, India Series 1*****, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India,** पृष्ठ 48–54 व 164–165)

[3] **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 13

[4] उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून, पृष्ठ 1

[5] उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून, पृष्ठ 1

[6] **Pant, J.C., (2001),** ***Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development*****, India Literacy Board, Lucknow,** पृष्ठ 36

[7] **http://en.wikipedia.org/wiki/Uttarakhand** f‘

इकाई 2 : मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास

2.4 जनांककीय विशेषताएँ

2.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण

2.4.2 लिंगानुपात

2.4.3 जनसंख्या घनत्व

2.4.4 साक्षरता दर

2.4.5 जन्म दर व मृत्यु दर

2.5 मानवीय संसाधनों के विकास, जनसंख्या नियन्त्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाये जा रहे उपाय

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अभ्यास प्रश्न व उत्तर

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह द्वितीय इकाई है। इससे पहले की प्रथम इकाई में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

कुशल मानवीय संसाधन एक प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मानव समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं, सेवाओं तथा सुविधाओं की माँग व पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने, तदनुरूप मानवीय संसाधनों की आवश्यकता व उपलब्धता में सामंजस्य हेतु उस क्षेत्र की जनसंख्या से सम्बन्धित विशेषताओं को जानना आवश्यक है। यहाँ आगे इन्हीं विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। तथा साथ ही प्रदेश में जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं व नीतियों का उल्लेख भी किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या संरचना को सामान्य दृष्टि से समझा सकेंगे। आप यह भी समझा सकेंगे कि यह संरचना किस प्रकार विकास में सहायक अथवा बाधक है। आप इससे जुड़ी कुछ समस्याओं व नीतियों को भी जान सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास के मध्य सम्बन्ध को समझा सकेंगे,
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड की प्रमुख जनांककीय विशेषतायें कौन सी हैं,
- जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे,
- यह बता सकेंगे कि प्रदेश में इन समस्याओं का किस प्रकार निदान किया जा रहा है।

2.3 मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास

आप जानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक व मानवीय दोनों संसाधन बहुत आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आप अगली इकाई में अध्ययन करेंगे।

मानवीय संसाधन की उपलब्धता ज्ञात करते समय केवल संख्या ही नहीं बल्कि उनके शिक्षा का स्तर व उत्पादकता को भी ध्यान में रखना होता है। एक क्षेत्र में उच्च कोटि के मानवीय संसाधन (मानवीय पूँजी) आर्थिक विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायक होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक क्षेत्र की आबादी इस बात को निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र में कितनी ऐसी वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता है जिससे उस आबादी के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जा सके। यह आवश्यकताएँ खाद्यान्न, आवास, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात व संचार व आदि से सम्बन्धित हो सकती हैं। जितनी अधिक आबादी होती है, उतनी ही अधिक वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता भी होती है। यहाँ तक कि आबादी में बच्चों, जवानों व वृद्धों तथा पुरुषों व महिलाओं की संख्या वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकताओं का ढाँचा निर्धारित करती है।

सभी जानते हैं कि बढ़ती आबादी विकास के एक भाग को खा जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आबादी के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय में या तो कमी हो सकती है या बहुत थोड़ी वृद्धि हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर होगा कि विकास की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि दर विकास की दर से अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी।

आबादी के निरन्तर बढ़ते रहने से खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति की उपलब्धता कम हो जाती है जिससे जनता का गरीब वर्ग कुपोषण का शिकार हो जाता है। आबादी के बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगता है। फलस्वरूप, कुल कृषि उपज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम बाजार में भी श्रम की पूर्ति बढ़ने लगती है। परिणामस्वरूप, शीघ्र ही बेरोजगारी फैल जाती है। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए विकास के अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तो अधिक दोहन करना ही पड़ता है, साथ ही

अन्य आर्थिक संसाधन भी व्यर्थ होने लगते हैं।

ऐसा नहीं है कि जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक होती है। सामान्यतयाः अनुकूलतम बिन्दु से अधिक जनसंख्या ही विकास में बाधाएँ उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ अनेक वस्तुओं की माँग बढ़ने से बाजार का विस्तार होता है जो विकास में सहायक है। साथ ही, श्रम–शक्ति बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि उचित शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों से मानवीय ससाधनों को कुशल बनाया जा रहा है तो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति और अधिक बढ़ायी जा सकती है।

अब आपको उत्तराखण्ड की जनसंख्या की कुछ विशेषताओं को बताया जायेगा।

2.4 जनांककीय विशेषताएँ

आप जानते हैं कि हमारे देश में जनांककीय विशेषताओं को जानने के लिए प्रत्येक दस वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा जनगणना की जाती है। अभी हाल ही में नवीनतम जनगणना मार्च, 2011 में सम्पन्न की जा चुकी है एवं भारत के महा रजिस्ट्रार एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 को देश स्तर पर तथा निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2011 को राज्य के जिलेवार अनन्तिम जनसंख्या आँकड़ों[1] को जारी किया किया। इन आँकड़ों की कुछ सीमाएँ के होते हुए भी, सम्पूर्ण भारत से तुलना करते हुए उत्तराखण्ड के लिए इन्हीं अनन्तिम आँकड़ों व गत जनगणना के आँकड़ो को चयनित आधार पर सारणियों में प्रस्तुत किया गया है ताकि सारणियों का अवलोकन कर आप प्रदेश की जनांककीय विशेषताओं को जान सकें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य का सृजन वर्ष 2000 में होने के कारण प्रदेश की जनांककीय विशेषताओं को जानने के लिए केवल दो वर्षों 2001 व 2011 की जनगणना को आधार बनाना ही पर्याप्त होगा। दशकीय आधार पर दशक 2001–2011 की तुलना दशक 1991–2001 से की जा सकती है।

2.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (1,02,87,37,436) का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,01,16,752 हो गयी जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,01,93,422) का 0.84 प्रतिशत है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड के 20वे स्थान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सारणी 2.1 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई जनगणनाओं के आधार पर सम्पूर्ण भारत से तुलना करते हुए उत्तराखण्ड की जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.1 – सम्पूर्ण भारत (EAG व Non-EAG राज्यों में वर्गीकरण सहित) व उत्तराखण्ड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें (प्रतिशत में)

दशक	दशकीय वृद्धि दरें (प्रतिशत में)			
	भारत			उत्तराखण्ड
	सम्पूर्ण	EAGराज्य	Non-EAGराज्य / संघ शासित प्रदेश	
1951–1961	21.64	19.91	23.0	22.57
1961–1971	24.8	23.01	26.17	24.42
1971–1981	24.66	25.43	24.08	27.45
1981–1991	23.86	25.12	22.92	24.23
1991–2001	21.54	24.99	18.90	20.41
2001–2011	17.64	20.92	14.99	19.17

(स्रोतः **C. Chandramouli (2011), Census of India 2011-Provisional Population**

Totals: Paper 1 of 2011, India Series 1, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, पृ0 48–54 व 164–165)

सारणी 2.1 से यह तो आप स्पष्ट कर ही सकते हैं कि राज्य सृजन के पश्चात् उत्तराखण्ड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर गैर–सशक्त कार्य समूह राज्यों की तुलना में तो अधिक है ही, साथ में यह दर भारत की औसत दर से भी अधिक है। परन्तु सारणी 2.2 के आधार पर विशेष बात यह है कि दशक 2001–2011 में उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) दशक 1991–2001 में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही।

सारणी 2.2 – सम्पूर्ण भारत व उत्तराखण्ड की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दरें (दशक 1991–2001 व 2001–2011 के दौरान)

अवधि	औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
	भारत	उत्तराखण्ड
दशक 1991–2001	1.97	1.87
दशक 2001–2011	1.64	1.77

(स्रोतः **C. Chandramouli (2011), Census of India 2011-Provisional Population Totals: Paper 1 of 2011, India Series 1, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India,** पृ0 54)

उत्तराखण्ड में दो मैदानी (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर), दो पर्वतीय–मैदानी (देहरादून, नैनीताल) व शेष नौ जिले पर्वतीय हैं। प्रदेश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में रहती है। सभी 9 पर्वतीय जिलों में रहने वाली जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में घटा है जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण को दर्शाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे – पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन व विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, भू–स्खलन व भू–क्षरण की अत्याधिक समस्या, अच्छे रोजगार व व्यवसाय के बहुत कम अवसर, कठिन कृषि व बहुत कम उद्योग, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात, पेय जल आदि सुविधाओं का बहुत कम होना। प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय व मैदानी जिलों में जनसंख्या वितरण को जानने के लिए सारणी 2.3 व 2.4 में प्रदेश में जिलेवार जनसंख्या वितरण व वृद्धि दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 – उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या वितरण (वर्ष 2001 व 2011)

जिला	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	कुल से प्रतिशत	स्थान क्रम	व्यक्ति	कुल से प्रतिशत	स्थान क्रम
हरिद्वार	1447187	17.04	1	1927029	19.05	1
देहरादून	1282143	15.10	2	1698560	16.79	2
ऊधमसिंह नगर	1235614	14.55	3	1648367	16.29	3
नैनीताल	762909	8.99	4	955128	9.44	4
पौड़ी गढ़वाल	697078	8.21	5	686527	6.79	5
अल्मोड़ा	632866	7.45	6	621927	6.15	6
टिहरी गढ़वाल	604747	7.24	7	616409	6.09	7
पिथौरागढ़	462289	5.45	8	485993	4.80	8
चमोली	370359	4.36	9	391114	3.87	9
उत्तरकाशी	295013	3.48	10	329686	3.26	10
बागेश्वर	247163	2.91	11	259840	2.57	11
चम्पावत	224542	2.64	13	259315	2.56	12
रूद्रप्रयाग	227439	2.68	12	236857	2.34	13
उत्तराखण्ड	8489349	100.00		10116752	100.00	

सारणी 2.4 – उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर (दशक 1991–2001 व

2001–2011)

जिला	जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर			
	1991–2001	स्थान क्रम	2001–2011	स्थान क्रम
ऊधमसिंह नगर	33.60	1	33.40	1
हरिद्वार	28.70	3	33.16	2
देहरादून	25.00	4	32.48	3
नैनीताल	32.72	2	25.20	4
चम्पावत	17.60	6	15.49	5
उत्तरकाशी	23.07	5	11.75	6
चमोली	13.87	8	05.60	7
पिथौरागढ़	10.95	10	05.13	8
बागेश्वर	09.28	11	05.13	9
रूद्रप्रयाग	13.43	9	04.14	10
टिहरी गढ़वाल	16.24	7	01.93	11
अल्मोड़ा	03.67	13	–01.73	12
पौड़ी गढ़वाल	03.91	12	–01.51	13
उत्तराखण्ड	20.41		19.17	
सम्पूर्ण भारत	21.54		17.64	

जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में वितरण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। अधिक नगरीय क्षेत्रों का होना एक सीमा तक अधिक प्रगति का सूचक माना जा सकता है। सामान्य रूप से ग्रामों की तुलना में नगरों में बहुत अधिक विकसित बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की अधिक सुविधाएँ तथा रोजगार व व्यवसाय के अधिक अवसर होने के कारण व्यक्ति ग्रामों से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जनगणना, 2011 के सम्पूर्ण परिणाम उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश की जनसंख्या का नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण का वर्ष 2001 के आँकड़ों के आधार पर ही केवल अनुप्रस्थ विश्लेषण किया जा सकता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के 74.41 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25.59 प्रतिशत थी, जबकि देश की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की 77.22 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.78 प्रतिशत थी। सारणी 2.5 में वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत दिया गया है जिससे आप यह अनुमान लगा सकें कि उत्तराखण्ड के उदय के समय नगरीकरण की क्या स्थिति थी?

सारणी 2.5 – उत्तराखण्ड व विभिन्न जिलों में जिले की कुल जनसंख्या से वर्ष 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष 2001 में प्रदेश / जिला	नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)	वर्ष 2001 में प्रदेश / जिला	नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)
उत्तरकाशी	08	पिथौरागढ़	13
चमोली	14	अल्मोड़ा	09
टिहरी–गढ़वाल	10	नैनीताल	35
देहरादून	53	ऊधमसिंहनगर	33
पौड़ी गढ़वाल	13	बागेश्वर	03
रूद्रप्रयाग	01	चम्पावत	15
हरिद्वार	31	कुल	26

(स्रोतः **Planning Commission, Government of India (2009),** ***Uttarakhand Development Report*****, Academic Foundation, New Delhi,** पृष्ठ 80)

धर्म के आधार पर वितरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड में हिन्दुओं की बहुत अधिकता है। वर्ष 2001 के

आधार पर प्रदेश की जनसंख्या का धर्म के आधार पर वितरण को सम्पूर्ण देश की स्थिति से तुलना करते हुए दर्शाया गया है।

सारणी 2.6– वर्ष 2001 के अनुसार भारत तथा उत्तराखण्ड में धर्म के आधार पर जनसंख्या का कुल से प्रतिशत

धर्म	मैदानी जनपद	पर्वतीय जनपद	कुल से प्रतिशत	
			उत्तराखण्ड	भारत
हिन्दू	20.94	64.02	84.96	80.45
मुस्लिम	8.63	3.29	11.92	13.46
इसाई	0.08	0.24	0.32	2.34
सिक्ख	1.87	0.63	2.50	1.86
बौद्ध	0.02	0.12	0.14	0.77
जैन	0.04	0.07	0.11	0.41
अन्य व अवर्णित धर्म	0.02	0.03	0.05	0.71
समस्त	31.6	68.4	100.0	100.0

(स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2011), *सांख्यिकीय डायरी 2008–09,* उत्तराखण्ड सरकार, पृष्ठ 14–16)

2.4.2 लिंगानुपात – लिंगानुपात से आपको प्रति हजार पुरूष स्त्रियों की संख्या की जानकारी मिलती है। बदलता लिंगानुपात विवाह व बच्चों की संख्या को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही इससे अनेक प्रकार के सामाजिक व नैतिक परिवर्तन भी होते हैं। घटता लिंगानुपात स्त्रियों के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। सारणी 2.7 में देश के साथ तुलना करते हुए प्रदेश में जिलेवार लिंगानुपात को दर्शाया गया है जिससे आप प्रदेश में लिंगानुपात सम्बन्धी विशेषताओं को जान सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पर्वतीय जिलों में प्रति हजार पुरूष स्त्रियों की संख्या अधिक होने का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों से पुरूषों का सेना आदि में रोजगार के लिए बाहर जाना है।

सारणी 2.7 – उत्तराखण्ड में जिलेवार लिंगानुपात – वर्ष 2001 व 2011

जिला	स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरूष			
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम
अल्मोड़ा	1145	1	1142	1
रूद्रप्रयाग	1115	2	1120	2
पौड़ी गढ़वाल	1106	3	1103	3
बागेश्वर	1106	4	1093	4
टिहरी गढ़वाल	1049	5	1078	5
पिथौरागढ़	1031	6	1021	6
चमोली	1016	8	1021	7
चम्पावत	1021	7	0981	8
उत्तरकाशी	0941	9	0959	9
नैनीताल	0906	10	0933	10
ऊधमसिंह नगर	0902	11	0919	11
देहरादून	0887	12	0902	12
हरिद्वार	0865	13	0879	13
उत्तराखण्ड	0962		0963	
सम्पूर्ण भारत	0933		0940	

2.4.3 जनसंख्या घनत्व – जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या को दर्शाता है। इसके आधार पर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के संकेन्द्रण व उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने में

सहायता मिलती है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा, यातायात, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य व पेय जल आदि की सुविधाएँ अधिक होती हैं तथा रोजगार व व्यापार के अवसर अधिक होते हैं, वहीं पर यह घनत्व अधिक होता है। यह घनत्व उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में बहुत कम व मैदानी जिलों में बहुत अधिक है। सारणी 2.8 में प्रदेश में जिलेवार जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है।

सारणी 2.8 – उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या घनत्व – वर्ष 2001 व 2011

जिला	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)			
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम
हरिद्वार	613	1	817	1
ऊधमसिंह नगर	486	2	648	2
देहरादून	415	3	550	3
नैनीताल	179	5	225	4
अल्मोड़ा	201	4	198	5
टिहरी गढ़वाल	166	6	169	6
चम्पावत	127	8	147	7
पौड़ी गढ़वाल	131	7	129	8
रूद्रप्रयाग	115	9	119	9
बागेश्वर	110	10	116	10
पिथौरागढ़	065	11	069	11
चमोली	046	12	049	12
उत्तरकाशी	037	13	041	13
उत्तराखण्ड	159		189	
सम्पूर्ण भारत	325		382	

2.4.4 साक्षरता दर – साक्षरता दर की सहायता से क्षेत्र विशेष में मानवीय संसाधनों की योग्यता की प्रारम्भिक स्थिति ज्ञात होती है। यह दर जितनी अधिक होती है, क्षेत्र के विकास में उतनी ही सहायता मिलती है। प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.63 प्रतिशत हो गयी। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 17वें स्थान पर आ गया है। यह साक्षरता दर सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2001 में 64.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी। प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से अधिक तो है परन्तु प्रदेश की स्त्रियों की साक्षरता दर पुरूषों की साक्षरता दर की तुलना में अभी भी कम है। सारणी 2.9 में प्रदेश की जिलेवार पुरूष व महिलाओ की साक्षरता दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.9 – उत्तराखण्ड में जिलेवार प्रभावी साक्षरता दर – वर्ष 2001 व 2011

जिला	प्रभावी साक्षरता दर (प्रतिशत में)					
	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	पुरूष	स्त्रियाँ	व्यक्ति	पुरूष	स्त्रियाँ
देहरादून	78.99	85.87	71.20	85.24	90.32	79.61
नैनीताल	78.36	86.32	69.55	84.85	91.09	78.21
चमोली	75.43	89.66	60.49	83.48	94.18	73.20
पिथौरागढ़	75.95	90.06	62.60	82.93	93.45	72.97
पौड़ी गढ़वाल	77.49	90.91	60.70	82.59	93.18	73.26
रूद्रप्रयाग	73.65	89.81	59.57	82.09	94.97	70.94
अल्मोड़ा	73.64	89.19	60.56	81.06	93.57	70.44
चम्पावत	71.29	87.27	54.18	80.73	92.65	68.81
बागेश्वर	70.42	87.67	56.98	80.69	93.20	69.59
उत्तरकाशी	65.71	83.60	46.70	75.98	89.26	62.23
टिहरी गढ़वाल	66.73	85.33	49.42	75.10	89.91	61.77
हरिद्वार	63.75	73.83	52.09	74.62	82.26	65.96

ऊधमसिंह नगर	64.86	75.22	53.35	74.44	82.48	65.73
उत्तराखण्ड	71.61	83.28	59.63	79.63	88.33	70.70
सम्पूर्ण भारत	64.83	75.26	53.67	74.04	82.14	65.46

2.4.5 जन्म दर व मृत्यु दर – जन्म दर व मृत्यु दर के मध्य अन्तर का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या जन्में बच्चों की संख्या है जबकि मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या मृत्युओं की संख्या है। सामान्यतयाः जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर के तेजी से घटने से जनसंख्या विस्फोट की सम्भावना होती है। सामान्य रूप से ऊँची जन्म दर के प्रमुख कारण हैं – विवाह की अनिवार्यता का होना, कम उम्र में विवाह का होना, बड़े परिवार को आर्थिक सुरक्षा का आधार मानना, धार्मिक व सामाजिक कारणों से पुत्र की अनिवार्यता होना, अशिक्षा के कारण सन्तान को ईश्वरीय देन मानना, मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण यौन क्रिया का माध्यम अपनाना, गर्म जलवायु का होना, निम्न जीवन स्तर का होना, इत्यादि। मृत्यु दर में तेजी से कमी के प्रमुख कारण हैं – शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में अधिक विस्तार, जीवन स्तर में वृद्धि, विवाह की आयु में वृद्धि, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, नगरों का विस्तार, घातक रोगों व महामारियों में भारी कमी, इत्यादि। उत्तराखण्ड में जन्म दर व मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन दरों को सारणी 2.10 की सहायता से देखा जा सकता है।

सारणी 2.10 – वर्ष 2009 में उत्तराखण्ड में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर व (एस0आर0एस0 आँकड़े)

शीर्षक	क्षेत्र		
	ग्रामीण	नगरीय	कुल
अशोधित जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	20.6	16.3	19.7
अशोधित मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	6.9	5.2	6.5

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** प श्ठ 3)

2.5 मानवीय संसाधनों के विकास, जनसंख्या नियन्त्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाये जा रहे उपाय

प्रदेश में स्वस्थ व सुशिक्षित मानवीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, जनसंख्या को नियन्त्रित करने व परिवार कल्याण में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख निम्न है –

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों की संख्या में सुधार किया गया है, स्कूलों में भात–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के साथ ही अधिक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। इस सुधार को सारणी 2.11 से देखा जा सकता है।

सारणी 2.11 – वर्ष 2001–02 व 2010–11 में उत्तराखण्ड में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की संख्या व आबंटित धन

	संख्या	
	वर्ष 2001–02	वर्ष 2010–11
प्राथमिक विद्यालय	13594	15644
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3461	4295
हाई स्कूल	674	1099
इंटरमीडिएट स्कूल	879	1371
धनराशि की व्यवस्था	646 करोड़ रूपये	2890 करोड़ रूपये

(स्रोतः उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून, पृष्ठ 5)

- इसके अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनेक निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजकीय पैरामेडिकल संस्थान जैसी प्राविधिक संस्थाओं की या तो स्थापना की जा चुकी है या स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है ताकि प्रदेश के विकास के लिए अधिकाधिक कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

- स्वास्थ्य सेवाओं में क्रान्तिकारी कदम उठाये हुए उत्तर भारत में पहले व देश में तीसरे राज्य के रूप में जीवन रक्षा के लिए 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारम्भ की गयी है।

- राज्य गठन के समय 1525 उपकेन्द्र, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 235 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में अब ये बढ़कर क्रमशः 1847, 55 व 255 हो गये हैं।[2]

- ग्रामीण जन–जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए अटल आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट हेल्थ कार्ड, स्वास्ध्य सेवा सुदृढ़ीकरण योजना, आयुष ग्राम योजना, आदि को चलाया जा रहा है।

- बी.पी.एल. परिवारों को नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत कन्या जन्म के बाद बालिका के पक्ष में 5000 रूपये तथा गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बालिकाओं को 25000 रूपये की धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि समाज में बालिकाओं की स्थिति में समानता आ सके, भ्रूण हत्या रुक सके तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।

- जन्म दर को नियन्त्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड की *सांख्यिकीय डायरी 2008–09* के अनुसार वर्ष 2008–09 में नसबन्दी कराने वाले पुरूषों की संख्या 2985 व स्त्रियों की संख्या 33861 थी, लूप निवेशन तथा कॉपर टी का प्रयोग करने वालों की संख्या 141549, सी.सी. यूजर्स की संख्या 117718 व ओ.पी. यूजर्स की संख्या 49833 थी।[3]

- परिवार को स्वेच्छा से नियन्त्रित करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह वित्तीय प्रेरणा दी जाती है।

सारांश रूप में, मानवीय संसाधनों के विकास व परिवार कल्याण हेतु स्वस्थ व शिक्षित प्रदेश बनाने के लिए अनेक तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

2.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास में गहरा सम्बन्ध है। जनसंख्या की अधिकता विकास के लिए घातक है तो अनुकूलतम बिन्दु से नीचे रहने पर सहायक भी। देश की नवीनतम जनगणना, 2011 व इससे पिछली जनगणना, 2001 की सहायता से प्रदेश की अनेक जनांककीय विशेषताओं का पता चलता है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, घनत्व व साक्षरता दर पर्वतीय व मैदानी जिलों के मध्य असमानता को दर्शाते हैं। नगरीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान की ओर स्थानान्तरण प्रदेश की जनांककीय विशेषताओं को विशिष्ट बनाते हैं। प्रदेश के मानवीय संसाधनों को शिक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से कुशल बनाने व जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या संरचना, इससे जुड़ी कुछ समस्याओं व नीतियों को समझा सकेंगे।

2.7 शब्दावली

लिंगानुपात – प्रति हजार पुरूष स्त्रियों की संख्या

जनसंख्या घनत्व – प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या

प्रभावी साक्षरता दर – यह दर 7 वर्ष व इससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या को इसी आयु वर्ग की कुल

जनसंख्या से भाग देने के बाद 100 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।

अशोधित जन्म दर – यह दर एक वर्ष में वर्ष के मध्य औसत जनसंख्या से कुल जन्में शिशुओं की संख्या भाग देने के बाद 1000 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।

अशोधित मृत्यु दर – यह दर एक वर्ष में जनसंख्या से कुल मृत्युओं की संख्या को भाग देने के बाद 1000 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।

2.8 अभ्यास प्रश्न व उत्तर

प्रश्न (क)– एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए–

(1) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक है?

(2) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है?

(3) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितनें जनपदों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है?

(4) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है?

(5) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम है?

(6) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों की जनसंख्या की वृद्धि दर प्रदेश के जनसंख्या की वृद्धि दर से कम है ?

(7) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों की जनसंख्या की वृद्धि दर प्रदेश के जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है?

(8) दशक 1991–2001 की तुलना में दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जिलों की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है?

(9) वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक थी ?

(10) वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी ?

(11) वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक थे ?

(12) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) सर्वाधिक है?

(13) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) सबसे कम है?

(14) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) प्रदेश में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) से कम है?

(15) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) प्रदेश में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) से अधिक है?

(16) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?

(17) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?

(18) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों का जनसंख्या घनत्व प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से कम है?

(19) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों का जनसंख्या घनत्व प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से अधिक है ?

(20) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर सर्वाधिक है?

(21) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर सबसे कम है?

(22) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर प्रदेश की साक्षरता दर से कम है ?

(23) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर प्रदेश की साक्षरता दर से अधिक है ?

प्रश्न (ख) – सत्य/असत्य बताइए–

(1) दशक 1991–2001 की तुलना में दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है।

(2) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है।

(3) वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं की संख्या से अधिक है।

(4) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) में वृद्धि हुई है।

(5) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरूष) की तुलना में कम है।

(6) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है।

(7) उत्तराखण्ड का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है।

(8) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

(9) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की साक्षरता दर से अधिक है।

(10) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से अधिक है।

उत्तर –(क)

(1) हरिद्वार, (2) रूद्रप्रयाग, (3) 11, (4) ऊधमसिंह नगर, (5) पौड़ी–गढ़वाल, (6) 04, (7) 09, (8) 11, (9) देहरादून, (10) रूद्रप्रयाग, (11) हिन्दू, (12) अल्मोड़ा, (13) हरिद्वार, (14) 05, (15) 08, (16) हरिद्वार, (17) उत्तरकाशी, (18) 05, (19) 08, (20) देहरादून, (21) ऊधमसिंह नगर, (22) 04, (23) 09,

(ख)

(1) सत्य, (2) असत्य, (3) सत्य, (4) सत्य, (5) असत्य, (6) सत्य, (7) सत्य, (8) सत्य, (9) असत्य, (10) सत्य,

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई–लिंक्स

Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future,* Concept Publishing Company, New Delhi

Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi

Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi

Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi

Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal

Publications, New Delhi

उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार, *मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की अनुपम पहल*

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड (2011), *भारत की जनगणना–2011,* प्रेस कान्फ्रेंस दिनांक 2 अप्रैल, 2011, देहरादून

अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2011), *सांख्यिकीय डायरी 2008–09,* उत्तराखण्ड सरकार

http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Figures_At_Glance.pdf

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Data_Sheet_prov_popu_tot_2011.pdf

http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf

http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf

http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/uttarakhand/ppt_figures_press_rel.pdf

2.10 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री

ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदयः एक दशक की यात्रा (2000 से 2010),* अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा

बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्डः एक सम्पूर्ण अध्ययन,* अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ

पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचलः सम्पूर्ण अध्ययन,* उपकार प्रकाशन, आगरा

सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्डः समग्र अध्ययन,* तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1– वर्ष 2001 के साथ वर्ष 2011 की तुलना करते हुए उत्तराखण्ड की जनांककीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2– उत्तराखण्ड के पर्वतीय व मैदानी जिलों की जनांककीय विशेषताओं की तुलना कीजिए।

प्रश्न 3– 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए –

(क) जनसंख्या व आर्थिक विकास में सम्बन्ध।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों से जनसंख्या के पलायन की समस्या।

(ग) उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रम।

(घ) उत्तराखण्ड में साक्षरता की स्थिति।

(घ) उत्तराखण्ड में जनसंख्या घनत्व की स्थिति।

इकाई 3 : प्राकृतिक संसाधन

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 प्राकृतिक संसाधन– अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध

3.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता

- 3.4.1 भू संसाधन
- 3.4.2 वन संसाधन
- 3.4.3 जल व मत्स्य संसाधन
- 3.4.4 खनिज संसाधन

3.5 समस्याएँ

3.6 सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम

3.7 सारांश

3.8 शब्दावली

3.9 अभ्यास प्रश्न व उत्तर

3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.11 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

3.12 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह तृतीय इकाई है। इससे पहले की प्रथम इकाई में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं व द्वितीय इकाई में मानवीय संसाधनों व जनसंख्या के विषय सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

एक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों व मानव–निर्मित पूँजी के साथ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का उस क्षेत्र विशेष में होना विकास के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, फिर भी उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाया जाना विकास के लिए वरदान तो है ही। ये प्राकृतिक संसाधन भूमि, वन, जल व खनिज आदि के रूप में पाये जाते हैं। क्षेत्र में पर्याप्त भूमि, कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ व अच्छी जलवायु, पर्याप्त वन क्षेत्र, वनों में विविध प्रकार के उत्पाद, नदियाँ व झीलों व खनिजों के पाये जाने पर उस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। यहाँ आगे उत्तराखण्ड में उपलब्ध इन्हीं संसाधनो के विषय में बताया गया है। साथ ही, इनसे जुड़ी समस्याओं, नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, विशेषताओं व इनसे जुड़ी समस्याओं, नीतियों व कार्यक्रमों को जान सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, प्रकार व इनका आर्थिक विकास से सम्बन्ध को समझा सकेंगे,
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति क्या है,
- इन संसाधनों से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे,
- यह बता सकेंगे कि प्रदेश में इन संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार की क्या नीतियाँ व कार्यक्रम हैं।

3.3 प्राकृतिक संसाधन– अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध

प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति प्रदत्त उन सभी उपहारों को सम्मिलित किया जाता है जिनका मनुष्य अपने उपयोग के लिए दोहन कर सकता है। प्रमुख रूप से भूमि, वन, जल, मत्स्य व खनिज आदि प्रकृति प्रदत्त उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मनुष्य ज्ञात तकनीक व अपने श्रम द्वारा करता है। ऐसा न किए जाने पर ये संसाधन निष्क्रिय ही रहते हैं। जिन संसाधनों की जानकारी मनुष्यों को होती है, वे 'ज्ञात संसाधन' कहलाते हैं। भू सतह का आकार, स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, वनों से आच्छादित क्षेत्र व खोजे गये खनिज 'ज्ञात संसाधन' कहलाते हैं। परन्तु अनेक संसाधनों के विषय में मनुष्यों को जानकारी नहीं होती है। इन 'अज्ञात संसाधनों' की खोज में मनुष्य लगातार प्रयास करता है।

नवीनीकरण होने या न होने के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं – एक वे जिनका लगातार नवीनीकरण होता रहता है जैसे भूमि, वन जल व मत्स्य, दूसरे वे जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं जैसे खनिज व खनिज तेल।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी देश अथवा प्रदेश में ये संसाधन आवश्यकता से कम मात्रा में पाये जाते हैं तो दूसरे क्षेत्रों से इनके आयात द्वारा ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में होना विकास के लिए अच्छा तो है परन्तु इन साधनों के कम होने पर आयात द्वारा इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

आप जानते हैं कि अधिक भूमि, विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ, अनुकूल जलवायु व जल कृषि फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अति आवश्यक हैं। जल की पर्याप्त उपलब्धता कृषि उत्पादन के साथ पेय

जल की समस्या को भी हल करने में सहायक है। नदियों में प्रवाहित जल से हम विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं। वनों से हमें प्राकृतिक सौन्दर्य, अनेक प्रकार के वन्य जीव, प्राण वायु, ईंधन, इमारती लकड़ी, जड़ी–बूटियाँ व अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, भू–क्षरण रुकता है, पशुओं को चारा मिलता है तथा जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है। खनिजों की उपलब्धता उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है। खनिजों की विविधता व अधिकता क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, आदि का विकास होता है जिससे क्षेत्र में रोजगार व आय में वृद्धि होती है। पर यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि आर्थिक विकास की गति को बहुत तीव्र करने के लिए इन संसाधनों का सीमा से अधिक दोहन अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं – भूमि का बंजर होना, भू–क्षरण, जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन, बाढ़, सूखा, उपजाऊ मिट्टियों की कमी, इत्यादि। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के लगातार अधिक विदोहन से आर्थिक विकास की गति में दीर्घकाल में सतत् वृद्धि नहीं की जा सकती।

3.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तराखण्ड एक समृद्ध प्रदेश है। प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों – भू, वन, जल, मत्स्य, खनिजों की स्थिति को आप निम्नलिखित वर्णन से जान सकते हैं।

3.4.1 भू संसाधन

उत्तराखण्ड 53483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक छोटा राज्य है। भू क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 18वा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थलाकृति अत्यन्त विविध व कठिन है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल – 46035 वर्ग किलामीटर) तथा शेष भाग मैदानी है। यहाँ एक ओर ऊँचे पर्वत, वहीं दूसरी ओर गहरी घाटियाँ भी हैं। अनेक हिमनद, गहरी नदियाँ व तेज गति से बहती धाराएँ हैं। बर्फीली चोटियों के साथ गर्म मैदानी स्थल हैं।

भू–संरचना, धरातल की ऊँचाई, आदि के आधार पर प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है – तराई, भावर व शिवालिक (संयुक्त औसत धरातलीय ऊँचाई – 300 से 3000 मीटर), हिमाचल (औसत धरातलीय ऊँचाई – 2000 से 3000 मीटर), हिमाद्रि (औसत धरातलीय ऊँचाई – 3000 से 7600 मीटर)। शिवालिक, हिमाचल व हिमाद्रि भागों को मिलाकर यह भाग कुमाऊँ हिमालय कहलाता है। शिवालिक के दक्षिण में निचले चपटे व गहरे क्षेत्र को दून कहते हैं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से कुछ इस प्रदेश में पाये जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं – नन्दा देवी (7817 मीटर), कामेट (7756 मीटर), बद्रीनाथ (7138 मीटर)।[1]

प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण है। तापमान में मौसमी परिवर्तन बहुत हैं परन्तु ये उष्ण कटिबन्धीय मानसून से भी प्रभावित होते हैं। दिसम्बर व जनवरी माह प्रायः बहुत ठंडे होते हैं जबकि मई व जून बहुत गर्म माह हैं। शीत ऋतु में यह तापमान कुछ क्षेत्रों में शून्य से भी बहुत कम हो जाता है। जुलाई से सितम्बर माह तक दक्षिण–पश्चिम मानसून सक्रिय रहने के कारण इस अवधि में बाढ़ व भूस्खलन की समस्या रहती है।

भू उपयोग की दृष्टि से यदि वर्ष 2008–09 के आँकड़ो[2] को देखा जाये तो आप पायेंगे कि प्रदेश में भूमि के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (5672568 हैक्टेयर) में 61.45 प्रतिशत वन क्षेत्र, 5.34 प्रतिशत कृषि योग्य बेकार भूमि, 1.87 प्रतिशत परती भूमि, 3.96 प्रतिशत ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि, 3.82 प्रतिशत खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 3.50 प्रतिशत स्थायी चरागाह व अन्य चराई की भूमि, 6.77 प्रतिशत अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि व 13.29 प्रतिशत शुद्ध बोयी गयी भूमि है।

कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का होना आवश्यक होता है। ये मिट्टियाँ भूमि का ऊपरी भाग होती हैं तथा इनकी संरचना जलवायु व धरातलीय दशा से प्रभावित होती है। चट्टानों के टूटने व क्षरण होने तथा वनस्पतियों के सड़ने व गलने की लगातार क्रिया से इसका निर्माण व विकास होता रहता है। सामान्य रूप से जहाँ जल का बहाव तेज होता है, वहाँ इसकी परत कम मोटी है। परन्तु जहाँ जल का बहाव धीमा होता है, वहाँ मिट्टी का निक्षेपण अधिक होने से इसकी परत मोटी होती है।

प्रदेश की स्थलाकृति अत्यन्त जटिल होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टियों में भिन्नता पायी जाती

है। यहाँ प्रायः टरशरी, क्वार्ट्ज, ज्वालामुखी, दोमट व भूरी मिट्टियाँ पायी जाती हैं। टरशरी मिट्टी हल्की, रेतीली व छिद्रमय होती है तथा शिवालिक व दून घाटी में पायी जाती है। क्वार्ट्ज मिट्टी शैल, क्वार्ट्ज इत्यादि शैलों का उपजाऊ मिश्रण है तथा नैनीताल के भीमताल में पायी जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी ग्रेनाइट व डोलोराइट से युक्त होती है तथा पर्वतीय ढालों पर पायी जाती है। दोमट मिट्टी हल्की चिकनी व चूना, लौह युक्त होती है। कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी यह मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों व दून घाटी में पायी जाती है। नैनीताल, मसूरी, चकराता आदि में पायी जाने वाली भूरी मिट्टी चूना युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है।[3]

3.4.2 वन संसाधन

प्रदेश में लगभग 64.8 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल – 34651 वर्ग किलोमीटर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.7 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, बुग्यालों के अधीन, चट्टानी बलुवी नदी तट, जलमग्न होने के कारण वनों से आच्छादित नहीं है। वनों के कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। प्रदेश के वनों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ व वन्य जीव पाये जाते हैं। ये वन गंगा, यमुना व शारदा नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। वनों से हमें प्रकाष्ठ, ईंधन की लकड़ी, रेज़िन (लीसा), जड़ी–बूटियाँ व अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वन क्षेत्रों से सभी को प्राण वायु मिलती है तथा साथ ही पारिस्थितिकीय व पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में सहायता मिलती है। इसलिए प्रदेश में इतने भू–भाग के वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है।[4]

[5]उत्तराखण्ड सरकार के वन विभाग के अनुसार प्रदेश में निम्न पाँच प्रकार के वन हैं–

1–तराई भाभर के वन, 2–तराई भावर के मिश्रित वन, 3–वाह्य हिमालय के वन, 4–मध्य हिमालय के वन, 5–आन्तरिक हिमालय के वन।

तराई भावर के वन – उत्पादन वानिकी हेतु हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के दक्षिणी भागों में पाये जाने वाले 600 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में तेजी से बढ़ने वाली प्रजाजियों जैसे यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि का रोपण किया जाता है। इन क्षेत्रों की नदियों के आसपास शीशम तथा खैर के प्राकृतिक व कृत्रिम वन पाये जाते हैं। इन वनों का उपयोग प्रायः औद्योगिक कार्यों के लिए होता है।

तराई भावर के मिश्रित वन – मुख्य रूप से प्रदेश के देहरादून वन प्रभाग, नैनीताल जिले के विभिन्न वन प्रभाग, लैंसडाउन वन प्रभाग व चम्पावत वन प्रभाग के दक्षिणी भाग में 600 से 1500 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में प्रमुख रूप से साल व सहयोगी प्रजातियों के साथ कोमल काष्ठ के वृक्ष (सेमल, एलेन्थस, हल्दू, बाँस आदि) मिलते हैं।

वाह्य हिमालय के वन – प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक चकराता, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि वन प्रभागों में फैले 1500 से 2000 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में चीड़, मेहल, आंवला, तुन आदि वृक्षों की प्रजातियाँ मिलती हैं।

मध्य हिमालय के वन – चकराता, टौन्स, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बागेश्वर आदि वन प्रभागों में पाये जाने वाले 2000 से 2500 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में बांज व सहयोगी प्रजातियाँ, रिंगाल व देवदार के वृक्ष मिलते हैं।

आन्तरिक हिमालय के वन – ये वन प्रदेश के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं। 2500 से 3000 मीटर तक की ऊँचाई वाले वृक्ष–युक्त वनों में स्प्रूस, कैल, बुरांश आदि वृक्ष पाये जाते हैं। इनमें बुरांश प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वृक्ष रेखा के ऊपर 3000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले वृक्ष विहीन वन बुग्यालों में विभिन्न प्रकार की धास की प्रजातियाँ व जड़ी–बूटियाँ मिलती हैं।

ऊँचाई व जलवायु के आधार पर प्रदेश के वनों को निम्न भागों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है – उपोष्ण कटिबन्धीय वन, उष्ण कटिबन्धीय शुष्क वन, उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप–अल्पाइन व अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान।

वैधानिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2009–10 में प्रदेश में वनों की स्थिति को सारणी 3.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.1 उत्तराखण्ड में वैधानिक स्थिति के आधार पर वनों की स्थिति वर्ष 2009–10

वन श्रेणी	इकाई	समंक
1–आरक्षित वन (क)–वन विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी वर्ग किमी	24643 24261
(ख)–वन पंचायतों में पूर्ण रूप में दर्ज	वर्ग किमी	348
(ग)–अन्य सरकारी अभिकरणों के नियंत्रण में	वर्ग किमी	34
2–संरक्षित वन	वर्ग किमी	9885
(क)–वन विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी	99
(ख)– वन विभाग के नियंत्रण में अवर्गीकृत व विशाल वन	वर्ग किमी	55
(ग)–नागरिक व सोयम वनः राजस्व विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी	4769
(घ)– नागरिक व सोयम वनः वन पंचायतों के नियंत्रण में	वर्ग किमी	4962
3–निजी वन (नगरपालिका व छावनी इत्यादि के नियंत्रण में)	वर्ग किमी	123

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** प श्ठ 11–12)

प्रदेश के मैदानी भागों से हिमालय तक फैले वनों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत भाग 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 6 वन्य जीव विहारों व 2 संरक्षण आरक्षिति के रूप में संरक्षित क्षेत्र हैं। इन उद्यानों, विहारों व संरक्षण आरक्षिति के नाम निम्न हैं –

राष्ट्रीय उद्यान – 1–कार्बेट (देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान), 2–नन्दा देवी (विश्व धरोहर स्थल), 3–फूलों की घाटी (विश्व धरोहर स्थल), 4–राजाजी, 5–गंगोत्री, 6–गोविन्द

इनमें नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व भी है। इनमें 'फूलों की घाटी' में पाये जाने वाला 'ब्रह्मकमल' प्रदेश का राजकीय पुष्प है।

वन्य जीव विहार – 1–गोविन्द, 2–केदारनाथ, 3–अस्कोट, 4–सोनानदी, 5–विन्सर, 6–मसूरी संरक्षण आरक्षिति – 1–झिलमिल, 2–आसन

प्रदेश में वन्य जीवों की दृष्टि से स्तनधारियों की 102, पक्षियों की 600, उभयचर की 19, सरीसृप की 70, मछलियों की 124 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। इनमें बाघ, एशियाई हाथी, गुलदार, हिम तेन्दुआ, कस्तूरी मृग (राजकीय वन्य जीव), मोनाल (राजकीय पक्षी), आदि प्रमुख हैं। सांराश रूप में आप यह कह सकते हैं कि उत्तराखण्ड जैव विविधता पूर्ण प्रदेश है।

3.4.3 जल व मत्स्य संसाधन

जल संसाधनों की आवश्यकता घरेलू (पीने व स्वच्छता के लिए), कृषि (सिंचाई), उद्योग, आदि में उपयोग के लिए होती है। इन जल संसाधनों की आवश्यकता सभी क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य विद्युत उत्पादन के लिए भी होती है। प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रदेश में भूगर्भीय जल के अतिरिक्त हिमनद, नदियाँ, नहरों, तालों व झीलों का बाहुल्य है। ऊँचे हिमालय के पर्वतों से टकराकर मानसूनी हवायें प्रदेश में व्यापक वर्षा करती हैं। फलस्वरूप, यह प्रदेश देश का बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत सरकार के योजना आयोग की उत्तराखण्ड डवलपमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में वर्षा से प्रति वर्ष (लगभग 100 दिनों के सक्रिय मानसून के आधार पर) जल की औसत प्राप्ति 94.62 बी. सी.एम. है। इसमें से 17.5 प्रतिशत वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, 29.55 प्रतिशत भूमि द्वारा अवशोशित कर लिया जाता है, 15.45 प्रतिशत भूगर्भ में छन कर चला जाता है व केवल 37.50 प्रतिशत ही नदियों में प्रवाहित होता है।[6]

हिमनद प्रदेश की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखती हैं। प्रदेश के प्रमुख हिमनद हैं – गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चौराबाड़ी, पिण्डारी, कफनी, आदि।

प्रदेश में नदियों का जाल बिछा होने के कारण यहाँ अपार जल संसाधन है। इन नदियों के कारण उत्तराखण्ड में जल प्रवाह क्षेत्र अति विशाल है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं – गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी, भिलंगना, कोसी, रामगंगा, टोंस, सरयू, पिण्डर, धौलीगंगा, सौंग, घाघरा।

जल के प्रमुख स्रोत के रूप में यहाँ अनेक ताल व झीलें हैं। यह प्रदेश झीलों व तालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के कुछ प्रमुख ताल व झीलें हैं – नैनीताल, भीमताल, देवरीताल, मोहनताल, बेनीताल, सुखताल, सिद्धताल, केदारताल, कागभुसुंड ताल, शत्रुताल, वसूकी ताल, मालवा ताल, गिरीताल, सतोपंथ ताल, सहस्रताल, हेमकुण्ड लोकपाल, रूपकुण्ड, टिहरी झील, द्रोण सागर, गाँधी सागर, आदि।

प्रदेश में नदियों, नहरों, झीलों व तालाबों के पाये जाने के कारण इण्डियन ट्राउट, बुचवा, मुले आदि मछलियाँ पायी जाती हैं। ये मछलियाँ अनेक व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों का विकल्प हैं।

3.4.4 खनिज संसाधन

खनिज संसाधन प्राकृतिक होते हैं। आप यह जानते हैं कि खनिजों के बिना अनेक औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की बहुत अधिक भूमिका है। यद्यपि यहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं है, तथापि कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं।

सारणी 3.2 – उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज

जिला	पाये जाने वाले प्रमुख खनिज
चमोली	फॉस्फोराइट, जिप्सम, चूना–पत्थर
देहरादून	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना–पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट
हरिद्वार	फॉस्फोराइट
पौड़ी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, चूना–पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस
रुद्रप्रयाग	फॉस्फोराइट
टिहरी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना–पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, जिप्सम
उत्तरकाशी	फॉस्फोराइट
अल्मोड़ा	सेलखड़ी, ताँबा, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, चाँदी
चम्पावत	फॉस्फोराइट
नैनीताल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, सीसा, चूना–पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, फॉस्फोराइट,
पिथौरागढ़	सेलखड़ी, चूना–पत्थर, ताँबा, फॉस्फोराइट, संगमरमर, जिप्सम
उधमसिंह नगर	फॉस्फोराइट,

(स्रोतः बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्डः एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ, पृष्ठ 39–42)

सारणी 3.2 में दिये गये खनिजों के अतिरिक्त भी अन्य खनिज यहाँ पाये जाते हैं। ये हैं – अभ्रक, ग्रेफाइट, शिलाजीत, पारा, सोना, गन्धक, आदि। प्रदेश में यूरेनियम के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वनों के उप–खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग निर्माण उद्योग, कांच निर्माण उद्योग, सड़क निर्माण व जल संशोधन में किया जाता है।[7]

3.5 समस्याएँ

बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व जीवन–स्तर में सुधार के लिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन आवश्यक होता है। परन्तु इन संसाधनों के असंतुलित दोहन से अनेक प्रकार की विकराल समस्याएँ भी उत्पन्न होती जा रही हैं। कुछ प्रमुख समस्याएँ

निम्न हैं –

- वन सम्पदा के अत्याधिक दोहन से वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, पर्यावरण में परिवर्तन होने से भूस्खलन, भूक्षरण, बाढ़ जैसी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। हिमनद सिकुड़ते जा रहे हैं। नदियों में जल प्रवाह घटता जा रहा है।
- विभिन्न स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से वहाँ पारिस्थितिकीय परिवर्तन तो हुए ही हैं, साथ ही वहाँ बसे हुए परिवारों का विस्थापन भी हुआ है।
- अनियंत्रित पर्यटन के कारण अनेक स्थलों पर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है।
- चरागाहों के लगातार उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है।
- वनों में मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण वनाग्नियों की घटनाएँ तो हो ही रही हैं, साथ में वन्य जीवों व मानवों के मध्य संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीवों की कुछ प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं।
- वैश्विक तापमान के बढ़ने से मानसून में भारी परिवर्तन आ रहे हैं। वर्श 2010 में प्रदेश में हुई रिकार्ड–तोड़ भारी वर्षा से भारी तबाही हुई।
- भूगर्भीय जल के अधिक प्रयोग के कारण इस जल के स्तर में लगातार कमी आ रही है।
- खनिजों का लगातार दोहन करने से कई क्षेत्रों में पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो गया है।

कुल मिलाकर, यदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ इनका समुचित संरक्षण व संवर्द्धन न किया जाये तो दीर्घकाल में मानव जीवन संकट में पड़ जायेगा।

3.6 सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम

इस भाग में, विभिन्न प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ इनका समुचित संरक्षण व संवर्द्धन हेतु प्रदेश सरकार के नीतिगत निर्णयों व कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

वन संसाधनों के लिए नीति व कार्यक्रम – प्रदेश की वन नीति वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति के प्राविधानों के अधीन है। इस नीति के मूल उद्देश्य[8] हैं –

- पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना;
- जैव विविधता व वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्द्धन की रणनीति व कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करना;
- वनों व सभी प्रकार की वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्द्धन व वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण प्रबन्धन द्वारा विकास करना;
- अवनत व रिक्त वन भूमि तथा नदियाँ, झीलों, जलाशयों के जलागम क्षेत्र में वनीकरण, जल व भूमि संरक्षण योजनाओं के निरूपण व क्रियान्वयन के द्वारा बाढ़ व सूखे के प्रकोप तथा सिल्ट भराव में कमी लाने के प्रयास करना;
- वन क्षेत्र व वृक्षों की उत्पादकता में वृद्धि के उपाय करना;
- ग्रामीण निर्बल वर्ग के लोगों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज व इमारती लकड़ी की स्थानीय घरेलू माँग की पूर्ति हेतु आवश्यकता व उपलब्धता के बीच के अन्तर में कमी लाने के प्रयास करना;
- प्रकाष्ठ व अन्य वन उपज के कुशल उपयोग के साथ ही इनके वैकल्पिक साधनों के उपयोग के प्रयासों द्वारा जैविक दबाव में कमी लाना;
- वनस्पति आवरण को अक्षुण्ण रखते हुए वानिकी व पारिस्थितिकीय पर्यटन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा स्थानीय स्वरोजगार तथा गरीबी उन्मूलन के अवसर प्रदान करने के प्रयास करना;

- वनों व स्थानीय जन समुदाय के बीच उपयोगी सम्बन्ध पुनर्स्थापित करने तथा वानिकी में जन सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से वन पंचायत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, संयुक्त वन प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकीय विकास के कार्य वृहत स्तर पर करना जिसमें महिलाओं को विशेष भूमिका दिया जाना सम्मिलित है।

आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश के वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएँ/कार्यक्रम[9] कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं –

- बागान योजनाएँ – बहुउद्देशीय व क्षारोपण, वनों की अग्नि से सुरक्षा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अधिक उच्च प्राणि उद्यान व वन चेतना/मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना

- भूमि व जल संरक्षण योजनाएँ – सिविल व सोयम वनों में भूमि संरक्षण व वनीकरण, टिहरी बाँध के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण व वनीकरण, रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित), सिन्धु गंगा बेसिन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समेकित जलागम प्रबंध (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित), समेकित परती भूमि विकास योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित),

- अन्य योजनाएँ – नन्दादेवी बायोस्फ़ेयर रिजर्व की स्थापना, प्राजेक्ट टाईगर, प्राजेक्ट एलीफैन्ट, गूजर पुनर्वास कार्यक्रम, मानव–वन्य जन्तु संघर्ष से क्षति होने पर अनुदान व्यवस्था, संरक्षित क्षेत्रों में जन सहभागिता हेतु ईको विकास कार्यक्रम, ईको–टूरिज्म कार्यक्रम, जैविक ईंधन के लिए जैट्रोफा के विकास का कार्यक्रम, बांस व जड़ी–बूटी आदि के वनीकरण कार्यक्रम।

अन्य संसाधनों से सम्बन्धित कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम –

- जल संरक्षण व संवर्द्धन हेतु जलाशयों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र में मिनी नलकूप की स्थापना, चाल–खाल आदि का पुनरोद्धार एवं मैदानी क्षेत्रों में रिचार्ज साफ्ट, डीजल पम्पसेट एवं मध्यम व गहरे नलकूप आदि का निर्माण प्रस्तावित है।[10]

- जल संरक्षण व संवर्द्धन हेतु 157 रिचार्ज पिट, 121 वर्षा जलसंग्रहण टैंक, 13 परकोलेशन टैंक, 191162 पौधारोपण, 1130 चैक डेम व 2146 चाल व खाल निर्मित, स्वजल धारा के अन्तर्गत 13 योजनाएँ पूर्ण, स्वैप मोड के अन्तर्गत 526 योजनाएँ ग्राम समिति को हस्तान्तिरित व 868 योजनाएँ निर्माणाधीन।[11]

- विजन 2020 के अन्तर्गत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, प्राधिकरण के अन्तर्गत गंगा के किनारे बसे नगरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वर्ष 2020 तक का लक्ष्य प्रस्तावित, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करके इसके माध्यम से समस्त स्रोतों को रिचार्ज करने एवं उनमें पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ कार्य योजना का क्रियान्वयन, वृहद कार्य योजना तैयार कर वर्श 2020 तक समस्त स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करना।[12]

- मत्स्य संरक्षण व संवर्द्धन हेतु 877.38 लाख मत्स्य बीज विभिन्न जल क्षेत्रों में संचित, विभिन्न हैचरियों व मत्स्य प्रक्षेत्रों से 1108.96 लाख मत्स्य बीज उत्पादित, मत्स्य पालन को आधुनिकतम प्रशिक्षण प्रदान करना, आदि।[13]

- उत्तराखण्ड शासन की घोषित खनन नीति के अनुसार राज्य के वन क्षेत्रों में खनिजों के उत्खनन का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा तथा राजस्व क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाता है। राज्य में एक खनिज निधि भी है जिसमें राजस्व का 5 प्रतिशत मुख्य खनिजों से व 5 प्रतिशत उप–खनिजों से एकत्रित करके जमा कराया जाता है।[14] देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय भी है।

3.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक विकास में भूमिका तो है परन्तु अनिवार्यता नहीं। साथ ही विकास के लिए इन संसाधनों के अधिक दोहन से अनके प्रकार

की समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश में भू संरचना कठिन अवश्य है परन्तु वन, जल व खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता में पाये जाते हैं। यहाँ ऊँचे हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के साथ गहरी घाटियाँ व मैदान हैं। अनेक प्रकार के वनों के पाये जाने से यह प्रदेश जैव विविधता से भरपूर है। इनमें से कुछ स्थल राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों के रूप में संरक्षित हैं। प्रदेश में अनेक हिमनद, नदियाँ, ताल व झीलें हैं जो जल के प्रमुख स्रोत हैं ही, साथ में विद्युत उत्पादन में भी सहायक हैं। प्रदेश में अनेक प्रमुख खनिज भी पाये जाते हैं। वनों से भी कुछ उप–खनिज प्राप्त होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन से अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। इनके निराकरण के लिए प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती है ताकि प्रदेश का सतत् विकास हो सके।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व, उनकी उपलब्धता, इनके दोहन से जुड़ी समस्याओं व उनके निराकरण के लिए किए जा रहे उपायों को समझा सकेंगे।

3.8 शब्दावली

प्राकृतिक संसाधन– मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार।

ज्ञात संसाधन – जिन संसाधनों की जानकारी मनुष्यों को होती है

अज्ञात संसाधन – जिन संसाधनों के विषय में मनुष्यों को जानकारी नहीं होती है।

नवीनीकरण होने योग्य प्राकृतिक संसाधन – प्रकृति में जिनका लगातार नवीनीकरण स्वयं होता रहता है।

नवीनीकरण न होने योग्य प्राकृतिक संसाधन – प्रकृति में जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं।

3.9 अभ्यास प्रश्न व उत्तर

(क) रिक्त स्थान भरिए–

1. उत्तराखण्ड में लगभग ....प्रतिशत भाग मैदानी है।
2. उत्तराखण्ड का सर्वोच्च पर्वत शिखर..................है।
3. उत्तराखण्ड का राजकीय वन्य जीव है............................।
4. उत्तराखण्ड का राजकीय पक्षी है................................।
5. उत्तराखण्ड का राजकीय पुष्प है..............................।

(ख) सत्य/असत्य बताइए–

1. जल संसाधनों का नवीनीकरण होता है।
2. खनिज संसाधन प्रकृति की देन नहीं हैं।
3. 'हिमाद्रि' सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र है।
4. उत्तराखण्ड जैव विविधता पूर्ण प्रदेश है।
5. बजरी व रेता वनों के उप–खनिजों के रूप में उपलब्ध होते हैं।

(ग) बहुविकल्पीय प्रश्न–

1. निम्न में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक है?
   (अ) वन; (ब) खनिज; (स) जल; (द) उपर्युक्त सभी;
2. उत्तराखण्ड में मध्य हिमालय के वन कितनी ऊँचाई पर पाये जाते हैं?
   (अ) 600 से 1500 मीटर तक; (ब) 1500 से 2000 मीटर तक; (स) 2000 से 2500 मीटर तक;

(द) 2500 मीटर से अधिक;

3. उत्तराखण्ड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? (अ)
4; (ब) 5; (स) 6; (द) इनमें से कोई नहीं;

4. निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखण्ड में है?
(अ) गोदावरी; (ब) गंगा; (स) ब्रह्मपुत्र; (द) इनमें से किसी का नहीं;

5. निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखण्ड में स्थित है?
(अ) राजाजी; (ब) कार्बेट; (स) फूलों की घाटी; (द) उपर्युक्त सभी;

उत्तर – (क) – (1) 14, (2) नन्दा देवी, (3) कस्तूरी मृग, (4) मोनाल, (5) ब्रह्मकमल,

(ख) – (1) सत्य, (2) असत्य, (3) सत्य, (4) सत्य, (5) सत्य,

(ग) – (1) द, (2) स, (3) स, (4) ब, (5) द,

3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई–लिंक्स

Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future,* Concept Publishing Company, New Delhi

Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi

Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi

Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

Pant, J.C., (2001), Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development, India Literacy Board, Lucknow

Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi

Mathur, Raj B., ed. (2011), *Uttarakhand* , Encycopaedia Britannica Ultimate Reference Suite, Encyclopaedia Britannica, Chicago

Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi

अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में,* इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली

उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्ष की ओर,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार, *मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की अनुपम पहल*

http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf

http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/mineral-resources.html

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/fishing.html

www.uttarakhandforest.org/hindi/h_uavan.htm

www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vanniti1.htm

www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vaniki1.htm

www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vanyajivsan2.htm

www.ua.nic.in/geomining.uk.gov.in

3.11 सहायक उपयोगी/पाठ्य सामग्री

ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदयः एक दशक की यात्रा (2000 से 2010),* अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा

बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्डः एक सम्पूर्ण अध्ययन,* अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ

पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचलः सम्पूर्ण अध्ययन,* उपकार प्रकाशन, आगरा

सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्डः समग्र अध्ययन,* तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

3.12 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1 – आर्थिक विकास व प्राकृतिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 2 – उत्तराखण्ड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए इनके विदोहन से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 3 – उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन व संरक्षण के लिए किये जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4 – निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –

(अ) उत्तराखण्ड में जल संसाधन

(ब) उत्तराखण्ड में वन संसाधन

(स) उत्तराखण्ड में खनिज संसाधन

(द) उत्तराखण्ड में भू संसाधन

इकाई 4 : अधोसंरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 अधोसंरचना – अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध

4.4 आर्थिक अधोसंरचना

4.5 सामाजिक अधोसंरचना

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 अभ्यास पश्न व उत्तर

4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह चतुर्थ इकाई है। इससे पहले की प्रथम इकाई में आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था, द्वितीय इकाई में प्रदेश के मानवीय संसाधनों व जनसंख्या तथा तृतीय इकाई में प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विषय सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में मानवीय संसाधनों को शिक्षित व स्वस्थ बनाने, यातायात, संचार, विद्युत, तकनीकी ज्ञान, वित्त, आदि से सम्बन्धित अधोसंरचनाओं की प्रमुख भूमिका होती है। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखण्ड में उपलब्ध इन्हीं अधोसंरचनाओं के विषय में बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की अधोसंरचनाओं की स्थिति को जान सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- अधोसंरचनाओं का अर्थ, प्रकार व इनका आर्थिक विकास से सम्बन्ध को समझा सकेंगे;
- उत्तराखण्ड में उपलब्ध आर्थिक व सामाजिक अधोसंरचनाओं की वर्तमान स्थिति को समझा सकेंगे;
- प्रदेश में इन अधोसंरचनाओं के विकास से जुड़ी समस्याओं को सामान्य रूप से समझ सकेंगे;
- साथ ही इन अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अपनाये जा रहे उपायों को सामान्य रूप से जान सकेंगे।

4.3 अधोसंरचना – अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध

यह सर्वविदित है कि हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख माध्यम कृषि व उद्योग हैं। इन क्षेत्रों में किये जा रहे उत्पादन के लिए अनेक आधारभूत संरचनाएँ आवश्यक हैं – जैसे कृषि में उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान, सिंचाई, विद्युत, वित्त, यातायात आदि की आवश्यकता होती है तथा उद्योगों में भी उत्पादन तकनीकी ज्ञान, वित्त, विद्युत, कुशल मानवीय संसाधन, यातायात व संचार आदि के बिना सम्भव नहीं है। इन संरचनाओं में यातायात व संचार, सिंचाई, ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में मानव द्वारा निर्मित उस पूँजी को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से कृषि व उद्योग में उत्पादन किया जाता है। इसी मानव निर्मित पूँजी को 'अधोसंरचना' अथवा 'अवसंरचना' कहते हैं। ये अधोसंरचनाएँ आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं।

अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं – सामाजिक व आर्थिक। 'सामाजिक अधोसंरचना' में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है, जबकि 'आर्थिक अधोसंरचना' में तकनीकी ज्ञान, संचार व यातायात, ऊर्जा, सिंचाई, वित्त, आदि से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है। अधोसंरचनाओं को 'भौतिक' व 'वित्तीय' वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है।

आप जानते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होती है तथा साथ में अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। परन्तु इस विकास के लिए जब कृषि व उद्योगों में उत्पादन का प्रयास किया जाता है तब ये प्रयास उन विभिन्न अधोसंरचनाओं के बिना फलीभूत नहीं होते जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। विभिन्न राष्ट्रों/क्षेत्रों के विकास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता विकास में सहायक तो है परन्तु विकास की प्रक्रिया को बहुत तीव्र तभी होती है जब कि

- उत्पादन फलन में सुधार लाने के लिए उस राष्ट्र/क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान लगातार उन्नत हो रहा हो,
- साख उपलब्ध कराने के लिए कुशल वित्तीय संस्थाओं की लगातार स्थापना हो रही हो,
- उत्पत्ति के साधनों व वस्तुओं की गतिशीलता के लिए तथा त्वरित सूचनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए यातायात व संचार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी विकास हो रहा हो,
- घरेलू, कृषि, उद्योगों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत का उत्पादन किया जा

रहा हो, इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की गई हो,

- साथ ही मानवीय संसाधनों को कुशल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूँजी का निर्माण किया गया हो।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए सहयोगी क्षेत्रों में उन्नत प्रकार की मानव निर्मित पूँजी अर्थात् अधोसंरचनाओं की स्थापना व विकास अति आवश्यक है। इन अधोसंरचनाओं के बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

4.4 आर्थिक अधोसंरचना

आर्थिक अधोसंरचना में यातायात व संचार, सिंचाई व ऊर्जा, वित्त, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में निर्मित मानवीय पूँजी को सम्मिलित किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के समय ये अधोसंरचनाएँ अधिक नहीं थी। समय के साथ केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के प्रयासों से इनका विकास हुआ। इन अधोसंरचनाओं के विकास में सरकार के साथ निजी सहभागिता का लगातार बढ़ाना अधोसंरचनाओं के क्षेत्र को सरकारी नियन्त्रणों से निकालकर बाजार पर आधारित बनाने का प्रयास है। उत्तराखण्ड में अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गयी है। प्रस्तुत भाग में उपलब्ध समंकों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक अधोसंरचनाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

यातायात – यातायात में प्रमुख रूप से सड़क, रेल, हवाई व जल यातायात को सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण यहाँ सड़क यातायात मुख्य है। सड़क यातायात हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें पायी जाती हैं। इनका निर्माण व अनुरक्षण विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार वर्ष 2009–10 में विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई आगे सारणी 4.1 में दी गयी है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड जैसे पर्वतीय व सीमान्त प्रदेशों की तुलना में सड़कों की लम्बाई कम है।[1] प्रदेश में सड़क यातायात मुख्य रूप से उत्तराखण्ड परिवहन निगम, जे.एन.एन.यू.आर.एम., जी.एम.ओ.यू. व के.एम.ओ.यू. द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क यातायात में विभिन्न निजी पर्यटन एजेन्सियों के निजी वाहन व टैक्सियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सारणी 4.1 वर्ष 2009–10 में विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई

विभाग/संस्था जिसके द्वारा सड़क का अनुरक्षण किया जाता है	सड़क का प्रकार	सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)
लोक निर्माण विभाग	राष्ट्रीय राजमार्ग	1375.76
	राज्य मार्ग	1575.50
	मुख्य जिला मार्ग	567.88
	अन्य जिला मार्ग	6827.14
	ग्रामीण सड़कें	12375.68
	एल.वी सड़कें	1100.65
बी. आर. टी. एफ.	कुल सड़कें	1273.81
जिला पंचायत		745.56
शहरी स्थानीय निकाय व अन्य		1928.48
सिंचाई		741
गन्ना विकास		803
वन		3256
अन्य विभाग		1344

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 11)

राज्य में सड़क यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार पुल व सड़कों का जाल बिछाने का

लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड व ओवर ब्रिज सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। इसके साथ ही गांवों में सड़कों को जोड़ने के अभियान के अन्तर्गत पुलों व सड़को के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गये हैं।[2] यह ध्यान देने योग्य है कि यातायात सम्बन्धी अधोसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक–निजी–सहभागिता अर्थात् पी.पी.पी. आधार को प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड डवलपमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा करने के तीन विशिष्ट कारण[3] हैं – 1. सार्वजनिक संसाधन सीमित हैं; 2. तेजी से बेहतर सड़कों को बनाने के लिए अच्छे तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है; 3. सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र के पास अधिक श्रेष्ठ व कुशल प्रबन्धकीय तकनीक होती है।

सड़क यातायात के अतिरिक्त रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। रेल यातायात मुख्यतः मैदानी व पादगिरि तक ही सीमित है। प्रदेश में रेल नेटवर्क की लम्बाई 345 किलामीटर[4] है तथा इसके प्रमुख स्टेशन देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार लक्सर, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी, रामनगर, काठगोदाम, आदि हैं। प्रदेश की विषम परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रेल यातायात अभी तक विकसित नहीं हो सका है।

प्रदेश में वायु यातायात अत्यन्त सीमित है। जौलीग्राण्ट व पंतनगर प्रदेश के एकमात्र ऐसे प्रमुख एयरपोर्ट है जिसको नियमित उड़ानों के लिए विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में हेलीपैड भी विकसित किए जा रहे हैं। यात्रा सीजन में पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु श्री केदारनाथ के लिए निजी हेलीकाप्टर आपरेटर्स के सहयोग से नियमित सेवा का परिचालन किया जा रहा है।[5]

संचार – आधुनिक युग की ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्थाओं में यह सिद्ध हो चुका है कि उन्नत संचार व्यवस्था से गरीबी को दूर करने में सहायता मिलती है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तारीकरण अत्यन्त कठिन कार्य है। संचार की दृष्टि से उत्तराखण्ड में बी.एस.एन.एल. व अन्य निजी संस्थाओं जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन आदि के टेलिफोन, मोबाइल व इंटरनेट सेवा के नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। विशेषकर, पर्वतीय क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. दूरसंचार का पर्याय बना हुआ है। भारत सरकार का डाक–तार विभाग व निजी कुरिअॅर कम्पनियाँ जैसे फर्स्ट फ्लाईट, ब्लेज़ फ्लैश आदि विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

वर्ष 2009–10 में प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार प्रमुख डाक व संचार सेवाओं की स्थिति को सारणी 4.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.2 – वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड में प्रमुख डाक व संचार सेवाओं की स्थिति

विवरण	संख्या
डाकघर	2715
टेलीफोन एक्सचेन्ज	459
तारघर	4
पी.सी.ओ.	10216
बी.एस.एन.एल. द्वारा टेलीफोन कनैक्शन (डब्ल्यू.एल.एल सहित)	379226
बी.एस.एन.एल. द्वारा मोबाइल फोन	984397

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 11)

मोबाइल फोन, ब्रॉडबैण्ड, 3–जी सेवाओं के आ जाने से संचार सेवाओं में क्रान्ति आ चुकी है। भूमिगत लाईनों को बिछा कर संचार सेवाओं को प्रदान करना अब एक विकल्प ही है। सड़कों की टूट–फूट, उनको काटकर पेयजल, सीवर आदि की पाइप लाईन डालने के कारण बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवाओं में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 3–फेज विद्युत की सुविधा सामान्य न होने से इन क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेन्ज के निर्माण व विस्तारीकरण में बाधा होती है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके विकल्प के प्रचलित होते जा रहे मोबाइल फोन के संचालन के लिए आवश्यक टॉवर की बहुत संख्या में स्थापना से टॉवर के आसपास रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है।

विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी – प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 'शिखर' व 'आरोही' परियोजनायें चलायी जा रही हैं तथा साथ ही यहाँ ई–गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। विश्व की पहली माइक्रोसोफ्ट आई.टी. अकादमी देहरादून में स्थापित की गयी है।

[6]प्रदेश में विज्ञान के प्रचार व प्रसार के लिए झाझरा (देहरादून) में 'विज्ञान धाम' स्थापित किया जा रहा है। बायोटैक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन बायोलॉजी का 7 प्रयोगशालाओं सहित बायोटैक भवन हल्दी में स्थापित किया गया है व जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड तथा विजन काउंसिल का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यूसैक) द्वारा राज्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन तंत्र का गठन किया गया है तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ समस्त विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाईयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग (स्वॉन) स्थापित किया गया है।

वित्त – बैंक व गैर–बैंक वित्तीय संस्थाओं के विस्तार का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये वित्तीय संस्थाएँ जनता से उनकी बचतों को एकत्रित कर विकास के क्षेत्रों में निवेशकों को धन उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश में अनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ कार्य करती हैं। वर्ष 2009–10 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 885 शाखायें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 184 शाखायें, अन्य निजी बैंकों की 112 शाखायें, 10 जिला सहकारी बैंक व इनकी 203 शाखायें तथा 20 सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कार्य कर रहे थे।[7]

सिंचाई – कृषि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए नियमित रूप से समय पर वर्षा का होना आवश्यक होता है। समय पर प्राकृतिक वर्षा न होने पर मानव द्वारा विकसित सिंचाई साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों में नहर, नलकूप, कुआँ, हौज, गूल, हाइड्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है।

वर्ष 2009–10 में प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार प्रदेश में प्रमुख सिंचाई अधोसंरचना की स्थिति को सारणी 4.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.3 – वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड में प्रमुख सिंचाई अधोसंरचना की स्थिति

विवरण	इकाई	संख्या
नहरों की लम्बाई	किलोमीटर	11081
लिफ्ट नहरों की लम्बाई	किलोमीटर	201
गुल	किलोमीटर	23715
नलकूप (राज्य)	संख्या	981
पम्प सेट (बोरिंग / फ्री बोरिंग)	संख्या	54361
हौज	संख्या	29507
हाइड्रम	संख्या	1493

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 5)

इन सिचाई साधनों के साथ अनेक ओवर हैड टैंकों का निर्माण, जल क्षरण के निदान हेतु व शहरी क्षेत्रों में सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से अधिकाँश नहरों को भूमिगत किया जाना, जलाशयों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी नलकूप की स्थापना, चाल–खाल आदि का पुनरोद्धार व मैदानी क्षेत्रों में रिचार्ज साफ्ट, आदि प्रस्तावित है।[8]

ऊर्जा – अनेक छोटी–बड़ी जल–विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा–प्रदेश' कहलाता है। प्रदेश में, वर्तमान में 23 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। 8 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 2009–10 में 1305.98 मेगावाट थी। जिसके द्वारा 4126.55 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोग 6249.22 मिलियन यूनिट से कम है। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखण्ड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखण्ड में अनेक नदियों पर बड़े व छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें टिहरी बाँध सबसे बड़ा है। जिससे वर्ष 2006 में बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। उत्तराखण्ड में विद्युत ट्रांसमिशन व वितरण के लिए उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संस्था कार्य करती है।

बड़े बाँधों से विद्युत उत्पादन तो बढ़ता है, परन्तु अनेक प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश में इन बाँधों से वहाँ के निवासियों के विस्थापन की समस्या व क्षेत्र में पारिस्थितिकीय समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। उत्तराखण्ड में तीव्र रिक्टर पैमाने पर भूकम्प आने की सम्भावना के कारण इन बाँधों के टूटने से भयंकर विनाश हो सकता है।

वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए केवल भौतिक पूँजी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुशल मानवीय संसाधनों की भी बहुत आवश्यकता होती है। इन मानवीय संसाधनों के विकास के लिए उच्च कोटि की शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव निर्मित पूँजी की आवश्यकता होती है। इस सामाजिक अधोसंरचना में निवेश के लिए विशेषकर पिछड़े व सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तात्कालिक मौद्रिक लाभ की तुलना में अधिक लागत पाये जाने के कारण निजी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्र ही निवेश करते हैं। इसके बावजूद इन अधोसंरचनाओं के विकास में निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश किया जा रहा है। प्रस्तुत भाग में उपलब्ध समंकों के आधार पर प्रदेश में सामाजिक अधोसंरचनाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

शिक्षा – प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा का विकास करना केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार का भी कर्तव्य भी है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का जाल फैला हुआ है। ये शिक्षण संस्थाएँ मैदानी क्षेत्रों के साथ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी पायी जाती हैं। प्रदेश में स्थित शिक्षा सम्बन्धी अधोसंरचना को सारणी 4.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.4 – वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षा सम्बन्धी अधोसंरचना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	बेसिक/सेकेण्डरी शिक्षा के स्कूल/कॉलेज	22379
	(अ) जूनियर बेसिक	15644
	(ब) सीनियर बेसिक	4296
	(स) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट	2439
2.	उच्च शिक्षा की संस्थाएँ	122
	(अ) डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज	106
	(ब) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1
	(स) राज्य विश्वविद्यालय	6
	(द) निजी विश्वविद्यालय	5
	(य) डीम्ड विश्वविद्यालय	4
	(र) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	1
3.	व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा	
	(अ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	106
	(ब) पॉलीटैक्नीक संस्थाएँ	37
	(स) शिक्षा प्रशिक्षण की जिला संस्थाएँ	13

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 8–9)

स्थान है। दूरस्थ शिक्षा के लिए हल्द्वानी में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रदेश में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान, नैनीताल में आर्य भट्ट अनुसंधान संस्थान, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, पंतनगर (जिला ऊधमसिंहनगर) में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी विशिष्ट शैक्षिक संस्थाएँ भी स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त, प्रदेश में अनेक निजी विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहें हैं। विशेष बात यह है कि सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड के शिक्षा हब में बदलने के बावजूद आवश्यकता की दृष्टि से इस अधोसंरचना में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य – मनुष्यों को स्वस्थ व दीर्घायु बनाने के लिए भारत में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सुविधाओं का अत्याधिक प्रसार हुआ है जिनके कारण उत्तराखण्ड सहित सम्पूर्ण देश में मृत्यु दर में तो कमी हुई है, साथ में मानवीय संसाधनों की कुशलता में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश में इसके लिए 'आयुष' का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इसलिए उत्तराखण्ड 'आयुष प्रदेश' भी कहलाता है। प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी अधोसंरचना को सारणी 4.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.5 – वर्ष 2009–10 में प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी अधोसंरचना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
अ.	राज्य एलोपैथिक अस्पताल व डिस्पैन्सरी	
	(1) जिला अस्पताल	12
	(2) जिला महिला अस्पताल	7
	(3) बेस अस्पताल	3
	(4) पी.एच.सी. / अतिरिक्त पी.एच.सी.	250
	(5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	55
	(6) राज्य एलोपैथिक अस्पताल	322
	(7) संयुक्त/महिला अस्पताल	39
	(8) तहसील/जिला स्तरीय पोस्ट–मार्टम केन्द्र	24
	(9) स्वास्थ्य चौकी	9
	(10) टी.बी. अस्पताल/क्लीनिक	18
	(11) कुष्ठ अस्पताल	3
	(12) सरकारी अस्पतालों में बिस्तर	8075
ब.	परिवार कल्याण सेवाएँ	
	(1) महिला व बाल कल्याण केन्द्र	2
	(2) मुख्य केन्द्र	84
	(3) महिला व बाल कल्याण उपकेन्द्र	1765
स.	आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल	
	(1) आयुर्वेदिक अस्पताल	540
	(2) यूनानी अस्पताल	5
द.	होम्यापैथी अस्पताल/डिस्पैन्सरी	107

(स्रोतः **Pangtey, Yatendra Singh and others (2011),** ***Uttarakhand at a Glance 2010-11*****, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun,** पृष्ठ 9)

इस अधोसंरचना के अतिरिक्त प्रदेश में सचल चिकित्सा व्यवस्था (आपातकालीन सेवा–108) भी उपलब्ध है। ऋषिकेश के पास 'एम्स' की भी स्थापना की जा रही है। परन्तु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना भी अपर्याप्त है।

4.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि विभिन्न अधोसंरचनाओं की आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक व सामाजिक अधोसंरचनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आव यक हैं। प्रदे ा में ये अधोसंरचनाएँ यातायात व संचार, वित्त, सिंचाई व ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, ि क्षा व स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के रूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न रिपोर्ट व सूचनाएँ यह द ाती हैं कि प्रदे ा में इन अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है परन्तु इनकी स्थिति अभी औसत ही है। अनेक प्रकार की समस्याएँ इन अधोसंरचनाओं के विकास में बाधाएँ बनी हुई हैं। विभिन्न अधोसंरचनाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार के साथ प्रदे ा सरकार भी निर्धारित नीति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है। प्रदे ा की जटिल भौगोलिक स्थिति व संसाधनों की कमी के कारण इन अधोसंरचनाओं के विकास में सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र से भी सहयोग लिया जा रहा है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड के विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न अधोसंरचनाओं के महत्त्व, वर्तमान स्थिति, इनके विकास के लिए किए जा रहे उपायों को समझा सकेंगे।

4.7 शब्दावली

अधोसंरचना – मानव निर्मित पूँजी जिसकी सहायता से कृषि व उद्योग में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन

किया जाता है।

सामाजिक अधोसंरचना – ि क्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव निर्मित पूँजी जिसकी सहायता से ि क्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में परिमाणत्मक व गुणात्मक रूप से वृद्धि की जाती है।

आर्थिक अधोसंरचना – तकनीकी ज्ञान, संचार व यातायात, ऊर्जा, सिंचाई, वित्त, आदि क्षेत्रों में मानव निर्मित पूँजी

'आयुष' – आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी का संक्षिप्त संकेताक्षर (अंग्रेजी में)

4.8 अभ्यास प्रश्न व उत्तर

(क) रिक्त स्थान भरिए–

1. उत्तराखण्ड में विद्युत के ट्रांसमि ान व वितरण के लिए सरकार द्वारा ....की स्थापना की गयी।
2. उत्तराखण्ड में अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा .... की स्थापना की गयी।
3. उत्तराखण्ड में भारतीय पैट्रोलियम संस्थान .... में स्थित है।
4. उत्तराखण्ड मुक्त वि वविद्यालय .... में स्थित है।

(ख) सत्य/असत्य बताइए–

1. भौतिक अधोसंरचना मानव निर्मित पूँजी नहीं है।
2. ि क्षण संस्थाएँ सामाजिक अधोसंरचना का भाग होती हैं।
3. वित्तीय संस्थाएँ आर्थिक अधोसंरचना का भाग नहीं होती हैं।
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात् आई.आई.टी. देहरादून में स्थित है।
5. पंतनगर स्थित गोविन्द बल्लभ पंत वि वविद्यालय क शि व प्रौद्योगिकी की ि क्षा के लिए प्रसिद्ध है।
6. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार का पर्याय है।
7. टिहरी बाँध परियोजना एक बहुउद्दे ीय जल–विद्युत परियोजना है।
8. उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध एयरपोर्ट जौलीग्रांट में स्थित है।

(ग) बहुविकल्पीय प्रश्न–

1. उत्तराखण्ड में वर्श 2009–10 में राज्य नलकूपों की संख्या थी –
   (अ) 781; (ब) 981; (स) 1007; (द) इनमें से कोई नहीं;
2. उत्तराखण्ड में वर्श 2009–10 में नहरों की कुल लम्बाई थी –
   (अ) 9071 किलोमीटर; (ब) 10008 किलोमीटर; (स) 11081 किलोमीटर; (द) इनमें से कोई नहीं;
3. उत्तराखण्ड में वर्श 2009–10 में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या थी –
   (अ) 440; (ब) 540; (स) 640; (द) इनमें से कोई नहीं;
4. उत्तराखण्ड में वर्श 2009–10 में विद्युत की स्थापित क्षमता थी –
   (अ) 1205.6 मेगावाट; (ब) 1305.9 मेगावाट; (स) 1402.8 मेगावाट; (द) इनमें से कोई नहीं;
5. हेमवती नन्दन बहुगुणा वि वविद्यालय निम्न में से किस प्रकार का वि वविद्यालय है–
   (अ) राज्य वि वविद्यालय; (ब) निजी वि वविद्यालय; (स) केन्द्रीय वि वविद्यालय;
   (द) विदे ी वि वविद्यालय;
6. निम्न में से कौन सी संरचना आर्थिक अधोसंरचना कहलाती है –
   (अ) बाँध; (ब) बैंक; (स) सड़क; (द) उपर्युक्त सभी;
7. उत्तराखण्ड में निम्न में से कौन से स्थान पर रेलवे स्टे ान नहीं है –
   (अ) हरिद्वार; (ब) काठगोदाम; (स) देहरादून; (द) नरेन्द्रनगर;

उत्तर– (क) – (1) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरे ान लिमिटेड, (2) उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कॉर्पोरे ान लिमिटेड, (3) देहरादून, (4) हल्द्वानी,

(ख) – (1) असत्य, (2) सत्य, (3) असत्य, (4) असत्य, (5) सत्य, (6) सत्य, (7) सत्य, (8) सत्य,

(ग) – (1) ब, (2) स, (3) ब, (4) ब, (5) स, (6) द, (7) द,

4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई–लिंक्स

Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future,* Concept Publishing Company, New Delhi

Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi

Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi

Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

Pant, J.C., (2001), Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development, India Literacy Board, Lucknow

Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi

Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi

अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में,* इंडियन पब्लि ार्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली

उत्तराखण्ड भ‍ासन (2010), *उत्तराखण्डः उत्कर्श की ओर,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

उत्तराखण्ड भ‍ासन (2010), *नई सोच, नई दि ा,* सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड सरकार, *मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की अनुपम पहल*

http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf

http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf

http://www.mohfw.nic.in/NRHM/Documents/High_Focus_Reports/Uttarakhand%20Report.pdf

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html

http://www.uttaranchalbiz.com/why-uttarakhand/infrastructure/

http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/tourism.html

http://www.im4change.org/docs/99605NCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20HILLY%20REGIONS%20%20PRIORITIES.PDF

4.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदयः एक द क की यात्रा (2000 से 2010),* अमर उजाला पब्लिके न्स लिमिटेड, नोएडा

बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्डः एक सम्पूर्ण अध्ययन,* अरिहन्त पब्लिके न्स (इ) प्रा लि, मेरठ

पाण्डेय, अ ोक कुमार, *उत्तरांचलः सम्पूर्ण अध्ययन,* उपकार प्रका न, आगरा

सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्डः समग्र अध्ययन,* तक्षि ाला प्रका न, नई दिल्ली

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

प्र न 1 – 'अधोसंरचना' का अर्थ स्पश्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक विकास में विभिन्न अधोसंरचनाओं की भूमिका भी स्पश्ट कीजिए।

प्र न 2 – उत्तराखण्ड में आर्थिक अधोसंरचना की स्थिति का वि लेशण कीजिए।

प्र न 3 – निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –

(अ) उत्तराखण्ड में यातायात व संचार सम्बन्धी अधोसंरचना

(ब) उत्तराखण्ड में सामाजिक अधोसंरचना

(स) उत्तराखण्ड में सिंचाई व ऊर्जा सम्बन्धी अधोसंरचना

इकाई 5: आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीति

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 आर्थिक नियोजन का अर्थ

5.4 आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि

5.5 नियोजन की विशेषताएं

5.6 उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य

5.7 नियोजन की सीमाएं

5.8 नियोजन की रणनीति

5.9 उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण

5.10 समीक्षा

5.11 शब्दावली

5.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह पांचवी इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते है कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन–कौन सी है? राज्य के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की स्थिति क्या है?

आर्थिक नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्यों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इनका विश्लेषण इस इकाई में प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी तथा उत्तराखण्ड के विकास की उपर्युक्त रणनीति को भी समझा जा सकेगा

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- बता सकेंगे कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है?
- समझा सकेगें कि उत्तराखण्ड राज्य ने आर्थिक विकास के लिए कौन–2 से उद्देश्यों को प्राथमिकता दी है?
- उत्तराखण्ड के लिए आर्थिक नियोजन की रणनीति का विश्लेषण कर सकेगें।

5.3 आर्थिक नियोजन का अर्थ

आर्थिक नियोजन शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एकमत नही है, फिर भी अधिकांश अर्थशास्त्री समझते है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है, समय की एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का आयोजित नियन्त्रण तथा निर्देशन है।

गुन्नार मिर्डल– ''आर्थिक नियोजन केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम की वह महत्वपूर्ण रूपरेखा है, जिसमें बाजार शक्तियों के साथ–साथ राज्य हस्तक्षेप प्रणाली द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किये जाते है।''

भारतीय नियोजन आयोग के अनुसार– ''आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित एवं उपयोग करने का एक मार्ग है। नियोजन के विचार के दो प्रमुख अंग है– (अ) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली, एवं (ब) उपलब्ध साधनों एवं उनके अधिकतम आबंटन के सम्बन्ध में ज्ञान।''

नियोजन के सम्बन्ध में, अधिकमत परिभाषा डिकन्सन की है जिसके अनुसार– आयोजन का अर्थ है ''इस विषय में प्रमुख आर्थिक निर्णय करना कि किस वस्तु का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाये, कि कब और कहाँ उत्पादन हो, और समस्त अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण के सजग निर्णय के अनुसार उस उत्पादन को कैसे विभाजित किया जाये।''

भारत सम्भवतः पहला प्रजातान्त्रिक देश है जिसने आर्थिक विकास के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया। 1951–52 भारत अपने संसाधनों का योजनाबद्ध प्रयोग कर रहा है। नियोजन तंत्र के माध्यम से देश में विकास कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नियोजन मार्ग में अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 के तहत विकास कार्य का संचालन किया जा रहा है।

5.4 आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि

भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व ही आर्थिक नियोजन की दिशा में अनेक राजनैतिक एवं वैचारिक प्रयास प्रारम्भ हो चुक थे। इस दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में सर एम0 विश्वेश्वरैया की सन् 1934 में प्रकाशित पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था विशेष उल्लेखनीय है। स्वतन्त्रता पूर्व अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कई योजनायें प्रस्तुत की गयी। देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने 'बाम्बे प्लान' 1944 एम0एन0 रॉय द्वारा 'जन

योजना' 1945 , तथा एम0एन0 अग्रवाल ने 'गांधीवादी योजना' (1944 के नाम से योजनाएं प्रस्तुत की थी। ये योजनाएं विभिन्न विचारधाराओं को परिलक्षित करती थी। इनमें से कोई भी योजना औपचारिक या आधिकारिक नही थी, इसीलिए इसको अमल में नही लाया गया किन्तु सबका उद्‌देश्य यही था कि देश का आर्थिक विकास योजनाओं के माध्यम से किया जाये।

स्वतन्त्रा के पश्चात् भारत में आर्थिक कार्यक्रमों को नियोजित स्वरूप प्रदान करने के लिए 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारम्भ हुई।

5.5 भारतीय आयोजन की विशेषताएं

किसी भी देश का आयोजन उस देश की विशिष्टताओं जैसे देश आरम्भिक ऐतिहासिक स्थिति, समाज की अपनी आवश्यकतायें और आकांक्षायें, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा बदलती हुयी परिस्थितियों आदि से प्रभावित होता है। इन कारकों ने भारतीय आयोजन को एक विशेष रूप दिया है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं है। जिनका विवरण इसके स्वरूप को समझाने में सहायक होगा।

1. संकेतात्मक स्वरूप।
2. विकेन्द्रित आयोजन।
3. विकासोन्मुख आयोजन।
4. संवृद्धि एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजन।
5. मिश्रित अर्थव्यस्था का आयोजन।

5.5.1. संकेतात्मक स्वरूप– आयोजन की आधारमूलक विशेषता, इसका संकेतात्मक स्वरूप है। समय के साथ–साथ आयोजन–प्रणाली को इस प्रकार ढ़ाला गया है कि यह आर्थिक एजेण्टों निवेशक, बचतकर्ता, उत्पादक, निर्यातक, आयातक, बैंकर आदि को उन उद्‌देश्यों से अवगत कराती है जिनको ओर बढ़ना है और साथ ही उद्‌देश्य–प्राप्ति के साधनों का बोध कराती है। यह इस अर्थ में संकेतात्मक है कि यह केवल उन दिशाओं के रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को ले जाना है। उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए यह उपयुक्त साधनों पर भी प्रकाश डालती है। इस सम्बन्ध में अनिवार्यता या कानूनी बन्धन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

उद्‌देश्य–प्राप्ति के साधन प्रेरकों और प्रोत्साहनों धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में होते हैं जो आर्थिक एजेन्टों को उद्‌देश्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और अवांछनीय दिशा की ओर बढ़ने की दशा में हतोत्साहित करते है।

5.5.2. विकेन्द्रित आयोजन– आयोजन प्रणाली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता; जो हाल की योजनाओं में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है, इसका विकेन्द्रित स्वरूप, जिसका आशय है कि योजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन में व्यापक रूप में लोगों की सहभागिता का इसमें समावेश होता है। विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञों की एजेन्सियाँ जो योजनाएं तैयार करती हैं, उन पर लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विचार–विनिमय करते हैं और अपना समर्थन देते हैं।

5.5.3. विकासोन्मुख आयोजन– ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन–क्षमता बढ़ने पर बल देती हैं, ताकि भविष्य में उत्पादन और रोजगार में तेजी से वृद्धि हो और फलस्वरूप जन–साधारण का जीवन–स्तर ऊपर उठ सके। ठोस रूप में इसका आशय राज्य में आधारिक संरचना (जैसे– परिवहन,संचार, शोध–सुविधाएं आदि) और पूंजीगत उद्योगों के विकास से है।

5.5.4. संवृद्धि एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजन– निर्धन समाज को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के साथ–साथ संवृद्धि की व्यवस्था करने से सम्बन्धित है। अभी हाल तक संवृद्धि दर को बढ़ाने के लिए पूंजी–स्टॉक के निर्माण पर विशेष बल रहा है। इस रणनीति का परिणाम अच्छा रहा। लेकिन यह उपलब्धि गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं रही और न ही यह श्रमिक संख्या की बढ़ती हुई रोजगार जरूरतों के अनुरूप थी। इस कारण 1980 के दशक से सामाजिक न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया जाने लगा। इसका अर्थ श्रम–साधन का अधिक उपयोग और गरीबी–उन्मूलन एवं रोजगार–सृजन के विशेष कार्यक्रमों के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों की व्यवस्था।

5.5.5. मिश्रित अर्थव्यवस्था आयोजन– आयोजन का संचालन सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जाता है, इनके सापेक्ष भाग में अवश्य परिवर्तन होता रहा है। अभी हाल तक योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता बनी रही है। आधारमूलक क्षेत्रों, जैसे कि निवेश, बुनियादी एवं पूंजीगत उद्योग, वित्त नियन्त्रण आदि में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। निजी क्षेत्र को कम महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी थी। वर्ष 1991 के मध्य से आज के बदले हुए संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को काफी घटा दिया गया है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अनेक कार्यकलाप जो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे, अब वे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही निजी क्षेत्र पर लगे अनेक नियंत्रण हटा लिए गये हैं और कुछ को बहुत उदार बना दिया गया है। इस प्रकार बहुत बड़ी सीमा तक आयोजन बाजारोन्मुख बन गया। निजी क्षेत्र तो बाजार–तन्त्र के सहारे ही अपना सारा कार्य करता है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र भी अपने अनेक निर्णय बाजार–कीमतों के आधार पर लेते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपनी नीतियों के द्वारा सरकार बाजार–तन्त्र को वांछित दिशा में प्रभावित करने के लिए समय–समय पर उपाय अपनाती रहती है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर राज्य आगे बढ़ सके।

5.6 उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य

उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक होते हैं जिनके द्वारा मुक्त बाजार के दोष तथा असफलताओं को दूर किया जा सके, जैसे– बेरोजगारी, व्यापार–चक्र, गरीबी, शोषण, असमानताएँ आदि। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित है–

5.6.1 सकल राज्य घरेलू आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना– आयोजन में योजनाओं की निश्चित अवधि के अन्तर्गत सकल राज्य घरेलू आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है।

5.6.2. पूँजी निर्माण के लिए– आय, बचत तथा निवेश के स्तर बढ़ाकर पूँजी–निर्माण की दर बढ़ाना। परन्तु उत्तराखण्ड में पूँजी–निर्माण की दर बढ़ाने में अनेक कठिनाइयाँ पाई जाती है। लोग दरिद्रताग्रस्त होते हैं। आय के निम्न–स्तरों तथा उपभोग की ऊँची प्रवृत्ति के कारण, उनकी बचत करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। परिणमतः निवेश की दर कम रहती है जिससे पूँजी की न्यूनता और कम उत्पादकता होती है। कम उत्पादकता का मतलब है कम आय और दुश्चक्र पूरा हो जाता है। इस आर्थिक दुश्चक्र को केवल योजनाबद्ध आर्थिक विकास ही तोड़ सकता है।

5.6.3. पूर्ण रोजगार – उत्तराखण्ड में बेकारी तथा अदृश्य बेकारी दूर करने की आवश्यकता के कारण आयोजन की जरूरत और प्रबल होती है क्योंकि इनमें पूँजी दुर्लभ होती है और श्रम की अधिकता रहती है, इसलिए निरंतर बढ़ती हुई श्रम–शक्ति को लाभदायक रोजगार के अवसर प्रदान करने की समस्या कठिन बनी रहती है। इस समस्या को केवल आयोजन प्राधिकरण द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

5.6.4. संतुलित आर्थिक विकास के लिए– भौगोलिक परिस्थितियों, पर्याप्त उद्यम तथा उपक्रम के अभाव में, उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का द्रुत आर्थिक विकास नियोजन के माध्यम से होना चाहिए जिसके लिए कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हों, सामाजिक तथा आर्थिक उपरिसुविधाएँ स्थापित की जाएँ, घरेलू तथा विदेशी व्यापार–क्षेत्रों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से विस्तार हो। इस सबके लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ ही निवेश आवश्यक है, जो केवल विकास आयोजन के अन्तर्गत ही संभव है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कृषि तथा उद्योग परस्पर निर्भर है। कृषि के पुर्नसंगठन से अतिरिक्त श्रम शक्ति मुक्त होती है जिसे औद्योगिक क्षेत्र खपा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र की कच्चे माल की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए भी कृषि का विकास नितान्त आवश्यक है।

5.6.5. सामाजिक एवं आर्थिक उपरि–सुविधाओं का विकास– उत्तराखण्ड में सामाजिक तथा आर्थिक उपरि–सुविधाओं के अभाव में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहे है। कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिए नहरों, सड़कों, रेलमार्गों तथा बिजली–घरों इत्यादि का निर्माण अनिवार्य है परन्तु उत्तराखण्ड में सामाजिक तथा आर्थिक उपरि–सुविधाओं की अलाभदायकता के कारण निजी उद्यम उनके विकास में रूचि नही रखता। वह सामाजिक लाभ की बजाय निजी लाभ से प्रेरित होता है। इसलिए योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक तथा आर्थिक उपरि पूँजी का निर्माण करने का दायित्व राज्य पर पड़ता है।

5.6.6. वित्तीय संस्थाओं का विकास– इसी प्रकार घरेलू तथ विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए सामाजिक तथा आर्थिक उपरि–सुविधाओं के साथ–साथ कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ही नहीं बल्कि वित्तीय संस्थाओं का होना भी आवश्यक है। उत्तराखण्ड में, मुद्रा तथा पूँजी मार्केट अल्पविकसित है। ये साधन उद्योग तथा व्यापार की वृद्धि में बाधक होते है। इस अव्यवस्था को केवल राज्य ही दूर कर सकता है। अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम हितों मे आयोजन प्राधिकरण ही घरेलू तथा विदेशी व्यापार का नियंत्रण तथा नियमन कर सकता है। फिर, आयोजन प्राधिकरण ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए माँग तथा पूर्ति के बीच समायोजन ला सकती है।

5.6.7. दरिद्रता दूर करना– राज्य की दरिद्ररता दूर करने हेतु विकास के लिए आयोजन करना अनिवार्य है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आय तथा धन की असमानताएँ घटाने के लिए, रोजागर के अवसर बढ़ाने के लिए, सर्वतोन्मुखी विकास के लिए उत्तराखण्ड राज्य के सामने केवल यही एक मार्ग खुला है कि वे आयोजन करें। इससे बड़ा कोई अन्य सत्य नहीं है कि आयोजन के विचार ने उत्तराखण्ड में व्यावहारिक रूप धारण कर लिया है।

5.6.8. तकनीकी विकास के लिए– ऐसी अर्थव्यवस्था में तकनीकी ज्ञान एवं कार्यकुशलता की कमी पाई जाती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य से कम होता है। तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि से उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आर्थिक आयोजन से ही संभव है।

5.6.9. साधनों का उचित उपयोग– उत्तराखण्ड द्वारा आर्थिक आयोजन अपनाने से साधनों का उचित उपयोग होगा। तकनीकी ज्ञान और पूँजी की कमी के कारण प्राकृतिक साधनों तथा मानवीय साधन के रूप में श्रम की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साधनों के उचित उपयोग के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का इकट्ठा विकास किया जाना चाहिए। साधनों के सही उपयोग से आर्थिक विकास में तीव्रता आती है।

5.6.10. उत्पादन समस्याओं का समाधान– उत्पादन संबंधी समस्याओं का समाधान आर्थिक आयोजन के अंतर्गत ही संभव है। उत्तराखण्ड में बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव के कारण उत्पादन लक्ष्यों को निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। जनसाधारण की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है, कितना करना है और उत्पादकीय क्षमता में कितनी वृद्धि करनी है यह आयोजन के द्वारा ही संभव है।

5.6.11. आर्थिक सुरक्षा– आर्थिक आयोजन अपनाने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत सरकारें शोषण के विरूद्ध कानून बनाना, बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, पैंशन इत्यादि योजनाएं लागू करती है। इससे कार्यकुशलता के साथ–साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है।

5.6.12 सामाजिक सुरक्षा– आयोजन का उद्देश्य, देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी होता है जिससे श्रमिक अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करें, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा, बीमा, बेरोजगारी, आवास, मनोरंजन, उचित मजदूरी आदि सम्मिलित होते है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के क्षेत्र

योजना एवं योजनावधि	प्राथमिकता के क्षेत्र
पहली योजना (1951–56)	कृषि, सिंचाई, विद्युत
दूसरी योजना (1956–61)	भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
तीसरी योजना (1961–66)	खाद्यान्न, उद्योग
चौथी योजना (1969–74)	कृषि, सिंचाई,
पाँचवी योजना (1974–79)	जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण
छठवीं योजना (1980–85)	कृषि, सिंचाई, ऊर्जा
सातवी योजना (1985–90)	ऊर्जा, खाद्यान्न
आठवीं योजना (1992–97)	मानव संसाधन–शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास
नौवीं योजना (1997–02)	सामाजिक न्याय, ग्राम विकास रोजगार

दसवीं योजना (2002—07)	रोजगार, ऊर्जा—सुधार तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास
ग्यारहवीं योजना (2007—12)	कृषि, रोजगार आधारिक संरचना ऊर्जा परिवहन का विकास

5.7. नियोजन की सीमाएँ

नियोजन की भी अपनी कुछ सीमाएँ है, जिसके कारण यह सफलतापूर्वक कार्य नही कर पाता और देश आशातीत प्रगति नही कर पाता। नियोजन की मुख्य सीमाओं को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

5.7.1. साधनों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना— नियोजन के लिए विशाल मात्रा में साधनों व उसके उपयोग की आवश्यकता होती है। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनका सही ढंग से उपयोग न हो पाने के कारण नियोजन सीमित मात्रा में ही कार्यान्वित हो पाता है।

5.7.2. अपूर्ण एवं अव्यवस्थित नियोजन— अपूर्ण एवं अव्यवस्थित नियोजन भी नियोजन के विकास को सीमित कर देता है। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उससे सम्बन्धित समस्त क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान देना आवश्यक है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक नियोजन में नियोजन पूर्णरूप से सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया है।

5.7.3. जनसंख्या का पर्याप्त होना— नियोजन की सफलता के लिए जनसंख्या का पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या का आधिक्य है तो योजनाओं के कार्यों में उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार कम जनसंख्या वाले राज्यो में भी नियोजन को लागू करने में कठिनाई होती है, यही नियोजन की सीमा है।

5.7.4. भावी लाभ के लिए त्याग— नियोजन में जनता को वर्तमान में विभिन्न प्रकार के त्याग करने पड़ते है और यह आशा रहती है कि उसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। परन्तु इसके लाभ प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है जो कि अनिश्चित होता है। इस अनिश्चिता के कारण कुछ व्यक्ति त्याग करने में उदासीन हो जाते हैं और योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन देना पसन्द नहीं करते। इसमें योजना का पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

5.7.5. नियोजकों की असावधानी एवं त्रुटिपूर्ण विचारधारा— कभी—कभी नियोजक, नियोजन को सरल समझकर असावधानी से कार्य करने लगते हैं, परिणामस्वरूप नियोजन में असावधानी के कारण सफलता प्राप्त नहीं होती और उसका देश की अर्थव्यवस्था एवं जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5.7.6. नवीन ढंगों को लागू करने की विशेषता— नियोजन में विभिन्न प्रकार से नवीन विधियों एवं नवीन प्रणालियों को प्रयोग करना योजना की विशेषता होती है, जिसमें भारी मात्रा में धन विनियोग करना पड़ता है तथा अपव्यय भी काफी होता है। इससे जनता का नियोजन के प्रति विश्वास कम हो जाता है।

5.8. नियोजन की रणनीति

विकास आयोजन के संदर्भ में किन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली दीर्घकालिक नीति को युक्ति कहते हैं। उत्तराखण्ड राज्य में साधनों की कमी के कारण सभी पिछड़े क्षेत्रों में एक साथ विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसी अर्थव्यवस्था में अग्रणी का पता लगाना होता है और उनके लिए साधनों की व्यवस्था करनी होती है। ऐसा करने पर अर्थव्यवस्था की गतिहीनता टूट सकती है और वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। साधनों के अनेक क्षेत्रों में बिखराव का कोई अच्छा नतीजा नही निकलता। रोजन्सटाइन—रोडन ने ठीक ही कहा है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था बहुत समय से गतिहीन रही है तो उसे 'भारी प्रयास' की जरूरत पड़ेगी। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से इसी तरह के प्रयास की जरूरत थी। अतः साधनों के आवंटन में प्राथमिकता का निर्धारण निम्न ढंग से किया जा सकता है—

5.8.1. विनियोजन एवं उपभोग प्राथमिकता— विनियोजन एवं उपभोग प्राथमिकता में से किसको चुना जाये, इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि एक ओर विनियोग में वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी ओर जीवन—स्तर सुधारने हेतु उपभोग में सुधार लाया जाना चाहिए; जिन क्षेत्रों में उसकी प्रभावशाली मांग अधिक हो। यदि एकमात्र उपभोक्ता उद्योगों में विनियोग कर दिया जाये, तो इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी—निर्माण की निम्न गति, धीमी गति से विकास, अन्य उद्योगों का अभाव एवं अर्थव्यवस्था का असन्तुलित विकास आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।

इससे राज्य की आय भले ही बढ़ जाये, परन्तु आर्थिक विकास में वृद्धि करना सम्भव न हो सकेगा। अतः देश में भौतिक एवं मानवीय दोनों ही विनियोगों को महत्व दिया जाना चाहिए।

5.8.2. **उत्पादन एवं वितरण प्राथमिकता–** उत्तराखण्ड राज्य में प्रमुख समस्या प्रायः उत्पादन की कमी तथा वितरण क्षेत्र में असमानता की रहती है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने हेतं एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक माना जाता है तथा दूसरी सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य में धन व आय की विषमता भी दूर होनी चाहिए।

5.8.3. **कुटीर एवं लघु उद्योग–** उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थितियों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। इन उद्योगों में अधिक मानव शक्ति एवं कम पूंजी व आधुनिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें कम मात्रा में वितरण सम्भव हो जाता है। कुटीर उद्योगों में विनियोग करने से लाभ अतिशीघ्र प्राप्त होते है। इस कृषि एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ समायोजित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में पूंजी के अभाव एवं बेरोजगारी के कारण कुल लागत व्यय बड़े उद्योगों की तुलना में कम होता है, परन्तु यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता नही कर पाते। अतः इनके विकास के लिए इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

5.8.4. **मानव विनियोग एवं भौतिक विनियोग–** मानव विनियोग में योग्यता, अनुभव एवं शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। विस्तार से विकास के मार्ग में बाधाएं उपस्थित होती है क्योंकि इससे श्रमिक की उत्पादन क्षमता एवं गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। वर्तमान समय में मानव पूंजी पर अधिक धन विनियोजित करके, ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि करके आर्थिक विकास के भय दूर किये जा सकते है। प्राचीन समय में मानव विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था।

5.8.5. **क्षेत्रीय प्राथमिकतायें–** उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय विकास की समस्या बहुत बडी समस्या है और राज्य के सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है और बाद में उसी के अनुरूप साधनों का आबंटन किया जाता है। यदि राज्य में क्षेत्रीय विकास के आधार पर अर्द्ध विकसित क्षेत्रों का विकास नही किया गया तो राज्य में विकसित एवं कम विकसित क्षेत्रों में खाई और अधिक चौड़ी हो जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य में राजनीतिक आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की अवहेलना न करते हुए उसे आर्थिक दृष्टि से विकास के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था में विकास कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये जाते है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक आत्म–निर्भर क्षेत्र हो तथा उसे अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रहते की आवश्यकता न पड़े। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करके द्रुत गति से विकास लाने के प्रयास किये जाते है।

5.8.6. **सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकतायें–** उत्तराखण्ड राज्य के विकास कार्यक्रम में यह निश्चित करना आवश्यक होगा कि कुल विनियोग का कितना भाग उत्पादक कार्यों पर एवं कितना भाग जनोपयोगी सेवाओं पर विनियोजित किया जाये। उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास में सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी लागतों का विशेष महत्व होता है, जिसमें परिवहन की सेवायें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किये जाते है, क्योंकि इनके विकास पर अन्य सहायक उद्योग–धन्धों का विकास निर्भर करता है। सरकार द्वारा सामाजिक ऊपरी लागत पर अधिक धन व्यय करके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाता है।

5.8.7. **उद्योग व कृषि प्राथमिकता–** उत्तराखण्ड राज्य में जहाँ कृषि पिछड़ी हुई व्यवस्था में हो, वहां कृषि एवं औद्योगिक विकास एक–दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक माने जाते है। उत्तराखण्ड राज्य में आर्थिक विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए तथा दोनों का सन्तुलित ढंग से विकास करना चाहिए। यदि केवल एक ही क्षेत्र का विकास किया गया तो समस्त क्षेत्रों का सामूहिक विकास सम्भव न हो सकेगा।

5.9. उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण

अविभाजित उत्तर प्रदेश का विकास योजनाओं की युक्तियों के प्रारम्भिक चरण में मुख्य जोर आर्थिक समृद्धि पर था। यद्यपि आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी, गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों को पैदा करना भी आर्थिक आयोजन के उद्देश्य थे लेकिन उनका स्थान गौण रखा गया। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन में विकास की युक्ति के तीन पहलू थे–

1. विकास के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार करना।

2. औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना।

3. औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों पर जोर देना।

विकास योजनाओं के लिए पूंजी का अभाव होने के कारण 'असन्तुलित विकास' का रास्ता अपनाया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में महलानोबीस द्वारा प्रतिपादित विकास–युक्ति से पूरी तरह भिन्न एक दीर्घकालीन विकास–युक्ति स्पष्ट की गई। इस योजना में कहा गया कि अगले पन्द्रह वर्षों में इस देश में आर्थिक आयोजन की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह अपने बल पर की जाने वाली संवृद्धि के साथ–साथ लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करे। अपने बल पर आर्थिक संवृद्धि का अर्थ यह है कि देश संवृद्धि–योजना को पूरा करने के लिए स्तर पर वित्तीय साधनों और टेक्नोलॉजी की पूरी तरह व्यवस्था कर सके। लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने का अर्थ यह है कि गरीबी दूर हो, पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो, तथा लोगों की खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में बुनियादी जरूरतें पूरी हों। आयोजकों की राय में, इन लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए पुरान विकास–युक्ति से भिन्न विकास–युक्ति की आवश्यकता थी।

कुल मिलाकर सातवीं योजना की विकास–युक्ति पर गौर करने पर इसमें चार मुख्य बातें देखने में आती है–

1. नई विकास–युक्ति में नए तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर था।
2. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करके उद्योगों के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया।
3. अनेक प्रकार की छूटें देकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यकुशलता के स्तर में सुधार की आशा की गई।
4. इन नीतियों के अनुरूप ही प्रशासन–व्यवस्था को नियन्त्रणात्मक से सुविधात्मक बनाने पर जोर रहा। ध्यान में गौर करने पर यह साफ हो जाता है कि सातवीं योजना की विकास–युक्ति दरअसल उस विकास–युक्ति का ही एक रूप है जिसे आजकल कृषि विकास जनित संवृद्धि युक्ति कहा जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य की दसवीं योजना के अनुसार, नए बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में राज्य की भूमिका की पुनर्व्याख्या करना जरूरी हो गया है परन्तु योजना में खासतौर पर दो क्षेत्रों की चर्चा की गई है जिनमें राज्य सरकार की अहम भूमिका बनी रहेगी। (1) सामाजिक क्षेत्र जिसमें सरकारी भूमिका को और बढ़ाना होगा; (2) आधारिक संरचना का विकास क्योंकि इसमें कई खामियां है और इन्हें भर पाना निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है। योजना में आधारिक संरचना का दो हिस्सों में बांटा गया हैः दूरसंचार, बिजली, बन्दरगाह इत्यादि जिनमें निजी क्षेत्र को और ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए; तथा ग्रामीण आधारिक संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि जिनमें सरकार को नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यद्यपि आर्थिक संवृद्धि के गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं तथापि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में विभिन्न जड़ताओं और घर्षणों के कारण ये प्रभाव बहुत कमजोर पड़ जाते है। इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए सीधे व प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। योजना में उच्च आर्थिक संवृद्धि के साथ समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन–पक्षीय युक्ति अपनाने की बात की गई है–

1. कृषि विकास को ग्यारहवीं योजना का मूल तत्व माना जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र के विकास का ग्रामीण वर्ग पर सीधा व सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सुधारों के पहले दौर में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लक्षित किया गया था और कृषि क्षेत्र में सुधारों को अनदेखा किया गया था। ग्यारहवीं योजना में इसे बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. ग्यारहवीं योजना की विकास युक्ति में उन क्षेत्रों का तेजी से विकास करने पर जोर दिया गया, जिनमें रोजगार प्रदान करने की ज्यादा संभावनाएं हैं और उन नीति अवरोधों का समाधान करने की बात की गई जो रोजगार बढ़ाने में रूकावट बनते है। खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों के लिए नीतियां बनानी होंगी जिनमें व्यापक रोजगार संभाव्य है। ये क्षेत्र हैं– कृषि, निर्माण, पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार, सूचना प्रौद्यिगिकी व संचार क्षेत्र से संबंधित सेवाएं तथा ऐसी बहुत सी नई उभर रही सेवाएं जिन्हें उपर्युक्त नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है।

3. ऐसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम व नीतियां बनाने पर जोर दिया गया है जिन्हें सामान्य

आर्थिक संवृद्धि व विकास योजनाओं से या तो लाभ नहीं मिल पाता यह बहुत कम लाभ पाता है। इस तरह के कार्यक्रम हमारी विकास युक्ति का हिस्सा रहे हैं और उन्हें ग्यारहवीं योजना में भी जारी रखा गया।

5.10. सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं आर्थिक नियोजन में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है परन्तु आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक समानता के उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना कठिन है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विकास की रणनीतियों के प्राथमिकता के क्रम निर्धारित किये गये है। प्रारम्भ की पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से आर्थिक संवृद्धि पर बल दिया गया है जबकि बाद की योजनाओं में गरीबी निवारण, रोजगार सृजन तथा आय की असमानताओं में कमी पर अधिक ध्यान दिया गया। आर्थिक सुधारों के बाद इन उद्देश्यों के साथ–साथ मानव संसाधन विकास तथा बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। दस पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भी एक अच्छी रणनीति के द्वारा भी इन उद्देश्यों को प्राप्त नही किया जा सका है तो स्पष्ट है कि इन उद्देश्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता काफी कमजोर है।

5.11 शब्दावली

पूर्ण रोजगार	–	सभी लोगो को रोजगार प्राप्त होता है।
रिसाव प्रभाव (ट्रिकल डाउन ईक्ट)	–	जब आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः रिस–रिस कर जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त होता है।
संतुलित विकास	–	किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना।
असंतुलित विकास	–	किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों का गहन विकास करना।

5.12. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल .... से प्रारम्भ हुई?
2. 'भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था' पुस्तक के लेखक .... है?
3. आर्थिक नियोजन .... सूची का विषय है?
4. प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता .... क्षेत्र को दी गयी है?
5. योजना आयोग का अध्यक्ष .... होता है?

उत्तर–1. 1951 2. सर एम. विश्वेश्वरैया 3. संघ सूची 4. कृषि 5. प्रधानमंत्री

लघु प्रश्न–

1. भारत का योजना आयोगा कब स्थापित हुआ?
2. आर्थिक नियोजन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए?
3. अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी है?
4. गाँधीवादी योजना किसके द्वारा दी गयी है?
5. किस पंचवर्षीय योजना में आत्म–निर्भरता एवं स्वयं–स्फूर्ति अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है?

5.13. सन्दर्भ–सूची

1. शर्मा, टी0आर0 एवं वार्ष्णेय, जे0सी0, विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगरा।

2. मामोरिया, चतुर्भुज, भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन, आगरा।

3. झिंगन, एम0एल0, विकास अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन प्रा0लि0, नई दिल्ली।

4. सिंह, एम0पी0, आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस0 चंद एण्ड कं0 लि0, नई दिल्ली।

5. दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चंदएण्ड कं0 लि0, नई दिल्ली।

5.14. निबन्धात्मक प्रश्न

1. आर्थिक नियोजन क्या है? इसकी विशेषतायें बताइए। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता की व्याख्या किजिए।

2. आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में समझाइयें।

3. 'भारत में आर्थिक नियोजन असफल रहा है।' क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर दिजिए।

इकाई–6: नियोजन के साठ वर्ष एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली

6.4 उत्तराखण्ड में नियोजन

6.5 उत्तराखण्ड में नियोजन की उपलब्धियां

6.6 उत्तराखण्ड में नियोजन की विफलताएं

6.7 उत्तराखण्ड में नियोजन की समीक्षा

6.8 उत्तराखण्ड में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

6.9 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

6.10 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति

6.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण

6.12 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वित्त प्रबन्ध

6.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा

6.14 सारांश

6.15 शब्दावली

6.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.18 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह छठी इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते है कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन की रणनीति क्या रही है?

नियोजन के पिछले साठ वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य ने किस–किस क्षेत्र में और किस अनुपात में उपलब्धियां हासिल की है। इसका विश्लेषण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण भी प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के तुलनात्मक महत्व को समझाा सकेंगे तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विशद् विश्लेषण कर सकेंगे।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड में नियोजन की उपलब्धियां क्या है।
- समझा सकेंगे कि नियोजन ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसकी दिशा क्या है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के महत्व को समझा सकेंगे तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विशद् विश्लेषण कर सकेगें।

6.3 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली

प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था वर्ष 1982–83 से अविभाजित उत्तर प्रदेश से ही लागू है। इस प्रणाली में जिला स्तर पर सार्थक योजनाओं का अभिज्ञान, योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन, सूचना एवं अनुश्रवण में स्थानीय अधिकारियों एवं लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला/मण्डल स्तर पर जनपद के जन–प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया गया है।

6.3.1. नियोजन के मूलभूत सिद्धान्त

- विकास सामाजिक न्याय के साथ हो।
- स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग।
- भूमि, पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि।
- सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण।
- अवस्थित अवस्थापनाअें/संस्थाओं को पुनर्गठित किया जाना।
- रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाये, निसे भूमिहीनों, छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों।
- जिले को नियोजन की इकाई माना गया।
- विभिन्न आयाजनागत योजनाओं को उनके स्थान एवं लाभ के क्षेत्र के आधार पर राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में विभाजित किया गया।

6.3.2. जिला स्तरीय समीतियां तीन स्तरों पर कार्य करती है–

(अ) जिला योजना समन्वयन एवं कार्यान्वयन समिति।

(ब) जिला नियोजन एवं अनुक्षवण समिति।

(स) मण्डलीय समिति।

योजनाओं की प्रगति समीक्षा एवं अनुक्षवण जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर नियमित रूप से की

जाती है, इस हेतु जिला योजना संरचना, कार्यान्वयन एवं अनुक्षवण समितियां गठित की गई है, जो प्रभारी मन्त्रियों की अध्यक्षता में कार्य करती है। इन समितियों में जनपद स्तर पर क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित कर सुझाव प्राप्त किये जाते है। जिला योजनाओं के लिए कुल योजना परिव्यय में से 50 प्रतिषत धनराषि आवंटित की जाती है।

6.4. उत्तराखण्ड में नियोजन

नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत माध्यमों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आय एवं रोजगार के रूप में वृद्धि और इसके लाभ समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया है। इसीलिए उत्तराखण्ड के विकास की नीतियां यहाँ के भौगोलिक स्थिति के हितों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। ये नीतियां मैदानी इलाको में जितनी फलदायक हो सकती है, वही नीतियां पहाड़ी इलाको के लिए उतनी फलदायक नही होती है। परिणामस्वरूप विकास का संकेन्द्रण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर चलते हुए विकास की धारा को मुख्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवाहित करने में प्रयासरत है। असंतुलित विकास से संतुलित विकास राज्य की एक दीर्घकालीन आकांक्षा है। जिसके लिए उत्तराखण्ड सरकार पी0पी0पी0 (सार्वजनिक निजि सहभागिता) मॉडल को प्रोत्साहन देने हेतु सक्रिय भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विकास की प्रक्रिया सामान्य हो, निरन्तर हो, जिसमें निजी भागीदारी भी इस तरह हो कि पारिस्थितिकी का क्षेत्र नष्ट न हो। पारिस्थितिकी का ध्यान रखे बिना यदि विकास की तेज दौड़ लगायी जायेगी तो यह हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है।

इन स्थितियों के बीच उत्तराखण्ड राज्य ने नियोजन मार्ग पर चलते हुए न सर्फ पहाड़ी राज्यों के बीच एक मुकाम हासिल किया है बल्कि अन्य राज्यों के मध्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। उत्तराखण्ड राज्य के नियोजन में जन सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

6.5. नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्तराखण्ड की उपलब्धियां

9 नवम्बर 2000 ई0 को जब उत्तराखण्ड का जन्म हुआ, तब नौवीं पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी। नियोजन मार्ग में राज्य अपनी दस पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुका है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत उत्तराखण्ड राज्य में विकास कार्यों का संचालन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में नियोजन की प्रगति की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य की प्रगति अच्छी तथा कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक रही है। आर्थिक विकास दर बढ़ी है और इसमें विविधता आयी है, बचत और विनियोग में वृद्धि हुई है, कृषि ढ़ांचे में काफी परिवर्तन हुआ है, उच्च स्तर की कुशल मानवशक्ति के प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ी है, बहुत से बैंक विहीन इलाकों एवं क्षेत्रों में अब बैंक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, राजकीय अर्द्धराजकीय और सरकारी संस्थानों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है जो कि उत्पादन, विपणन, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन आदि में कार्य करते है। जीवन की गुणवन्ता के कुछ सूचको अर्थात जन्मदर प्रत्याशित आयु, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर में भी अभिनन्दनीय परिवर्तन हुआ है।

नियोजन में उत्तराखण्ड की प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं–

6.5.1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद–आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से मुक्त होने के कारण स्थिर कीमतों पर ही राज्य घरेलू उत्पाद ही श्रेष्ठ मापदण्ड है।

उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद विकास दर निचले स्तर से ऊँचे स्तर में पहुँच गयी है। उत्तराखण्ड के अस्तित्व से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी कम थी। जिसने 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। ग्यारहवीं योजना में भी उत्तराखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

	7वीं योजना (1985—90)	8वीं योजना (1992—97)	9वीं योजना (1997—2002)	2002—03	2003—04	2004—05
उत्तराखण्ड विकास दर	5.6	5.0	4.4	9.92	7.61	12.99
भारत	5.7	6.5	5.5	3.84	8.52	7.47

	2005—06	2006—07	10वीं योजना (2002—07)	11वीं योजना (2007—12)	2007—08
उत्तराखण्ड विकास दर	5.66	9.84	9.2	9.9	8.67
भारत	9.52	9.57	7.8	9.0	6.70

स्रेतः सी0एस0ओ0 एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय

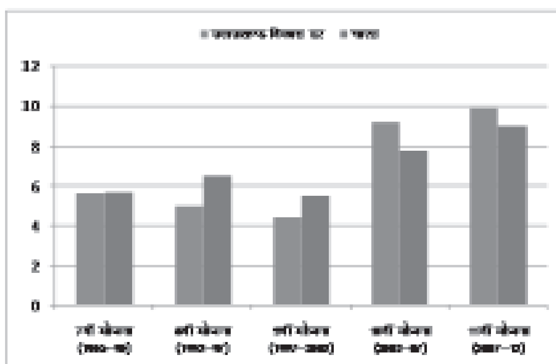

वर्ष 1999—2000 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2000—01 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14,141 लाख रूपये था, जो 2005—06 में बढ़कर 21,076 लाख रूपये तथा 2009—10 के अन्तिम आंकड़ो के अनुसार 29,507 लाख रूपये हो गयी है। वर्ष 2009—10 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर)

	1999—00	2000—01	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05
सकल घरेलू उत्पाद (लाख रू0 में)	12,621	14,141	14,923	16,404	17,653	19,947

	2005—06	2006—07	2007—08 (अन्तरिम)	2008—09 (त्वरित)	2009—10 (अग्रिम)
सकल घरेलू उत्पाद (लाख रू0 में)	21,076	23,103	25,482	26,968	29,507

स्रोतः सी0एस0ओ0 एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय

6.5.2 **प्रति व्यक्ति आय–** शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को उस वर्ष के मध्य अर्थात् 01 अक्टूबर की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गयी। वर्ष 1999–00 में प्रति व्यक्ति आय 13,516 रू0 थी जो वर्ष 2006–07 मे बढकर 21,775 रू0 हो गयीं है।

प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर)

	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
प्रतिव्यक्ति आय (रू0 में)	13,516	14,932	15,364	16,530	17,542	19,524

	2005–06	2006–07	2007–08 (अन्तरिम)	2008–09 (त्वरित)	2009–10 (अग्रिम)
प्रतिव्यक्ति आय (रू0 में)	20,219	21,775	23,680	24,671	26,608

स्रोतः सी0एस0ओ0 एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय

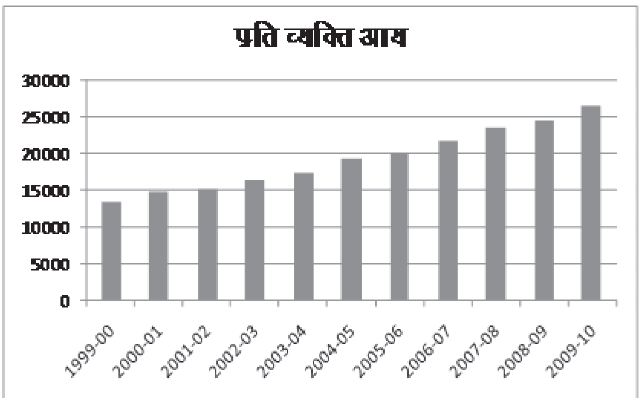

6.5.3 **क्षेत्रवार योगदान–** इसके अर्न्तगत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों को शामिल किया जातां है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वन एवं वन उत्पाद, मत्स्य एवं खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) निर्माण तथा विद्युत, गैस एवं जल को शामिल किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र मे परिवहन, भण्डारण एवं संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैकिंग एवं बीमा, भवन निर्माण, लोक प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है।

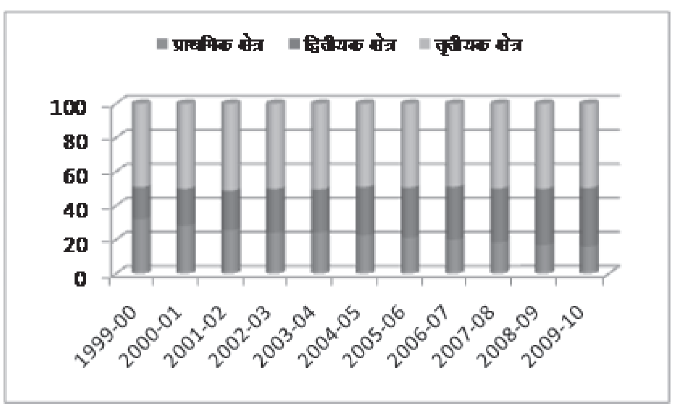

प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रतिशत था, जबकि उत्तर प्रदेश से अलग होकर स्वतन्त्र रूप से दसवीं योजना में प्राथमिक क्षेत्र की विकास–दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त हुई ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा गया। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों का योगदान निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रवार योगदान

	7वीं योजना (1985–90)	8वीं योजना (1992–97)	9वीं योजना (1997–2000)	10वीं योजना (2002–07)
प्राथमिक क्षेत्र	3.0	2.1	1.5	2.5
द्वितीयक क्षेत्र	8.6	7.9	5.7	15.9
तृतीयक क्षेत्र	7.7	5.8	6.4	8.2

स्रोतः योजना आयोग, भारत सरकार

क्षेत्रवार योगदान (स्थिर कीमतों पर प्रतिशत में)

क्षेत्र	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
प्राथमिक क्षेत्र	30.10	28.21	25.44	24.09	24.30	22.56
द्वितीयक क्षेत्र	18.79	21.82	23.45	25.89	25.41	28.47
तृतीयक क्षेत्र	51.11	49.96	51.11	50.02	50.29	48.97

क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
प्राथमिक क्षेत्र	21.28	20.05	18.42	16.77	15.91
द्वितीयक क्षेत्र	29.43	31.04	31.81	32.29	34.57
तृतीयक क्षेत्र	49.29	48.90	49.77	49.94	49.52

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

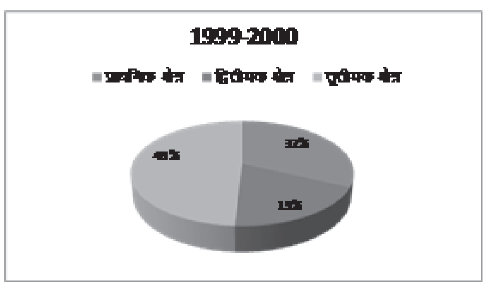

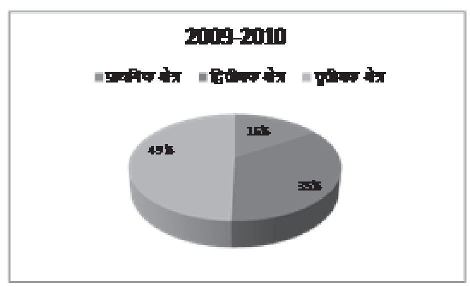

6.5.4 प्राथमिक क्षेत्र का योगदान– इसे कृषि क्षेत्र भी कहते है। आठवीं योजना में कृषि विकास दर 2.1 प्रतिशत थी जबकि दसवी योजना में विकास दर बढकर 2.5 प्रतिशत हो गयी। उत्तराखण्ड बनने से पूर्व इस क्षेत्र में 1981–82 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1214 हजार टन था। वर्ष 2005–06 में 1589 हजार टन हो गया है। कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिए पानी, उर्वरको, कीटनाशकों, उन्नत बीजों की पूर्ति को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिचाई के कम साधन, मिट्टी की निम्न उर्वरता आदि कारण उत्तराखण्ड में तीन मैदानी जिलों (हरिद्वार, ऊधमसिहं नगर तथा देहरादून) पर ही कृषि का समस्त भार है।

6.5.5. द्वितीयक क्षेत्र का योगदान– इसे उद्योग क्षेत्र भी कहते है। 9 नवम्बर 2009 उत्तर प्रदेश से प्रथक नवसृजित उत्तराखण्ड का यह भू– भाग वास्तविक रूप से शून्य उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नही किया गया। जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी 2003 के लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य औद्योगिकरण युग का सूत्रपात हुआ है। वर्ष 1999–2000 से 2006–07 के बीच कुल सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि 9 प्रतिशत रही। जिसमें

सवार्धिक योगदान 17.2 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र का ही रहा। 2008–09 में इसका योगदान बढ़कर 33.29 प्रतिशत हो गया था, जो 2009–10 में 34.57 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, यद्यपि नौवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सका था परन्तु दसवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र ने अपने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वृद्धि दर्ज़ की है। हरिद्वार, पन्तनगर, देहरादून तथा ऊधमसिहं नगर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुए है। अभी तक राज्य में 26315 करोड़ रूपये से अधिक की पूंजी का निवेश हो चुका है। 2446 से अधिक उद्योगों द्वारा उत्पादन किया गया जिसमें 1,42,835 लोगो को रोजगार मिला हुआ है।

6.5.6. आधारिक संरचना– क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधारिक संरचना के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिमालय की मध्य तथा ऊपरी हिस्सों में जो बहुत पिछड़े तथा विकास से अछूते है, वहाँ सड़कों का जाल बिछाकर बागवानी तथा पर्यटन को प्रोत्साहन दिया गया है। जिससे छोटे–छोटे गांव की शहरी क्षेत्र एवं मन्डी से आसानी से पहुँच हो जाये। मार्च 2009 तक पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, टिहरी तथा चम्पाावत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 14 से 21 किमी0 तक बढ़ी है। गौचर नैनीसैनी एवं सिन्स्याली सौर में हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ पर रेल लाईन बिछाने का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। उत्तराखण्ड में कुल पक्की सडको की लम्बाई 21,490 किमी है।

विभिन्न राज्यों में सड़क की उपलब्धता (किमी0 में)

क्र0सं0	राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर	प्रति हजार वर्ग किमी0 पर
1.	उत्तर प्रदेश	103.9	755.6
2.	छत्तीसगढ़	179.4	289.7
3.	झारखण्ड	13.6	47.9
4.	उत्तराखण्ड	288.4	478.1
5.	हिमाचल प्रदेश	286.6	322.5
6.	भारत	142.3	462.2

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड के साथ बने अन्य दो राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड की स्थिति अधिक अच्छी है। सड़क की उपलब्धता प्रति हजार जनसंख्या पर तथा प्रति हजार वर्ग किमी0 पर भारत की उपलब्धता की तुलना में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर है।

6.5.7. ऊर्जा क्षेत्र– वर्तमान में उत्तराखण्ड में 3135 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है जबकि उत्तराखण्ड बनने से पूर्व इसका उत्पादन मात्र 1116 मेगावाट था। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। उत्तराखण्ड को 'ऊर्जा प्रदेश ' बनाने में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए राज्य में दूरस्थ अविद्युतीकृत ऐसे ग्राम जहाँ वर्तमान में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं विभिन्न कारणों से ग्रामों को ग्रिड लाईन से जोड़ जाना सम्भव नही हो पा रहा है, अविद्युतीकरण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों एवं तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरणार्थ– नीति परियोजना, चमोली मुख्यालय से गमशाली तक 110 किमी0 मोटर मार्ग तथा गमशाली से नीति तक 5 किमी0 मार्ग पर घट गदेरे पर स्थापित की गयी है। परियोजना की स्थापना से कुल 54 ग्रामों को विद्युत उपलब्ध कराये गये है। 2000–01 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 12,563 थी जो 2008–09 में बढ़कर 15,083 गांव विद्युतीकृत हो चुके है।

विभिन्न राज्यों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत

राज्य	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत	राज्य	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत
असम	78.57	बिहार	52.85
उड़ीसा	55.83	उत्तराखण्ड	95.98
भारत	82.27		

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा के 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो चुके है।

6.5.8. **शिक्षा क्षेत्र**– राज्य गठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए तीवृतर कार्य हुआ है। बड़ी संख्या में विद्यालय खोले गये है। 2009–10 में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर 101.76 प्रतिशत और शुद्ध नामांकन दर 99.01 प्रतिशत थी। पाठशाला त्यागने की दर पहले से घटकर मात्र 0.31 प्रतिशत रह गयी है। वर्ष 2001–02 में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई–स्कूल, हाई–स्कूल तथा इण्टर कॉलेज क्रमशः 121, 0, 04, तथा 03 जो 2009–10 में बढ़कर 1518, 1374, 612 तथा 313 हो गये है। जो मानव विकास संसाधन की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है।

2001 से 2011 तक उत्तराखण्ड में साक्षरता 71.6 प्रतिशत से बढ़कर 79.63 प्रतिशत (अंन्तिम आकड़े) हो गयी है। इन दस वर्षो में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है जो 59.6 प्रतिशत से बढ़कर 70.70 हो गयी है। जबकि पुरूष साक्षरता 83.3 प्रतिशत से बढ़कर 88.33 प्रतिशत हो गयी है।

शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो जाने के बाद शिक्षण संस्थानों में मात्रात्मक रूप से अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गुणात्मक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश में मात्र 18 पालीटेक्निक संचालित किये जा रहे थे, जबकि 11 वीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान अवधि तक इनकी संख्या 49 हो गई है। इन संस्थाओं के द्वारा पालीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे वर्तमान औद्योगिक परिवेश के अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

6.5.9. **जन्म–दर एवं मृत्यु दर**– 1999–2000 में उत्तराखण्ड में जन्म–दर 26.7 प्रति हजार, मृत्यु–दर 9. 0 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 61.0 प्रति हजार थी। दस वर्षो बाद इसमे गिरावट दर्ज की गयी जो क्रमशः 20.1,6.4 तथा 44.0 हो गयी है।

उत्तराखण्ड में जन्म–दर एवं मृत्युदर

वर्ष	जन्म–दर (प्रति हजार)	मृत्यु–दर (प्रति हजार)	शिशु मृत्यु–दर (प्रति हजार)
1999–00	26.7	9.0	61
2000–01	23.5	6.9	50
2006–07	30.5	7.2	42
2009–10	20.1	6.4	44

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

6.5.10. **मत्स्यः**– ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में प्रदेश के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय तालाबों का निर्माण/ सुधार किया जाना, मत्स्य पालन का आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्वतीय क्षेत्रों में रनिंग वाटर यूनिट एवं रेसवेज का निर्माण किया जाना, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन, निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिक उत्थान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का सम्पादन प्रमुख हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 78 किलो0 प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से उत्पादन किया गया था जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 90 किलो0 प्रति हैक्टे, प्रति वर्ष तक करना प्रस्तावित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8163 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 37524 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित है। विभिन्न निर्माण कार्यो में 29.79 लाख मानव दिवस सृजित किये जा सकते हैं।

6.5.11. **पेयजल व्यवस्था**– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन विधेयक के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। दिनांक 01.04.2010 को कुल 39967 बस्तियों में 787 गैर आबाद बस्तियां

तथा 28028 बस्तियों के पूर्ण मानक (40 एल0पी0सी0डी0) से पेयजल आपूर्ति की है।

6.5.12. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) के अन्तर्गत जिन 18 राज्यों पर अधिक बल दिया गया, जिनका जन–स्वास्थ्य सूचकांक एवं आधारभूत ढाँचा कमजोर है इनमें से उत्तराखण्ड राज्य भी एक है। जहाँ पेयजल सफाई तथा स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तराखण्ड सरकार ने इसे गम्भीरता से लेते हुए गम्भीरता से प्रयास प्रारम्भ कर दिये है। असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार एवं स्वास्थ्य सेवायें पहुचायी जा रही है। संकट की घड़ी में जनता को आकस्मिक चिकित्सा सहायता पहुँचाने तथा नजदीकी चिकित्सा तक ले जाने में 108 आपातकालीन निःशुल्क सेवा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

6.5.13. पर्यटन– उत्तराखण्ड राज्य को देशी एवं विदेशी सैलानियों से करीब 1800 करोड़ रूपये की आय होती है। उत्तराखण्ड के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी माने जाने के साथ रोजगार सृजित करने का प्रमुख साधन है। उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम संम्भावनाओं के कारण विश्व पर्यटन सम्मेलन के लिए उत्तराखण्ड को परिसर स्टेट के रूप में चिन्हित किया गया है।

6.6 नियोजन की विफलताएं

नियोजन प्रक्रिया राज्य में सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना कायम करने में सफल हो रही है और राज्य में शिक्षा के अवसरों का विस्तार भी किया गया है परन्तु यह प्रत्येक योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवानें में विफल हुयी है। यह गरीबी दूर करने में तथा आय की असमानता को कम करने में भी असफल रही है। आधारिक आर्थिक संरचना के लाभ सापेक्ष रूप से समृद्ध लोगों को ही उपलब्ध हुए है। विनियोग का ढ़ांचा, विशेषकर सामाजिक आधारिक संरचना, शहरी क्षेत्रों के पक्ष में ही विकसित हुआ है। जनसंख्या के अनेक कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति) को वृद्धि और विकास के लाभों में पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। नियोजन की विफलता को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है।

6.6.1. निर्धनता–समाजवादी आयोजन का मूल लक्ष्य राज्य में न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। योजना आयोग के अनुसार उत्तराखण्ड में 2004–05 में 39.6 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे है। आयोजन के इतने वर्षों के बाद भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर गरीबी का अस्तित्व गंभीर चिन्ता का विषय है।

6.6.2. बेरोजगारी–नियोजन की प्रगति के साथ–साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। 1991 में उत्तराखण्ड में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 75 हजार थी जो 2007 में बढ़कर 5.43 लाख हो गयी है, यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का पहला राष्ट्र व्यापी गंभीर प्रयास है परन्तु इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है।

6.6.3. आय असमानता– समृद्धि का लाभ समाज के कुछ विशिष्ठ वर्गों को ही हुआ है। तेजी से पनप रही काले धन की अर्थव्यवस्था ने कुछ वर्गों के हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित कर दी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों तथा अनिवार्य उपभोग वस्तुओं बढ़ती कीमतों ने आय असमानता को और भी अधिक बढा दिया है।

6.6.4. कमजोर वर्गों को एवं आर्थिक सामाजिक लाभ नही– राज्य में नियोजन की लम्बी प्रक्रिया के बाद भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को इसका कोई विशेष आर्थिक एवं सामाजिक लाभ नहीं मिला है।

6.6.5. क्षेत्रीय असमानताओ में बढोतरी– नियोजन प्रक्रिया के स्वरूप के कारण ही राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय असमानताएं तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण संसाधनों का कुशल आवंटन और उनका अनुकूलतम उपयोग न होना है। असंतुलित विकास में उत्तराखण्ड को पर्वतीय बनाम मैदानी क्षेत्रों का विकास के रूप में बांट दिया है।

6.7. उत्तराखण्ड में नियोजन की समीक्षा

निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि हमारे सामने उत्तराखण्ड का नियोजन दोहरी तस्वीर प्रस्तुत करता है एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय एक सामान्य वृद्धि दर कायम रखी गयी है तो दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और लगभग 40 प्रतिशत लोग आज भी निर्धनता रेखा से

नीचे रहते है।

6.8. उत्तराखण्ड में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2002–2010)

एक विश्व की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों तथा निरन्तर बढ़ती बाजारोन्मुखी व्यवस्था द्वारा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इन्ही संकल्पनाओं को पिरोकर भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड में भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है।

भारतीय परिदृश्य पर यद्यपि उत्तराखण्ड एक छोटा सा राज्य है परन्तु इसकी अपनी कुछ विशेषताएं एवं विकास की असीम संभावनाओं ने इसे अन्य पहाड़ी राज्यों से अलग स्थान दिलाया है। मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से प्रचलित उत्तराखण्ड राज्य में युवाओं को जीवकोपार्जन अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके पलायन को रोकना उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह एक चुनौती भरा काम था जिसे पूरा करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की तरह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिससे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वृद्धि हो, रोजगार सुलभ तथा प्रति व्यक्ति की आय बढ़े जिससे पलायन को रोका जा सके। इसके लिए उत्तराखण्ड सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास की रणनीति पर कार्य कर रही है।

6.9 योजना के उद्‌देश्य

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया है। इस योजना के मुख्य उद्‌देश्य निम्न है।

1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 9.9 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र कृषि , द्वितीयक क्षेत्र उद्योग , एवं तृतीयक क्षेत्र सेवा , की क्रमशः 13 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत वार्षिक औसत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. योजना आयोग के अनुसार राज्य में वर्ष 2006–07 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या 38.8 प्रतिशत थी, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 2011–12 तक 23.6 प्रतिशत तक लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
3. राज्य में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दरा 2.62 प्रतिशत है, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत तक लाने का प्रयास होगा।
4. विशेष आर्थिक जोनो की स्थापना की ओर ध्यान देने के लिए औद्योगिक नीति तैयार की जायेगी। 'सेज' के मूल्यांकन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का सुझाव रखा गया है।
5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में 6.41 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जायेगें।
6. आधारभूत संराचनाओं को मजबूत करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कदम उठाये जायेगें। सड़कों का चौड़ीकरण एवं अपग्रेडेशन किया जायेगा। शहरी विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा 63 शहरों का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।
7. विकास का लाभ सभी वर्गों तथा विषम भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुॅचाना है।

6.10 योजना की रणनीति

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना की विकास कूटनीति का आधार पिछले वर्षो के लाभों को और आगे बढ़ाना एवं पिछली योजनाओं में उजागर हुयी कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। नई चुनौतियों का सामना करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी गयी रणनीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न है–

6.10.1. भौतिक एवं आधारिक संरचना की आवश्यकता विकास विकास प्रक्रिया की प्रथम शर्त है। भौतिक सामाजिक संरचना के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, कृषि विपणन सुविधाएं, वित्तीय संस्थाओं के विस्तार पर बल जबकि सामाजिक आधारिक संरचना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल दिया गया है। जिससे विकास हेतु मानव संसाधन को सृजित किया जा सके। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधारिक संरचना के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिमालय की मध्य तथा ऊपरी हिस्सों में जो बहुत पिछड़े तथा विकास से अछूते है, वहाँ सड़कों का जाल बिछाकर बागवानी तथा पर्यटन को प्रोत्साहन देना है जिससे इन छोटे–छोटे गांव की शहरी क्षेत्र एवं मन्डी से आसानी से पहुँच हो जाये। उत्तराखण्ड सरकार अवसंरचना के विकास के लिए पी0पी0पी मॉडल्स के अनुसरण का प्रयास करेगी। जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारियो को कम किया जायेगा। आधारिक संरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा, किन्तु सामाजिक क्षेत्र में सरकार को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

6.10.2. ग्यारहवीं योजना की विकास की रणनीति उन क्षेत्रों के विकास को अवश्य सुनिश्चित करेगी, जो रोजगार पैदा करने की संभावना रखते है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र, निर्माण, पर्यटन, यातायात, लघु उद्योग एवं अन्य नयी सेवाओं आदि को प्रोत्साहित कर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जायेगा।

6.10.3. प्रत्यक्ष करों में प्रक्रियात्मक सुधारों का लक्ष्य, कराधान का विस्तार, कर अनुपालन में सुधार तथा कर प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाया जायेगा।

6.10.4. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया जायेगा, जो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी नीतियों में न सिर्फ उदारता लायी जायेगी बल्कि कर छूट में विभिन्नता लायी जायेगी।

6.10.5. उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिकी मुख्यता कृषि आधारित है। जिसमें पशुपालन का ग्रामीण विकास एवं पशु आधारित उत्पादों यथा दूध, अण्डा, मॉस एवं ऊन आदि के उत्पादन से राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना। पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलभ कराना। पशुओं के आनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित/सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना। दूध, अण्डा, कुक्कुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्वि करना। पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के संसाधन उत्पन्न/सृजित करना। पशुओं के भरण–पोषण तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा चारा स्त्रोतों में बढोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशुआहार विकसित करना।

6.10.6. उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुये इस क्षेत्र के सुनियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं पर बल दिया जायेगा।संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, मानव संसाधन विकास, तीर्थाटन विकास, सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, ईको टूरिज्म का विकास, ग्रामीण पर्यटन, विश्रामपरक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सोविनियर विकास एवं इनर लाइन पर पुनर्विचार कर पर्यटन का विकास किया जायेगा।

6.10.7. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को सुधारना, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना सम्मिलत हैं।

6.10.8. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में प्रदेश के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय तालाबों का निर्माण/सुधार किया जाना, मत्स्य पालन का आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्वतीय क्षेत्रों में रनिंग वाटर यूनिट एवं रेसवेज का निर्माण किया जाना, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन, निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिक उत्थान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का सम्पादन प्रमुख हैं।

6.10.9. दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 78 किलो0 प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से उत्पादन किया गया था जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 90 किलो0 प्रति हैक्टे, प्रति वर्ष तक करना प्रस्तावित है। ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना में 8163 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 37524 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित है। विभिन्न निर्माण कार्यों में 29.79 लाख मानव दिवस सृजित किये जा सकते हैं।

6.10.10 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में जलविद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन, निर्माण एवं रखरखाव कार्य, नहरों एवं गूलों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य, नलकूपों एवं लिट सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव कार्य, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का निर्माण एवं रखरखाव कार्य, जल संसाधन एवं जलविद्युत संरचनाओं के परिकल्पन एवं शोध संबंधी कार्य, जल संसाधन एवं जलविद्युत परियोजनाओं के हाइड्रोमैकेनिकल संयंत्रों का फैब्रिकेशन एवं इरैक्शन कार्य, अभियन्ताओं के लिये प्रशिक्षण एवं प्रत्यास्मरण कार्यक्रम का आयोजन, जल संवर्द्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत जलाशयों का निर्माण, नरेगा के अन्तर्गत झीलों के सौन्दर्यकरण तथा सुदृढ़िकरण एवं तालो का पुनरोद्धार का कार्य प्रमुख हैं।

6.10.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विभाग द्वाराः—केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना है। औद्योगिक सम्बन्ध में समन्वय एवं स्थिरता बनाये रखने का प्रयास करना। सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करना है।

6.11. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चुनौतियां इंगित की गई है—

6.11.1. केन्द्र और राज्यों की समस्त योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के कुल संसाधनों के औसत में वृद्धि करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के औसत में वृद्धि करना।

6.11.2. योजना के लिए कुल संसाधनों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और राजकोषीय घाटे को प्रत्येक मद पर 3 प्रतिशत तक कम करना।

6.11.3. राज्य के योजना संसाधनों में अनुमानित वृद्धि से अधिक की वृद्धि होनी है। इन लक्ष्यों को उपलब्धि योजना के वित्त पोषण में अति महत्त्वपूर्ण है। असली चुनौती लक्षित व्यय में आ रही कमियों को सुधारने में निहित है ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय
(वर्ष 2006—07 की कीमतों पर करोड़ में)

क्र0स0	क्षेत्र	कुल परिव्यय	कुल प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	4564.47	10.67
2.	ग्रामीण विकास	2483.90	5.80
3.	विशेष क्षेत्र कार्य मे	61.12	0.14
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक	2661.10	6.22
5.	उर्जा	4966.05	11.60
6.	उद्योग एवं खनिज	324.25	0.76
7.	परिवहन	8376.66	19.75
8.	संचार	0.00	0.00
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	590.13	1.38
10.	सामान्य आर्थिक सेवायें	1567.35	3.66

11.	सामाजिक सेवायें	16547.89	38.67
11.1	शिक्षा	4323.85	10.10
11.2	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2189.01	5.11
11.3	फल आपूर्ति एवं सफाई	2582.72	6.03
11.4	आवसन	417.34	0.98
11.5	शहरी विकास	3502.72	8.18
11.6	अन्य सामाजिक सेवायें	3532.25	8.25
12.	सामन्य सेवायें	655.41	1.53
	कुल	**42798.25**	**100.00**

स्रोतः योजना आयोग, भारत सरकार

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं पर 60 प्रतिशत एवं सामाजिक सेवाओं पर 40 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। आर्थिक सेवाओं में परिवहन तथा ऊर्जा को सवार्धिक प्राथमिकता दी गयी है जिन पर क्रमशः 19.57 तथा 11.6 प्रतिशत व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जबकि कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र पर 10. 67 प्रतिशत व्यय किया जायेगा। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर किया जायेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वार्षिक परिव्यय

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय
2007—08	4378.63	3944.88
2008—09	4775.00	3653.57
2009—10 (स्वीकृत)	5800.81	4700.00
2010—11 (प्रस्तावित)	6801.00	—

स्रोतः योजना आयोग, भारत सरकार।

उत्तराखण्ड राज्य को पहाड़ी राज्य का दर्जा प्राप्त है अतः यह अपने वित्तीय स्रोतो के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर है। राज्य के अपने करों एवं गैर—करों से प्राप्त राजस्व का भी आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्न तालिका में राजकोशीय संकेतको सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया है।

6.12. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा

कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत वर्ष 2009—10 में खरीफ में विलंबित मानसून के बावजूद में चावल की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिसके कारण धान का उत्पादन 6.80 लाख मै0टन प्रतिवेदित हुआ है। इसी प्रकार गेहूँ जो राज्य की मुख्य फसल है, में भी 8.45 लाख मै0टन का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद कृषि विभाग ने अपने अथक प्रयासों से कृषि उत्पादनों को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2008—09 में 17.64 लाख मी0टन तथा वर्ष 2009—10 में 17.94 लाख मी0टन खाद्यान्न उत्पादित किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि के प्रोत्साहन के माध्यम से कृषि उत्पादन की वार्षिक दर 4ः तक प्राप्त करना है। वर्ष 2010—11 में 4663 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 1645 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये है, जिसमें 10971 महिलाओं को मानदेय सेवा में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए है। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सहायता समूह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अपने चार वर्ष पूर्ण कर चुकी है। परन्तु उत्तराखण्ड सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यो से बहुत दूर है। राज्य के समक्ष यह चुनौती है कि समस्त

लक्ष्यों को निर्धारित समय में कैसे पूरा किया जायें।

6.14. सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं आर्थिक विकास की यात्रा में यदि हम पीछे मुड़कर देखे तो यह कहने में कोई संकोच नही होता है कि नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए है। सवार्धिक अभिप्रेरित लक्ष्य आज भी प्रायः उतने ही दूर दिखाई देते है जितने कि वे योजनाबद्ध विकास के मार्ग में हमारी यात्रा के प्रारम्भ में थे। सातवीं योजना के बाद मानव संसाधन का विकास, पूर्ण रोजगार, गरीबी दूर करना, सम–समाज की स्थापना स्पष्ट उद्देश्य हो गये है। इसीलिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में इन्हें प्राथमिकता दी गयी है। बदलते आर्थिक मॉहौल में आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार एवं निजि सहभागिता आज की प्रथम आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि बाजार तन्त्र केवल मांग और पूर्ति में संतुलन बैठाता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यकता और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है।

उत्तराखण्ड सरकार को अपनी विफलताओं को सामने रखकर पर्वतीय क्षेत्रों से आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गंगा को मैदानी क्षेत्रों की ओर लाना चाहिए। तभी नियोजन सफल नियोजन कहलायेगा।

6.15. शब्दावली

जन्म–दर – किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म–दर कहलाती है।

मृत्यु–दर – किसी क्षेत्र में किसी वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की मृत्यु–दर कहलाती है।

प्रतिव्यक्ति आय – किसी एक देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात करते है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

अधारिक संरचना – परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, जल विद्युत, रेल, शिक्षा, चिकित्सा, शोध एवं तकनीकी संस्थाओं आदि को शामिल करते है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद– एक वर्ष में एक राज्य द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर जितनी अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पादन कहते है।

6.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अर्थ एवं संख्या निदेशालय का मुख्यालय.................... में है।
2. प्राथमिक क्षेत्र को .... क्षेत्र भी कहते है।
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड की .... प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।
4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल .... से 31 मार्च .... तक है।
5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय .... मद पर किया गया है।

उत्तरः 1. देहरादून 2. कृषि क्षेत्र 3. 9.9 प्रतिशत 4. 2007 से 2012 5. परिवहन

प्रश्न–

1. उत्तराखण्ड राज्य कब से अलग राज्य बना है?
2. प्राथमिक क्षेत्र के उप–क्षेत्र कौन–कौन से है?
3. पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए बनायी जाती है?

4. प्रतिव्यक्ति आया ज्ञात करने का सूत्र लिखिये?
5. दसवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड ने कितने प्रतिशत विकास दर प्राप्त की?
6. 2009–10 में उत्तराखण्ड की जन्म–दर एवं मृत्यु–दर कितनी है?
7. उत्तराखण्ड के कितने प्रतिशत गांव का विद्युतिकरण हो चुका है?

6.17. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उत्तराखण्ड विकास रिपोर्ट, 2010, योजना आयोग, भारत सरकार।
2. राज्य सरकार की वार्षिक योजना 2010–11
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा, भाग–1
4. मेहता, जी0एस0, डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्डः इश्यूज़ एन्ड प्रेसपेक्टिवस (1999), ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।

6.18. निबन्धात्मक प्रश्न

1. नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों को सविस्तार समझाइयें?
2. आयोजन की विफलतायें क्या है और इसके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए?
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पर एक निबन्ध लिखिये?

इकाई 7: गरीबी और बेरोजगारी

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3. निर्धनता का अर्थ

7.4. आर्थिक संवृद्धि तथा गरीबी

7.5. निर्धनता के कारण

7.6. उत्तराखण्ड में निर्धनता निवारक कार्यक्रम

7.7. रोजगार सजित करने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन

7.8. बेरोजगारी का अर्थ

7.9. बेरोजगारी की प्रकृति

7.10. उत्तराखण्ड में बेरोजगारी

7.11. बेरोजगारी के कारण

7.12. बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव

7.13. सारांश

7.14. शब्दावली

7.15. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.16. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.17 निबन्धात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की अथव्यवस्था से सम्बन्धित यह सातवीं इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते है कि नियोजन का अर्थ क्या है? आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां एवं विफलतायें क्या है? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनायी गयी है।

उत्तराखण्ड में निर्धनता एवं बेरोजगारी का क्या अर्थ है? निर्धनता एवं बेराजगारी के क्या कारण है? उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कौन– कौन से कार्यक्रम चलाये है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड की निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारणों को समझा सकेगें तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये जाने वाले रोजगार कार्यक्रमों का विशद् विश्लेषण कर सकेगें।

7.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- बता सकेगें कि उत्तराखण्ड में निर्धनता एवं बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है?
- समझा सकेगें कि किस प्रकार से राज्य में निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
- सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चलायें जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विशद् विशलेषण कर सकेगें।
- समझा सकेगें कि निर्धनता रेखा एवं बेरोजगारी की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है।

7.3. निर्धनता का अर्थ

जब समाज का एक बहुत बड़ा अंग न्यूनतम जीवन–स्तर से वंचित रहता है और निर्वाह–स्तर पर गुजारा करता है तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता या गरीबी विद्यमान है।

7.3.1. **सापेक्ष निर्धनता**– सापेक्ष गरीबी के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह–स्तर की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जा सकता है। जिस समाज या वर्ग में लोगों का निर्वाह–स्तर नीचा होता है, वे उच्च निर्वाह–स्तर वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते है। निर्वाह–स्तर को आय या उपभोग–व्यय के रूप में मापा जाता है।

7.3.2. **निरपेक्ष निर्धनता**– निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ है, उन परिवारो को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है।

7.3.3. **भारत में गरीबी रेखा का अभिप्राय**–योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार– ''ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है।''

प्रो0 डी0टी0 लकड़ावाला ने अपने फॉर्मूले में शहरी निर्धनता के आंकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्यों हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया है। लकड़वाला फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों के लिए अलग–अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की है। इस प्रकार लकड़वाला ने 35 निर्धनता रेखायें बतायी है।

हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के सैम्पल के आधार पर 2004–05 में गरीबी के अनुपात 30 दिन की समान स्मरण अवधि को आधार बनाकर तैयार किये गये है। 365 दिन के पुनः स्मरण के आधार पर बार–बार क्रय की जाने वाली खाद्य मदों अर्थात् कपड़ा, जूते, चिरस्थायी वस्तुएं, शिक्षा और चिकित्सा और शेष मदों को 30 दिन की पुनः स्मरण अवधि के साथ मिश्रित स्मरण अवधि के आधार पर उपलब्ध है। योजना आयोग ने इस आधार पर गरीबी के निम्न अनुमान तैयार किये है।

2004–05 में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों की संख्या और अनुपात
(समान पुनः स्मरण अवधि में उपभोग के आधार पर)

राज्य	ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत	ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाखो में)	शहरी व्यक्तियों का प्रतिशत	शहरी व्यक्तियों की संख्या (लाखो में)	कुल व्यक्तियों का प्रतिशत	कुल व्यक्तियों की संख्या (लाखो में)
उत्तराखण्ड	40.8	27.1	36.5	8.9	39.6	36.0
भारत	28.3	2209.2	25.7	808.0	27.5	3017.2

उपर्युक्त से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है–

समान स्मरण अवधि पर आधारित गरीबी के अनुमान के अनुसार 2004–05 में उत्तराखण्ड में ग्राम जनसंख्या का 40.8 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 36.5 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे था, जबकि उत्तराखण्ड में कुल जनसंख्या का 39.6 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे थे। उत्तराखण्ड में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे की रहने वालो की आर्थिक गणना अलग से की जाती है। गणना का मुख्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। इस आर्थिक गणना के अनुसार, 1997 में ग्रामीण क्षेत्रों में 36.44 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते थे जबकि 2002 की आर्थिक गणना में यह अनुपात घटकर 31.48 प्रतिशत रह गया है। इससे पहले की गणना में अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1999–2000 में 32.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। उत्तराखण्ड बनने के बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कम करने के प्रयास किये गये जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 23.6 प्रतिशत तक लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

7.3.4 **गरीबी रेखा की पुर्नपरिभाषा–** प्रो0 सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में गरीबी रेखा के मापन हेतु कार्य पद्धति को पुर्नपरिभाशित करने हेतु समिति गठित की गयी। इस समिति ने पुरानी पद्धति को बदलने की इस आधार पर सिफारिश की, कि (अ) 1980 के बाद लोगों की उपभोग प्रवृत्तियां बदल गयी है (ब) बढ़ती कीमतों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। (स) बुनियादी जरूरतों जैसे– शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है।

इस आधार पर प्रो0 तेन्दुलकर ने यह सुझाव दिया कि न केवल कीमत सूचकांको को अधिक वैज्ञानिक और उपर्युक्त तरीके से उपयोग में लाते हुए गरीबी की रेखा को परिभाषित करने के लिए नयी कार्य पद्धति बनायी जाये और गरीबों को उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी वृहत्त किया जाये, ताकि गरीबों द्वारा षिक्षा और स्वास्थ्य पर किये गये व्यय को भी शामिल किया जा सके।

सरकार द्वारा प्रो0 तेन्दुलकर की सुझावों को द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

प्रो0 तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के निर्धनता के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया है। योजना आयोग द्वारा एन एस एस ओ के विश्लेषण के आधार पर 2004–05 में ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 प्रतिमाह व शहरी क्षेत्र में 578.80 रू0 प्रतिमाह से कम उपभोग व्यय करने वाले को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। योजना आयोग ने उत्तराखण्ड के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में 486.24 रू0 प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र में 602.39 रू0 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निर्धारित किया है। प्रो0 तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर 2004–05 में ग्रामीण भारत में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिषत 41.8 तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा कुल 37.2 प्रतिशत है।

गरीबों की संख्या का अनुपात

	1993–94			2004–05		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
उत्तराखण्ड	40.8	36.5	32.0	35.1	26.2	32.7
भारत	50.1	31.8	45.3	41.8	25.7	37.2

2004–05 में उत्तराखण्ड में 32.7 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। जबकि पहले के अनुमान के आधार

के अनुसार 39.6 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। प्रो0 तेन्दुलकर की सिफारिशों को यदि आधार माना जायें तो उत्तराखण्ड में निर्धनता के अनुपात में कमी आयी है। निर्धनता में यह कमी ग्रामीण एवं शहरी अनुपात में भी दिखाई देती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में यह अनुपात पहले क्रमशः 40.8 एवं 36.5 प्रतिशत था जो अब घट कर क्रमशः 35.1 एवं 26.2 प्रतिशत रह गयी है। उल्लेखनीय है कि तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड में 1993–94 की तुलना में 2004–05 में निर्धनता में वृद्धि हुयी है।

7.4. **आर्थिक संवृद्धि तथा गरीबी–** अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जब विकास की दर बढ़ती है तो गरीबी धीरे–धीरे कम होने लगती है। आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः रिस–रिस कर जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त हो जाता है जिससे गरीबी अपने–आप कम हो जाती है। इसे रिसाव प्रभाव (ट्रिकल डाउन ईक्ट) कहते है जबकि अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि संवृद्धि की दर यदि कम होती है तो इस रिसाव प्रभाव न्यूनतम होती है। आर्थिक विकास के साथ गरीबी में कम होने वाला प्रतिशत बहुत कम है।

7.5. निर्धनता के कारण

उत्तराखण्ड की प्रारम्भ की योजनओं में निर्धनता को कम करना प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था। जबकि पांचवी योजना में यह कल्पना की गयी कि राष्ट्रीय आय की तीव्र वृद्धि दर पूर्ण रोजगार को कायम करेगी और रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठायेगी। परन्तु विकास के साथ–साथ निर्धनता में कोई विशेष कमी नहीं आयी हैं निर्धनता के प्रमुख कारण निम्न है–

7.5.1. **पिछड़ी कृषि अवस्था–** उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी कुल कार्यकारी जनसंख्या का दो तिहाई कृषि कार्यों से सम्बद्ध है। इसके पिछडने का मूल कारण यह है कि राज्य के कृषक आज भी कृषि के पुराने तरीकों द्वारा ही कृषि कार्य करते है, उनके कृषि उपकरण भी परम्परागत ही हैं, साथ ही कृषि की सिंचाई भी पुराने साधनों से ही की जाती है।

7.5.2. **प्राकृतिक प्रकोप–** उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप बना रहता है। कभी राज्य को विकराल सूखे का समाना करना पड़ता है, कभी भूकम्प, तो कभी अतिवृष्टि उसकी फसल को समूल नष्ट कर देती है। कभी कीड़े–मकोड़े और प्रतिकूल जलवायु कृषक को अनाज के दान–दाने के लिए मोहताज कर देती है।

7.5.3. **बेरोजगारी–** नियोजन काल में बेरोजगारी और अर्द्ध–बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसी के साथ–साथ निर्धनता भी बढ़ती गयी है।

7.5.4. **असमानता–** अल्पविकास और असमानता, निर्धनता के दो जुड़वां कारण हैं। नियोजन काल में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण में वृद्धि के कारण निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात 39.6 प्रतिशत हो गया है।

7.5.5. **जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर–** नियोजन काल में मृत्युदर में तो गिरावट आयी है लेकिन जन्मदर में कोई बहुत अधिक गिरावट नहीं आई। परिणामस्वरूप 60 वर्षों में राज्य की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गयी है, जबकि गरीबी अनुपात में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। इसका मूल कारण यह है कि नियोजित विकास द्वारा राज्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है, उसमें से अधिकांश का उपभोग बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा कर लिया गया है और आर्थिक विकास के लिए बहुत थोड़े साधन शेष रह जाते है।

7.5.6. **अपर्याप्त विकास दर–** अपर्याप्त विकास दर के कारण राज्य में नियोजन निर्धनता को हटाने में विफल रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति और ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी कृषि विकास की औसत वार्षिक दर और औद्योगिक विकास की दर की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में भी बहुत कम वृद्धि हुई है।

7.5.7. **पूंजी की कमी–** उत्तराखण्ड राज्य में व्याप्त निर्धनता का एक कारण यहाँ पूंजी की कमी होना भी है। पूंजी की यह कमी राज्य के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। पूंजी की कमी के अनेक कारण है; जैसे– प्रति व्यक्ति न्यून आय, बचत की क्षमता का अभाव, अपर्याप्त बैंकिग सुविधाएं आदि। उत्तराखण्ड में पूंजी उपलब्धियां भी हुई हैं किन्तु उन उपलब्धियों को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

7.5.8. **अकुशल श्रमिक–** उत्तराखण्ड राज्य में अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। इससे राज्य का श्रमिक निर्धनता के कारण न तो सामान्य शिक्षा ही प्राप्त कर पाता है और न ही तकनीकी शिक्षा ही ले पाता है,

परिणामस्वरूप एक कुशल श्रमिक की तुलना में उसकी कार्यक्षमता अत्यधिक कम होती है। कार्यक्षमता की कमी का प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है, फलस्वरूप वे निर्धनता से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते।

7.5.9. यातायात एवं संचार साधनों का अभाव– देश की आजादी के 60 वर्षों के उपरान्त आज भी उत्तराखण्ड राज्य के बहुत से गांव, मुख्य नगरों एवं कस्बों से नहीं जुड़ पाए हैं। राज्य के अत्यधिक पिछड़े हुए गांवों का किसान आज भी अपनी उपज मंडियों एवं बाजारों में नहीं ले जा पाता। अतः उन्हें अपने माल की सही कीमत नहीं मिल पाती जिससे ऐसे किसनों में निर्धनता सदैव बनी रहती है। राज्य के बहुत से गांव आज भी यातायात–संचार के साधनों से पूरी तरह वंचित है।

7.5.10. निरक्षरता– भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निरक्षर है। ये निरक्षरता उनमें अज्ञान को जन्म देती है, अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति में तार्किक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण वह उचित–अनुचित का चयन करने में समर्थ नहीं होता, इसका परिणाम उन्हें अपने शोषण के रूप में भुगतना पड़ता है।

7.5.11. निम्न स्वास्थ्य– उत्तराखण्ड राज्य में आज भी चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। जनसंख्या के उस बड़े भाग को जो निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे का जीवनयापन कर रहा है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

7.5.12. सामाजिक कुप्रथाएं– उत्तराखण्ड राज्य में अनेक ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन है जो इस राज्य के निवासियों को निर्धन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक भारतीय विविध त्योंहारो, विवाह समारोह, मृत्यु–भोज एवं अन्य ऐसी ही प्रथाओं पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए धन का अपव्यय करता है। राज्य के अधिकांश लोग यह कार्य कर्ज लेकर करते है और कर्ज के भुगतान में ही उनका सम्पूर्ण जीवन और जायदाद समाप्त हो जाती है।

7.6. उत्तराखण्ड में गरीबी निवारक कार्यक्रम

गरीबी को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार ने भी अनेक गरीबी निवारक कार्यक्रम चलाये हुए है जिससे लोगो की आय का सृजन हो। इसमें से अधिकांश कार्यक्रम भौतिक सम्पदा के निर्माण जैसे– ग्रामीण आधारिक संरचना के अन्तर्गत सड़क, पीने का पानी की सुविधाओं, सीवरेज आदि से जुड़े है जबकि अन्य को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा व्यापार प्रारम्भ करने हेतु सहायता प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह भी लोगों के सतत् विकास हेतु प्रयत्नशील है। गरीबी निवारक कार्यक्रम निम्न है–

अस्थायी रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम– जवाहर रोजगार योजना (जे0आर0वाई0), जवाहर समृद्धि योजना, दस लाख कुआं योजना, रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले आनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन0आर0ई0पी0), भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एन0आर0ई0जी0पी0), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम (2005)।

सतत् रोजगार एवं आय सृजित कार्यक्रम– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयंसिद्धा प्रोजेक्ट, संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण वन प्रबन्धन कमेटी, सूक्ष्म वित्त एवं प्रबन्धन द्वारा लाभार्थी का व्यापक आर्थिक सुधार।

जीविका की लागत कम करने वाले कार्यक्रम – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वजल धारा (ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की सुनिश्चितता करना), इन्दिरा आवास योजना।

इनमें से मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्न है–

7.6.1. जवाहर रोजगार योजना– एन0आर0ई0पी0 तथा एन0आर0ई0जी0पी0 को मिलाकर 1989 में जे0आर0वाई0 प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार महिलाओं एवं पुरूषों को ग्रामीण आधारिक संरचना के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण निर्धनों के अनुपात में ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को संसाधनों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रमुखता दी गयी है। जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम का लाभ वर्ष में कभी भी, जब कृषि कार्य न हो रहा हो, लिया जण्येक परिवार को एक निश्चित अवधि में (3 वर्ष की अवधि) में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत को इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

योजना में दी जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में विभाजित करेंगी। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं– प्रत्येक विकास खण्ड पर चार या पाँच मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है जो स्थानीय संसाधनों, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनुरूप हों, ताकि स्वरोजगारी अपने विनियोग से लाभकारी आय प्राप्त कर सकें। ऐसी मुख्य गतिविधियों द्वारा गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। एक स्व–सहायता समूह में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 10–20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिचाई योजनाओं, दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी इलाकों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों) में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। इस स्वय–सहायता समूह में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई है।

यह योजना एक ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण एक प्रमुख तथ्य है, जबकि सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रूपये होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत या 10,000 रूपये होगी। स्वयं सहायता समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रूपये होगी। सिंचाई परियोजनओं के लए सब्सिडी कार्योत्तर है।

7.6.3. रोजगार आश्वासन योजना–रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अन्ततः 1997–98 में इसे सार्वभौमिक कर देश की सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया। सभी विकास खण्डों में चलाई जा रही इस योजना का 1 अप्रैल 1999 से पुनर्गठन किया गया है। अब यह देशभर में जिला/विकास खण्ड स्तर पर चलाए जाने वाला मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें मजदूरों के पलायन से ग्रस्त इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमन्द प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का दूसरा गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिए आर्थिक अधोसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस योजना का व्यय 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

7.6.4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम–2005– नरेगा के नाम से प्रसिद्ध यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह मात्र एक योजना नहीं, बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुलशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। (प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है) राज्यों में कृषि श्रमिक के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो 100 रूपये से कम नहीं होगी। योजना के तहत् 33 प्रतिशत लाभ भोगी महिलाएं होंगी। रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान है।

7.6.5. महात्माँ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना– मनरेगा के नाम से जानी जाने वाली यह योजना राज्य में 2 मार्च, 2006 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शारीरिक श्रम रोजगार करने के इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के आधार पर 100 दिन का गारण्टी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना प्रथम चरण में राज्य के तीन जनपदों टिहरी, चमोली एवं चम्पावत में संचालित की गयी है। द्वितीय चरण में दो जनपद हरिद्वार और उधमसिंहनगर सम्मिलित किये गये तथा तृतीय चरण में दिनांक 01.04.2008 से राज्य के अन्य आठ जनपदों में योजना संचालित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राप्त रु 30583.30 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 10 तक रु 24321.23 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत 182.39 लाख मानव दिवस सृजित कर श्रमिक परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराया गया।

7.6.6. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये बी0पी0एल0 योजना–यह योजना सफेद रंग के राशन कार्डधारी 9000/– या उससे कम वार्षिक आय वर्ग के परिवारों हेतु लागू है। इस योजना में रू0 4.65 प्रति किलो ग्राम की दर से 10.250 किलो गेहूँ एंव रू0 6.15 प्रति किलो की दर से 24.750 किग्रा0 चावल तथा हरिद्वार में 19.800 किलो गेहूँ एवं 15.200 किग्रा0

चावल कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में इस योजना के कार्ड धरकों की संख्या 307074 है।

7.6.7. निर्धनतम परिवारों हेतु अन्त्योदय अन्न योजना– इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के निर्धनतम लक्षित 190926 परिवारों का चयन किया गया है। जिन्हें गुलाबी रंग के राशन कार्ड जारी किये गये है। इन परिवारों को 2.00 रू0 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 10.750 किग्रा0 गेंहूँ एवं 3.00 रू0 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 24.250 किग्रा0 चावल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में शासन से आवंटित मात्रा के सापेक्ष वर्ष 2009–2010 में 19274.918 मी0टन गेहूँ एंव चावल 44563.531 मी0टन का उठान उपभोक्ताओं में वितरण हेतु किया गया।

7.6.8. उत्तराखण्ड़ ग्रामीण स्वरोजगार मिशन– उत्तराखण्ड़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान कराने हेतु वर्ष 2006–07 में ''उत्तराखण्ड़ ग्रामीण स्वरोजगार मिशन'' नामक अत्यन्त महत्तवाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी हैं। राज्य में वर्ष 2009–10 के दौरान उत्तराखण्ड़ ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के अन्तर्गत 211 समूहों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषित कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2009–10 में शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त नहीं हुई गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु 480.41 लाख के सापेक्ष रु 263.08 लाख व्यय किया गया।

7.6.9. उत्तराखण्ड़ सार्वभौम रोजगार योजना– उत्तराखण्ड़ सार्वभौम रोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से राज्य में प्रारम्भ की गयी है। योजना शतप्रतिशत राज्य सेक्टर से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के इच्छुक नव युवक/नवयुवतियों को शासकीय सहायता एवं बैंकों द्वारा वित्तपोशित कराकर विभिन्न क्रियाकलापों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सेक्टर से आवंटित रु 129.87 लाख के सापेक्ष रु0 129.87 लाख व्यय कर विभिन्न क्रियाकलापों के अन्तर्गत 27 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।

7.7. रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन

केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार भी गरीबी को कम करने में प्रयासरत है। उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार जिलों में किये गये अध्ययन कुछ कमियां बताते है–

1. कुछ विशेष कार्यों को सभी गांवो में लागू किया गया।
2. गरीबी को कम करने में ये कार्यक्रम कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते है।
3. इन कार्यक्रमों के फंड का दोषपूर्ण उपयोग।
4. पारदर्शिता का अभाव।

7.8. बेरोजगारी

बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परन्तु उसे काम नहीं मिलता है।

बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो–

1. कार्य करने के योग्य हो।
2. कार्य करने के इच्छुक हो।
3. वर्तमान मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो।

'' बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं कार्य करने में सक्षम होने पर भी प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता।''

उन व्यक्तियों को जो कार्य करने के योग्य नहीं है, जैसे– बीमार बूढ़े, बच्चें, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो लोग कार्य करना ही पसन्द नहीं करते है, उनकी गणना भी बेरोजगारी में नहीं की जाती है।

प्रो0 पीगू के अनुसार– ''एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जायेगा जब उसके पास रोजगार का केई साधन नहीं है परन्तु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है।''

भारत एक विकासशील देश है। इस कारण यहॉ बेरोजगारी का स्वरूप उन्नत देशों से काफी भिन्नता लिये हुए है। लार्ड कीन्स के विश्लेषण के अनुसार– विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण प्रभावपूर्ण मांग का कम होना है जिससे अस्थायी व चक्रीय प्रकृति की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके विपरीत भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, पूंजी या अन्य अनुपूरक साधनों के अभाव का परिणाम है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ–साथ श्रमशक्ति में भी वृद्धि होती है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है।

7.9. बेरोजगारी की प्रकृति

बेरोजगारी का अध्ययन निम्न शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी।
2. नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी।

7.9.1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी– बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी को कृषि बेरोजगारी भी कहते है। यह निम्न दो प्रकार की होती है।

7.9.1.1. मौसमी बेरोजगारी– उत्तराखण्ड में लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अधिकतर एक मौसमी उद्योग है। मौसमी बेरोजगारी के अन्तर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते है और तब तक खाली रहते है, जब तक कि दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो जाता है। भारत में सिचाई व पूंजी के अभाव के कारण कृषि सहायक व अन्य कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है।

मौसमी बेरोजगारी के सम्बन्ध में अलग–अलग अनुमान लगाये गये है। रॉयल कमीशन (शाही आयोग) के अनुसार– कृषक वर्ष भर में कम से कम 4–5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते है। डॉ0 राधाकमल मुकर्जी के अनुसार– उत्तर प्रदेश के सघन कृषि क्षेत्रों में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही कार्य मिलता है। उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में तो कार्यदिवस अनुपात और घट जाता है।

7.9.1.2. छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी– अदृश्य बेरोजगारी से तात्पर्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किन्तु उत्पादन में योगदान नहीं के बराबर होता है। तकनीकी अर्थ में अदृश्य बेरोजगार वे व्यक्ति है जिनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।

उदाहरण– 12 श्रमिक मिलकर उत्पादन करते है = 100 किलोग्राम
10 श्रमिक मिलकर उत्पादन करते है = 100 किलोग्राम
02 श्रमिक ऐसे है जिनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है, वह अदृश्य बेरोजगार है।

भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होने के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए है, उनकी सीमान्त उत्पादकता बहुत ही कम या शून्य होती है। कृषि में संलग्न इन अतिरिक्त व्यक्तियों को यदि कृषि से हटा दिया जायें और अन्य व्यवसायों में लगा दिया जाये तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी और दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

7.9.2. नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी– नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है।

7.9.2.1. औद्योगिक बेरोजगारी– देश में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है। यह पलायन उन क्षेत्रों की ओर अधिक होता है जहाँ औद्योगिक केन्द्र अधिक होते है। इसके अतिरिक्त, कम काम–काज वाले मौसम में अनेक कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश में औद्योगिक केन्द्रों में आते है। इस तरह उद्योगों में काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ती जाती है किन्तु औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण रोजगार के इच्छुक श्रमिक उद्योगों में पूरी तरह खप नहीं पा रहे है। इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। उत्तराखण्ड में हरिद्वार तथा ऊधमसिहं नगर में औद्योगिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण है।

7.9.2.2. शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी– शिक्षा क्षेत्र में संख्या विस्फोट अर्थात् बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते है परन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। माध्यमिक या उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त यह वर्ग सफेद

कॉलर रोजगार पसन्द करता है। यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देश के समक्ष गम्भीर रूप से उपस्थित है।

7.10. उत्तराखण्ड में बेरोजगारी

मार्च 2007 में उत्तराखण्ड के 23 रोजगार कार्यालायों में 4.68 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। 2001 की जनगणनानुसार उत्तराखण्ड में 31.34 लाख श्रमिक शक्ति थी। इनमें से 24.99 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.35 लाख शहरी क्षेत्र में थे।

मुख्य सीमान्त एवं गैर–सीमान्त श्रम (लाख में)

	कुल	सीमान्त	गैर–सीमान्त	ग्रामीण			शहरी		
				सीमान्त	गैर–सीमान्त	कुल	सीमान्त	गैर–सीमान्त	कुल
कृषक	15.70	5.02	10.68	5.0	10.56	15.56	.02	.12	.14
कृषि श्रमिक	2.60	1.17	1.43	1.12	1.33	2.45	.05	.10	.15
घरेलू औद्योगिक श्रमिक	.72	.23	.49	.19	.37	.56	.04	.12	.16
अन्य श्रमिक	12.32	1.69	10.63	1.21	5.20	6.41	.48	5.43	5.91
योग	31.34	8.12	23.22	7.53	17.46	24.99	.58	5.77	6.35

स्रोतः योजना आयोग एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

सीमान्त श्रमिक जिसे 6 महीने में (180 दिन) से कम दिन काम मिलता है तथा जिन श्रमिकों को 180 दिन से अधिक काम मिलता है उसे गैर सीमान्त श्रमिक माना जाता है।

उपर्युक्त तालिका द्वारा उत्तराखण्ड के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है।

1. लगभग 50 प्रतिशत श्रमशक्ति (सीमान्त एवं गैर–सीमान्त) कृषक है।
2. लगभग 79 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से है।
3. कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान 57 प्रतिशत है।
4. सभी जिलों में गैर–सीमान्त श्रमिकों का अनुपात सीमान्त श्रमिकों से अधिक है।
5. कुल श्रम शक्ति में घरेलू औद्योगिक श्रम शक्ति का अनुपात काफी कम है।
6. सीमान्त श्रमिकों का लगभग 61 प्रतिशत अनुपात कृषक है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मे अनेक स्तरों पर स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के साथ अन्य प्रकारों से रोजगार के अवसर बढ़ानें की बात कही गयी है। कृषि क्षेत्र की अपनी सीमाएं है अतः उत्तराखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र द्वारा रोजगार के अवसरों के सृजन की अपार संम्भावनायें है।

योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 6.41 अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की आवश्यकता की बात कही। रोजगार के अवसरों को सृजित पर्यटन एवं बागवानी एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। स्वःसहायता समूह की भूमिका को बढ़ाकर स्वः रोजगार सृजन को बढ़ाया जा सकता है।

7.11 बेरोजगारी के कारण

उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामों में व्याप्त दीर्घस्थायी बेरोजगारी और अल्प–रोजगार की समस्या के लिए निम्न घटक उत्तरदायी है–

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि– जनांकिकीय दृष्टि से हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे है कि प्रगति और परिवर्तनों के बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से ठहरे हुए जान पड़ते है। नियोजन काल में राज्य की जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप श्रम–शक्ति कई गुना बढ़ गयी है। बढ़ती हुई श्रम–शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण बेराजगारी की मात्रा बढ़ती गई है।

दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली– उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित युवक नौकरी पाने की इच्छा रखते हुए भी शारीरिक श्रम वाले रोजगार से दूर भागते है। सरकार अभी तक शिक्षा प्रणाली को आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ढाल सकी है परिणामस्वरूप करोड़ों शिक्षित युवक और युवतियां रोजगार की तालाष में घूमते–फिर रहे है।

कुटीर उद्योगों का पतन– श्रम गहन होने के कारण इन उद्योगों का रोजगार की दृष्टि से विशेष महत्व है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत पूंजी गहन बड़े उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिये जाने के कारण कुटीर और लघु उद्योगों का वांछनीय विकास नहीं हो पाया है। फलतः राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या निरन्तर गम्भीर होती चली गई है।

कृषि क्षेत्र की उपेक्षा– निर्धनता के उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थायित्व तथा घरेलू बाजार के विस्तार की दृष्टि से कृषि के महत्व को जानते हुए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बार–बार स्वीकार करते हुए भी नियोजन काल में कृषि क्षेत्र को कुल निवेश योग्य साधनों में से उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। फलतः उत्तराखण्ड के गांवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति के पलायन की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या गहन होती चली गई।

उत्पादन साधनों का असमान वितरण– उत्तराखण्ड राज्य में भूमि और पूंजी जैसे उत्पादन साधनों का अत्यधिक असमान वितरण, आर्थिक विषमता और बेरोजगारी की समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरादायी है। 20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या खेतिहर श्रमिकों के रूप में निर्धनता, शोषण, कुपोषण और अल्प रोजगार से ग्रस्त है। उत्तराखण्ड में 70 प्रतिशत किसानों की जोतें अनार्थिक आकार (एक हेक्टेयर से कम) की हैं जिन्हें सम्पूर्ण वर्ष में 5–6 महीने निष्क्रिय रहना पड़ता है। दूसरी ओर बहुत थोड़ी पूंजी वाले इस राज्य में उपलब्ध पूंजी गिने–चुने हाथों में केन्द्रित है। साधन सम्पन्न व्यक्तियों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न व्यवसायों में श्रम की बचत करने वाल गहन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

अविकसित सामाजिक दशाएं– देश की दोषपूर्ण सामाजिक संस्थाएं (जाति–प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, छुआछूत, बाल–विवाह, परदा प्रथा आदि) बेरोजगारी की समस्या को उग्र बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुई है। जनसाधारण की निरक्षरता, अन्धविश्वास और भाग्यवादिता ने भी युवकों को निष्क्रिय बनाये रखने में सहयोग दिया है। श्रम शक्ति का असन्तुलित व्यावसायिक वितरण, व्यावसायिक शिक्षण एवं शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, श्रम शक्ति में गतिशीलता का अभाव आदि कारणों ने भी बेरोजगारी और बेरोजगार की समस्या को गम्भीर बना दिया है।

तकनीकी शिक्षा का अभाव– आज अधिकांश शिक्षा ऐसी दी जाती है कि केवल सैद्धान्तिक ज्ञान तक ही सीमित है और जिसका जीवन में अधिक उपयोग नहीं है। बी0ए0, एम0ए0 करने के बाद भी लड़को को यह भी पता नहीं हो पता है कि अब उसे क्या करना है। तकनीकी शिक्षा के पूर्ण अभाव के कारण वह अपना कोई छोटा–मोटा व्यवसाय भी नहीं कर सकता।

पूंजी निर्माण की धीमी गति– बेरोजगारी में वृद्धि होने के कारण प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम होती जा रही है, परिणामस्वरूप बचत एवं विनियोग की दर में भी कमी हो रही है। इससे पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी हो गयी है जिसका प्रभाव उद्योग, व्यापार एवं अन्य सेवाओं पर पड़ रहा है और उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस चक्र के प्रभाव से बेरोजगारी की संख्या में और अधिक वृद्धि हो रही है।

स्वरोजगार के प्रति उपेक्षा– उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने के मूल में यह कारण निहित है कि प्रत्येक युवा अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाता है। उसमें स्वयं का व्यवसाय करने की भावना का अभाव रहता है, परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

7.12 बेरोजगारी दूर करने के सुझाव

तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के प्रति अर्थशास्त्री, राजनेता, चिन्तक और विद्वान सभी चिन्तित है। बेरोजगारी की इस गम्भीर समस्या ने अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म दिया है जिनका समाधान खोज पाना अत्यधिक दुष्कर

हो गया है। यदि समय रहते सुरसा की भांति मुँह बाये खड़ी बेरोजगारी के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किये जा सके तो देश एवं समाज का विघटन अवश्यम्भावी है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव निम्नानुसार है–

तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण– बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के हल के लिए सर्वप्रथम राज्य में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की गति को नियन्त्रित किया जाना अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किये बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

छोटे उद्योग धन्धो का विकास– बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे–छोटे उद्योग धन्धों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक यह होगा कि सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को अत्यधिक सुविधाजनक शर्तों पर ऋण उपलब्ध करायें जायें और बेरोजगारों द्वारा स्थापित उद्योगों के उत्पादन की बिक्री की समुचित व्यवस्था की जाये।

कृषि से सम्बद्ध उद्योगों का विकास– उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता प्राप्त है किन्तु राज्य का कृषि व्यवसाय मात्र ऋतुपरक या मौसमी रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्ष के मात्र छः–सात माह के लिए कृषक और कृषि श्रमिक के पास रोजगार की व्यवस्था रहती है। शेष समय में कृषक और श्रमिक बेरोजगार रहते है, अतः इस खाली समय के उपयोग के लिए कृषि से सम्बद्ध सहायक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए; जैसे– दूध का व्यवसाय, मुर्गीपालन, पशुपालन आदि।

ग्रामों में रोजगार उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन– उत्तराखण्ड राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनायें भी बहुत अधिक है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार कराना चाहिए जो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायाक सिद्ध हो सकें। इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी अत्यधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली– उत्तराखण्ड राज्य की प्रचलित वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह सैद्धान्तिक है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता नहीं करती। अतः सरकार को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि युवक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्वयं का कोई व्यवसाय या रोजगार स्थापित करने में समर्थ व सक्षम हो सके।

उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग– उत्तराखण्ड राज्य में यद्यपि उद्योग तुलनात्मक रूप से कम लगे हुए है तथा उनका पूर्ण दोहन भी नहीं हो पा रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ उद्योगों की संख्या को ही न बढ़ाया जाये बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता का भी पूर्ण उपयोग होना चाहिए।

विनियोग ढ़ांचे में परिवर्तन– आधारिक संरचना को मजबूत बनाकर विनियोग को प्रेरित किया जा सकता है जिससे रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी तथा अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विस्तार भी होगा।

तकनीकी को प्रोत्साहन– नई तकनीकी का इस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए जिससे रोजगार पर कोई विशेष फर्क न पड़ते हुए उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी हो।

जनशक्ति नियोजन– राज्य में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि जनशक्ति का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन होना चाहिए। जिससे जनशक्ति का गुणात्मक पक्ष मजबूत होगा और इसके लिए भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा संगठनात्मक पहलुओं स्वस्थ आधारों पर विकसित किया जाये। जनशक्ति का व्यवसाय वितरण, व्यवसायिक ढ़ाचा, रोजगार की सम्भावनाओं की स्थिति तथा जन–वृद्धि में होने वाले परिवर्तन आदि के बारे में विस्तृत एंव पूर्ण सूचनायें एकत्रित की जाये।

अन्य सुझाव– भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय श्रम ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु अनेक सुझाव दिये है; जैसे– देश में रोजगार के लिए एक राष्ट्रीय नीति सुनिश्चित की जाये, अखिल भारतीय स्तर पर मानव शक्ति सेवा का गठन किया जाये, शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किये जाये और उसे रोजगारोन्मुख बनाया जाये, औद्योगिक सेवाओं को सुदृढ़ता प्रदान की जाये तथा देश के प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाये।

उत्पादक गतिविधियों की पुर्नसंरचना द्वारा उत्पादन में वृद्धि लाकर सरकार द्वारा रोजगार सृजन की प्रक्रिया तो जारी है ही, किन्तु साथ ही सरकार प्रत्यक्ष रूप से युवाओं एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला रही है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी रोजगार सृजन कायक्रमों का विवरण निर्धनता के अन्तर्गत उल्लेख किया जा चुका है।

7.13 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखण्ड की आर्थिक समस्याओं में सर्वाधिक प्रमुख समस्या निर्धनता एवं बेरोजगारी है यद्यपि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर पैदा करने तथा युवाओं की आय में सकारात्मक वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। तथापि इन समस्यओं को दूर करने के लिए सरकार को अभी और गम्भीरता से अपने प्रयासों को लागू करना होगा।

7.14 शब्दावली

बी0पी0एल0– गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो को कहते है।

प्रच्छन्न बरोजगारी अथवा अदृष्य बेरोजगारी– यह इस प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति स्पश्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होते, वे काम पर तो लगे हुए होते हैं, किन्तु उस काम में उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे लोगों को यदि काम से हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है।

$$\text{बेरोजगरी की दर} = \frac{\text{बेरोजगारों की संख्या}}{\text{कुल श्रम शक्ति}} \times 100$$

7.15 अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर

1. उत्तराखण्ड में .... प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते है।
2. गरीबी रेखा की पुर्न परिभाषा हेतु .... की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।
3. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 जनवरी ....से प्रारम्भ हुई थी।
4. वह व्यक्ति जिसकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है उसे ....बेरोजगार कहते है।
5. निर्धनता रेखा मापने का कैलोरी मापदण्ड .... द्वारा दिया गया है।

लघु प्रश्न–

1. निरपेक्ष गरीबी किसे कहते है?
2. नरेगा तथा मनरेगा के पूरे नाम लिखिये।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम की प्रमुख दो विशेषता बताइए।
4. अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ बताइए।
5. मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पायी जाती है।

   1. 39.6 2. प्रो0 सुरेश तेन्दुलकर 3. 1996 4. अदृश्य बेरोजगार 5. योजना आयोग

7.16. सन्दर्भ–सूची

- शर्मा, टी0आर0 एवं वार्ष्णेय, जे0सी0, विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगरा।
- मामोरिया, चतुर्भुज, भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन, आगरा।
- झिंगन, एम0एल0, विकास अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन प्रा0लि0, नई दिल्ली।
- सिंह, एम0पी0, आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस0 चंद एण्ड कं0 लि0, नई दिल्ली।
- दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चंद एण्ड कं0 लि0, नई दिल्ली।

7.17. निबन्धात्मक प्रश्न

1. गरीबी का अर्थ अथवा धारणा को स्पष्ट करते हुए गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए।
2. गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में लिखिए।
3. बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या कीजिए तथा इसके निदान के उपाय बताइए।

इकाई 8: क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 क्षेत्रीय असमानता : अर्थ एवं स्वरूप

8.4. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति

8.5. क्षेत्रीय असमानता के कारण

8.6. क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय

8.7. जनजातीय विकासः अर्थ

8.8 उत्तराखण्ड में जनजातियां

8.9 उत्तरखण्ड में जिलावार जनजातियों की संख्या

8.10 उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

8.11 सारांश

8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

8.14 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह आठवीं इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते है कि उत्तराखण्ड में नियोजन किस प्रकार का है? नियोजन की उपलब्धियाँ क्या–क्या है?

उत्तराखण्ड की नियोजित व्यवस्था में विकास की दौड़ में कौन से क्षेत्र और वर्ग पिछड़ गये है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी है। प्रस्तुत इकाई में क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों और उसके उपयों का विश्लेषात्मक अध्ययन प्रस्तुत है तथा जनजातीय विकास के कार्यक्रमों की भी व्याख्या प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप क्षेत्रीय असमानताओं का सम्यक विश्लेषण कर सकेंगे तथा जनजातीय विकास के महत्व को समझा सकेंगे।

8.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- बता सकेंगे कि क्षेत्रीय असमानताएँ क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है।
- समझा सकेंगे कि क्षेत्रीय असमानआतों को किन रणनीतिक उपायों से कम किया जा सकता है।
- जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों को श्रेणीबद्ध कर सकेंगे।

8.3 क्षेत्रीय असमानताः अर्थ एवं स्वरूप

यदि किसी देश में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक विकसित राज्यों या प्रदेशों तथा आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों या राज्यों का सहअस्तित्व हो तो उस स्थिति को क्षेत्रीय असंतुलन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण–के लिए किसी प्रदेश में अधिक उद्योग होते है तो किसी प्रदेश में काफी कम। इसी प्रकार किसी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन अधिक होते है तो किसी प्रदेश में कम। इसी को हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन कहते है।

क्षेत्रीय असंतुलन अन्तर्राज्यीय भी हो सकता है अथवा राज्य के विभिन्न क्षेत्रो के मध्य असंतुलन हो सकता है। भारत जैसे संघीय राज्य में जहॉ अनेक जातियों के लोग निवास करते है, क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधि मात्रा में मौजूद है।

क्षेत्रीय अंसतुलन के मुख्यतः दो कारण है–

- प्राकृतिक कारण
- मानव निर्मित कारण

क्षेत्रीय असंतुलनत प्राकृतिक साधनों के असमान वितरण से हो सकता है अथवा जब संसाधनों और तकनीकी की सीमितता के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे निकल जाते है तो कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते है। जिससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न होने लगती है। इन क्षेत्रों पर ध्यान न दिया जायें तो आर्थिक असमानओं के साथ–साथ सामाजिक असमानताऐं भी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संतुलित प्रादेशिक विकास होता है। संतुलित प्रादेशिक विकास का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र या राज्य आत्मनिर्भर हो और न ही इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिकरण का स्तर समान हो या आर्थिक ढ़ाचा एक जैसा हो; बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक उद्योगो का पिछड़े प्रदेशों में दूर–दूर तक फैलाव करना है। अन्ततः लक्ष्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का जीवन–स्तर बढ़ा कर उन्नत क्षेत्रों के लोगों के जीवन–स्तर तक लाया जाये, चाहे ऐसा कृषि उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के माध्यम से किया जाये। शेष भारत की तरह उत्तराखण्ड में भी अनेक प्रकार की आर्थिक–सामाजिक असमानताएं पायी जाती है उसमें प्राकृतिक कारण मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे है। भौगोलिक असमानताओं के कारण भी उत्तराखण्ड पहाड़ी एवं मैदानी इलाको के रूप में विभाजित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों के मध्य असमानताएं स्पष्ट

रूप से देखी जा सकती है। तेरह जिलों में से चार जिलो– नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिहं नगर का अधिकांश भाग मैदानी है सामाजिक सूंचकाकों पर ये चार जिले अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित है। विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान अवसर तथा जीवन की गुणवत्ता स्तर भी असमान है। इन सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया जा सकता है। लम्बे समय से इन अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव एवं शोषणपूर्ण व्यवहार होता रहा है। जिसका प्रमुख कारण पहाड़ों में प्राप्त होने वाली जीवन की मूलभूत सुविधाएं कुछ वर्ग लोगो तक ही सिमट कर रह गयी है।।

8.3.1. क्षेत्रीय असंतुलन के सूचक– निम्न है।

- प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्यीय घरेलू उत्पाद के आधार पर।
- शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर के आधार पर।
- आधारिक रचना सम्बन्धी असमानताएं।
- मानवीय विकास सम्बन्धी असमानताएं।
- औद्योगिक असंतुलन के आधार पर असमानता।
- कृषि क्षेत्र में असुंलन के आधार पर असमानता।
- जनसंख्या का घनत्व एवं साक्षरता के अनुपात के आधार पर असमानता।

8.4. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति

हाल ही में योजना आयोग द्वारा अन्तर–जिला असमानता विषय पर अध्ययन किया है। जिसमें 24 सामाजिक संकेतको के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि तीन जिलों– देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिहं नगर में सापेक्षिक रूप से उच्च स्तर का विकास हुआ है, जबकि तीन जिलों– टिहरी गढ़वाल, चंपावत एवं चमोली में सापेक्षिक रूप से निम्न स्तर का विकास हुआ है।

अन्तर–राज्य असमानता के अन्तर्गत पहली तालिका में विद्युत सड़क एंव सिंचाई के विभिन्न आधारों पर आधारिक संरचना को लिया गया है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के बीच असमानताओं को स्पष्टतः देखा जा सकता है। यह असमानताएं पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की आय एवं जीवन निर्वाह के स्तरों को भी स्पष्ट करती है कि मैदानी क्षेत्र सापेक्षिक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक सम्पन्न एवं विकसित है।

तालिका–1: आधारिक संरचना के आधार पर जिलावार असमानता

क्र0सं0	जिला	परिवारों का प्रतिशत जिनके पास विद्युत सुविधा है	पक्की सड़क (किमी0 में) की ल0 प्रति 1000 किमी0 फुट	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई का प्रतिशत
1.	उत्तरकाशी	48.88	133.9	15.1
2.	चमोली	53.52	139.1	4.8
3.	टिहरी गढ़वाल	48.79	480.5	14.4
4.	पौड़ी गढ़वाल	56.72	649.5	10.1
5.	रूद्रप्रयाग	46.72	247.5	13.5
6.	पिथौरागढ़	51.55	96.0	10.5
7.	अल्मोड़ा	50.10	508.8	6.4
8.	बागेश्वर	43.43	283.8	17.0
9.	चम्पावत	40.77	329.4	8.7
10.	देहरादून	83.76	908.4	45.9
11.	हरिद्वार	60.55	748.7	84.6
12.	नैनीताल	67.65	943.0	61.5

13. ऊधमसिहं नगर	47.49	599.7	97.0
पहले आठ पर्वतीय जिलों का औसत	50.43	318.78	10.52
बाद के चार मैदानी जिलो का औसत	70.11	799.95	81.06
स्रोतः भारत की जनगणना एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड			

तालिका–2: सामाजिक संरचना के आधार पर जिलावार असमानता

क्र0सं0	जिला	परिवारों का प्रतिशत जिनके पास अहाते के अन्दर शौचालय सुविधा है	परिवारों का प्रतिषत जिनके पास अहाते के अन्दर पेयजल सुविधा है
1.	उत्तरकाशी	32.83	29.15
2.	चमोली	28.83	22.59
3.	टिहरी गढ़वाल	31.19	21.58
4.	पौड़ी गढ़वाल	31.77	25.36
5.	रूद्रप्रयाग	26.25	15.54
6.	पिथौरागढ़	29.33	25.66
7.	अल्मोड़ा	30.10	18.00
8.	बागेश्वर	24.18	13.32
9.	चम्पावत	28.96	26.92
10.	देहरादून	71.45	68.87
11.	हरिद्वार	55.52	67.14
12.	नैनीताल	60.46	51.73
13.	ऊधमसिहं नगर	53.37	75.96
पहले आठ पर्वतीय जिलों का औसत		29.88	22.24
बाद के चार मैदानी जिलो का औसत		60.34	67.18
स्रोतः भारत की जनगणना एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड			

जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की जीवन–निर्वाह गुणवत्ता की स्थिति काफी निम्न है। यह तालिका 2 से स्पष्ट है। जीवन की गुणवत्ता को जानने हेतु दो सूचक घर में शौचालय और पीने के पानी की सुविधा को लिया गया है।

8.5. क्षेत्रीय असमानता के कारण

आर्थिक सुधारों से पहले उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास की दर 3.5 प्रतिशत थी, जो 2000–01 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गयी। स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुँच गयी। विकास का सर्वाधिक लाभ मैदानी क्षेत्रों तक सिमट गया जबकि संरचनात्मक समस्याओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पीछे छूट गया वर्तमान में सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि सम्भावित विकास किस प्रकार से किया जाये कि पर्वतीय क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके।

8.5.1. इन क्षेत्रों के विकास की प्रमुख बाधा हिमालय की भौगोलिक स्थिति है। आयताकार उत्तराखण्ड की भू–गर्भीय संरचना और धरातलीय विन्यास में विविधता पायी जाती है। उच्च हिमालय का पर्वतीय भाग, जो 4800 से 6000 मीटर तक ऊँचा है, सदैव हिमाच्छादित रहता है। उत्तराखण्ड में वर्षा में विभिन्नता, प्राकृतिक वनस्पति

एवं जैव विविधता में भिन्नता के कारण क्षेत्रीय एवं मानवीय क्रिया–क्लापों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है।

8.5.2. यह भी एक विडम्बना ही है कि उत्तराखण्ड नदियों का जाल बिछा होने के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में पीने का पानी एवं सिंचाई एक समस्या है।

8.5.3 उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में जनसंख्या घनत्व पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक निम्नतम है। 80 प्रतिशत से भी अधिक ऐसे पर्वतीय गांव है जिनकी जनसंख्या 500 से भी कम है और पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 0.5 प्रतिशत से भी कम ऐस गांव है जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक है।

जनसंख्यानुसार वर्गीकृत आबाद ग्राम एवं नगर

जनसंख्या का वर्गीकरण	आबाद ग्रामों की संख्या (वन बस्तियों सहित)	नगरों की संख्या
1–200	7797	–
201–500	4902	1
501–1000	1878	2
1001–2000	752	4
2001–5000	350	11
5001–10000	82	28
10001–20000	–	16
20001–50000	–	16
50001–100000	–	5
100001 से अधिक	–	3
योग	15761	86

स्रोतः भारत की जनगणना 2001

8.5.4. पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में कम जनसंख्या का जो अधिक फैलाव है; के विकास हेतु न्यूनतम स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार आधारित संस्थाओं की कमी है। जिसके कारण इनके सामाजिक विकास की गति में भी कमी आयी है।

8.5.5. पर्वतीय क्षेत्र में बिखरी और छोटी बस्तियों के समक्ष विकास कार्यक्रमों एवं बाजार विकास की दृढ़ चुनौतियां है। गांव एवं कृषि क्षेत्र न केवल बिखरें है बल्कि सड़क और बाजार से भी दूर है।

8.5.6. सड़कों की कमी और यातायात सुविधाओं की कमी इस समस्या को अधिक गम्भीर बना देती है। वर्तमान समय में यातायात कठिन एवं महंगा है।

8.5.7. पर्वतीय क्षेत्र की संरचनात्मक समस्या वृहद उत्पादन, मशीनीकरण और आदान आधारित कृषि आदि के मार्ग में बाधा है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत जो नकद फसलें होती है, यातायात और लेन–देन की लागत अधिक होने के कारण छोटे किसानों के लिए लाभकारी नही रह जाती है। इन पिछड़े क्षेत्रों में नकद फसलों के लिए अधिक निवेष की आवश्यकता होती है।

8.5.8. वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन किसानों की सुरक्षा एवं विकास हेतु ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी बहुत बेहतर नही है। अधिकांश खेती योग्य भूमि का जीवन–निर्वाह योग्य कृषि में प्रयुक्त होती है। कृषि का अलाभकारी होना, रोजगार के अवसरों को न्यूनतम कर देता है। यहीं कारण है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों के युवा सैनिक, अर्द्धसैनिक बल तथा अन्य शहरों की ओर रोजगार हेतु पलायन हो रहा है। अपने परिवारों के पोषण हेतु मनीआर्डर भेजते है। जिसके कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को मनीआर्डर अर्थव्यवस्था भी कहते

है। पुरूषों के पलायन के परिणामस्वरूप इन पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात भी अधिक है।

8.6. क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय निम्न है

8.6.1 उत्तराखण्ड के ग्रामीण हिमालय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नियोजन की दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी जिससे इन क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम उन क्षेत्रों का विकास करना होगा जिनमें तुलनात्मक लाभ अधिक है। बागवानी तथा पर्यटन दो ऐसे क्षेत्र है जिसमें तुलनात्मक लाभ अधिक है।

8.6.2 आधारिक संरचना में सिंचाई, विद्युत, सड़क आदि का विकास इन पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जहाँ तक सड़कों का सम्बन्ध है, मौजूदा बुनियादी ढ़ांचा अत्यधिक अपर्याप्त है इसलिए इस क्षेत्र में दोनों छोटे और बड़े निवेश की गुंजाइश है। भौतिक आधारिक संरचना के अन्तर्गत सड़क और परिवहन व्यवस्था, विद्युत, सिंचाई, बाजार तंत्र और वित्तीय संस्थाओं का विकास सुदृढ़ता के साथ होना चाहिए। पहाड़ पर रेल से जाने की कल्पना को साकार रूप देने की दिशा में तीव्रता से प्रयास होने चाहिए। विभिन्न पर्वतों को आपस में जोड़ते हुए रोपवें बनाये जाने चाहिए जिससे किसानों की अपने खेतों, विभिन्न गांवो और मण्डियों तक पहुँच आसानी से हो जायेगी। परिवहन, ऊर्जा और तकनीकी संसाधनों का विकास पर्यावरण के हितों और हिमालय क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए आधारिक संरचना का विकास किया जाना चाहिए।

8.6.3 भारी वर्षा के कारण छोटी सिंचाई परियोजनाओं हेतु टैंक तथा जलाशय बनाये जाने चाहिए। हिमालय की नदियां एवं जलप्रपात जल विद्युत परियोजनाओं के असीमित अवसर प्रदान करते है।

8.6.4 बागवानी का विकास इन पर्वतीय क्षेत्रों हेतु खास उपयोगी है। इन क्षेत्रों की जलवायु फलों, फूलों और सब्जियों की उत्पादकता एवं उनकी विविधता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यहाँ तक कि यह पर्वतीय क्षेत्र बे–मौसम की सब्जियों के उत्पादन के अत्यन्त योग्य है, जिनकी मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक मांग होती है। दिल्ली और अन्य उत्तरी भारत के शहरों में फलों एवं सब्जियों की बढ़ती मांग का सापेक्षिक तुलनात्मक लाभ लिया जा सकता है। फलों एवं सब्जियों का विपणन, मण्डी तक पहुँच, कोल्ड स्टोरेज, संभावित लाभ वाले बाजारों की सूचना आदि जानकारियां किसानों को तीव्रता से मिलना चाहिए, जिससे प्रतिवर्ष होने वाले फलों और सब्जियों के नुकसान को बचाया जा सके। इसके लिए उत्तराखण्ड में कृषि एवं बागवानी से जुड़ी समस्त जानकारियों का सूचना तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

8.6.5 उत्तराखण्ड में पर्यटन का विकास आंशिक रूप से ही हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। पर्यटन की विभिन्न प्रकारों के रूप में विकसित किया जा सकता है।

1. पर्यटन क्षेत्रों पर अवकाश पर्यटन।
2. धार्मिक पर्यटन (जैसे– चारधाम यात्रा)।
3. साहसिक पर्यटन (स्कीइंग, ट्रेकिंग इत्यादि)।
4. प्रकृति एवं वन्यजीव पर्यटन (केन्या मॉडल की तरह)।

विभिन्न ट्रेवल एजेन्सियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर आयोजित करने हेतु छूट देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साक्षरता दर का अधिक होना भी इस क्षेत्र के विकास के लिए लाभकारी होगा।

8.6.6 उत्तराखण्ड में बैंक की जमा निकासी अनुपात 2004 में मात्र 0.23 (व्यापारिक बैंको में) था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 0.58 है इसलिए वित्तीय संस्थाओं का विस्तार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का खाता बैंक में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए समस्त वित्तीय लेन–देन बैंको के माध्यम से ही हो।

8.6.7 मानव विकास हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण अदिगम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

8.6.8 पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों तक कृषि तकनीकी की पहुँच हो जिससे वे कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, दुग्ध विकास तथा रेशम से सम्बन्धित उत्पादों के विपणन के अवसर प्राप्त हो सके तथा कृषि उत्पाद कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। उल्लेखनीय है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड देश में चौथे स्थान पर है। यद्यपि इस क्षेत्र में स्वःरोजगार हेतु स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति को उँचा उठाने में प्रयास

कर रहे है परन्तु इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि द्वारा बुनयादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है। ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी तथा औद्योगिक विकास को रीढ़ मानते हुए इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अधिक लाभदायक एवं रोजगारपरक बनाने का प्रयास जारी है। आवश्यकता है तो इस बात की, कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आपसी तालमेल व समन्वय होना चाहिए जिससे इन कार्यक्रमों का गुणात्मक लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।

दस वर्षीय राज्य उत्तराखण्ड विकास का एक पड़ाव पार कर चुका है परन्तु सन्तुलित विकास हेतु बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

8.6. जनजातीय विकासः अर्थ

उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार जनजातीय लोगो के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वागीण विकास हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों से पिछड़े तथा उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए कई प्रकार के संरक्षण प्रदत्त है। भारतीय संविधान के भाग–।।।3 में राज्य के नीति–निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत उनके संरक्षण के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए है। अनुच्छेद 38 में उल्लिखित है कि ''राज्य यथासम्भव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था गठित एंव विकसित करने का प्रयास करेगा, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं का रूप धारण करेगा''। अनुच्छेद 46 के अनुसार, ''राज्य देश के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से विकसित करेगा तथा सामाजिक अभाव एवं समस्त प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

8.7. उत्तराखण्ड में जनजातियां

राज्य की जनजातियों का गैर–जनजातियों के सम्पर्क में आने के बाद गैर–जनजाति संस्कृति का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे इन जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, परम्परा और रीति–रिवाज़ भी प्रभावित हुए हैं लेकिन सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समूह सामजिक–आर्थिक स्तर पर पिछड़ेपन के बावजूद आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुए है। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का विवरण निम्न है–

1. **बुक्सा जनजाति–** देहरादून के डोईवाला, सहसपुर तथा विकास नगर खण्डों, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास खण्ड, ऊधमसिहं नगर के बाजपुर, काशीपुर, रामनगर तथा गदरपुर विकास खण्डों में निवास करती है। नैनीताल के जिले के विभिन्न विकास खण्डों मे इनकी संख्या सर्वाधिक है।

2. **थारू जनजाति–** यह जनजाति नैनीताल से लेकर टनकपुर तक फैली है।

3. भोटिया जनजाति– इस जनजाति को अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग नामों से जाना जाता है। यह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपदों में रहते है।

4. **जाड़–** उत्तरकाशी जिलें में भगीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली भोटिया जनजाति को ही जाड़ कहा जाता है।

5. **खस जनजाति–** इस जनजाति का नामकरण खस नामक पहाड़ से हुआ है। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते है।

6. **राजी जनजाति–** इस जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति पिथौरागढ़ जिले के धारचूला एवं डिडीहाट विकास खण्डों एवं चंपावत जिले में रहते है। उत्तराखण्ड में इस जनजाति के मात्र 164 परिवार है।

7. **जौनसारी जनजाति–** यह जनजाति गढ़वाल की एक प्रमुख जनजाति है। यह मुख्य रूप से भाबर क्षेत्र (देहरादून का चकराता एवं कालसी ब्लॉक) में रहते है। उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भी निवास करते है।

उल्लेखनीय है कि बुक्सा एवं राजी जनजातियों सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में रखा गया है।

8.8. उत्तराखण्ड में जिलावार जनजातियों की संख्या

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मिजोरम है जबकि उत्तराखण्ड देश में 25वें स्थान पर है। राज्य विधानसभा में इनके लिए तीन क्षेत्र (चकराता, खटीमा एवं धारचूला) आरक्षित है। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 63.2 प्रतिशत है।

जिलावार अनुसूचित जनजाति की स्थिति

जिला	पुरूष	महिलाएँ	योग	प्रतिशत	ग्रामीण	नगरीय
उत्तरकाशी	1,414	1,271	2,685	0.91	2,449	236
चमोली	5,083	5,401	10,484	2.83	7,730	2,754
रूद्रप्रयाग	106	80	186	0.08	157	29
टिहरी गढ़वाल	517	174	691	0.11	273	418
देहरादून	51,922	47,407	99,329	7.78	94,910	4,419
गढ़वाल	888	706	1,594	0.23	1,348	246
पिथौरागढ़	9,422	9,857	19,279	4.17	14,934	4,345
बागेश्वर	899	1,044	1,943	0.78	1,619	324
अल्मोड़ा	461	417	878	0.14	488	390
चम्पावत	385	355	740	0.33	573	167
नैनीताल	2,568	2,393	4,961	0.65	3,962	999
ऊधमसिहं नगर	55,941	54,280	1,10,220	8.92	1,08,808	1,412
हरिद्वार	1,728	1,411	3,139	0.22	2,958	181

स्रोतः जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि सवार्धिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ऊधमसिहं नगर तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रूद्रप्रयाग है।

8.9. उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

आर्थिक विकास का प्रथम एवं अन्तिम उद्देश्य सर्वागीण कल्याण है। व्यक्ति का कल्याण, परिवार का कल्याण, समुदाय का कल्याण और सम्पूर्ण समाज का कल्याण, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। उत्तरखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विपन्नता को दूर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनजातियों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे है। कुछ कार्यक्रमों का वित्त पोषण जिला योजना द्वारा भी किया जाता है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को दिये गये विभिन्न संरक्षणों के कार्यान्वयन का अवलोकन करता है। वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम का गठन किया गया। यह निगम अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगो एवं सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार एवं आय सृजन के अवसर

प्रदान करता है। आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता है। मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया जायेगा–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में व्यय (करोड़ में)

राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र	1745.00
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	110.00
जिला योजना	400.00
कुल	2255.00
जनजातीय उप योजना	120.00
अनुसूचित जनजाति उप योजना	220.00
कुल	340.00
महायोग	2595.00

स्रोतः योजना आयोग

8.10. सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वागीण विकास के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिनमें केन्द्र सरकार की मदद भी शामिल है।

8.10.1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2007 में विहित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु गाठित समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों को वृहत प्रशिक्षण तथा अधिनियम/नियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु व्यय की गई है। वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रू0 120.00 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें स रू0 109.64 लाख की धनराशि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी जनपद देहरादून में बालक छात्रावास के भवन निर्माण तथा कक्षा–6 के संचालन हेतु रू0 10.36 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रू0 733.00 लाख की धनराशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.2. अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखने, जिसमें व्यवसायिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है, के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 46161 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किए जाने किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.3. अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक व तकनीकी विकास हेतु 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 04 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें बालिकाओं हेतु 4 हाईस्कूल स्तर तक, 1 जूनियर हाईस्कूल तथा 1 प्राइमरी स्तर तक है. इसी प्रकार बालकों हेतु 8 हाईस्कूल स्तर तक तथा 1 जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा 1 प्राईमरी स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा एवं गूलरभोज तथा जनपद देहरादून के चकराता में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें मुख्यतः हिन्दी आशुलिपि, फिटर, कोपा (कम्प्यूटर) व्यवसाय, कंटिग एवं टैलरिंग का व्यवसाय, वेल्डर, इलैक्ट्रीशियन तथा मोटर मैकेनिक के व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन संस्थाओं में निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, औषधि आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए काशीपुर एवं खटीमा (ऊधम सिंह नगर), धारचूला (पिथौरागढ़) तथा गोपेश्वर (चमोली) में छात्रावास संचालित किए जा रहे है। प्रत्येक छात्रावास में 50 छात्रों की क्षमता है, जिसमें छात्रों हेतु निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था है। वर्ष 2008–09 में उक्त योजनाओं में 887.63 लाख की धनराशि व्यय की गई

है, वर्ष 2009–10 में उक्त योजनाओं में 1026.41 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 7837.83 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.4. इसके अतिरिक्त ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते है और प्राईमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते है एवं ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के हेतु वाचनालयों/पुस्तकालायों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते है, उन्हे भी अनुदान दिया जाता है। अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो। वर्ष 2008–09 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 141.14 लाख तथा वर्ष 2009–10 में रू0 156.05 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रू0 437.75 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.5. जनजाति विकास की उपयोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु न सिर्फ विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा बल्कि अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में नये माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हो चुके है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 11 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे है। 2010–11 में इस उपयोजना हेतु 248 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है। जनजाति की उपयोजनाओं के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय, आई0टी0आई0 की आधारिक संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके है।

8.10.6. अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीड़िएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ''गौरा देवी'' कन्याधन के रूप में 25,000.00 की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2008–09 में गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत 180.25 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 721 बालिकाओं को लाभाविन्त किया गया है, वर्ष 2009–10 में गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत 198.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 792 बालिकाओं को लाभाविन्त किया गया है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 4800 बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में 1200.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.7. जनजातीय उप योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) 100 प्रतिशत अनुदान है जिसमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अभिमुखी आय–सृजन योजनाओं के लिए अनेक विकासात्मक योजनाऐं शुरू करने, के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना राज्य स्तर पर उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि., देहरादून द्वारा संचालित की जा रह रही है। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्षो में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित न किए जाने के कारण वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई । वर्ष 2009–10 में 108.135 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई जिसके सापेक्ष जनपद ऊधम सिंह नगर में पशुपालन संर्वधन योजनान्तर्गत 34.94 लाख की धनराशि व्यय की गई हैं, वर्ष 2010–11 हेतु 150.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 750.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.8. महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे का सृजन, समुदाय आधारित कार्यकलापों के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, आदिम जनजाति वर्गो (पी.टी.जी.) यथा बुक्सा एवं राजी के सर्वागीण विकास हेतु विशेष योजना के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में भारत रकार से कोई धनराशि प्राप्त नही हुई हैं वर्ष 2009–10 में उक्त योजनान्तर्गत 100.14 लाख की धनराशि भारत सरकार से बुक्सा एवं राजी आदिम जनजाति के आवास निर्माण हेतु प्राप्त हुआ थी जिसके सापेक्ष 7.70 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय की जानी प्रस्तावित है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 999.41 लाख की धनराषि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.9. प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। उनकी आर्थिक दशा सुधाराने के उद्देश्य से कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान प्रदान किये जाते है। गरीबी निवारण एवं आर्थिक रूप से ऊँचा उठाने के हेतु अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार हेतु बैंक एवं सहाकरी समितियों द्वारा विशेष अनुदान सहित ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। 2010–11 की वार्षिक योजना में 10 लाख रूपये प्रस्तावित है।

8.10.10. जनजाति विकास की उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के वह किसान जो जैव ऊर्वरक, जैव कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषण तत्वों और उपकरणों को खरीद पाने में सक्षम नहीं है, पादप संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

उन्हें 90 प्रतिशत (65 प्रतिशत राज्य आयोग एवं 25 प्रतिशत मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम द्वारा) अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना 2005–06 से लागू है।

8.10.11. राज्य में तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसके अन्तर्गत परम्परागत कृषि में किस प्रकार सुधार किया जाये। फसल उत्पादन तकनीकी क्या–क्या है? तथा नयी फसल प्रौद्योगिकी से किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है। राज्य में यह कार्यक्रम 2005–06 से जनजाति विकास की उपयोजना के तहत लागू है।

8.10.12. जनजाति विकास की उपयोजना के अन्तर्गत ही भूमि संरक्षण, सिचाई आदि के तहत जनजातीय किसानों की मदद की जा रही है। 2010–11 की वार्षिक योजना के तहत जनजाति विकास की उपयोजना में 198.05 लाख रूपये व्यय का प्रावधान है।

8.10.13. अनुसूचित जनजाति के कलाकारों एवं दस्तकारों के लिए शिल्पी ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत परम्परागत दस्तकारी को प्रशिक्षण एवं विपणन के द्वारा बाजार से जोड़ा जा सके। उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प को विपणन एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से राज्य के विभिन्न जनपदों तथा विभिन्न राज्यों में पारम्परिक मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

8.10.14. अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्री की शादी हेतु रू0 10000.00 तथा बीमारी हेतु सहायता प्रदान करने हेतु रू0 2000.00 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2008–09 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 17.44 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 181 लाभार्थियों को लाभाविन्त किया गया, वर्ष 2009–10 में रू0 14.'12 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 171 लाभार्थियों को लाभाविन्त किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 3114 लाभार्थियों बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में रू0 1200.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

8.10.15. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिल्ली एवं देहरादून में निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।

8.10.16. अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2008–09 से अटल अवास योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जनजाति के परिवार पात्र होगें जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 32000.00 अथवा इससे कम होगी (इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) अथवा अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होगे। पर्वतीय क्षेत्रों में आवास की लागत रू0 38500.00 तथा मैदानी क्षेत्रों में रू0 35000.00 निर्धारित की गई है। वर्ष 2008–2009 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 32.40 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा वर्ष 2009–10 में 112.30 लाख की धनराशि व्यय की गई है। 2010–11 की वार्षिक योजना में 100 लाख रूपये प्रस्तावित है।

8.10.17. संस्कृत कला केन्द्र, हल्द्वानी, अनुसूचित जनजातियों की कला और संस्कृति को रखने हंतु प्रयत्नशील है। इनके मेलो एवं वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा वार्षिक योजना में मदद भी दी जाती है।

8.10.18. सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जनजाति के लोग विभिन्न उच्च पदों पर आसीन है। जौनसारी जनजाति सहित अन्य जनजातियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्तर ऊँचा उठा है, परन्तु यह विकास कुछ सीमित लोगो तक ही सीमित है। राजि एवं बुक्सा जनजातियों इक्कीसवीं सदी में भी विकास से कोसो दूर है। अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं को अधिक संवेदनशीलता एवं गम्भीरता से लागू करना होगा जिससे विकास का लाभ सीमांत व्यक्ति तक पहुँच सके।

8.11. सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके है कि उत्तराखण्ड के असंतुलित विकास के कारण पर्वतीय क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ चुके है। इससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों की पहचान की जा चुकी है जिससे उत्तराखण्ड सरकार असंतुलित विकास से संतुलित विकास के मार्ग की ओर बढ़ी है। इसी क्रम में समाज के सबसे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे है जिससे इन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस इकाई के अध्ययन से आप क्षेत्रीय असमानताओं एवं जनजातीय विकास के संदर्भ में अपने मत को अभिव्यक्त कर सकेगें।

8.12. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौन–कौन सी है?
2. उत्तराखण्ड की आदिम जनजातियों के नाम लिखिये?
3. देहरादून, पिथौरागढ़ और ऊधमसिहं नगर जनपदों में कौन–कौन सी जनजातियां निवास करती है?
4. जनजातियों की संख्या दृष्टिकोण से सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजातियों वाले जिले कौन–कौन से है?

8.13. सन्दर्भ सूची

- उत्तराखण्ड विकास रिपोर्ट, 2010, योजना आयोग, भारत सरकार।
- राज्य सरकार की वार्षिक योजना 2010–11
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा, भाग–1
- मेहता, जी0एस0, डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्डः इश्यूज़ एन्ड प्रेसपेक्टिवस (1999), ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।

8.14. निबन्धात्मक प्रश्न

1. क्षेत्रीय असमानता क्यों उत्पन्न होती है? इन असमानताओं को दूर करने के उपाय उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में समझाइएं?
2. उत्तराखण्ड की जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की विवेचना किजिए?
3. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौन–कौन सी है? उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को समझाइए?

इकाई 9 : उत्तराखण्ड के कृषि आगत, उत्पादन और कृषि उत्पादकता की प्रवृतियाँ

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग

9.4 उत्तराखण्ड की कृषि विशेषताएं

9.5 कृषि उत्पादन और खाद्य उपलब्धता

9.6 उत्तराखण्ड में कृषि विकास उत्पादकता वृद्धि में गत्यावरोध

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.11 निबन्धात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह नवीं इकाई हैं, इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

इस इकाई में आप उत्तराखण्ड के कृषि आगत, उत्पादन और कृषि उत्पादकता की प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होगें।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान जायेगें कि उत्तराखण्ड में कृषि आगत के महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन है तथा कृषि आगत को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। साथ ही साथ आपको यह भी स्पष्ट होगा की उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की स्थिति क्या है।

9.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप जान पायेगें कि –

1. कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कौन कौन हैं।
2. उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।
3. उत्तराखण्ड में कृषि जोतों का वर्गीकरण जान पायेगें।
4. उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था जान पायेगें।
5. उत्तराखण्ड में कृषि उत्पादन को समझ सकेंगे।
6. उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उपलब्धता जान पायेगें।
7. उत्तराखण्ड में कृषि की विशेषताओं को समझ सकेंगे।

9.3 उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग

यद्यपि उत्तराखण्ड में अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा अधिकतर जनसंख्या को रोजगार के लिये कृषि पर ही निर्भर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत गाँव में निवास करती है, जबकि 22 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप में कृषि कार्यो में संलग्न है। कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का लगभग 19 प्रतिशत योगदान है, जिससे राज्य में कृषि का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाना है।

उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग – उत्तराखण्ड मूलतः एक पर्वतीय राज्य है। राज्य की कुल भूमि में से 61.15 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जबकि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 13.54 प्रतिशत भाग ही खेती के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड में भू उपयोग के आँकड़े निम्नवत हैं।

उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग (वर्ष 2007)

1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	5666 हजार हेक्टेयर
2.	वन क्षेत्र	3465 हजार हेक्टेयर
3.	कृषि योग्य बंजर भूमि	367 हजार हेक्टेयर
4.	बंजर भूमि	108 हजार हेक्टेयर
5.	अपर्युक्त एवं अकृषिय भूमि	312 हजार हेक्टेयर

तालिका – 1 **उत्तराखण्ड में वर्षवार कृषिक्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)**

	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
कुल प्रतिवेदित क्षे0 हजार हेक्टेयर में	5671	5671	5671	5668	5670	5665
शुद्ध बोया गया क्षे0 हजार हेक्टेयर में	770	776	759	760	766	767

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

विगत पाँच वर्षो की भू उपयोगिता आँकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्यो यथा सड़को, भवनों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में हुआ है। जिसके फल स्वरूप कृषि भूमि के आकार में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2000–01 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टेयर था जो घटकर 2005 – 06 में 7.67 लाख हेक्टेयर रह गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुये प्रतिहेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बी बन सके तथा जीविकापार्जन हेतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या को आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके, जो राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की निर्धनता के उन्मूलन में सहायक होगा।

उत्तराखण्ड में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल (2000–01)

क्र0 सं0	आकार वर्ग हेक्टेयर	संख्या कुल		क्षेत्रफल	
1	2	कुल जोत 3	प्रतिशत	क्षेत्रफल हेक्टेयर 4	प्रतिशत 5
1	1.0 से कम	628267	70.5	242511	28.7
2	1.0 – 2.0	158402	17.8	220726	26.2
3	2.0 – 4.0	78414	8.8	212384	25.2
4	4. – 10	24163	2.7	132200	15.7
5	10.0 और अधिक	1421	0.2	35629	4.2
	योग	**890667**	**100**	**843450**	**100**

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में कुल, सीमान्त एवं लघु क्रियात्मक जोतों की संख्या 2000–01

कुल	890667
सीमान्त 1.0 हेक्टेयर तक	628267
1–2 लघु	158402
कृषि मजदूर	143000

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि विगत वर्षो में उत्तराखण्ड में कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगभग स्थिर है। किन्तु तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि जोते अनार्थिक है। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 8.9 लाख जोते है जिनमें 6.28 लाख जोते सीमान्त जोते (1.0 से कम) 1.58 लाख लघु जोते तथा 1.43 लाख कृषि मजदूर है। उत्तराखण्ड राज्य में कुल उपलब्ध भूमि 5666878 हेक्टेयर है जिसमें 3465057 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है। 2006–2007 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 765.15 हेक्टेयर था। जबकि शुद्ध बोये क्षेत्र में से मात्र 45.09 क्षेत्र सीमित था। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम औद्योगिक विकास होने के कारण तथा कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की नितान्त दुर्लभता के कारण पुरूष जनसंख्या का राज्य से पलायन अत्यधिक है तथा कृषि क्षेत्र मूलतः स्त्री जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भर है। श्रम एवं अन्य आवश्यक आर्थिक संसाधनों की कमी के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में उत्साह जनक वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस ओर राज्य सरकार के द्वारा सार्थक प्रयासों की नितान्त आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग (वर्ष 2007)

6.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	5666 हजार हेक्टेयर में
7.	वन क्षेत्र	3465 हजार हेक्टेयर में
8.	कृषि योग्य बंजर भूमि	367 हजार हेक्टेयर में
9.	बंजर भूमि	108 हजार हेक्टेयर में

10. अपयुक्त एवं अकृषिय भूमि 312 हजार हेक्टेयर में

सिंचाई

कुलसिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों में प्रतिशत (2006–07)

1. नहर	27.59
2. नलकूप	57.78
3. कुएँ	5.37
4. तालाब	0.04
5. अन्य	9.022

9.4 उत्तराखण्ड राज्य कृषि की विशेषताएं

जैसा कि आप जानते है उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलों में चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, मंडुवा, झंगोरा (सावां) आदि मुख्य अनाज है जबकि दलहन में उड़द, मसूर, भट्ट, गहत, राजमा, चना एवं अन्य दाले हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में गन्ना तथा अन्य नकद फसलें भी उगाई जाती है।

जलवायु की विविधिता के कारण राज्य में भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने के कारण गेहूँ एवं धान की फसलों पर विशेष बल दिया जाता है। उर्वरकों तथा कीटनाशी रसायनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट स्थानीय फसलें जैसे सावां (झंगोरा), मुडुवा, रामदाना, गहथ, भट्ट, आंगल, उर्द, राजमा आदि उगाई जाति है। विविधकरण पर विशेष बल दिया गया है। टिकाऊ खेती को विकास का आधार बनाया गया है। राज्य में मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है।

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
व्यावसायिक खेती की जाती है।	केवल जीविकोपार्जन के लिये खेती होती है।
प्रायः एक फसली खेती को प्राथमिकता	अधिकतर मिश्रित खेती की जाती है।
चकबन्दी के कारण कुछ जोते आर्थिक है।	पर्वतीय भूमि, बिखर एवं छोटी जोते के कारण जोते अनाआर्थिक है।
88 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।	मात्र 11 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।
बीज प्रतिस्थापन दर 15 से 20 प्रतिशत तक है। धान की उत्पादकता 27 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा गेहूँ की उत्पादकता 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के लगभग है।	बीज प्रतिस्थापन दर 3 से 4 प्रतिशत तक है। धान की उत्पादकता 12 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा गेहूँ, मुडुवा सावां (झंगोरा), की उत्पादकता 13 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के लगभग है।

9.5 कृषि उत्पादन और खाद्य उपलब्धता

राज्य में कुल 95 विकासखंडो में से 71 विकासखण्ड वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। गत वर्षो में किये गये निरन्तर प्रयासों से यद्यपि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हुआ है, किन्तु समय–समय पर सूखे का सामना करना पड़ा है। विगत छः वर्षो के दौरान वर्ष 2002–03 में खरीफ की फसलें तथा वर्ष 2005–06 एवं 2007– 08 में रबी की फसलें सूखे से प्रभावित हुई है। इसके बावजूद वर्ष 2007–08 में गेहूँ का उत्पादन 8.14 लाख मैट्रिक टन के उच्चतम स्तर तक पहुँचा है। राज्य धान्य फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर है, किन्तु दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में आवश्यकताओं से कम उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

कृषि उत्पादन के सापेक्ष मांग – लाख मीट्रिक टन में

फसलें	कुल मांग	कुल उत्पादन	आधिक्य(+)/कमी(–)
धान्य फसलें	15.52	17	+ 1.48
दलहनी फसलें	2.87	0.28	– 2.59

तिलहनी फसलें	3.07	0.35	– 2.72

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

वर्ष 2005–06 में खाद्यान्न उत्पादन 15.35 लाख मैट्रिक टन था जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 17.87 लाख मैट्रिक टन हो गया। दलहन का उत्पादन 29 हजार मैट्रिक टन (2005–06) से बढ़कर 51 हजार मैट्रिक टन (2007–08) हो गया है। तिलहन का उत्पादन 29 हजार मैट्रिक टन (2005–06) से बढ़कर 30 हजार मैट्रिक टन (2007–08) हो गया है, जो उत्पादन स्तर में सुधार का द्योतक है।

कृषि उत्पादन – कुल उत्पादन हजार मीट्रिक टन में

फसल	2005–06 (अंतिम अनुमान)	2006–07 चतुर्थ अनुमान)	2007–08(चतुर्थ अनुमान)
चावल	580	556	573
गेहूँ	642	801	814
कदन्न धान्य	284	345	349
कुल दलहन	29	34	51
कुल खाद्यान्न	1532	1736	1787
कुल तिलहन	29	21	30

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

राज्य में गेहूँ के अंतर्गत 30.8 प्रतिशत क्षेत्राच्छादन के साथ कुल बोये गये क्षेत्र का महत्तम भाग आच्छादित होता है, जबकि धान 23.9 प्रतिशत, मंडुवा (रागी) 10.09 प्रतिशत, गन्ना 9.1 प्रतिशत, सॉवा 5.4 प्रतिशत, मक्का 2.7 प्रतिशत, दलहनीं फसलें 2.5 प्रतिशत, तिलहनी फसलें 1.9 प्रतिशत तथा अन्य फसलों के अन्तर्गत 12.8 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होता है। गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में इसका स्थान सर्वोपर है। गेहूँ में अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज प्रतिस्थापन तथा सिंचन क्षमताओं के साथ–साथ पौध सुरक्षा के समुचित उपायों से उत्पादकता में लगातार सुधार हुआ है, जो वर्ष 2000–01 में 18.84, वर्ष 2001–02 में 19.19, वर्ष 2002–03 में 19.25, वर्ष 2004–05 में 20.65 कुन्तल प्रति हैक्टेयर के स्तर तक प्राप्त हुआ है। वर्ष 2005–06 में कम वर्षा के कारण उत्पादकता स्तर घटकर 16.93 कुन्तल प्रति हैक्टेयर रह गया, किन्तु पुनः वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 में उत्पादकता स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

चावल (खरीफ) में उत्पादकता के स्तर में सुधार दृष्टिगत नहीं होता है। वर्ष 2000–01 में 20.28, वर्ष 2002–03 में 18.86, वर्ष 2003–04 में 19.17, वर्ष 2004–05 में 19.02, वर्ष 2005–06 में 19.11 कुन्तल प्रति हैक्टेयर का स्तर प्राप्त हुआ है। चावल की उत्पादकता में अपेक्षित सुधार न होने का एक मुख्य कारण यह है कि मैदानी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से लगातार असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इसी के दृष्टिगत वर्ष 2005–06 से मैदानी क्षेत्रों में धान गेहूँ वाले क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम चलाया गया है।

राज्य में दलहनी फसलों के अन्तर्गत लगभग 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आता है। सिंचाई की कम सुविधा को देखते हुये इक्रीसेट की सहायता से खरीफ 2007 में अरहर विकास कार्यक्रम चलाया गया है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र में अरहर की पैदावार 3 से 4 कुन्तल प्रति हैक्टेयर की पाई गई है, जबकि वीएल अरहर–1 की किस्म बोने पर 8 से 10 कुन्तल प्रति हैक्टेयर की पैदावार प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुये इस किस्म को वर्ष 2008–09 में 1700 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार दिया गया इसके अतिरिक्त उन्नत रूप से बोयी जाने वाली उर्द, राजमा, गहत आदि दलहनी फसलों के अन्तर्गत जैविक मोड़ में क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादकता वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।

उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त आय सृजन हेतु छोटे काश्तकारों के लिये गैरपरम्परागत कृषि अत्यधिक लाभकारी है इसी कम में 2009–10 में राज्य के छः जनपदों में अदरक एवं हल्दी की पैदावार इस ओर एक नवीन प्रवृति इंगित कर रही है। पिछले वर्ष 40,000 मीटरी टन अदरक और 6,000 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन हुआ। प्रदेश में लगभग 500 काश्तकार अदरक और हल्दी की खेती कर आजीविका अर्जित कर रहे हैं।

राज्य के काश्तकार परम्परागत कृषि की तुलना में नगद फसलों की कृषि के द्वारा अतिरिक्त आय सृजन कर सकते हैं। उद्यान विभाग की ओर से ऐसे काश्तकारों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड के 500 काश्तकारों ने 738 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हल्दी और 4007 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अदरक बोया।

पिछले वर्ष की पैदावार को देखते हुये चालू वर्ष हेतु अदरक उत्पादन लक्ष्य 50,000 मीट्रिक टन एवं हल्दी हेतु 7,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि इस प्रकार कि नगद फसलों के उत्पादन द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुधारा जा सकता है।

उन्नत बीज – कृषि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हेतु उन्नतशील बीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ उन्नतशील बीजों की प्रतिस्थापन दर 25 प्रतिशत से अधिक है वही दूसरी और पर्वतीय क्षेत्रो में यह दर मात्र 3 से 5 प्रतिशत तक ही है। दूसरा एक मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्रो के लिए अधिक उन्नत बीजों की अनुपलब्धता रही है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी अधिक उपलब्धता एक रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग वाली प्रजातियों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। मूलतः स्थानीय उपायों की उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि हेतु प्रयासों का अभाव रहा है। 2005–06 से कोर वैली सीड प्रोडक्शन प्रभाग आरम्भ किया जाय जिसे तराई बीज विकास निकाय के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के चयनित धारियों में पर्वतीय क्षेत्र के उपयुक्त प्रजातियों का बीजोत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में धान की बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2004–05 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 3.77 प्रतिशत तथा गेहूँ की बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2004–05 में 2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 2.70 प्रतिशत हो गई है। जबकि मैदानी क्षेत्रो में बीज प्रतिस्थापन दर अत्यधिक तीव्र दर से बढ़ी है। मैदानी क्षेत्रो में धान के बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2002–03 में 9.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 27.42 प्रतिशत तथा गेहूँ में वर्ष 2002–03 में 12.41 से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 40.30 प्रतिशत पहुँच गई है। उत्तराखण्ड राज्य न केवल अपने राज्य के कृषको के लिए बल्कि अन्य राज्यों को भी उन्नत बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। वर्ष 2001–02 में कुल शोधित बीजों की मात्रा 11.57 कुन्तल से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 30 लाख कुन्तल हो गई है। बीजोत्पादन हेतु पंजीकृत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 में 41237 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत था जबकि यह बढ़कर वर्ष 2006–07 में 112323 हेक्टेयर हो गया वर्ष 2001–02 में इस कार्यक्रम से 8000 कृषक लाभान्वित हुए जा वर्ष 2006–07 में बढ़कर 18027 हो गया ।

उर्वरक – आधुनिक कृषि में फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु उर्वरको का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। किन्तु उत्तराखण्ड की भौगोलिक विशिष्टता के कारण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साधन अत्यधिक सीमित होने के कारण उर्वरको का प्रयोग प्रायः स्थिर रहा है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग प्रचुरता में होता रहा है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2001–02 में उर्वरक खपत 95.33 किग्रा हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 96.51 किग्रा हेक्टेयर हो गये किन्तु ऊधम सिंह नगर(मैदानी भाग) में यह वर्ष 2001–02 में 317.31 से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 388.98 किग्रा हेक्टेयर हो गई।

मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंध

कृषि भूमि की उर्वरता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन समुचित प्रकार से हो। इस प्रयोजन हेतु विगत पाँच वर्षो के दौरान 2 लाख नमूनों को विश्लेषित कर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये।

जनपद ऊधमसिंह नगर के जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत कम पायी गयी है। जबकि अन्य क्षेत्रो में यह मध्यम है राज्य में सभी जगहो पर फास्फोरस की मात्रा न्यून पाई गई है। प्रायः यह देखा गया है कि समस्त मैदानी स्थानों पर रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग से जीवांश कार्बन निरन्तर घटता जा रहा है। जबकि राज्य में खाद्यान में आत्मनिर्भता इसी क्षेत्र पर निर्भर है।

उत्तराखण्ड में वर्ष 2002–03 में सूक्ष्म तत्वों की खपत मात्र 278 टन थी जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 2000 टन हो गयी।

सस्टेनेबुल खेती के परिप्रेक्ष्य में जैव उर्वरकों जैविक खादों एवं हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इनके प्रयोग पर कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है। फलतः गत वर्षो की तुलना में जैविक उर्वरको का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। जैव उर्वरकों की खपत वर्ष 2002–03 में 18 मीट्रिक

टन से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 100 मीट्रिक टन हो गई है। जैव उर्वरकों के उत्पाद को प्रोत्साहत किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भविष्य में जैव उर्वरकों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होती जाये।

	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
जैविक खेती के अन्तर्गत प्रमाणित क्षेत्र हजार हेक्टेयर में	15.80	693.08	546.90	955.84	6860.691	18000
लाभान्वित कृषक संख्या	10	1792	1639	2254	16900	21000

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

कृषि यंत्रीकरण – उत्तराखण्ड में 56 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय कृषि में यंत्रो के प्रयोग की संभावनाये अत्यधिक सीमित है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त उन्नत कृषि यन्त्रों तथा मशीनीकरण पर विशेष बल दिया गया है। घाटी क्षेत्रों में पावर टिलर्स का उपयोग बढ़ा है। वर्ष 2002–03 में 4 पावर टिलर्स अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराये गये थे। जबकि वर्ष 2006–07 में 47 पावर टिलर्स उपलब्ध कराये गये। निश्चित रूप से इन सकारात्मक प्रयासों से कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावनायें दृष्टिगोचर हो रही है।

9.6 उत्तराखण्ड में कृषि विकास उत्पादकता वृद्धि में गत्यावरोध

उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक रूप से पर्वतीय राज्य होने के कारण अनेकों कारण कृषि क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं को रोकते है। उत्तराखण्ड में 56 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है। विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता अत्यधिक सीमित है तथा विगत वर्षो में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तन्त्र पर पड़े दुष्प्रभावों के कारण जलवायु परिवर्तन अत्यधिक स्पष्ट होते जा रहे है। फलस्वरूप वर्षा काल का चरमोत्कर्ष विगत वर्षों में जुलाई माह के मध्य में होता था परिवर्तित होकर अगस्त माह के मध्य हो रहा है। जिससे फसल योजना को इसी प्रकार निश्चित करने की आवश्यकता है। रबी फसल चक्र में वर्षा की स्थिति अत्यधिक अनिश्चित रही है जलवायु चक्र में परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता एवं उपज की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

रणनीति– उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार की सम्भावनाओं को विकसित करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में तत्कालिक परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बादलफटना भूस्खलन आदि की स्थिति में उचित सहायता सम्बन्धित पक्षों तक पहुंच सके। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत बीज अन्य आवश्यक आपदाओं की नितान्त दुर्लभता को भी करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आवश्यकता है कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप सम्मानित स्थानीय कृषकों का चुनाव कर उन्हें प्रशिक्षित कर उन्नत बीजों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, तथा उन्नत प्रजातियों के बीजों की आपूर्ति नियमित एवं सुचारू रूप से की जा सके।

9.7 सारांश

जैसा कि उक्त अध्याय में वर्णित है कृषि एवं सहायक क्रियाएँ उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का आधार रही है। उत्तराखण्ड की जनसंख्या जीवनयापन एवं रोजगार हेतु कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। वास्तव में निरन्तर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की न्यूनता के कारण कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के जीवनयापन हेतु निर्भरता में वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में श्रम–शक्ति में निरन्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनेक नवीन प्रयास किये गये। यद्यपि भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक समस्याओं तथा सिंचाई सुविधाओं (आधारिक संरचना) के अभाव के कारण मुख्यत 5 पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक रासायनिक खादों कीटनाशकों एवं उन्नत बीजों का प्रयोग सफल नहीं रहा है। जिसके फलस्वरूप मुख्य फसलों की उत्पादकता पिछले वर्षों में लगभग स्थिर रही है। कृषि आधारिक संरचना में परिवर्तन तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थलाकृति में परम्परागत कृषि से विरक्त हो कर जैविक एवं औषधीय कृषि जो क्षेत्र के पर्यावरण के साथ–साथ कृषकों को मूल्यों वाले उत्पादों को उगाने में प्रोत्साहित कर सके। निश्चित रूप से उच्च कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में अधिकांशत कृषि जोते है।

   (a) आर्थिक जोते (b) बड़ी जोते (c) लघु एवं सीमान्त (d) कोई नहीं

2. उत्तराखण्ड में कुल कृषि भूमि का ....प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।

   (a) 11 (b) 89 (c) 50 (d) 60

3. उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों को हरित क्रान्ति का लाभ हुआ है।

   (a) अत्यधिक (b) मामूली (c) सामान्य (d) कोई नहीं

2. लघुउत्तरीय प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र मुख्य फसलों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।
2. उत्तराखण्ड में कृषि भूमि उपयोग की व्याख्या कीजिए।
3. उत्तराखण्ड में कृषि आगतों को स्पष्ट कीजिए।
4. उत्तराखण्ड में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए।
5. उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए।

3. सत्य एवं असत्य बताए।

1. उत्तराखण्ड में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वन्य क्षेत्र है। (सत्य/असत्य)
2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि जोतें अनार्थिक है।(सत्य/असत्य)
3. उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है। (सत्य/असत्य)
4. उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र में व्यवसायिक कृषि की जाती है।(सत्य/असत्य)
5. उत्तराखण्ड में नकद फसलें एवं औषधीय कृषि के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों के आय में वृद्धि सम्भव है। (सत्य/असत्य)

9.8 शब्दावली

कृषि उत्पादकता – प्रति हैक्टेयर कृषि उपज।

उन्नत बीज – अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने वाले बीज।

आर्थिक जोत – वह कृषि भू भाग जिस पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कृषि सम्भव है।

अनार्थिक जोत – वह कृषि भू भाग जिस पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कृषि सम्भव नहीं है।

लघु कृषक – एक हैक्टेयर से अधिक एवं दो हैक्टेयर से कम क्षेत्र के भूमि स्वामी।

सीमान्त कृषक – एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र के भूमि स्वामी।

कृषि मजदूर – कृषि भूमि रहित व्यक्ति।

भूमि सुधार – भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु किये जाने वाले पूँजीगत प्रयास।

हरित क्रान्ति – 1960 के दशक में एशियाई देशों में चिन्हित फसलों की उत्पादकता में उन्नत बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप व्यापक वृद्धि।

जीविकोपार्जन कृषि – जीवन रक्षा हेतु कृषि कार्य ।

व्यावसायिक कृषि – आर्थिक रूप से लाभदायक कृषि कार्य।

जैविक कृषि – प्राकृतिक आगतों के प्रयोग द्वारा किया गया कृषि कार्य।

परम्परागत कृषि – प्राचीन एवं अविकसित पूँजी एवं अन्य संसाधनों के द्वारा किया जाने वाला कृषि कार्य।

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न–उत्तर – 1. (c) लघु एवं सीमान्त , 2. (a)11, 3. (b) मामूली

सत्य एवं असत्य बताए – 1. सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. सत्य

9.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- आर्थिक सर्वेक्षण – 2009–10
- आर्थिक समीक्षा उत्तराखण्ड – 2008–09
- रूद्र दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली
- भारत 2011
- मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिगं हाऊस, मुम्बई।
- R.T.Twari, Mujoo Tewari Uttarkhand Economic development Apit publishing corp New Delhi.

9.11 निबन्धात्मक प्रश्न

- उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की प्रवृतियों पर एक निबंध लिखिए।
- उत्तराखण्ड में निम्न कृषि उत्पादकता के कारणों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
- उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था पर विस्तृत आलेख लिखिए तथा भविष्य में सिंचाई व्यवस्था के कुशल प्रबन्धन हेतु सुझाव दीजिए।

इकाई 10– भू सुधार एवं नई कृषि रणनीति

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 उत्तराखण्ड में भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग

10.4 उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमों का क्षेत्रीय परिदृश्य

10.5 उत्तराखण्ड में कृषि विकास हेतु विकासात्मक रणनीति

10.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

10.7 कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रर्वतन

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

10.12 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.13 निबन्धात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 10वीं इकाई हैं, इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार भूमि है जिसके द्वारा एक राज्य में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। दूसरी तरफ यह एक अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सस्थाओं के विकास क्रम को बाधित कर सकता है। यदि भूमि का वितरण समाज में कुछ व्यक्तियों तक सीमित है तो भारत के पारस्परिक भू–उपयोग एवं भू–स्वामित्व प्रवृतियों में इच्छानुसार परिर्वतन किये गये ताकि भूमि अधिग्रहण सस्ते दामों पर करके ब्रिटिश उद्यमकर्ताओं को खनन, कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु भूमि आवटंन किया जा सके।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई का उददेश्य उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग हेतु किये गये प्रयासों जिसमें हम कुल भूमि उपलब्धता, भूमि उत्पादकता में सुधार हेतु प्रयास भूमि के उपखण्डन एवं विभाजन को नियंत्रित करने हेतु प्रयासों तथा उत्तराखण्ड में भू–जोतों के वर्गीकरण का अध्ययन करेगें। साथ ही साथ इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेगें कि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर उत्तराखण्ड में रोजगार सजृन, आय वृद्वन एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु किन नवपरिर्वतनों को क्रियान्वित करने का सार्थक प्रयास हुआ तथा इन प्रयासों के फलस्वरूप किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुये।

10.3 उत्तराखण्ड में भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग

ब्रिटिश शासन में व्यक्तिगत सम्पति की संस्था के प्रावधान में जनजातीय समाज एवं ग्रामीण सामाजिक स्वामित्व की परम्परागत अवधारणा को गैरकानूनी बना दिया तथा साथ ही साथ स्थायी समझौता अधिनियम 1793 परमानेन्ट संटेलमेंन्ट एक्ट 1793 के अर्न्तगत भूमि व्यवस्था ने भारत की परम्परागत जजमानी व्यवस्था को समाप्त कर जमीदारी व्यवस्था को परिपोषित किया जो किसी भी सामाजिक मानदण्ड पर एक न्याय पूर्ण व्यवस्था नही थी तथा जिसके फलस्वरुप भारतीय ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य में इन परिर्वतनों के कारण भारतीय समाज ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय एक अर्द्ध–सांमती कृषिय व्यवस्था को ब्रिटिश शासन व्यवस्था से उत्तधिकार में प्राप्त किया। जिसके फल स्वरूप भू–स्वामित्व एवं भूमि उपयोग भूमिपतियों एवं मध्यस्थों के एक छोटे से वर्ग के पास संकेन्द्रित था जिस वर्ग का मुख्य उद्‌देश्य वास्तविक काश्तकारों से अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना था।

उनका लाभ उनको प्राप्त न होना कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रयासों की प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता था साथ ही साथ अभिजात्य जमींदार वर्ग द्वारा भी भू–उत्पादकता में सकारात्मंक वृद्धि हेतु आर्थिक सामाजिक प्रयास नही किये गये जिनके द्वारा कृषकों का आर्थिक सुधार किया जा सके।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के आंरम्भिक वर्षो में ही नीति निर्धारकों को यह स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्र निर्माण हेतु भू–सुधारों से सम्वन्धित समस्यों को वरीयता के आधार पर निष्पादित करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु अनेक भू–सुधार कार्यक्रमों जैसे मध्यस्थों की समाप्ति काश्तकारो, पट्‌टेदारी व्यवस्था में सुधार, चकबन्दी व्यवस्था के पश्चात भी भू–सुधारों से सम्बन्धित अनेको समस्याऐं अनुउत्तरित है जिसके फलस्वरुप ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास वॉछनीय स्तर पर प्रगति करने में असफल रहा है।

इस संदर्भ में अनुभवाश्रित अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भू–स्वामित्व से सम्बन्धित असमानताओं में वृद्धि हुई है। भूमि हीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि अभिजात्य जमीदार वर्ग का भूमि–स्वामित्व में हिस्सा और बढ़ गया है।

अभिजात्य जमीदार वर्ग के निहित स्वार्थो एवं राजनैतिक तथा नौकरशाही व्यवस्था के अनैतिक गठजोड़ में भू सुधारों का वास्वतिक लाभ एवं क्रियान्वयन बाधित कर इस प्रक्रिया को लगभग निरूद्‌देश्य एवं मृत प्रायः बना दिया है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में भूमि उपयोग प्रतिशत में

पर्वतीय जनपद	वन क्षेत्र	भूमि योग्य बंजर भूमि	बंजर कृषि अयोग्य भूमि	परती भूमि	चारागाह	अन्य वृक्ष फसलें एवं बाग	शुद्व बोया गया क्षेत्र	अकृषि कार्य हेतु भूनम उपाय	परती एवं उसर भूमि
अल्मोड़ा	50.7	9.1	5.5	1.9	6.5	5.8	17.7	2.7	11.0
बगेश्वर	51.6	7.9	3.2	2.4	12.9	9.7	10.2	2.2	10.3
चमोली	59.7	5.7	18.7	0.2	5.9	4.8	4.1	0.9	5.9
चम्पावत	55.5	6.4	2.3	4.1	8.0	11.1	10.7	2.0	10.4
पौड़ी	57.2	5.7	5.3	3.9	5.2	8.3	12.0	2.3	9.6
पिथौरागढ़	50.0	9.9	5.1	1.4	13.0	6.5	11.7	2.5	11.3
रूद्रप्रयाग	76.4	3.4	3.1	0.6	1.8	4.9	8.5	1.3	4.0
टिहरी	66.3	16.1	1.1	2.6	0.1	0.0	12.6	1.1	18.7
उत्तरकाशी	88.8	0.3	4.6	0.7	1.0	0.5	3.4	0.6	1.0

स्रोत :– मुख्य राज्स्व आयुक्त उत्तराखण्ड।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में 88.8 प्रतिशत (उत्तरकाशी) से 50.7 प्रतिशत (अल्मोड़ा) तक कुल भूमि में वन क्षेत्र है जबकि कृषि कार्यो हेतु अयोग्य परती एवं बंजर भूमि का अंश विभिन्न जनपदों में प्रतिशत से 18.7 प्रतिशत के मध्य है। 2004–2005 के जनपदवार आँकड़ो से यह स्पष्ट है कि मात्र 3.4 प्रतिशत से 17.7 प्रतिशत कृषि भूमि पर कृषि फसलों का उत्पादन होता है। जो निश्चित रूप में कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या के अनुरूप अत्यधिक कम है।

उत्तराखण्ड में जनपदवार कुल, सीमान्त एवं लघु क्रियात्मक जोतों की संख्या 2000–01 एवं कृषि मजदूर जनगणना –2001

क्र0 सं0 (1)	जनपद (2)	कुल (समस्त जोत वर्ग) (3)	सीमान्त जोत (1.0हेक्टेयर तक) (4)	लघु जोत (1–2 हेक्टेयर) (5)	कृशि मजदूर (6)
1	उत्तरका ाी	36	25	6	1
2	चमाली	39	26	8	–
3	टिहरी गढ़वाल	81	56	18	2
4	देहरादून	66	50	9	12
5	पौड़ी गढ़वाल	87	44	24	1
6	रूद्रप्रयाग	32	25	5	–
7	पिथौरागढ़	87	75	10	1
8	अल्मोड़ा	122	94	22	1
9	नैनीताल	50	33	8	12
10	बागे वर	55	50	5	1
11	चम्पावत	36	27	6	1
	पर्वतीय जनपद	**691**	**505**	**121**	**32**
12	हरिद्वार	116	79	21	54
13	ऊधमसिंहनगर	84	44	17	57
	मैदानी जनपद	**200**	**123**	**38**	**111**
	उत्तराखण्ड	**891**	**628**	**159**	**143**

स्रोत :– मुख्य राज्स्व आयुक्त उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था

उत्तराखण्ड में जनपदवार कुल, सीमान्त एवं लघु क्रियात्मक जोतों की संख्या से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड में भूमि का वितरण अत्यधिक असमान है जिसके फलस्वरूप मात्र परम्परागत कृषि से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन सम्भव नहीं है। कृषि अर्थ व्यवस्था की मूलभूत संरचना में परिवर्तन तथा नवीन क्रान्तिकारी उपायो के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में कृषि एक जीवन पद्धति है, एक परम्परागत है, जिसमें सदियों तक जीवन दर्शन, सोच तथा उत्तराखण्ड की जनता की संस्कृति एवं आर्थिकी को एक निश्चित आकार प्रदान किया है। अतः उत्तराखण्ड में कृषि राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजित समस्त राजनीतियों में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन करती है। कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास न केवल राज्य स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक है वरन यह उपभोक्ताओं हेतु खाद्य सुरक्षा के साथ ही साथ आय एवं सम्पति के विवरण में समानता स्थापित कर निर्धनता स्तरों में तीव्र ह्रास को सुनिश्चित करता है।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

उत्तराखण्ड की जनसंख्या का आर्थित वर्गीकररण – 2001

क्र0 सं0	जनपद	मुख्य कर्मकर				
		जनसंख्या	कृशक	कृशि श्रमिक	परिवारिक उद्योग	अन्य कर्मकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उत्तरका ी	295013	85990	941	1467	26444
2	चमाली	370359	58773	492	2434	35201
3	टिहरी गढ़वाल	604747	114037	1508	1821	63839
4	पौड़ी गढ़वाल	697078	99391	1049	2280	68927
5	रूद्रप्रयाग	227439	55453	219	841	19555
6	पिथौरागढ़	462289	74361	615	4415	44671
7	अल्मोड़ा	630567	146370	1185	2618	54476
8	बागे वर	249462	63505	852	1696	19560
9	चम्पावत	224542	34378	520	1084	20183
10	देहरादून(पर्वतीय)	147999	32529	1827	657	7103
11	नैनीताल (पर्वतीय)	246532	41496	939	818	13013
	पर्वतीय जनपद	**4156027**	**806283**	**10147**	**20131**	**372972**
12	ऊधमसिंहनगर	1235614	96760	57110	6081	140190
13	हरिद्वार	1447187	88214	54463	12961	197918
	देहरादून(मैदानी)	1134144	29090	9948	6839	248511
	नैनीताल(मैदानी)	516377	47300	10956	3015	103458
	मैदानी जनपद	**4333322**	**261364**	**132477**	**28896**	**690077**
	देहरादून(पर्वतीय मैदानी)	1282143	61619	11775	7496	255614
	नैनीताल (पर्वतीय मैदानी)	762909	88796	11895	3833	116471
	उत्तराखण्ड	**8489349**	**1067647**	**142624**	**49027**	**1063049**

स्रोत :– भारत की जनगणना 2001 ।

10.4 उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमों का क्षेत्रीय परिदृश्य

नवगठित उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 61 प्रतिशत उद्यम तथा नगरीय क्षेत्र में 39 प्रतिशत उद्यम सक्रिय है यदि कृषीय एवं अकृषीय उद्यमों का वितरण अत्यधिक असमान है।उत्तराखण्ड में मात्र 9 प्रतिशत उद्यम कृषीय तथा 90 प्रतिशत अकृषीय उद्यम जो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र के अल्प विकास को व्यक्त करता है।

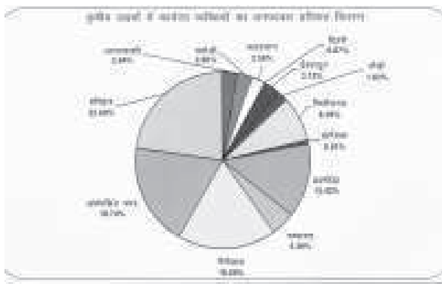

कृषीय उद्यमों मे कार्यरत व्यक्तियों का जनपदवार प्रतिशत वितरण (2001) यदि कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों को जनपदवार देखें तो यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से कम जनसंख्या कृषीय उद्योंगों मे संलग्न है, यद्यपि अपवाद स्वरूप अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद में कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 13.42 एवं 18.20 है । पर्वतीय क्षेत्रों के विपरीत हरिद्वार एवं उद्यमसिहंनगर जैसे मैदानी जनपदो में कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 22.68 प्रतिशत एवं 18.74 प्रतिशत रहा जो पर्वतीय क्षेत्रों मे कृषि एवं उद्योग के मध्य सहसम्बन्ध की न्यूनता को स्पष्ट करता है। जब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषीय उद्यमों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि नही होगी तब तक कृषि क्षेत्र का आशानुरूप विकास सम्भव नही होगा।

10.5 उत्तराखण्ड में कृषि विकास हेतु विकासात्मक रणनीति

यद्यपि उत्तराखण्ड भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा किन्तु इस राज्य की विशेषताएँ इसे देश की अन्य राज्य से अलग करती है तथा इस राज्य की नवीन विकास सम्भावनाओं को स्पष्ट करती है। उत्तराखण्ड राज्य भारत का प्रथम राज्य है जिसने वृहत स्तर पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया है। यद्यपि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर मैदानी क्षेत्र के जिलों में आर्थिक प्रगति हुई जबकि पर्वतीय क्षेत्र के जिलों को आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुआ। राज्य के समस्त पर्वतीय जिलों में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय है किन्तु यह समस्त कार्य जीवन रक्षा स्तर तक सीमित होने के कारण जनता का अत्यधिक पलायन रोजगार के अवसरों हेतु हुआ तथा उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एक मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के रूप ही अपनी पहचान स्थापित कर सके हैं। जनसंख्या के निरन्तर पलायन के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में महिला जनसंख्या के पक्ष में एक जनांककीय लाभ विकसित होता गया जबकि यह वर्ग कृषि कार्य हेतु पूर्णतः कुशल नहीं है। समग्र रूप से राज्य का पर्वतीय क्षेत्र निम्न उत्पादकता, आगतो का अभाव, विपणन व्यवस्था का अभाव एवं स्व क्रय मांग तथा सीमित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सजीव उदाहरण है। समस्त आर्थिक एवं भौगोलिक विषमताओं के बाबजूद उत्तराखण्ड राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी इसे उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिए एवं आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जैविक कृषि, औषधीय कृषि फोरी क्ल्चर एवं अन्य कृषि सहायक सेवायें हेतु प्रोत्साहित कर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य को जैविक हरित प्रदेश के ब्रांड के रूप में विकसित एवं प्रचारित कर कृषि आय एक कृषि पर्यटन आय के द्वारा आर्थिक प्रगति के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तराखण्ड हेतु कृषि विकास रणनीति के निम्नलिखित तत्व हो सकते है

1. आधारभूत संरचना का विकास।
2. कृषि विविधिकरण।
3. जैविक एवं औषधीय कृषि को प्राथमिकता।
4. कृषि पर्यटन (कृषि एवं पर्यटन के संयोग को विकसित करना)।

5. कृषि एवं उद्योग के मध्य सकारात्मक सम्बन्धों को विकसित करना।

राज्य मे कृषि प्रसार कार्यक्रमों को लगातार विस्तार दिया गया है। आत्मा परियोजना का प्रथम चरण में आठ जनपदों में अनुमोदित कराया गया था जिसे वर्ष 2007–08 में सभी 13 जपनदों के लिये अनुमोदित कर दिया गया। इसके साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर तथा ग्राम स्तर पर सम्पर्क किसानों का चयन कर उनके माध्यम से कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने की रणनीति अपनाई गई है। वर्ष 2008–09 में गुजरात राज्य की तर्ज पर उत्तराखण्ड कृषि महोत्सव 2008 का दिनांक 1 जून से 15 जून 2008 के मध्य आयोजन किया गया जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, लघु सिंचाई, डेरी, मत्स्य एवं रेशम विभागों की पूर्ण सहभागिता रही। कुल 45 किसान रथ तैयार किये गये। इनके माध्यम से प्रचुर मात्रा में साहित्य तथा निवेश न्याय पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई तथा "सरकार किसान के द्वार" की सार्थक पहल सुनिश्चित की गई। उच्च तकनीक का लाभ गाँव–गाँव तक पहुँचाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। लगभग 13 केन्द्र बनकर तैयार हो चुके है, 19 केन्द्रों में कार्य प्रगति पर है, 12 केन्द्रों के लिये भूमि विकास का कार्य प्रगति पर है तथा शेष में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इन केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायेगें जो आन लाइन होगें तथा कृषकों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकारी नीतियों, कार्यक्रम तथा सुविधाओं को ग्राम स्तर तक पहुँचाने हेतु वर्ष 2008–09 में पहल की जा रही है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि कृषि विकास कार्यक्रमों को पूर्णतया शासन नीति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप ढाल दिया जाय, जिससे सही मायने में गाँवों का विकास सुनिश्चित हो सके और कृषि विकास की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही एग्रो पोर्टल का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008–09 में इसे लॉच किया जानें का पूरा प्रयास है।

10.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा ग्याहरवीं योजना में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु इस योजना को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2007–08 में भारत सरकार द्वारा रू0 28.24 करोड़ अवमुक्त किये गये। इसमें से रू0 1.10 करोड़ से 11 जनपदों में कंप्रीहेसिव डिस्ट्रिक वाइज एग्रीकल्चर प्लान तैयार कराया जा रहा है, ताकि नियोजन का कार्य ग्राम स्तर से शुरू होकर उसे जनपद स्तर पर संकलित कर अंतिम रूप दिया जा सके। रू0 27.14 करोड़ की धनराशि अवस्थापना सम्बन्धी विकास परियोजना हेतु अवमुक्त है, जिसका उपयोग निम्नांकित कार्यक्रमों में कार्य योजना तैयार कर सुनिश्चित किया जा रहा है। –

- मत्स्य एंव मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों की क्षमता का विकास।
- न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन को प्रोत्साहन।
- उत्तराखण्ड में मिल्क ग्रिड का सुदृढ़ीकरण।
- राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र मंजखाली अल्मोड़ा का जैविक कृषि प्रक्षेत्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सुदृढ़ीकरण।
- जैविक उत्पादन परिसर द्वारा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से चिन्हित कृषको को जैविक प्रमाणीकरण हेतु सहायता।
- उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को गुणात्मक बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।
- कृषि उत्पादन मंडी परिषद के माध्यम से जनपद चमोली, पौड़ी एवं देहरादून में एकत्रीकरण केन्द्रों का निर्माण।

वर्ष 2008–09 के लिये 10 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 10.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। न्यायपंचायत स्तर पर सुदूर क्षेत्रों में 26 आपूर्ति केन्द्रो का निर्माण कोटद्वार एवं हरिद्वार मंडी का स्थल परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी

का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा विस्तार, राजकीय रेशमपालन प्रक्षेत्रों पर सिंचाई सुविधा का विकास और जापानी बटेर पालन प्रोत्साहन कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र को रोजगार परक एवं उत्पादक बनाने हेतु राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् अनेक जन उपयोगी योजना को क्रियान्वित किया है। जो निम्न प्रकार से है–

1. उत्तराखण्ड भारत का प्रथम राज्य है जो जैविक कृषि को वृह्त योजना के आधार पर प्रोत्साहित कर रहा है। जैविक कृषि द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थ उच्च मूल्यों पर निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन सम्भव है।

2. उत्तराखण्ड में पारम्परिक कृषि के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप हल्दी, अदरक जैसी नगद फसलों का उत्पादन व्यवसायिक आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार इस संदर्भ में आवश्यक कृषि आगते जैसे उन्नत बीज एवं तकनीकी प्रशिक्षण चयनित क्षेत्रों के कृषकों के लिए आयोजित कर रही है।

3. भारत एवं सम्पूर्ण विश्व में भारतीय योग एवं आयुर्वेद एक जीवन शैली के रूप में स्थापित हो रहा है। जिसके फलरूवरूप अनेको औषधीय पादपो जैसे ऐलेवीरा, ऑवला, सर्पगन्धा, स्टीविया, गिलॉय (अमरवेल), किलमोड़ा, ब्राह्मी, वर्जदन्ती, लैमनग्रास, झिगोरा, मंढवा आदि की व्यवसायिक कृषि के द्वारा उच्च मूल्य उत्पादों से ग्रामीण कृषक सम्मानजनक आजीविका प्राप्त कर रहे हैं।

4. उत्तराखण्ड की अनुकूल जलवायु के फलस्वरूप यह अनेक गैर पराम्परागत कृषि उत्पाद जैसे मशरूम, थाईम, बेसिल, पारशले, मिन्ट आदि का व्यवसायिक उत्पादन एवं यूरोपीय देशों में इनका निर्यात कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिर्वतन ला सकता है।

उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर स्थापित है यदि कृषि–पर्यटन की सम्भावनाओं को सही प्रकार नियोजित किया जाय तो उत्तराखण्ड में पर्यटको की संख्या में अत्यधिक वृद्धि सम्भव है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण–पर्यटन की कार्य योजना को पहले से ही संचालित किया जा रहा हैं यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार भूत संरचना में आवश्यक परिवर्तन किये जाये तो पर्यटन के क्षेत्र में नयी अभिरूचियों को विकसित कर रोजगार सृजन की नयी सम्भावनायें तलाश की जा सकती है।

10.7 कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रर्वतन

सरकार किसान के द्वार योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड एक वर्ष में दो बार कृषक महोत्सव का आयोजन करती है जिसमें समस्त 670 न्याय पंचायत में 17115 ग्रामों के 95312 कृषकों को लक्ष्यित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उददेश्य पशुपालन सम्बन्धी चिकित्सा सेवायें कृषकों के निवास स्थल उपलब्ध कराने के साथ ही साथ नई तकनीकें एवं विभागीय योजनों के सन्दर्भ में जनजाग्रति करना है। जैसा कि स्पष्ट है उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में पशुपालन अभिन्न स्थान रखता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक व्यक्तियों को आय में वृद्धि तथा पोषण में सुधार के अतिरिक्त कृषि कार्यों हेतु अतिआवश्यक बायोमॉस तथा ऊर्जा के उत्पादन में सहयोग करती है। यह क्रिया राज्य की लाखों लघु एवं सीमान्त कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराती है।

गौ विज्ञान एवं प्रौगोधिकी अनुसन्धान संस्थान – उत्तराखण्ड गाय की स्थानीय प्रजातीयों के गौमूत्र में अति महत्वपूर्ण एण्टीआक्सीडेन्टस एवं एण्टीटाक्सीन लक्षण पाये जाते है। संस्थान इसके व्यावसायिक दोहन की रूपरेखा बना रहा है।

नीतिगत प्रयास एवं सफलता – जैविक कृषि कार्य में बाह्य आगतों का निरन्तर काम करने के प्रयास निश्चित रूप से जैविक कृषि के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड में आर्थिक एवं पारिस्थितिक उद्धार हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। जैविक कृषि द्वारा उत्तराखण्ड में लागत–संवेदी कृषि के द्वारा पर्वतीय कृषि का उद्धार संभव है जिसके द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। सरकारी योजनाओं एवं संस्थानिक संगठनो की सहायता के द्वारा अन्य संभार तंत्र से सम्बन्धित सुविधा जैसे गोदाम एवं भण्डारण स्थल पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जा सकते है। विस्तार/प्रयास सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों का पूर्ण कालिक सहयोग जैविक कृषि उत्पादकों एवं विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध सथापित करने में सहायक होगा। उत्तराखण्ड उच्च मूल्य एवं निम्न उत्पादकता वाले आकर्षक दुर्गम औषधीय पादपों जैसे एमेरेन्थल आदि का मूल आवास है पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले अनेक प्रजातियां आजकल

अपनी औषधीय क्षमताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है तथा उनकी बाजार में अत्यधिक मांग है। विभिन्न गैर सरकार संगठनो के सामूहिक प्रयासों से पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक कृषक जैविक कृषि की और आकृष्ट हो रहे है। आगामी वर्ष में 10000 से अधिक परिवारों की जैविक कृषि की योजनाओं आच्छादित करने की योजना है। भविष्य में जैविक कृषि की प्रसिद्धि उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रसंस्करण उद्योग, पैकेजिग उद्योग, निर्यातक समूहों, विपणन समूहों जैसे अनेको उद्योगों हेतु व्यापार एवं रोजगार के सार्थक अवसर उत्पन्न कर सकता है।

10.8 सारांश

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की अति संवेदी पारिस्थितिकी विषम भौगोलिक स्थिति एवं भंगुर एवं निम्न उत्पादक कृषि भूमि क्षेत्र विशेष के अल्प विकास को परिभाषित करती है। किन्तु उत्तराखण्ड को जलवायु एवं नैसर्गिक गुणवत्ता यह भी निश्चित करती है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण संयोजन के द्वारा प्रकृति एवं मानव के संघर्ष को सीमित कर विकास आयामों को उच्चतम शिखरों पर स्थापित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र परम्परागत कृषि एवं परम्परागत उद्योग द्वारा क्षेत्र का विकास साधनों की न्यूनता के कारण केवल एक सीमा तक ही सम्भव है किन्तु नवपरिर्वतन, कौशल एवं स्थानिक संसाधन के बेहतर उपयोग एवं प्रबन्धन से मानवीय विकास के नये आयाम स्थापित कर उत्तराखण्ड एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

उत्तराखण्ड हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला होने के कारण भंगुर स्थलाकृति है। जिसका भौगोलिक रूप से अतिसंवेदशील मानवीय उपयोग इस पर्वत श्रृंखला की शाश्वता को सुनिश्चित करने हेतु अपरिहार्य है। 60 प्रतिशत सें अधिक वन क्षेत्र होने के कारण सामुदायिक सम्पदा अधिकार को विवेकपूर्ण उपयोग इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय हित में दीर्घकालिक उपयोग निश्चित कर सकेगा। पर्यावरण संवेदनशीलता की नई विकसित होती विश्व जनक्रान्ति के अनुरूप हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने कार्बन फुट प्रिंट (एक व्यक्ति द्वारा उसकी दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव) इस क्षेत्र में न्यूनतम कर इस क्षेत्र की भौगोलिक विविधता के अनुरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर राज्य की आय का एक अतिरिक्त स्रोत स्थापित कर सकते है, जो इस क्षेत्र की नैसर्गिक सौन्दर्य एवं विकास के मध्य सन्तुलन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में जमींदारी व्यवस्था का उददेश्य था–

(a) कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना (b) कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना
(c) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना (d) कृषकों से अधिकतम लगान प्राप्त करना

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सुधारों के फलस्वरूप–

(a) कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए (b) कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ
(c) कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है (d) कृषकों की स्थिति और बदतर हुई हैं

3. उत्तराखण्ड में कृषि–

(a) एक व्यवसाय है (b) एक जीवन पद्धति है (c) महत्वहीन कार्य है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. उत्तराखण्ड में कृषिय उद्यमों का कुल उद्यमों में अंश है–

(a) 9.8 प्रतिशत (b) 19.8 प्रतिशत (c) 29.8 प्रतिशत (d) 39.8 प्रतिशत

5. उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अतिआवश्यक है कि –

(a) आधारभूत संरचना का विकास (b) कृषि विविधिकरणजैविक एवं औषधिय कृषि को प्राथमिकता
(c) उपर्युक्त सभी

6. उत्तराखण्ड में किसानों को लाभकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कृषि महोत्सव आरम्भ किया गया–

(a) 1 जून 2008 (b) 1 जून 2009 (c) 1 जून 2010 (d) 1 जून 2011

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनतर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना का उददेश्य कृषि क्षेत्र में........ ....विकास दर प्राप्त करना है।

(a) 4 प्रतिशत (b) 5 प्रतिशत (c) 6 प्रतिशत (d) 8 प्रतिशत

8. उत्तराखण्ड में गौ मूत्र आश्वन प्रप्त किया जा रहा है–

(a) धार्मिक धारणओं के कारण (b) रूढ़ी वादिता के कारण (c) गौ मूत्र में उपलब्ध एण्टीटॉक्सिक एवं एण्टीवैक्टीरियल लक्षणों के कारण (d) उपर्युक्त में से कोई नही।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधनों को विकसित करने में डेरी विकास की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
2. महिलाओं का कृषि क्षेत्र में योगदान एवं भूमिका बताइये।
3. पुष्प कृषि के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महत्व को स्पष्ट कीजिए।
4. उत्तराखण्ड में हर्बल कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

10.9 शब्दावली

सामुदायिक सम्पदा अधिकार – प्राकृतिक रूप से सामाजिक नियमों के अनुरूप उत्तराधिकार में प्राप्त वह अभिभाज्य समाजिक प्राकृतिक सम्पदा जिसका उपयोग समाज को धारणीय विकास के मानदण्डों के अनुरूप करना आवश्यक है।

एन0 जी0 ओ0 – वह गैर सरकारी संस्था जो निश्चित उददेश्य के सन्दर्भ में जनकल्याण के कार्य में संलग्न है।

सतत विकास/ धारणीय विकास – वह विकास प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुष्ट करती है ताकि भावी पीढ़ी की भावी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता प्रभावित न होती है।

धारक क्षमता – एक प्राकृतिक क्षेत्र की अधिकतम जैव जनसंख्या की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता

कार्बन क्रेडिट – आर्थिक कार्यों में संलग्न वह आर्थिक क्रिया जो पूर्व में स्थापित मानदण्डों की तुलना में ऊर्जा संसाधनों का कम प्रयोग सुनिश्चित करता हो

कार्बन फुट प्रिंट – एक व्यक्ति द्वारा उसकी दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव।

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न– उत्तर 1. (d) 2.(c) 3.(b) 4.(a) 5.(d) 6.(a) 7.(a) 8.(c)

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. टी.एस.पपोला (एडिटेड),डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाज –ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983
2. जी.सी.डोभाल, डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियॉज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।
3. आर.टी.तिवारी उत्तरॉचल –इन्फ्रास्टकचर एण्ड इकॉनोमिक डवलपमेन्ट ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001

4. जी.एस.मेहता डवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड ईसूज एण्ड प्रोस्पेक्टस ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 1999

5. आर्थिक सर्वेक्षण – 2009–10

6. आर्थिक समीक्षा उत्तराखण्ड – 2008–09

7. रूद्ध दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली

8. भारत 2011

9. मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिगं हाऊस, मुम्बई।

10.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में भूमि सुधार के द्वारा ग्रामीण रोजगार की सम्भावनाओं पर एक लेख लिखिए।
2. उत्तराखण्ड में जैविक कृषि के द्वारा आर्थिक संवृद्धि एवं नवीन विकास सम्भावनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।
3. उत्तराखण्ड में औषधीय कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गये प्रयासों के ऊपर एक लेख लिखिए।

इकाई—11 पशुपालन एवं डेरी विकास

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 पशुपालन का अर्थ एवं महत्व

11.4 उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन

11.5 राष्ट्रीय गौ एवं महिशवंशीय प्रजनन परियोजना

11.6 पशुधन बीमा योजना

11.7 कुक्कुट पालन

11.8 सूकर पालन

11.9 डेरी विकास

11.10 मत्स्य विकास

11.11 सारांश

11.12 शब्दावली

11.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

11.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.15 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

11.16 निबन्धात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 11वीं इकाई हैं, इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेरी विकास से सम्बन्धित यह इकाई छात्र/छात्राओं को उत्तराखण्ड में पशुपालन का कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व, पशुओं का संख्यात्मक वर्गीकरण, पशुपालन का रोजगार सृजन एवं आय सृजन में महत्व, पशुपालन से सम्बन्धित उत्पादों एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां तथा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों एवं नये प्रयासों से अवगत कराना है।

11.2 उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान पायेगें कि पशु पालन एवं डेरी विकास–

1. कृषि के सहायक उद्योग में प्रमुख स्थान हैं। राज्य की आय का प्रमुख साधन है।
2. कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन में सार्थक भूमिका निभाता है।
3. कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की आय में वृद्धि करता है।
4. निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में महत्व रखता है।
5. जनता के पोषण में गुणात्मक परिवर्तन के महत्व प्रदान करता है।
6. यातायात, माल ढुलाई में योगदान देता है।
7. परिस्थितिकी तंत्र विकास में योगदान प्रदान करता है।
8. सकारात्मक परिवर्तन के सहायक रूप में।
9. मानवीय उपयोग हेतु महत्वपूर्ण उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में पशुपालन का महत्व।
10. चिकित्सा अनुसंधान एवं आयुर्वेद में पशु पालन एवं डेरी उद्योग का महत्व।

11.3 पशुपालन का अर्थ एवं महत्व

प्राचीन काल से मानव द्वारा जंगली जानवरों का आखेट एवं अनेक पशुओं को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हे पालतू बनाना एक स्वाभविक एवं प्रमुख व्यवसाय रहा है। पशु पक्षी एवं अन्य जलीय जन्तुओं को आर्थिक उददेश्य के अनुरूप व्यवसायिक स्तर पर मानवीय उपयोग हेतु विभिन्न प्रयोग में संलग्न करना पशुपालन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कृषि कार्यों में सहयोग, पशु उत्पाद जैसे दूध, जैविक खाद, मांस, अण्डे, खाल, आदि के उत्पादन एवं उपभोग हेतु सम्भावित पशुओं का व्यावसायिक पालन पशुपालन कहा जा सकता है। पशुओं द्वारा कृषि कार्य, यातायात, प्राकृतिक खाद, पशु उत्पाद जैसे मांस अण्डा, दूध, ऊन, रेशम एवं अनेको पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं जिनका निश्चित आर्थिक उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन का चिकित्सा अनुसंधान एवं आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व है।

पशुपालन का महत्व विशेषतः पारिस्थितिकी तन्त्र को सतत् विकास की अवधारण के अनुरूप जीवन पद्धति को सुचारू एवं शाश्वत बनाये रखने में भी है। बायो स्फेयर रिजर्व एवं धारक क्षमता की मूल आवधारणा में मनुष्य एवं प्रकृति का सन्तुलन स्थापित करना अपरिहार्य है।

पशुधन किसी भी देश के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते है वास्तव में पशुपालन द्वारा कृषि की तुलना में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में निर्धनता की समस्या का एक व्यापक समाधान हो सकता है। यूरोप के देशों में कुल कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक रहा है। इस प्रकार उत्तराखण्ड अर्थ व्यवस्था में पशुपालन का महत्व निम्न आय वर्ग की जनसंख्या हेतु बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की गम्भीर समस्याओं को हल करने की दृष्टि से अत्यधिक है। साथ ही साथ पशुपालन द्वारा सहायक व्यवसाय स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के नये आयाम

अवलम्बित किये जा सकते है। उत्तराखण्ड जैसे जल संसाधन की न्यूनता वाले क्षेत्रों मे पशुपालन एक प्रभावी रोजगारोन्मुख उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम का प्रयोग कर विभिन्न निर्धनता निवारण योजनाओं को सफल बनाया जा सकता हैं। पशुपालन द्वारा ग्रामीण जनसंख्या हेतु अतिरिक्त आय का सृजन सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सकारात्मक वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।

Table 19 : Livestock statistics in hill districts of Uttarakhand, 2004

Livestock	Almora	Bageshwar	Chamoli	Champawat	Pauri Garhwal	Pithoragarh	Rudraprayag	Tehri Garhwal	Uttarkashi
Veterinary hospitals	34	10							
Livestock centres	64	17	46	18	82	51	25	67	31
Cattle	237743	121121	188455	99637	357553	240748	102428	123160	106827
Desi cows (total, incl. calves)	108936	58340	89948	47061	225141	136677	53192	51222	45173
Cross-breed cows (total, incl. calves)	7404	1103	5309	9118	7738	14623	1330	1077	8117
Desi bulls (total, incl. calves)	118933	61442	83140	40165	123056	86772	46974	69659	50535
Cross-breed bulls (total, incl. calves)	2470	236	10058	3293	1618	2676	932	1202	3002
Buffaloes	109728	42250	55153	37621	66372	86877	37222	115050	38690
Yak	0	0	5	0	0	242	0	0	104
Sheep	4890	19983	45651	58	33963	32804	15636	14811	101268
Goats	171732	81105	78162	48492	150575	145173	39726	101981	95593
Horses & mules	1545	1710	5008	1194	3713	2140	1673	5014	6144
Donkeys	17	17	7	0	243	4	8	50	59
Pigs	771	72	374	605	980	151	130	480	2646
Total livestock	526426	266258	372815	187607	613399	508139	196823	368546	351331
Total poultry	62579	14737	18864	56658	68611	50506	5606	29393	39429
Hens/ cocks/ chicks	62567	14724	18864	56324	68557	50478	5606	29393	39429
Other birds	12	13	0	334	54	28	0	0	0
Other animals (dogs & rabbits)	19722	9529	15342	10028	20724	17438	5265	6982	37751

स्रोत :— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड।

उपर्युक्त आँकड़ो से स्पष्ट है कि अधिकांश पर्वतीय जनपदों में पशुचिकित्सा नहीं है जो पशुओं की जीवन सुरक्षा एवं पशुपालन कार्यो में संलग्न व्यक्तियों के संदर्भ में व्यवसायिक जोखिम के उच्च मूल्यों को इंगित करता है। साथ ही साथ पर्वतीय जनपदों में पशुपालन व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के पास संकर प्रजातियों के पशुओं (गाय, बैलों) अत्यधिक न्यूनता है जो पुनः पशुपालन उद्योग में (मुख्यतः डेरी उद्योग) निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। यदि उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को निर्धनता के कुचक्र से मुक्त करना है तो सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उत्पादन पशु प्रजातियों (दुग्ध एवं मांस) को व्यापक स्तर पर विकसित कर जनता को उपलब्ध कराना होगा ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की जनता पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार सृजन कर सके।

11.4 उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन

पशुपालन, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों में से एक है, जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कृषि पर निर्भर अधिकांश परिवारों को पूरक आय प्रदान करता है। भूमिहीन परिवारों के लिये पशुपालन से अर्जित आय ही मुख्य आर्थिक साधन है। यह पाया गया है कि जिन परिवारों के पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे 80 प्रतिशत पशुधन के मालिक है। इनमें से पशुधन का 37 प्रतिशत उन लोगों के पास है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। परिवार को पूरक आय प्रदान करने के अतिरिक्त, पशुधन जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, सूकर, कुक्कुट इत्यादि का पालना, दूध, अंडे व मांस के रूप में प्रोटीन प्राप्त करने का भी स्रोत है। माना जाता है कि सूखा पड़ने या प्राकृतिक आपदाओं जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं के समय पशुधन ही ग्रामीण आबादी के अधिकांश लोगों के लिये सहायक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से सहायक कार्यकलापों के द्वारा पशुपालन को बड़ी मात्रा में रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। सरकार एक उद्योग

के रूप में इस क्षेत्र में और अधिक सुधार व विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। पशुधन व कुक्कुट पालन की अनुवांशिक रूप से उन्नत नस्ल की गुणवक्ता की उपलब्धता बढ़ाने, बीमारियों पर नियंत्रण, कृषकों को आनुवांशिक रूप से उन्नत पशु रखने व एक स्थापित प्रणली के माध्यम से ऐसे पशुओं की हानि को बचाने के लिये, एक निश्चित सुरक्षा के उद्देश्य से अनेकों योजनायें प्रारम्भ की गई है। पशुधन क्षेत्र का कुल स0घ0उ0 में 4 प्रतिशत से अधिक का और कृषि का और सम्बन्ध कार्यो का स0घ0उ0 में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान है। यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2001–02 में इस क्षेत्र में 1066 हजार मि0टन दुग्ध उत्पादन 894 लाख अण्डा, 426 हजार किग्रा0 ऊन उत्पादन एवं 78 लाख किग्रा0 मांस उत्पादन हुआ। वर्ष 2007–08 में 1221 हजार मि0टन दुग्ध, 1910 लाख अण्डा, 360 हजार किग्रा0 ऊन तथा 78 लाख किग्रा0 मांस उत्पादन हुआ है। 17वीं पशुगणना 2003 के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 49. 43 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 19.84 लाख है। दिनांक 15 अक्टूबर 2007 के सन्दर्भ में 18वीं पशुगणना की गई है, जिसके परिणामों की प्रतीक्षा है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य का दुग्ध उत्पादन वर्ष 2001–02 में 1066 हजार मि0टन से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 1221 हजार मि0टन प्रतिदिन हो गई है, जो कि विश्व औसत की तुलना से अधिक है। दुग्ध उत्पादन में प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 2001–02 में 340 ग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर वर्ष 2007–08 में 353 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो गई।

वर्ष	प्रति व्यक्ति ग्राम/दिन	दुग्ध उत्पादन हजार मि0 टन में
2001–02	0.340	1066
2002–03	0.339	1079
2003–04	0.366	1188
2004–05	0.363	1195
2005–06	0.361	1206
2006–07	0.357	1213
2007–08	0.353	1221
2008–09(प्रस्तावित)	0.355	1245

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड।

11.5 राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना

उत्तराखण्ड में पशुधन (गाय एवं भैंस) के नस्ल सुधार हेतु उपरोक्त योजना राज्य में कार्यान्वित करने के लिए उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0) का गठन शासन द्वारा स्टेट इम्प्लीमेंन्टिग एजेन्सी (SIA) के रूप में किया गया। इस एजेन्सी अर्थात यू0एल0डी0बी0 द्वारा जुलाई 2002 से कार्य प्रारम्भ किया गया। यू0एल0डी0बी0 का उददेश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन (गाय एवं भैस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादनों में वृद्धि करना है। इन उददेश्यों की पूर्ति हेतु एस0आई0ए0 (यू0एल0डी0बी0) द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये है/किये जा रहे है।

11.5.1 स्पर्म स्टेशन, श्यामपुर का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण करके तथा स्टेशन में सांडों का रख–रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और अन्य इनपुट सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के MSP मानक के अनुसार व्यवस्थित की जा रही है। इसके फलस्वरूप इस केन्द्र को ISO 9001:2000 को स्तर प्राप्त हो गया है। केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सीमेन स्ट्रा का उत्पादन किया जा रहा है, एवं अब तक 2674560 सीमेन स्ट्रा का उत्पादन किया जा चुका है। इस प्रकार सीमेन स्ट्रा के क्षेत्र में राज्य आत्म निर्भर हो चुका है, एवं अभी तक 12 लाख से अधिक सीमेन स्ट्रा का विक्रय मिल्ट्रीडेयरी फार्म, मेरठ एवं अन्य राज्यों यथा– बिहार, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि को किया जा चुका है।

11.5.2 राज्य तरल नत्रजन आपूर्ति ग्रिड

राज्य के समस्त ए0आई0 केन्द्रों को निश्चित अनतराल पर नियमित रूप से निरंतर तरल नत्रजन एवं फ्रीजन सीमेन स्ट्रा की आपूर्ति करने हेतु गढ़वाल मण्डल के लिये श्यामपुर (ऋषिकेश) तथा कुमाऊं मण्डल के लिये लालकुंआ (नैनीताल) में एक—एक सीमेन बैंक की स्थापना की गई है, जहाँ 06—06 हजार लीटर के दो तरल नत्रजन स्टोरेज साइलो स्थापित है, जिन्हें तरल नत्रजन परिवहन टैंकरो (एक की क्षमता 06 हजार ली0 तथा दूसरे की 03 हजार ली0) से तरल नत्रजन पहुंचाया जाता रहता है, जहाँ से गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डलों को उपरोक्त स्थापित ग्रिड के अन्तर्गत तरल नत्रजन एवं फ्रीजन सीमेन स्ट्रा की निरन्तर चलते रहने वाली आपूर्ति की जाती रहती है।

11.5.3 कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

राज्य के 1009 राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, प्राइवेट ए0आई0 कर्ताओं/एन0जी0ओ0/दुग्ध संघों के ए0आई0 केन्द्रों आदि को सचल करके पशुपालकों के द्वारा ए0आई0 सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक कुल 978693 ए0आई0 हो चुकी है, जिससे 335084 संततियां (गाय की 270568 एवं भैंस की 64516) उत्पन्न हुई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में की गई ए0आई0 के माध्यम से पशुओं के गाभिन होने की सफलता दर बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई हैं। इस तरह कृत्रिम गर्भादान एवं नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुये राज्य को 36 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को आच्छादित किया जा चुका है।

11.5.4 नैसर्गिक अभिजन कार्यक्रम

राज्य के दुरूह एवं दुर्गम क्षेत्रों, जहां ए0आई0 की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, में पशुधन (गाय/भैंस) के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पशुपालन विभाग/जनपदीय दुग्ध संघों द्वारा चयनित कुल 1677 पशुपालकों को कस्टोडियन (दारिन्दा) पद्धति पर सांड उपलब्ध कराये जा चुके है जिनमें 1369 भौसा एवं 306 सांड है।

11.5.5 प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

पशुलोक ऋषिकेश में पुराने विभागीय सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया और नवीन प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा अभी तक 3861 पशुचिकित्सकों/कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं/पशुपालकों आदि का प्रशिक्षित किया गया है। एन0पी0सी0बी0बी0 योजना के अन्तर्गत भी अभी तक 9023 पशुचिकित्सकों/कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं/पशुपालकों आदि को पन्तनगर विश्वविद्यालय, एन0डी0डी0बी0 आदि ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

11.5.6 फील्ड परफोरमन्स रिकार्डिंग

दुधारू पशुओं (गाय एवं भैस) की नस्ल सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु यह कार्यक्रम ऊधमसिंहनगर, नैनीताल एवं देहरादून जनपदों की ग्रामीण दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिनके द्वारा अभी तक 2835 चयनित पशुओं को F.P.R. कार्यक्रम से जोड़कर उनके दुग्ध उत्पादन की रिकार्डिंग की जा रही है।

11.5.7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी में गाय का संरक्षण/संवर्द्धन

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी में उपलब्ध विलुप्तप्रायः राष्ट्रीय महत्व की रेड सिन्धी नस्ल की गायों के संवर्द्धन एवं संरक्षण किये जाने हेतु भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर, रेड सिन्धी गायों के भ्रुणों का संग्रहण एवं प्रत्यारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिससे अभी तक 07 वत्स उत्पन्न हो चुके है, 12 गाय गाभिन है और 50 भ्रुण संरक्षित किये गये है। उपरोक्त कार्यो के लिये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से एस0आई0ए0 (यू0एल0डी0बी0) को प्रथम चरण में रू0 1585.12 लाख एवं द्वितीय चरण के प्रथम वर्ष में रू0 287.76 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

11.6 पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना का संचालन भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सहयोग से उत्तराखण्ड के दो जनपदों यथा हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में यू0एल0डी0बी0 द्वारा किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत एक पशुपालक के अधिकतम दो उन्नत दुधारू पशुओं (गाय अथवा भैंस) का बीमा किये जाने का प्राविधान रहा है जिसके प्रीमियम का 50 प्रतिशत पशुपालक द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत का भुगतान यू0एलूडी0बी0 द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत किसानों/पशुपालकों को उनके पशुओं की आकास्मिक

मृत्यु के फलस्वरूप हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना पर अब तक रू0 38.29 लाख व्यय हो चुका है, जिससे 7415 दुधारू पशुओं (3539 गाय एवं 3876 भैंस) का बीमा किया जा चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 170 मृत पशुओं का क्लेम बीमा कम्पनियों को भेजा गया जिसके समक्ष 130 पशुओं का बीमा क्लेम पशु स्वामियों को उपलब्ध हो गया है।

11.7 कुक्कुट पालन

कुक्कुट पालन क्षेत्र में वर्ष 2007–08 में राज्य में बर्ड लू अथवा अन्य किसी मुख्य कुक्कुट रोगों का संक्रमण नहीं होने के कारण कुक्कुट उत्पाद के अन्तर्गत अण्डा उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। कुक्कुट रोगों से कुक्कुट क्षेत्र में विश्व में हो रही आर्थिक हानि को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में कुक्कुट रोगों के प्रति अधिक सहनसील (प्रतिरोधक) पक्षियों की प्रजातियां जैसे– कड़कनाथ आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अधिक आर्थिकी के लिये राज्य में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट के अतिरिक्त बटेर, टर्की आदि पक्षियों के पालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

11.8 सूकर पालन

सूकर पालन आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग हेतु एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें कम लागत व कम समय में अधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। जिस हेतु राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रेरित कर राज्य के सूकर प्रक्षेत्रों से उन्नत नस्ल (लार्ज व्हाइट यार्कशायर) के सूकर उपलब्ध कराये जा रहे है।

11.9 डेरी विकास

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुंणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थो की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेरी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है। सहकारिता में आधारभूत ढाँचा विकसित करने और आधुनिक सयंत्र व मशीनरी से सुसज्जित करने हेतु राजकीय अनुदान योजनाओं में धनराशि राजकीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश पशुस्वास्थ्य व पशुपोषण आदि सुविधायें भी मुहैय्या करायी जा रही है। राज्य की आवश्यकताओं और राजकीय नीतियों के अनुसार नयी योजनाओं का सृजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन का भी कार्य किया जाता है तथा भविष्य की सम्भावनाओं का आंकलन कर राज्य सरकार को नीतिगत विषयों में परामर्श एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 निबन्धित किये गये है। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फाउडेशन का भी गठन किया गया है जो सभी दुग्ध संघों के व्यापार का भी प्रबन्ध करता है। वर्ष 2008–09 में निर्धारित लक्ष्य 3230 के समक्ष अब तक 3113 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, गठित की जा चुकी है, जिनमें से अब तक 1958 दुग्ध समितियों का निबन्धन हुआ है। इन दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 145060 के समक्ष 125237 सदस्य लाभन्वित हो रहे है। इन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 160684 के समक्ष 120121 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया गया, साथ ही यू0सी0डी0एफ0 के प्रबंधन में विभिन्न दुग्ध संघो द्वारा इस वर्ष राज्य के नगरीय उपभोक्ताओं को 158304 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 147627 लीटर औसत दूध प्रतिदिन विक्रय किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में कुल 1.25 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्य, कुल 3113 दुग्ध समितियां, कुल 1958 निबंधित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, कुल 140 दुग्ध मार्ग, लगभग 1.20 लाख लीटर दैनिक दुग्ध उपसर्जन, लगभग 1.48 लाख लीटर दैनिक नगर दुग्ध विक्रय, 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एवं केन्द्रीय समिति के रूप में उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन गठित एवं कार्यरत, 10 दुग्धशालाऐं जिनकी दैनिक क्षमता 2.05 लाख लीटर प्रतिदिन, 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र जिनकी क्षमता 0.73 लाख लीटर प्रतिदिन, 32 वल्क मिल्क कूलर की स्थापना जिनकी क्षमता 1.09 लाख लीटर प्रतिदिन, 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला है। राज्य में डेरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखा गया है जिसमें राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रू0 764.80 लाख तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत रू0 322.36 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार डेरी विकास के योजना मद में रू0 1087.16 लाख तथा आयोजनेत्तर मद में रू0 239.37 लाख कुल रू0 1326.53

लाख का बजट का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के सहकारी दुग्ध संघो को आत्मनिर्भर बनाने में यातायात अनुदान, प्रबन्धकीय अनुदान, सिविल कार्य एवं प्लान्ट व मशीनरी की स्थापना तथा दुग्ध व दुग्ध पदार्थ विपणन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु राजकीय अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2008–09 के लिये रू0 333.95 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था जबकि रू0 266.94 लाख स्वीकृत किया गया और उसके समक्ष रू0 265.64 लाख व्यय हेतु आहरित किया जा चुका है।

11.9.1 महिला डेरी विकास योजना

महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से वर्ष 1994–95 में महिला डेरी विकास परियोजना प्रारम्भ की गई, जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 863 महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया तथा 29310 महिलाओं को सदस्य बनाया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 400 नई महिला दुग्ध समितियों के गठन व 100 निष्क्रिय समितियों के पुर्नगठन का प्रस्ताव है। वर्ष 2008–09 में रू0 262.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसके समक्ष रू0 162.00 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है, जो कि मात्र महिला डेरी विकास परियोजना को ही उपलब्ध कराया जा सका है।

11.9.2 सघन मिनी डेरी परियोजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में आगामी पांच वर्षो के लिये सघन मिनी डेरी परियोजना के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1600 मिनी डेरी स्थापित की जानी है। इस योजना में दो दुधारू पशु क्रयार्थ 30,000 रू0 बैंक ऋण, 8580.00 रूपये शासकीय अनुदान तथा 1500 रूपये लाभार्थी अंशदान मार्जिन मनी के रूप में जमा कराये जमा कराये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रति यूनिट लागत 40,080/–रूपये आती है। वर्ष 2008–09 में रू0 271.74 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसके समक्ष रू0 171.74 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है जो कि यू0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

11.9.3 सहकारी डेरी संस्थान की स्थापना

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रू0 186.91 लाख का प्रस्ताव किया गया। जिसमें वर्ष 2008–09 में आवासीय भवन के निर्माण हेतु रू0 97.11 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जोकि यू0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

11.9.4 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण(जिला योजना)

योजनान्तर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 250 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन तथा 375 निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुर्नगठन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पशु धन के सुधार के लिये पशुस्वास्थ्य सेवायें, पशुपोषक व पशुआहार आपूर्ति, पशु प्रचार प्रदर्शन व कैम्प, दुग्ध कक्ष व भूसा गोदामों का निर्माण हेतु भी राजकीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यकुशलता में सुधार व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समिति स्तर पर आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन मशीन, इलेक्ट्रानिक मिल्को टेस्टर भी उपलब्ध कराये जाते है। वर्ष 2008–09 के लिये 35 नई व 56 निष्क्रिय दुग्ध सहकारिताओं के क्रमशः गठन व पुर्नगठन का लक्ष्य है तथा रू0 322.36 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है और अब तक रू0 314.61 लाख आहरित किया जा चुका है।

11.10 मत्स्य विकास

उत्तराखण्ड में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के साथ–साथ निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यक्रम हेतु नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20075 हैक्टे0, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टे0, तथा ग्रामीण तालाब एवं पोखरों के रूप में 628 हैक्टे0 जल क्षेत्र उपलब्ध है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित की गई है। शीत जल मत्स्यिकी तथा जलजीव पालन योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय तालाब निर्माण, प्रशिक्षण आदि हेतु संस्थागत/बिना संस्थागत वित पर शासकीय अनुदान दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय तालाब निर्माण की 100 वर्ग मी0 माप की इकाई हेतु 20 प्रतिशत अनुदान देय है। योजनान्तर्गत पर्वतीय तालाब निर्माण के 164 प्रस्ताव 3.16 हैक्टे0 के स्वीकृत कर 65 तालाब 0.98 हैक्टे0 के कार्य पूर्ण कर आच्छादित किये गये तथा 153 व्यक्ति मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षित किये गये। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण/सुधार एवं निवेश तथा प्रशिक्षण आदि हेतु संस्थागत/बिना संस्थागत

वित्त पर शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 20 प्रतिशत तथा अनु0जाति अनु0जनजाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान देय है। विशेष संघटक उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु पर्वतीय तालाब निर्माण, मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रशिक्षण पर शासकीय अनुदान देय है साथ ही फिल्ड ट्रिप, मिनी किट वितरण तथा गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है। पर्वतीय तालाब निर्माण एवं मैदानी तालाब निर्माण हेतु अनु0जाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत पर्वतीय तालाब निर्माण प्रति यूनिट 100 वर्ग मी0 के 20 यूनिट कुल 0.20 हैक्टे0 तथा मैदानी तालाब निर्माण प्रति यूनिट 0.20हैक्टे0 के 12 यूनिट कुल 2.40 हैक्टे0 के स्वीकृत किये गये तथा 48 व्यक्तियों को मत्स्य पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 13 व्यक्तियों को आन्ध्रप्रदेश का फिल्ड टिप कराया गया एवं 20 फील्ड किट वितरित किये गये। राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना में निर्बल वर्ग के मछुआ समुदाय हेतु आवास आदि की व्यवस्था के लिये योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत प्रति आवास लागत रू0 40,000/– का व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था हेतु दस आवासों पर एक नलकूप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 30 मछुआ आवासों एवं 3 नलकूपों का निर्माण किया गया। प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के लिये वर्ष 2008–09 में जिला सैक्टर अन्तर्गत पांच राज्य सैक्टर अन्तर्गत नौ तथा केन्द्र पोषित योजनाओं में सात कुल 21 योजनाओं प्रस्तावित की गई है। मत्स्य पालन, मत्स्य संरक्षण, मत्स्य आहार विकास, ट्राउट मत्स्य विकास योजनायें प्रमुखता से प्रस्तुत की गई है। आयोजनागत पक्ष में कुल धनराशि रू0 998.54 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ तथा रू0 612.57 लाख की धनराशि के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 452.92 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई एवं रू0 389.82 लाख की धनराशि व्यय की गई। मत्स्य उत्पादन की वृद्दि हेतु मत्स्य बीज उत्पादन प्रमुख कार्यक्रम है। विभागीय मत्स्य क्षेत्रों एवं हैचरियों से वर्ष 2008–09 में 383.40 लाख मत्स्य बीज उत्पादित किया गया तथा निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु 192.47 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया जिसमें 10.18 लाख मत्स्य बीज अन्य प्रदेशों को निर्यात किया जाना सम्मिलित है। विभिन्न जल क्षेत्रों में मत्स्य संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 325.06 लाख मत्स्य बीज संचित किया गया। विभागीय प्रबन्धान्तर्गत झीलों में एंगलिंग हेतु एंगलिंग परमिट निर्गत किये गये। वर्ष 2008–09 में विभिन्न जलस्रोतो से 3163 टन मत्स्य उत्पादन लिया गया। वर्ष 2008–09 में सरकारी निजी भागीदारी (PPP) योजना अन्तर्गत मत्स्य आहार विकास योजना प्रस्तावित की गयी है। वर्ष 2008–09 में इस योजना हेतु 10.00 लाख की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

11.11 सारांश

उत्तराखण्ड में पशुपालन उद्योग में विस्तृत अवसर एवं तुलनात्मक रूप से मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अनूकूल जलवायु होने के कारण बेहतर सम्भावनाएं है। यद्यपि उत्तराखण्ड में कुल भूमि में कृषि भूमि का हिस्सा अत्यधिक कम है किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में विशाल चारागाह (बुग्याल) तथा विविधता पूर्ण वन पशुपालन के प्रमुख आगत के रूप में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करते है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं निरन्तर वन के कटान द्वारा चारे की दुर्लभता का प्रमुख कारण है। यदि समुदायिक सम्पदा अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाय तो उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य वन पंचायत भूमि एवं उपलब्धता वन क्षेत्रों में चारे पत्ती वाले वृक्षारोपण द्वारा उत्तराखण्ड में चारे की समस्या का निदान प्राप्त कर ग्रामीण विकास को प्रभावपूर्ण प्रगति प्राप्त की जा सकती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में....................... एक मुख्य कृषि सहायक व्यवसाय है।

   (a) पशुपालन (b) मत्स्य पालन (c) आकर्षक दुर्लभ पक्षी (d) याक

2. 17 वीं पशुगणना 2003 के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या है।

   (a) 94.4 लाख (b) 49.43 लाख (c) 73.9 लाख (d) 83.30 लाख

3. दुग्ध उद्योग में निम्न उत्पादकता का कारण है।

   (a) कृषि भूमि की निम्न उत्पादकता (b) भौगोलिक स्थिती

(c) संकर प्रजाति के पशुओं की न्यूनता (d) कोई नहीं।

4. उत्तराखण्ड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) में पशुपालन का योगदान है।

(a) 14 प्रतिशत (b) 4 प्रतिशत (c) 25 प्रतिशत (d) 29 प्रतिशत

5. पशुधन क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।

(a) गो पालन (b) मत्स्य पालन (c) कुक्कुट पालन (d) उपर्युक्त सभी

6. उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में पशुपालन द्वारा

(a) निर्धनता उन्मूलन (b) पर्वतीय क्षेत्र से व्यक्तियों के पलायन में कमी

(c) खाद्य पोषण में वृद्धि (d) उपर्युक्त सभी

7. महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से महिला डेयरी विकास योजना आरम्भ की गई।

(a)1994–95 (b) 1984–85 (c) 2001–02 (d) 2010–11

8. विगत 10 वर्षों की अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में –

(a) मामूली सुधार हुआ है (b) अत्यधिक सुधार हुआ है

(c) सामान्य सुधार हुआ है (d) ऋणात्मक सुधार हुआ है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

5. ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधनों को विकसित करने में डेरी विकास की भूमिका स्पश्ट कीजिए।

6. महिलाओं का दुग्ध सहाकरिता में योगदान एवं भूमिका बताइये।

7. कुक्कुट पालन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महत्व को स्पष्ट कीजिए।

8. उत्तराखण्ड में गौ पालन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

11.12 शब्दावली

महिला डेरी विकास योजना– महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से वर्ष 1994–95 में आरम्भ की गयी महिला डेरी विकास परियोजना ।

जीविकोपार्जन कृषि – जीवन रक्षा हेतु कृषि कार्य।

व्यावसायिक कृषि – आर्थिक रूप से लाभदायक कृषि कार्य।

जैविक कृषि – प्राकृतिक आगतों के प्रयोग द्वारा किया गया कृषि कार्य ।

परम्परागत कृषि – प्राचीन एवं अविकसित पूँजी एवं अन्य संसाधनों के द्वारा किया जाने वाला कृषि।

11.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न–उत्तर – 1.(a) 2. (b) 3.(c) 4.(b) 5.(d) 6.(d) 7.(b) 8.(a)

11.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

10. टी.एस. पपोला (एडिटेड), डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियॉज –ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983

11. जी.सी.डोभाल, डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियॉज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।

12. आर.टी.तिवारी उत्तरॉचल –इन्फ्रास्टकचर एण्ड इकॉनोमिक डेवलपमेन्ट ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001

13. जी.एस.मेहता डवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड ईसूज एण्ड प्रोस्पेक्टस ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन

न्यू देहली। 1999

14. आर्थिक सर्वेक्षण – 2009–10

15. आर्थिक समीक्षा उत्तराखण्ड – 2008–09

16. रूद्ध दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली

17. भारत 2011

18. मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिगं हाऊस, मुम्बई।

11.15 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

- उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- http://www.duiuk.org/pdfs/heavy directory.pdf.
- http://www.ibef.org/Uttarakhand_190111.pdf.
- http://www.uttaranchalbiz.com/why_uttarakhand/key-investors.
- http://www.Uttaranchal biz.com/industrial-estates.
- http://www.ibef.org/download/Uttarakhand_14oct_08.pdf.

11.16 निबन्धात्मक प्रश्न

4. उत्तराखण्ड में पशुपालन के ग्रामीण रोजगार पर योगदान में एक निबन्ध लिखिए।
5. उत्तराखण्ड में पशुपालन के द्वारा आर्थिक सृवृद्धि एवं नवीन विकास सम्भावनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।
6. उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन में सुधार हेतु किए गयें प्रयासों के ऊपर एक लेख लिखिए।
7. आधार, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों के सृजन एवं पारिस्थितकीय सन्तुलन बनाने में मत्स्य विकास की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

इकाई– 12 लेखन – ग्रामीण एवं कृषि वित्त

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ ,आवश्यकता एवं प्रकार

12.4 ग्रामीण एवं कृषि वित तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध

12.5 उत्तराखण्ड में बैंकिग सेवा

12.6 उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिग कार्यो की प्रगति

12.7 किसान क्रेडिट कार्ड योजना

12.8 उत्तराखण्ड राज्य में लघु वित्त

12.9 सारांश

12.10 शब्दावली

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

12.13 निबन्धात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 12वीं इकाई हैं, इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

उत्तराखण्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास है। उत्तराखण्ड के ग्रामीणों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। भारत में नियोजित विकास कार्यक्रम की शुरूवात से ही ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार अवसरों का सृजन सामाजिक वैज्ञानिक, नीति निर्धारकों, नियोजको, राजनैतिज्ञों एवं सामाजिक संगठनों के लिये एक मूल प्रश्न रहा है। यह समस्या इसलिये और भी गम्भीर है क्योंकि विगत नियोजन काल इस सन्दर्भ में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप आर्थिक संवृद्धि तथा सकल उत्पादनों सम्बन्धित संकेताओं में तो सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये किन्तु ग्रामीण बेरोजगारी एवं ग्रामीण निर्धनता के स्तरों में वास्तविक कमी नहीं आयी है। जिसके फलस्वरूप भारत में नियोजित विकास के लगभग 60 वर्षो के उपरान्त भी कृषि क्षेत्र पर रोजगार हेतु निर्भरता में कृषि क्षेत्र के राष्ट्रीय आय में योगदान में ह्रास के अनुरूप कमी स्पष्ट नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषि सहायक व्यवसायों की वित सम्बन्धी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर हेतु उचित वित्त व्यवस्था संरचना अत्यधिक आवश्यक है। इस इकाई में हम यह जानने का प्रयास करेगें कि उत्तराखण्ड में वित्तीय संरचना की स्थिति किस प्रकार की है तथा विगत वर्षो में क्या–क्या परिवर्तन इस सन्दर्भ में हुये है। इस इकाई में उत्तराखण्ड में बैकिंग व्यवस्था, सहकारी समितियां तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानो का अध्ययन किया जायेगा जो एक क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है। समग्र रूप से यह सब संस्थाये ग्रामीण विकास से एक सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। यह संस्थायें क्षेत्र की जनसंख्या हेतु साख उपलब्ध कराती है, विनियोग करती है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या की स्थिति में आर्थिक सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। साथ ही साथ बैंकिग संरचना के फलस्वरूप एक क्षेत्र की जनसंख्या में बचत एवं विनियोग की महत्वपूर्ण आदत का निर्माण सम्पोषित होता है जो पूँजी निर्माण एवं धारक क्षमता में वृद्धि हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

12.2 उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान पायेगें कि –

1. ग्रामीण विकास में ग्रामीण वित्त का महत्व।
2. ग्रामीण वित्त की आवश्यकता एवं इसके प्रकार।
3. ग्रामीण एवं कृषि वित तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध।
4. उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिग कार्यो की प्रगति।
5. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी वित्त सम्बन्धी योजनाएं।
6. ग्रामीण विकास में लघु–वित्त की भूमिका।

12.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ, आवश्यकता एवं प्रकार

ग्रामीण जनसंख्या अपनी कृषीय एवं अकृषीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए विभिन्न उददेश्य हेतु अलग–अलग अवधि के ऋण लेती है ग्रामीण साख (ऋण) एक बहुचरीय प्रक्रिया है, जो उददेश्य, काल, ऋण सुरक्षा, कृषि जोत के आकार आदि संकेतको द्वारा निर्धारित होती है। ग्रामीण एवं कृषि वित्त की समस्या को समझने एवं इसका व्यावहारिक विश्लेषण करने हेतु यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि ऋण प्राप्त करने वाली जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है तथा उन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होगी। कृषकों की आवश्यकताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1. नगद फसलों हेतु ऋण
2. खाद्यय फसलों हेतु ऋण
3. लोरीकल्चर एवं बागवानी हेतु ऋण
4. पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु ऋण

ऋणी कृषकों के कृषि जोतों के आधार पर वर्गीकरण

कृषकों का विवरण– बड़े कृषक, मध्यम कृषक एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों के रूप में भी किया जाता है जो कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सामान्यतः स्वीकार्य वर्गीकरण है। कृषि जनसंख्या की आवश्यकता को उपयोग के

आधार पर उत्पादन एवं विनियोग हेतु ऋण तथा उपभोग हेतु ऋण के रूप में विभाजित किया जाता है।

उत्पादन एवं विनियोग हेतु ऋणों का निम्नलिखित वर्गीकरण है।

1. बीज, खाद एवं चारे हेतु।
2. लगान, मजदूरी, कर, चुंगी की अन्य भुगतान हेतु।
3. सिंचाई व्यवस्था एवं जल क्रय हेतु।
4. अन्य कृषिय व्यय हेतु।
5. पशु पूँजी (पशुपालन) हेतु।
6. भूमिसुधार हेतु।
7. कृषि यांत्रिक के क्रय एवं मरम्मत हेतु।
8. सिंचाई के नवीन साधन विकसित करने हेतु।
9. कृषि यातायात के उपकरणों के क्रय हेतु।
10. कृषि पर अन्य पूँजीगत व्यय हेतु।

उपभोग आवश्यकताओं हेतु ऋणों का वर्गीकरण निम्नलिखित है।

1. घरेलू उपयोग के उपकरण हेतु।
2. स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य व्यय हेतु।
3. आवास का निर्माण एवं मरम्मत हेतु।
4. सामाजिक उत्सवों, संस्कारों हेतु।
5. आभूषणों के क्रय हेतु।
6. पुराने ऋणों को चुकाने हेतु।
7. कानूनी कार्यो मुकदमो हेतु।

ऋणों के प्रकार

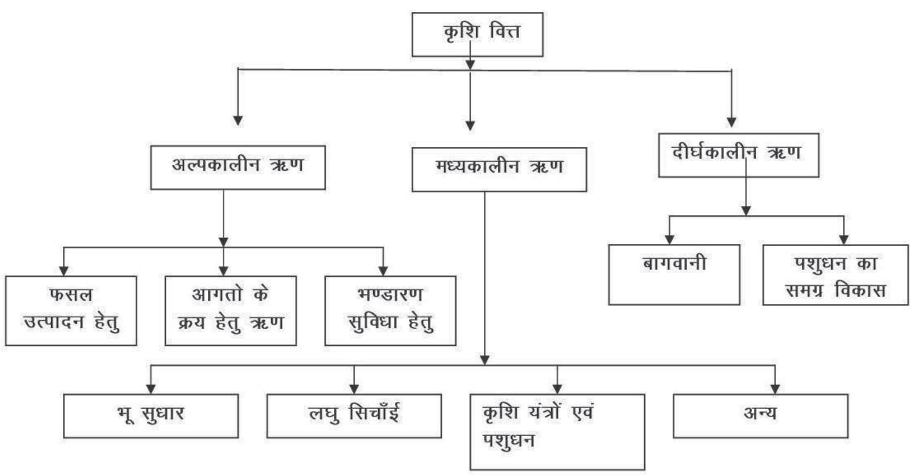

सुरक्षा की दृष्टि से कृषि ऋण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. सुरक्षित ऋण
2. असुरक्षित ऋण

ऋण की मात्रा एक ऋण सेवा (ब्याज की दर) ऋण सुरक्षा की अवधारणा द्वारा निर्धारित होती है। सामान्तयः सुरक्षित ऋणों की मात्रा अधिक हो सकती है तथा ऋण सेवा भार की सापेक्षता कम होता है। सरकारी एवं संगठनात्मक साख संरक्षित ऋणों को उपलब्ध कराती है। जबकि गैर संगठनात्मक साख ब्याज की दरें असुरक्षा की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक होती है। वित्तीय संरचना के अभाव में ग्रामीण कृषक अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं हेतु असुरक्षित ऋणों पर निर्भर रहते है।

स्थानीय साहूकार, व्यापारी, भूमिपति, मित्र एव सम्बन्धी द्वारा दिया जाने वाला ऋण सामान्यतः असुरक्षित एवं मौखिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। जिसके फलस्वरूप अशिक्षित एवं गरीब जनसंख्या का वित्तीय शोषण होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रो में वित्तीय संरचना को सम्पुष्ट करना तथा सूक्ष्म वित्त योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या में बचत प्रवृत्ति को विभाजित करना है ताकि ग्रामीण जनता अनावश्यक एवं अनुत्पादक ऋणभार से मुक्त रह सके।

12.4 ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध

कृषि विकास ही मुख्यतः ग्रामीण विकास की नीव है। कृषि विकास तथा कृषिवित्त एवं साख ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध ऋण व्यवस्था कृषि उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। परम्परागत फसलों एवं नगद फसलों हेतु अल्पकालीन ऋण व्यवस्था, आगतों के क्रमिक वृद्धि तथा आकास्मिक वित्त आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर कृषि फसल सुरक्षा एवं निरन्तरता को प्रोत्साहित करती है जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि का कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में कृषि एवं ग्रामीण वित्त की उपलब्धता ग्रामीण जनसंख्या को नव पर्वतन हेतु उत्प्रेरित भी करती है जिसके फलस्वरूप कृषक वर्ग गैर परम्परागत क्षेत्र में उद्यम कर अतिरिक्त आय सृजन कर सकता है। ग्रामीण वित्त एवं साख द्वारा कृषि सहायक क्रियाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, लोरीकल्चर, औषधीय कृषि को प्रोत्साहन मिलता है जो पुनः अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप में क्षेत्र की धारक क्षमता में वृद्धि एवं कृषि निर्भरता में ह्रास द्वारा प्रभावित करता है।

12.5 उत्तराखण्ड में बैंकिग सेवा

संस्थागत वित्त की उन्नति मूल रूप से प्रदेश के संस्थागत ढाँचे तथा उसकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश का संस्थागत ढँाचा एवं कार्य प्रणाली सहज होगी, उतनी ही तीव्र गति से उन्नति के मार्ग पर प्रदेश अग्रसर होगा। विकास के लिये पूँजी की आवश्यकता का विशेष महत्व है जो मुख्यतः संस्थागत वित्त से प्राप्त होती है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में वर्ष 2007–08 में 31 मार्च, 2008 को कुल बैंको की संख्या 40 है जिनमें कुल 23 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा कुल 17 गैर राष्ट्रीकृत एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इनकी कुल शाखायें 1245 है जिनमें से कुल 774 राष्ट्रीयकृत शाखाएं, कुल 178 शाखाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 219 कॉपरेटिव, 74 प्राइवेट बैंक शाखाएं है। वर्ष 2007–08 में 31 मार्च, 2008 तक कुल जमा धनराशि 32866 करोड़ रूपयों के सापेक्ष कुल 13592 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई। इस प्रकार ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2008 को 41.00 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2006–07 में 31 मार्च, 2007 को ऋण जमा अनुपात 39.00 प्रतिशत था। जनसंख्या के अनुसार ऋण जमा अनुपात ग्रामीण 38, अर्द्ध शहरी 48 तथा शहरी 40 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड राज्य के लिये वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 3,70,000 लाख के सापेक्ष 31 मार्च, 2008 तक रू0 3,65,231 लाख तक वितरण किया गया जो लक्ष्य का 99 प्रतिशत है। वर्ष 2007–08 में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का 19 प्रतिशत था एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का 41 प्रतिशत था उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत 10 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत 67 प्रतिशत था।

राज्य में बैंकिग कार्यो की प्रगति

क्र0सं0	मद	2005–06	2006–07	2007–08
1.	शाखाओं की संख्या	1123	1156	1245
2.	कुल जमा	20726	27441	32866
3.	कुल वितरित ऋण	9650	10707	13592
4.	ऋण जमा अनुपात	46	39	41
5.	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	4088	5561	3652
6.	कुल अग्रिम क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	42	52	27
7.	कृषि में अग्रिम	1492	1832	2648
8.	कुल में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	15	17	19
9.	लघु उद्योगों में अग्रिम	1255	1136	1423
10.	सेवा क्षेत्र में अग्रिम	2271	2501	9119
11.	अन्य कमजोर वर्गो के लिये अग्रिम	1014	1254	1522

स्रोत :– मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड।

2008–09 के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड में बैंको की 1326 शाखाएं है प्रत्येक शाखा औसत रूप में लगभग 7000 व्यक्तियों को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराती है। उत्तराखण्ड में संस्थागत वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित ऋण में जिलावार अत्यधिक भिन्नता स्पष्ट होती है। कृषि क्षेत्र एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण वितरण बागेश्वर एवं टिहरी गढ़वाल को छोड़कर अन्य जिलों के लिए 40 प्रतिशत से कम रहा है। सी0डी0आर0 (क्रेडिट डिपोजिट अनुपात) साख जमा अनुपात भी वर्ष 2007 के आँकड़ो के अनुसार पर्वतीय राज्यों के लिये 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रहा है जबकि उत्तराखण्ड के लिए जमा–साख अनुपात 45 प्रतिशत रहा।

बैंकिग सेवाएं

स्वयं सहायता समूह – बैंक राज्य में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लिंकेज करके ग्रामीण क्षेत्र में लघु ऋण क्रान्ति लाना चाहता है। इस लिंकेज कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों में लगभग 5000 महिलाओं/किसानों एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों द्वारा विभिन्न उत्पादों का लगभग 100 स्ट्रॉल प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु लगाये गये।

किसान मेला – अखिल भारतीय किसान मेला, पन्तनगर कृषि विश्व प्रचार प्रसार तथा विभिन्न मेलों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, ट्रैक्टर ऋण, डेयरी कार्ड, लीची कार्ड तथा मैंगो कार्ड किसानों को खेती हेतु उपलब्ध कराये गये।

किसान कॉल सेन्टर – राज्य में किसानों को बैंकिग योजनाओं के विषय में दूरभाष संख्याः 1551 द्वारा त्वरित सेवा उपलब्ध करा रहा है।

कृषि सेल की स्थापना – आंचलिक स्तर पर कृषि व्यवसाय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका प्रबन्धन सहायक महाप्रबंधक (कृषि) को सौंपा गया है।

मार्केटिंग एवं वसूली टीम – ग्रामीण स्तर पर कृषि विशेषज्ञों की टीम योजनाओं की जानकारी देने तथा कृषि ऋण वसूली के लिये कार्य करती है जिनकी संख्या 54 तक पहुँच गई है। टीम तत्काल किसानों के ऋण आवेदन पत्र भरकर शाखाओं को ऋण स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराते है।

कृषि अधिकारियों की नियुक्ति – राज्य में बागवानी, औषधीय एवं फूलों की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुये विभिन्न कृषि अधिकारियों को किसानों की सुविधा हेतु नियुक्त किया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी – पशुपालन क्षेत्र के तीव्रता से विकास हेतु 72 पशुपालकों को रू0 22 लाख के डेयरी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये है।

गन्ना फसलों का नया वित्तमान – राज्य के गन्ना उत्पादकों की ऋण सम्बन्धी मांग पूर्ति के लिये फसल वित्तमान रू0 42000/–प्रति है0 से बढ़ाकर रू0 53500/– प्रति है0 ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।

वित्तीय शिक्षा एवं सलाहकार केन्द्र – पांच जिलों (पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी) में वित्तीय शिक्षा एवं सलाहकार केन्द्र खोले गये हैं। सभी केन्द्रों पर समस्याओं का निदान त्वरित कर दिया जाता है।

12.6 किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के0सी0सी0 योजना)

किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0), किसानों की बैंक तक पहुंच में सुधार लाने और ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा ऋण के उपयोग में सुधार लाने के लिये विकसित किये गये उत्पादों में एक प्रमुख उत्पाद है। नाबार्ड द्वारा 1998–99 में केसीसी पर मॉडल स्कीम तैयार की गई जिसका लक्ष्य किसानों की सभी ऋण जरूरतों को फॉर्म एप्रोच अपनाते हुये किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की उत्पादन, निवेश उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना की सफलता इस बात से ही सिद्ध है कि देश की बैंकिग प्रणाली द्वारा 31 मार्च 2008 तक 7.5 करोड़ कार्ड जारी किये जा चुके थे।

	एजेन्सी	जारी कार्डो की संख्या
1.	सहकारी बैंक	34,800,663
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10,056,787
3.	वाणिज्य बैंक (31 मार्च 2007 की स्थिति)	26,611,006
	कुल	**71,468,456**

योजना का उद्देश्य –

किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रमुख अभिनव ऋण वितरण व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य, किसानों को बैंकिग प्रणाली से आसान और किफायती ढंग की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है।

केसीसी योजना की प्रमुख विशेषताएं

किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में मौखिक पटट्े पर, किराए पर बंटाई के आधार पर खेती करने वाले किसानों सहित सभी किसान शामिल है। कार्ड धारक को परिक्रामी नकद ऋण सुविधा उपलब्ध होती है जिससे कार्ड धारक मंजूर ऋण सीमा के भीतर कितनी बार आहरण और चुकौती कर सकता है। सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांगता को कवर करने के लिए रू0 50000/– तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध है। कृषि और सहायक क्रिया कलापों के लिए उपभोक्ता ऋण के उचित भाग के लिए मियादी ऋण भी प्रदान किया जाता है। कार्ड धारक की खेती की भूमि जोत, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली खेती की पद्धति और सम्बन्धित क्षेत्र में अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिये जिला स्तरीय तकनीकि समिति द्वारा अनुमोदित वित्तमान के अनुसार ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। कृषि और सहायक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध ऋण सीमा के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत मियादी ऋण तथा क्रियाशील पूँजी ऋण भी शामिल होगें, कृषि और सहायक क्रिया कलापों आदि के लिए मियादी ऋण क्रियाशील पूँजी ऋण की सीमा का निर्धारण किसान द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित आस्ति/आस्तियों इकाई लागत, फॉर्म में पहले से ही किया जाने वाले सहायक क्रिया कलापों, किसान पर मौजूदा बकाया ऋण सहित उसके कुल ऋण को ध्यान में रखते हुये बैंक द्वारा उसकी चुकौती क्षमता के सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। कार्ड धारक द्वारा किए गये प्रत्येक आहरण की चुकौती 12 महीनों के भीतर अपेक्षित है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने में ऋण परिवर्तन/पुनः अनुसूचीकरण की अनुमति है। केसीसी योजना के अन्तर्गत, अधिसूचित फसलों के लिये संवितरित फसल ऋण राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत कवर किए जाते है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं और कीट आक्रमण आदि के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के आदेश पर प्रारम्भ की गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता

क) किसानों को लाभ
आसानी और सुगमता से पर्याप्त मात्रा में ऋण की प्राप्ति।
समय पर ऋण की आश्वासित उपलब्धता और आसान नवीकरण।
किसानों पर कम ब्याज भार, किसान के पास जब भी अतिरिक्त राशि हो वह नकद ऋण की पूर्व चुकौती कर सकता है और इस प्रकार उस ब्याज का भार कम हो सकता है।
किसान के लिए लेन–देन की लागत कम से कम होती है, उसे ऋण मंजूरी के लिए शाखा में कम से कम जाना पड़ता है। तीन वर्ष में एक सरल कागजी कार्यवाही (वार्षिक कागजी कार्यवाही की तुलना में) करनी होती है।
दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता के लिए बहुत ही कम प्रीमियम दर पर बीमा सुविधा।
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बैंको को स्वनिर्णय की अनुमति दी गई है। वे या तो किसी जनरल इन्श्योरेन्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जिप्सा) के सदस्य साधारण बीमा कम्पनी या निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते है ताकि प्रतियोगी इसका ऑफरों का लाभ ले सके और अन्ततः उधारकर्ता को भी इसका लाभ हो।

उत्तराखण्ड राज्य में 31 मार्च, 2009 तक कुल 5.97 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बैंकिग प्रणाली द्वारा जारी कर दिये गये है, जिनमें सहकारी बैंकों का योगदान 46.90 प्रतिशत, व्यवसायिक बैंको का योगदान 45.73 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का योगदान 7.37 प्रतिशत रहा है।

भारत सरकार के अनुदेश पर नाबार्ड सहकारी बैंको एवं क्षेत्रीय बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ने

के लिए सभी किसानों, जिनमें चूककर्त्ताओं, मौखिक पटटेदारों बटाईदारों और काश्तकारों को शामिल किया गया है। इन सभी को चिन्हित कर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभान्वित कराने की अपेक्षा की गई हैं ताकि राज्य में सभी किसानो को केसीसी से लाभन्वित किया जा सके साथ ही साथ केसीसी के माध्यम से नये किसानो तथा स्कीम के दायरे से छुटे सभी किसानों को बैंको द्वारा लाभन्वित कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

31.03.2009 की स्थिति			
संस्था	जारी केसीसी की संख्या (लाख में)	प्रतिशत	ऋण अवशेष (रू0 लाख में)
व्यावसायिक बैंक 31 दिसम्बर 2008	2.73	45.73	36022.48
सहकारी बैंक	2.80	46.90	5652.14
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.44	7.37	3994.43
योग	5.97	100	45669.05

12.8 उत्तराखण्ड राज्य में लघु वित्त

नाबार्ड ने 8 वें दशक के मध्य से बैंकिग ऋण तथा बैंकिग प्रणाली तक निर्धनों की पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्धन लोगों के उस तब के में लघु (सूक्ष्म) ऋण की अवधारण को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया था जिस तबके को बैंकिग प्रणाली द्वारा हाशिए पर रखा गया था। नाबार्ड ने वर्ष 1992 में 'स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) बैंक लिंकेज' मॉडल को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में मात्र 500 समूह के गठन के लक्ष्य से शुरू किया था जो आज देश के सूक्ष्म वित्त सेवायें प्रदान करने के एक प्रमुख मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। इस प्रयोग से बैंकिग प्रणाली और निर्धन तबके के मध्य विश्वास ही पैदा नहीं किया बल्कि उस पूर्वाग्रह को भी खत्म किया कि निर्धन तबके बैक योग्य नहीं होते। अन्ततः बैंकिग सुविधा से वंचित जनता की औपचारिक वितीय सेवाओं तक पहॅुच हो जाती है। इस कार्यक्रम से बैंक को समय से ऋणों की अदायगी, निर्धन जनता और बैंक की लेन–देन लागत में कमी एवं ऋणों की समय से तथा गरीबों की दहलीज पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। 31 मार्च, 2009 प्रदेश में 3568 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा अब तक इन समूहों की कुल संख्या 44768 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में 3408 स्वयं सहायता समूहों को बैंको से जोड़ा गया इस तरह क्रेडिट लिंक्स समूहो की कुल संख्या बढ़कर 28680 हो गई है। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के संवर्धन एवं उनके पोषण के लिए गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सरकारी बैंको का अनुदान सहायता देना जारी रखा तथा प्रदेश में वर्ष 2008–09 के दौरान 121 गैर सरकारी संगठनों को रू0 154.14 लाख की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से रू0 51.86 लाख वितरित किये जा चुके है। स्वयं सहायता समूह की मजबूती हेतु समूह सदस्यों को आयवर्धक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाये तथा उनका बाजार से भी लिंकेज कराया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये नाबार्ड ने एम ई डी पी योजना के अन्तर्गत 04 गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से विभिन्न आयवर्धक क्रियाकलापों हेतु 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के नियम अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के लोगों को शामिल किया गया तथा दस समूहों को उत्तरायणी मेले में समूहों के उत्पादन बेचने के लिए स्टॉल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के क्षमता निर्माण हेतु 07 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें लगभग 210 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

12.9 सारांश

वर्तमान प्रजातांत्रिक एवं उपभोक्तवादी समाज में आर्थिक विकास हेतु पूंजी की अनवरत प्रवाह एक अनिवार्यता है। अतः उत्तराखण्ड जैसे एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था का निवास के अनूकूलतम स्तर तक पंहुचाने के प्रयास में वित्त की समुचित आपूर्ति अति आवश्यक है। संगठित क्षेत्र के क्रमिक एवं नियोजित विकास अल्प आय वर्ग को बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं लघु वित्त के बहुआयामी स्वरूप को पर्वतीय क्षेत्र में जन जाग्रित के रूप

में स्थापित कर निर्धन ग्रामीण जनता को उसकी दैनिक आवश्यकताओं की समस्याओं से मुक्त कर मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन बचत योजना से जोड़कर प्रभावकारी पूँजी निर्माण की नीव स्थापित की जा सकती है। अन्ततः क्षेत्र की धारक समता में वृद्धि का विकासात्मक सम्भावनाओं को वास्तविक रूप से धरातल या अवलम्बित करने में सफल होगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न–

1. ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की आवश्यकता होती है।

   (a) नकद फसलों हेतु (b) बागवानी हेतु (c) भूमि सुधार हेतु (d) उपर्युक्त सभी

2. कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण लिये जाते है।

   (a) फसल उत्पादन हेतु (b) भु–सुधार हेतु (c) लघु सिंचाई हेतु (d) पूँजीगत व्यय हेतु।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा बाजार सामान्यतः –

   (a) असंगठित क्षेत्र के नियंत्रण में (b) संगठित क्षेत्र के नियंत्रण में (c) व्यक्तिगत व्यवसायिक बैंको द्वारा संचालित (d) विदेशी बैंके के द्वारा संचालन

4. उत्तराखण्ड में मार्च 2008 में कुल.................................राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी।

   (a) 5 (b) 9 (c) 23 (d) 43

5. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त एवं साख प्रबन्धन असंगठित क्षेत्र के नियन्त्रण में होने के कारण

   (a) समस्त ऋण उपलब्ध होना (b) बिना जमानत के धन उपलब्ध होना

   (c) दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध होता है। (d) ग्रामीण जनता का शोषण होता है।

6. के0 सी0 सी0 किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा–

   (a) कार्ड धारकों को ऋण सुविधा प्राप्त होती है। (b) दुर्घटना बीमा सुविधा प्राप्त

   (c) प्राकृतिक आपदाओं में किसान के वित्त की सुरक्षा (d) उपर्युक्त सभी ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में ग्रामीण वित्त की आवश्यकता।
2. उत्तराखण्ड में ग्रामीण एवं कृषि वित्त की प्रमुख समस्याएं।
3. ग्रामीण विकास में लघु वित्त का महत्व।

12.10 शब्दावली

संगठित क्षेत्र – आर्थिक दृष्टि से महत्व पूर्ण वह क्षेत्र जो निश्चित नियमों की परिधि में आर्थिक कार्यों में संलग्न होते है।

असंगठित क्षेत्र – आर्थिक दृष्टि से महत्व पूर्ण वह क्षेत्र जो मौखिक एवं मनमाने नियमों के अनुरूप आर्थिक कार्यों में संलग्न होते है।

किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) – किसानों को बैंकिग प्रणाली से आसान और किफायती ढंग की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने वाली बैंकिग व्यवस्था।

लघु वित्त – ग्रामीण निर्धन जनसंख्या की दैनिक आवश्यकताओं हेतु संगठित बैंकिग प्रणाली के सहयोग से कम लागत पर सुरक्षित वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराना।

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न–उत्तर – 1.(d) 2. (a) 3. (a) 4.(c) 5. (d) 6. (d)

12.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

19. टी.एस.पपोला (एडिटेड),डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियॉज –ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983

20. जी.सी. डोभाल, डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियॉज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।

21. आर.टी.तिवारी उत्तरॉचल –इन्फ्रास्टकचर एण्ड इकॉनोमिक डेवलपमेन्ट ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001

22. जी.एस.मेहता डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड ईसूज एण्ड प्रोस्पेक्टस ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 1999

23. आर्थिक सर्वेक्षण – 2009–10

24. आर्थिक समीक्षा उत्तराखण्ड – 2008–09

25. रूदार दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली

26. भारत 2011

27. मिश्रा एण्ड पुरी,,भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिगं हाऊस, मुम्बई।

12.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में ग्रामीण एवं कृषि वित्त पर एक निबन्ध लिखिए।
2. उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में ग्रामीण वित्त के महत्व एवं इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत व्याख्या कीजिए।
3. ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध को स्पष्ट करते हुये एक निबन्ध लिखिए।
4. ग्रामीण एवं कृषि वित्त के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता एवं प्रगति पर व्याख्या कीजिए।

इकाई 13: औद्योगिक संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 औद्योगिक संरचना

13.4 उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना

13.5 उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना

13.6 सांराश

13.7 शब्दावली

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

13.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

13.10 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

13.11 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

'उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास' खण्ड की यह पहली इकाई है, इससे पूर्व के खण्ड के अध्ययन से आप उत्तराखण्ड की कृषि व्यवस्था को जान गये है। किसी भी प्रदेश के विकास में कृषि तथा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

इस इकाई में उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व तथा पश्चात् राज्य की औद्योगिक संरचना में किन उद्योगों का प्रमुख स्थान रहा है।

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण औद्योगिक संरचना को समझेंगे।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको :–

- उत्तराखण्ड में कार्यरत विभिन्न उद्योगों की संक्षिप्त जानकारी हो जायेंगी।
- उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना को समझ सकेंगे।
- उत्तराखण्ड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की जानकारी हो जायेंगी।

13.4 औद्योगिक संरचना

किसी भी देश या राज्य की औद्योगिकी संरचना से उस क्षेत्र में स्थापित और कार्यरत, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थिति तथा विविधता की जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में औद्योगिक संरचना से अर्थ उद्योगों के ढाँचे या स्वरूप से लगाया जाता है जो एक देश या राज्य में एक समय विद्यमान हो, क्योंकि आर्थिक विकास एक नियमित एवं निरन्तर प्रक्रिया है। इसलिए उद्योगों का स्वरूप और ढाँचा स्थिर नहीं होता, इसमें समय–समय पर परिवर्तन होते रहते है। जैसे–जैसे किसी देश या राज्य की शक्ति के साधन, श्रम की कार्यकुशलता तथा उत्पादन तकनीकी का विकास होता जाता है, वैसे–वैसे ही उस देश या राज्य की उद्योगों की संरचना भी बदलती रहती है। जिसे औद्योगिक संरचना में परिवर्तन कहते है।

उत्तराखण्ड भारत का 27वां राज्य है। जिसका जन्म 9 नवम्बर 2000 को हुआ, राज्य स्थापना के समय इसकी औद्योगिक संरचना ऐसी नही थी जैसी वर्तमान में है। उस समय राज्य में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, युवा व श्रमिक पलायन को विवश थे, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को 'मनी आर्डर अर्थव्यवस्था' कहा जाता था। राज्य में खादी ग्रामोद्योग, हस्तकला, कृषि तथा वन आधारित उद्योग ही स्थापित थे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में ही कुछ उद्योग थे, अन्य जिलों में उद्योग लगभग न के बराबर थे। उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना का वास्तविक आंकलन व विश्लेषण करने के लिए उपर्युक्त आंकड़ों का अभाव था। इसलिए औद्योगिक संरचना की व्याख्या जनगणना व अन्य सम्बन्धित विभागों के आंकड़ों व रिपोर्टों के आधार पर की जाती रही। वास्तव में उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना को समझने के लिए उसे दो भागों में बांटा जा सकता है।

- उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना।
- उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना।

13.4 उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है, जिससे उद्योगों में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों जैसे खादी, ऊन, काष्ठकला, चमड़ा, चूना पत्थर, स्लेट आदि की प्रमुखता रही है, जो स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित रहे है। यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए भोटिया हॉकरो तथा मैदानी जुलाहों द्वारा गांवों में ही जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य का प्रारम्भ पर्वतीय ऊन योजना से प्रारम्भ हुआ था। जो बागेश्वर चरखा ऊन उद्योग आन्दोलन के रूप में अमर है। समय और आवश्यकतानुसार धीरे–धीरे रेशम, खादी, हथकरघा, मधुमक्खी पालन, काष्ठकला उद्योग, हस्तशिल्प व अन्य वन

आधारित उद्योगों का विकास हुआ।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित औद्योगिक नीति का अनुसरण करते हुए पर्वतीय क्षेत्र में तृतीय योजना काल में कुमाऊं गढ़वाल मण्डलों में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रारम्भ हुई। जिसमें इंजीनियरिंग, रासायनिक व कागज उद्योग की कुछ इकाईयाँ स्थापित की गई। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना में प्रमुख रूप से निम्न उद्योग सम्मिलित किये जा सकते है –

13.4.1 . घराट उद्योग –घराट का स्थानीय नाम घट है, जो पानी से चलित होते है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग ही है, जिससें गेंहू, मडुवा, चुवा, दालें आदि की पिसाई की जाती है। पहाड़ों में स्थायी पैतृक सम्पत्ति की भांति पुत्रों में घराट का भी बटवारा होता है। घराट स्थानीय गाड़–गधेरों पर स्थापित किये जाते है, और पानी की उपलब्धतानुसार स्थायी या मौसमी होते है। यद्यपि आधुनिक तकनीक को अपनाने से इसका उपयोग न के बराबर रह गया है।

13.4.2 . चमड़ा व जूता उद्योग :–पर्वतीय क्षेत्र से मरे हुए जानवरों की खाल निकालने और उसका चमड़ा बनाकर जूते बनाने वाले कारीगर बाडे या बाड़ी कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में अनाज के बदले जूते लिये जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र के चन्दपुरी, मजोठी तथा कौब गांव तथा कुमांऊं क्षेत्र के लोहाघाट तथा पिथौरागढ़ के निकटवर्ती गांव में बड़ी संख्या में बाड़े निवास करते थे। जूते के अलावा ये चमड़े के थेले व मस्सक बनाकर पूरे क्षेत्र में व्यापार करते थे। धीरे–धीरे यह कुटीर उद्योग बन्द होने लगे।

13.4.3 . काष्ठ कला उद्योग :–उत्तराखण्ड के अधिकांश भाग में वनों की अधिकता है। जिससे लकड़ी की उपलब्धता से घरेलू लकड़ी कारीगरो को रोजगार प्राप्त होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकान व गौशाला निर्माण में लकड़ी के स्लीपर व बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगरों को बढई कहा जाता था। जो विभिन्न लकड़ियों से प्रवेश द्वार, खिड़कियाँ, छज्जा, स्तम्भ, जंगले, आलमारियाँ, लकड़ी के सन्दूक, फर्नीचर, मूर्तिया व घराट के उपकरण बनाते थे। इसके अतिरिक्त यह कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे हल, पलटा आदि बनाने का काम करते थे।

13.4.4 . हस्त निर्मित कागज उद्योग :–गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में हाथ से कागज उत्पादन का कार्य काफी पुराने समय से किया जाता रहा है। भोज पत्रों के बाद हाथ से बने कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है। वाल्टन ने पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया था। जिस घास से यह कागज बनाया जाता था गढ़वाल में उसे सतपूड़ा या सतबडुआ और कुमाऊं में बडुआ कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में हस्त निर्मित कागज बढ़ी मात्रा में बनता था। इस कागज का उपयोग मुख्य रूप से जन्म कुण्डली, धार्मिक ग्रन्थ, राजस्व लेखे, जन्म–मृत्यु का लेखा आदि रखने में किया जाता था।

13.4.5. रेशा उद्योग :–उत्तराखण्ड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा घास भीमल (भिमू), मालू, जंगली कंडाली तथा बाबड़ जैसे रेशेदार घास तथा वृक्ष होते है। जिनका रेशा निकाल कर रस्सियां बनाई जाती है गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि जानवरों को बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। साथ ही इन रस्सियों को प्रयोग चटाई बनाने हेतु के लिए भी किया जाता है। भांग व सेल (भीमल के रेशे) से बनी रस्सियां बाहरी बाजारों में बेची जाती थी।

13.4.6 . रिंगाल बर्तन उद्योग :–इस उद्योग को स्थानीय भाषा में रूडियागिरी कहा जाता है तथा इसमें काम करने वाले कारीगरों को रूड़िया कहा जाता है। गढ़वाल तथा कुमाऊं में रिंगाल (निंगाल) और बांस की उपज जंगलों में होती है। कुमाऊं का दानपुर, गढ़वाल का चोपता रामणी, वाण, सुतोल, कनोल, पाणा, इराणी, डुमक कंगलोट, बूढ़ा केदार आदि स्थान उच्च किस्म के रिंगाल के लिए प्रसिद्ध है। वनों के पास के गांव के कारीगर (रूड़िया) रिंगाल के बर्तनों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करते थे।

13.4.7. मधुमक्खी पालन :–कुमाऊं और गढ़वाल की पर्वतीय चट्टानों पर भोरों का शहद बड़ी मात्रा में पाया जाता था। इन मक्खीयों को घर में नहीं पाला जाता था। इनका शहद अधिक नशीला व गुणकारी होता है। गांव के लगभग सभी घरों में एक छोटा स्थान मौन पालन के लिए बनाया जाता था। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जहां वनों की अधिकता थी या फसलों की बहुलता होती थी मौन पालन अधिक होता था। वनों में पेड़ की गुफाओं में मौन द्वारा एकत्रित शहद निकाला जाता था। जिससे बाहरी क्षेत्र में बेचा जाता था। कुमाऊं क्षेत्र में यह व्यापार अधिक प्रचलित था।

13.4.8. जड़ी– बूटी आधारित उद्योग :–गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों वैद्य को जड़ी बूटियों

की अच्छी जानकारी होती थी। यह कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र के वैद्यों को ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था जो पारे से सोना तथा स्वर्ण भष्म तैयार करते थे। लेकिन विकास के साथ क्षेत्र की जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में बाहरी मण्डियों में जाने लगी। कुछ विशेष जड़ी बूटियों की जानकारी वैद्य लोग दूसरे व्यक्ति को जीवन के अन्त सयम तक नही बताते थे। जिस कारण भी यह उद्योग प्रभावित हुआ। सामान्यता गुलबनप्सा, दालचीनी, दारू हल्दी, कुटगी, चिरायता, समोया, कुटज, कुलाड़कटी, पत्थरचट्टा हिंगोल आदि का प्रयोग घरेलू इलाज में होता रहा है।

13.4.9 .लौहारगिरी :–लोहे के कृषि औजार व बर्तन बनाने वाले कारीगरों को लौहार कहा जाता था। जो मुख्य रूप से खेती के औजारों के अतिरिक्त, तलवार, खुकंरी, फर्सा, मूर्तियों सहित देवी देवताओं के निशान बनाते थे। लौहार लगभग सभी गांव में पाये जाते थे और ये अपनी वस्तुए अनाज के बदले बेचते थे।

13.4.10. लीसा उद्योग :–चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का कार्य ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भवाली में लीसा से रोजिन व तारपीन का तेल बनने का कारखाना स्थापित किया था। जिसे बाद में बेरली स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में गढ़वाल क्षेत्र में भी यह कार्य प्रारम्भ हो गया। वन विभाग की सांख्यिकीय पत्रिकानुसार उत्तराखण्ड के वनों से 1930–31 में 30,556 क्विंटल लीसा उत्पादन हुआ था जो 1950–51 में 54,536 क्विंटल हो गया।

13.4.11. स्वर्णकारी उद्योग :–उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र के विषय में वाल्टन (1910) में लिखा कि अलकनन्दा नदी से सोना धोकर निकाला जाता था और अनुमान है कि औसत श्रमिक द्वारा चार आना सोना तैयार किया जाता था। राय बहादुर पातीराम परमार (1916) ने लिखा कि स्वर्ण मिश्रित रेत अलकनन्दा एवं मंदाकिनी घाटियों में पाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगरों को सुनार अर्थात सोनार कहा जाता था। गढ़वाल में सोना अलकनन्दा की रेत था तिब्बती व्यापार से आता था। कुमाऊं में सोना चांदी की आपूर्ति तिब्बत तथा बाहरी बाजारों से होती थी। पर्वतीय अंचल में सोने चांदी के जेवर की मांग यही सोनार पूरी करते थे।

13.4.12. ऊन उद्योग :–प्रत्येक परिवार में जहाँ भेड़ बकरी पालन होता था। वहां ऊन की कताई–बुनाई का कार्य होता था। ऊन से बनी वस्तुएँ जैसे ओढ़ने–बिछाने के थुलमा, कोट, दन, ऊनी, कपड़ा, अंगरखा, पैजामा, कम्बल आदि पारिवारिक उपयोग हेतु तैयार किये जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र में ऊनी वस्त्रो का व्यापार माणा तथा नीति घाटी (चमोली) के निवासी, भोटिया परिवार के सदस्य सर्दियों में अलकनन्दा घाटी तथा हर्षित आदि क्षेत्रों में आकर करते थे। इसी प्रकार कुमाऊं के भोटिया दानपुर जोहार एवं दारमा पिथौरागढ़ में भी ऊन वस्त्र बनते थे। जिनका धारचूला व मुनस्यारी द्वारा तिब्बत से व्यापार होता था। उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उद्योग के बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रारम्भ की गई जो टीसी योजना के नाम से थी। प्रारम्भ में पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचुला, माणा–गोपेश्वर, नीति भीमतला, दुगड्डा तथा पौड़ी में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। बाद में टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इस उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ।

13.4.13. हस्तकला उद्योग :–हस्तकला उद्योग उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिकाल से चले आ रहे है। विशेष रूप से अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय कारीगर ताम्बे तथा पीतल की विभिन्न सजावटी व घरेलू उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं की भी निर्माण होता था। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊनी कालीन, रंगीन शॉल, हौजरी, पापड़ी काष्ठकला की वस्तुएं पत्थर की मूर्तियां आदि का निर्माण किया जाता था। क्षेत्र की हस्तकलाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन व प्रशिक्षण योजनाओं की शुरूआत की गई।

काशीपुर, जसपुर में प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, ब्लॉक कटिंग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में शॉल बुनाई प्रशिक्षणकेन्द्रों, श्रीनगर गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ व बड़कोट में पापड़ी काष्ठकला केन्द्रों को स्थापना की गई। मुनस्यारी, धारचुला, डीडीहाट अल्मोड़ा, चमोली, गुप्तकाशी आदि के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई।

13.4.14. रेशम उद्योग विकास :–कुमाऊं का इतिहास इस तथ्य को उजागर करता है कि राजा इन्द्र चन्द (758–778) के शासन कक्ष में रेशम कीट पालन का काम होता था। इस राजा ने नेपाल से रेशम कीट लाकर रेशम उत्पादन प्रारम्भ किया था। 1958 में देहरादून में शहतूत रेशम किट पालन कार्य की स्थापना की गई। पर्वतीय क्षेत्र में रेशम विकास कार्यक्रम 1961 में अल्मोड़ा से प्रारम्भ किया गया था। जो बाद में चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में भी प्रारम्भ हो गया। शहतूत रेशम कीट पालन केन्द्र की सहायता से उत्तराखण्ड के नौ पर्वतीय जिलों

में रेशम कीट पालन से दो फसलें मई तथा अक्टूबर में ली जाने लगी। राज्य में लगभग 65 रेशम फर्म तथा एक रीलिंग केन्द्र तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में 1980—81 में 510 किग्रा0 तथा 1997—98 में 12000 किग्रा0 कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया।1988—89 में कुल रेशम उत्पादन इकाईयों की संख्या 50 थी जो 1991—92 में बढ़कर 61 हो गई।

शहतूत रेशम उत्पादन के साथ—साथ बांज टसर विकास परियोजना 1968 में चमोली जनपद में प्रारंम्भ की गई। उसके बाद रानीखेत तथा नैनीताल के भीमताल में टसर कीट पालन हेतु परीक्षण किया गया और इसमें सफलता मिली। वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बांज के वृक्ष है। इसलिए यहां बांज टसर पालन को बढ़ावा मिला। 1973—74 में बांज टसर कोया उत्पादन 41 हजार था वह 1997—98 में बढ़ कर 5 लाख हो गया।

13.4.15. इंजीनियरिंग उद्योग :—राज्य की आधारशिला को मजबूत करने में इंजीनियरिंग उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग निदेशालय द्वारा छोटे—छोटे कृषि औजार, उद्यान संबंधी संयंत्र व औजार, ऑटो मोबाइल रिपेरिंग मशीनरी रिपेरिंग वर्कशॉप, कील, स्क्रू बनाने की इकाईयाँ आदि को इंजीनियरिंग उद्योग में सम्मिलित किया गया है। उत्तराखण्ड में यद्यपि इनकी सीमित संख्या थी, जिनका विवरण तालिका (13.1) में दिया गया है। तालिका का विश्लेषण करने पर पता चलता है, कि सर्वाधिक इकाईया नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में थी जबकि 1988—89 से 1994—95 के दौरान सर्वाधिक प्रगति पौड़ी जिले में रही वहां इस दौरान 195ः की दर से नई इकाईयाँ स्थापित हुई। जबकि पिथौरागढ़ की स्थिति इसके विपरीत रही वहाँ इस दौरान अधिकांश इकाइयाँ बन्द हो गई थी और 1988—89 की 13 इकाइयाँ से संख्या घटकर 1994—95 में एक रह गई थी। यद्यपि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति पर नजर डाले तो 1988—89 से 1994—95 के दौरान इन इकाईयों की वृद्धि दर 28% रही, जो प्रगति की सूचक थी।

तालिका (13.1) पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरिंग इकाईयों की प्रगति

क्र0सं0	जनपद	1988—99	1994—95	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	उत्तरकाशी	161	207	4.8
2.	चमोली	67	107	9.9
3.	टिहरी	13	86	93.6
4.	पौड़ी	47	598	195.4
5.	देहरादून	08	48	83.3
6.	**गढ़वाल मण्डल**	**296**	**1036**	**41.7**
7.	अल्मोड़ा	109	468	54.9
8.	पिथौरागढ़	13	02	15.4
9.	नैनीताल	606	1248	17.7
10.	**कुमाऊं मण्डल**	**728**	**1717**	**22.6**
	पर्वतीय क्षेत्र	**1024**	**2753**	**28.1**

स्रोत— सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) संख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (1997) उत्तरांचल प्रभाग

13.4.16 रासायनिक उद्योग :—यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक रासायनिक उद्योग स्थापना हेतु पर्याप्त कच्चामाल उपलब्ध था परन्तु इन इकाईयों की संख्या सीमित ही था, क्योंकि लीसा, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल—फूल वनस्पतियां की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी रासायनिक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। यद्यपि कुछ क्षेत्रों व जनपदों में इस उद्योग का विकास हुआ, परन्तु पर्यावरण सुरक्षा के लागू होने से ये प्रभावित हुए और अनेक

इकाईयाँ बन्द कर दी गई 1988–89 से 1994–95 के दौरान इन उद्योगों की स्थिति को तालिका (13.2) में प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि 1988–89 से 1994–95 के दौरान यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र में इन उद्योगो की इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई और यह 409 से बढ़ कर 723 हो गई परन्तु देहरादून व पिथौरागढ़ की अनेक इकाईयां इस दौरान किन्हीं कारणों से बन्द हो गई और इनमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। जबकि चमोली में इस दौरान इकाईयों में 30% की वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में कुमाऊं मण्डल में यह प्रगति सन्तोष जनक रही।

तालिका (13.2) में रासायनिक इकाईयों की प्रगति

क्र0सं0	जनपद	1988–99	1994–95	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	उत्तरकाशी	13	13	0.0
2.	चमोली	06	17	30.5
3.	टिहरी	10	10	0.0
4.	पौड़ी	20	47	22.5
5.	देहरादून	10	01	– 15.0
6.	गढ़वाल मण्डल	59	88	8.2
7.	अल्मोड़ा	80	177	20.2
8.	पिथौरागढ़	11	00	–16.7
9.	नैनीताल	259	458	12.8
10.	कुमाऊं मण्डल	350	635	13.6
	उत्तराखण्ड	409	723	12.8

स्रोत– सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) संख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (1997) उत्तरांचल प्रभाग

13.4.17 औद्योगिक अस्थान :–उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु तत्कालीन उत्तराखण्ड प्रभाग में उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में एक–एक औद्योगिक अस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य 1961 से आरम्भ हुआ। 1994–95 तक पौडी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल में अनेक औद्योगिक अस्थान बनाये गये जिनका विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका (13.3) के विश्लेषण से पता चलता है कि प्लांट स्थापना में नैनीताल जनपद सबसे आगे रहा जहां औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या भी सर्वाधिक रही दूसरा स्थान देहरादून का रहा जहा 22 शेड तथा 18 प्लांट स्थापित हुए तीसरा स्थान पौड़ी का रहा।

तालिका (13.3) जनपदवार बड़े औद्योगिक संस्थानों (1994–95)

क्र0 सं0	जनपद	औ0 क्षेत्र की संख्या	कार्यरत शेड की संख्या	कार्यरत प्लांट की संख्या	औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1.	पौड़ी	3	7	17	115
2.	देहरादून	2	22	18	500
3.	गढ़वाल मण्डल	5	29	35	615
4.	अल्मोड़ा	2	–	2	15

5.	नैनीताल	3	18	46	968
6.	कुमाऊ मण्डल	5	18	48	983
7.	पर्वतीय क्षेत्र	10	47	83	1598

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढवाल तथा कुमाऊं (1995)

तालिका (13.4) में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा उपयोगिता की स्थिति को दर्शानें का प्रयास किया गया है। जिससे पता चला है वास्तव में कुल स्थापित औद्योगिक अस्थान में से 50% ही पूर्ण विकसित है। जबकि सरकार ने बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर इनकी स्थापना की थी। पौड़ी के गंगनाली श्रीकोट, पिथौरागढ़ के विण, बागेश्वर का गरूढ़, बैजनाथ तथा ऊधमसिंह नगर का काशीपुर बंजर पड़े थे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को प्रदेश में छोटे आस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कार्य सौंपा गया। जिसके फलस्वरूप निगम ने इन क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का

तालिका (13.4) जनपदवार बड़े औद्योगिक आस्थानों की स्थिति (मार्च 2000)

क्र0 सं0	जनपद	औद्योगिक आस्थानों का नाम व स्थान	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	लागत (लाख रू0)	उपयोग की स्थिति
1.	पौड़ी गढ़वाल	सिबातपुर, कोटद्वार	1965	7.00	8.17	विकसित
		गंगनाली श्रीकोट, श्रीनगर	1980	11.63	6.29	अविकसित
2.	देहरादून	पटेलनगर	1964	10.00	14.77	विकसित
		विकासनगर	1964	4.00	1.38	विकसित
3.	अल्मोड़ा	पाताल देवी	1961	3.30	8.83	अर्द्धविकसित
4.	बागेश्वर	गरूड़, बैजनाथ	1885	0.50	16.67	अविकसित
5.	पिथौरागढ़	विण	1985	7.00	35.95	अविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	1962	7.00	3.10	विकसित
7.	उधमसिंह नगर	रूद्रपुर	1976	12.43	4.35	विकसित
		काशीपुर	1975	20.00	7.24	अविकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	10	–	82.86	106.75	

स्रोत – विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट (श्रीनगर गढ़वाल)।

कार्य किया, जिसका विवरण तालिका (13.5) में दिया गया है निगम द्वारा कुल 18 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिसमें से देहरादून में 6, ऊधमसिंहनगर में 5, नैनीताल और पौड़ी में 2–2 तथा चमोली, टिहरी तथा अल्मोड़ा में 1–1 क्षेत्र स्थापित किये गये, जिनका कुल क्षेत्रफल 1112.84 एकड़ था। लेकिन इनमें से

तालिका (13.5) राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

क्र0 सं0	जनपद	स्थान का नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	उपयोग की स्थिति
1.	चमोली	सिमली	–	28.58	अर्द्धविकसित
2.	टिहरी–गढ़वाल	ढालवाल	–	31.75	विकसित
3.	पौड़ी–गढ़वाल	बलभद्रपुर, कोटद्वार	1984	27.25	विकसित
		जसोधरपुर, कोटद्वार	1989	81.90	अर्द्धविकसित
4.	देहरादून	महोबेवाला	–	59.00	विकसित
		सेलाकुई	–	237.00	विकसित
		लांघा रोड	–	78.85	अर्द्धविकसित

		रानी पोखरी	–	41.25	अर्द्धविकसित
		लाल तप्पड़	–	39.60	विकसित
		श्यामपुर	–	97.00	अर्द्धविकसित
5.	अल्मोड़ा	मोहान	–	49.00	अर्द्धविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	–	102.85	विकसित
		कानिया	–	10.00	अर्द्धविकसित
7.	ऊधमसिंहनगर	पीपलसाना	–	30.00	विकसित
		बाजपुर, साइड – 1	–	33.97	विकसित
		बाजपुर, साइड – 2	–	43.19	विकसित
		खटीमा	–	25.00	अर्द्धविकसित
		काशीपुर	–	97.25	विकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	18		1112.84	

स्रोत : विकास आयुक्त, श्रीकोट (श्रीनगर – गढवाल)(मार्च 2000)

मात्र 10 ही विकसित हुए जबकि शेष 8 अर्द्धविकसित ही रहे।

तालिका (13.6) 1984–85 तथा 1994–95 मे कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कार्यरत कारखानों की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	1984–85			1994–95		
		कार्यरत इकाई सं0	कार्यरत व्यक्ति	प्रति इकाई औसत कार्यरत व्यक्ति	कार्यरत इकाई सं0	कार्यरत व्यक्ति	प्रति इकाई औसत कार्यरत व्यक्ति
1.	टिहरी	5	190	38	7	581	83
2.	पौड़ी	9	301	33	7	997	142
3.	देहरादून	102	9979	103	35	11820	378
4.	**गढ़वाल मण्डल**	**116**	**10470**	**90**	**49**	**13398**	**273**
5.	अल्मोड़ा	10	682	68	6	1065	177
6.	पिथौरागढ़	4	400	100	3	201	67
7.	नैनीताल	73	12759	175	97	24015	248
8.	**कुमाऊं मण्डल**	**87**	**13841**	**159**	**106**	**25281**	**238**
	पर्वतीय क्षेत्र	**203**	**24311**	**120**	**155**	**38679**	**249**

स्रोतः पर्वतीय क्षेत्र की सांख्यिकीय डायरी तथा संयुक्त निदेशक उद्योग, गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल से संकलित।

पर्वतीय क्षेत्रों में 1984–85 तथा 1994–95 में कार्यरत इकाईयों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में कार्यरत इकाईयों में कमी हुई है। जबकि कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई और यह वृद्धि देहरादून में सर्वाधिक थी जबकि पिथौरागढ़ में रोजगार में कमी देखी गई।

13.5. उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना

अलग राज्य बनने के बाद प्राकृतिक और मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग द्वारा उत्तराखण्ड ने औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरूआत की है। पिछले 10 वर्षों की निवेश की स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तराखण्ड निवेशकों के लिए पंसदीदा स्थान बनकर सामने आया है।भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार

अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2009 तक राज्य में 4.67 करोड़ डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो चुका था। जिसमें सबसे ज्यादा निवेश बिजली उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में हुआ। कुल निवेश का 66% बिजली में 23% निर्माण तथा 11: सेवा विनिर्माण तथा सिंचाई जैसे क्षेत्रों में किया गया।

नये राज्य के गठन के बाद उत्तराखण्ड में निवेश व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में सिडकुल, उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड उद्योग संघ की स्थापना की गई और 2003 में टैक्स हॉलीडे जैसी नीतियों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार में तेजी आई। पंतनगर, हरिद्वार, कोटद्वार, सितारगंज आदि क्षेत्र नये औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए जिनका विवरण तालिका (13.7) में दिया गया है।

तालिका (13.7) उत्तराखण्ड के औद्योगिक एस्टेट का विवरण

क्र0 सं0	औद्योगिक एस्टेट का नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, हरिद्वार	दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किमी0 तथा देहरादून से 52 किमी0	2034
2.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, पन्तनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर तथा देहरादून से 300 किमी0	3339
3.	फार्मा सिटी, सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून	देहरादून से 25 किमी0	50
4.	सिगादी विकास केन्द्र, पौड़ी	देहरादून से 120 किमी0 तथा दिल्ली से 200 किमी0	100
5.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर	दिल्ली से 300 किमी0	1200
6.	आईटी पार्क, देहरादून	सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	60

Sourse: www.sidcul.com

जहाँ कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, एफएमसीजी, सूचना एवं संचार, वाहन निर्माण तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई।एकीकृत औद्योगिक एस्टेट में उद्योग स्थापना हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक रियायतें दी जाती है, जैसे– 10 वर्ष तक के लिए 100: केन्द्रीय उत्पादन कर में छूट, 5 वर्ष के लिए 100: आयकर छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 30% छूट, 5 वर्ष के लिए 1% की दर से केन्द्रीय बिक्री कर (CST) तथ पूंजी निवेश पर 15% अनुदान (अधिकतम 30 लाख रूपये तक) की व्यवस्था की गई।

आईटी पार्क देहरादून के भीतर ही 22 अगस्त 2006 को दून साइबर टावर की स्थापना की गई है। जो 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ आईटी सुविधाओं के लिए निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। जिस पर 87 करोड़ रूपये का खर्च आने की सम्भावना है। फार्मा सिटी, सेलाकुई, देहरादून में फार्मा कम्पनियों की स्थापना प्रमुखता से हुई। जबकि हरिद्वार, पन्तनगर तथा सितारंगज (ऊधमसिंहनगर) के एकीकृत औद्योगिक एस्टेट (IIE-Integrated Industrial Estate) में अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने औद्योगिक संस्थान स्थापित किये है।

उत्तराखण्ड गठन के समय राज्य में कार्यरत वृहद् उद्योगों की संख्या मात्र 40 थी जो फरवरी 2011 में बढ़कर 211 हो गई है, जिसमें 27962.56 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हो चुका है तथा 81633 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य स्थापन के समय तथा फरवरी 2011 की स्थिति को तालिका (13.8) में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका (13.8) से पता चलता है, कि राज्य स्थापना के समय मात्र 40 वृहद् उद्योग ही स्थापित थे जिसमें 4844 रूपये पूंजी निवेश था जबकि राज्य स्थापना के बाद इनकी संख्या में तेजी में वृद्धि हुई और यह पाँच गुना से भी अधिक बढ़ कर 211 हो गई। इकाई स्थापना की दृष्टि से ऊधमसिंह नगर का स्थान प्रमुख

तालिका (13.8) जनपदवार कार्यरत वृहद् उद्योगों की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 08–11–2000 तक) कार्यरत इकाइयां			राज्य बनने से अब तक (09–11–2000 से फरवरी 2011 तक) कार्यरत इकाइयां		
		संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0)	रोजगार	संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0)	रोजगार
1.	नैनीताल	4	1233.84	3166	4	1233.84	3166
2.	उधमसिंहनगर	22	1555.83	9103	116	9568.79	30054
3.	देहरादून	6	153.38	2886	12	256.44	3309
4.	पौड़ी	2	66.94	763	2	66.94	763
5.	हरिद्वार	5	1824.27	12461	76	16826.40	43381
6.	बागेश्वर	1	10.15	460	1	10.15	460
	योग	**40**	**4844.41**	**28839**	**211**	**27962.56**	**81633**

स्रोत– उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011,उद्योग निदेशालय,देहरादून।
http://www.ibef.org/download/uttarakhand-14oct-08.pdf

रहा, जबकि पूंजी निवेश तथा रोजगार उपलब्ध कराने में हरिद्वार प्रमुख रहा। राज्य स्थापना के पश्चात् अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इकाइयाँ उत्तराखण्ड में स्थापित हुई जिनका विवरण तालिका (13.9) में दिया गया है।

तालिका (13.9)उत्तराखण्ड में स्थापित औद्योगिक इकाईयों का विवरण

क्र0 सं0	उद्योग	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	स्थान	अनुमानित लागत
1.	क्रषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि0	2005	IIE पन्तनगर	
		नेस्ले इण्डया लिमिटेड	2006	IIE पन्तनगर	
		पेप्सीको	1997	बाजपुर, उधमसिंहनगर	
		केएलए इण्डिया पब्लिक लि0	1977	रूद्रपुर, उधमसिंहनगर	
2.	एफएमसीजी उद्योग	आईटीसी लि0	2007	IIE हरिद्वार	
		केविन केयर प्रा0लि0	2006	IIE हरिद्वार	
		हिन्दुस्तान यूनी लिवर लि0	2004	IIE हरिद्वार	
		डाबर इण्डिया लि0	2001	IIE पन्तनगर	
3.	सूचना एव संचार उद्योग	एच0सी0एल0 एंफोसिस्टम	–	रूद्रपुर	–
		विप्रो इंफोटेक	–	कोटद्वार	–
		हिल्ट्रॉन	–	देहरादून	–
		सिमकॉम सॉल्यूषन्स	2000	देहरादून	–
4.	इंजीनियरिंग उद्योग	भेल	1962	हरिद्वार	–
		सूर्या	1984	काषीपुर नैनीताल	
		एल एण्ड टी	–	हरिद्वार	
		हैवल्स इण्डिया लि0	–	IIE हरिद्वार	

		पोलर इंडस्ट्रीज लि0	–	IIE हरिद्वार	
5.	वाहन निर्माण उद्योग	हीरो होडा,	2008	हरिद्वार	
		टाटा मोटर्स	2007	IIE पन्तनगर	
		अशोक लीलैण्ड	2010	पन्तनगर	
		महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	2006	IIE हरिद्वार	
6.	अन्य उद्योग	एटलस साईकिल लि0	–	हरिद्वार	
		एल0जी0 इलैक्ट्रोनिक्स		सेलाकुई, देहरादून	
		संचूरी टैक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज	1984	लालकुआं नैनीताल	
		यूरेका फॉबर्स	1982	भीमताल, नैनीताल	

स्रोत– http://www.ibef.org/download/uttarakhand_14oct_08.pdf.

इस प्रकार हम देखते है कि एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर जिला का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एग्रो पार्क व खाद्य पार्क बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया है। भीमताल में एक आईटी इक्यूवेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। पंतनगर और रूड़की में भी आईटी पार्क विकसित किए जाने की योजना है। देहरादून में विश्व में पहले माईक्रोसॉट आईटी अकादमी की स्थापना की गई है।

इस प्रकार राज्य का औद्योगिक ढाँचा तीव्र गति से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य में समुचित औद्योगिक वातावरण का विकास हो रहा है, साथ ही अन्य सुविधाओं जैसे, सस्ती बिजली, करो में छूट, सस्ते श्रम आदि के कारण अन्य निवेशक भी उत्तराखण्ड में निवेश हेतु प्रयास कर रहे है। जो प्रदेश की औद्योगिक संरचना के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगें।

13.6 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं औद्योगिक संरचना से अभिप्राय उद्योगों के स्वरूप और ढाँचे से लगाया जाता है जो किसी समय एक देश या राज्य में विद्यमान है। उत्तराखण्ड के अस्तित्व में आने से पूर्व इसके औद्योगिक स्वरूप में परम्परागत, लघु व मध्यम उद्योगों की प्रमुखता थी और राज्य में कुछ मैदानी क्षेत्रों में ही कुछ वृहद् उद्योग कार्यरत थे। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना में मुख्य रूप से कृषि, वन तथा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उद्योगों जैसे – घराट उद्योग, चमड़ा व जूता उद्योग, काष्ठकला उद्योग, हस्त निर्मित कागज उद्योग, रेशा उद्योग, रिंगाल बर्तन उद्योग, मधुमक्खी पालन, जड़ी–बूटी आधारित उद्योग, लौहारगिर, लीसा उद्योग, स्वर्णकारी उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की ही प्रमुखता थी। पर्वतीय क्षेत्रों में यद्यपि अनेक औद्योगिक आस्थानों व क्षेत्रों की स्थापना की गई, लेकिन इसमें से अधिकांश अर्द्धविकसित, अविकसित तथा अनुपयोगी ही रहे, जिससे विकास की गति धीमी हो रही।

उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् राज्य में सिडकुल, उत्तराखण्ड उद्योग संघ, तथा टैक्स हॉलीडे की नीतियों के कारण तेजी से नये–नये औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई। एकीकृत औद्योगिक एस्टेट पन्तनगर, हरिद्वार, सितारगंज में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी इकाईयां स्थापित की और स्थापना के समय वृहद् उद्योगों की कुल संख्या मात्र 40 थी, जो फरवरी 2011 में बढ़कर 211 हो गई। राज्य स्थापना के बाद ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर, डाबर इण्डिया, हीरो हांडा, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, अशोक लीलैण्ड, एटलस साइकिल्स, एलजी इलैक्ट्रानिक्स, एससीएल, विप्रो इंफोटेक, हिल्ट्रान तथा केविन केयर जैसी अनेक कम्पनियों ने अपने संस्थान उत्तराखण्ड में स्थापित किये। जिससे राज्य का औद्योगिक स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। अब राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ रहा है।

अभ्यास प्रश्न

एक वाक्य में उत्तर दो –

1. घराट को कैसी सम्पत्ति माना जाता है ?
2. जिस घास से कागज बनाया जाता था उसे गढ़वाल तथा कुमाऊं में क्या कहते थे ?
3. रिंगाल से क्या बनाया जाता है ?
4. लीसा किसके पेड़ों से प्राप्त होता है ?
5. किस नदी से सोना धोकर निकाला जाता था ?
6. रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कहाँ और कब की गई ?
7. उत्तराखण्ड में उद्योग स्थापना पर केन्द्रीय उत्पादन कर में 100 प्रतिशत छूट कितने वर्ष तक दी जायेगी ?
8. उत्तराखण्ड में पूंजी निवेश पर कितना अनुदान दिया जायेगा ?
9. एकीकृत औद्योगिक एस्टेट पन्तनगर का क्षेत्रफल कितना है ?
10. फार्मा सिटी की स्थापना कहा की गई है ?
11. IIE से क्या अभिप्राय हैं ?
12. राज्य स्थापना के समय कितने वृहद् उद्योग थे ?
13. वर्तमान समय में सबसे अधिक वृहद् उद्योग कहां है ?
14. देहरादून में किस आईटी अकादमी की स्थापना की गई है ?

13.7 शब्दावली

1. **पलायन** – काम की तलाश में अपने गांव या शहर को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना।
2. **पैतृक सम्पत्ति** – दादा या पिता की सम्पत्ति।
3. **ऋणात्मक वृद्धि दर** – ऐसी वृद्धि दर जो कमी को दर्शाती है।
4. **औद्योगिक अस्थान** – ऐसे स्थान या क्षेत्र जो औद्योगिक विकास तथा संस्थान की स्थापना हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध कराते हो।
5. **टैक्स हॉलीडे** – टैक्स अर्थात कर में कुछ समय के लिए छूट।
6. **वृहद्** – बड़ा या बड़े

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

उत्तर –(1) पैतृक सम्पत्ति (2) गढ़वाल में सतपूड़ा या सतबडुआ और कुमाऊं में बडुआ (3) बर्तन (4) चीड़ के पेड़ों से (5) आकनन्दा नदी (6) देहरादून में,1958 में (7) 5 वर्ष (8)15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 30 लाख रूपये तक) (9) 3339 एकड़ (10) देहरादून में (11) Integrated Industrial Estate (12) 40 (13) एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, ऊधमसिंह नगर में (14) माईक्रोसॉट।

13.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bisht, Major D.S. (2008); 'Uttarakhand Today', Trishul Publication, Dehradun page

no. 132-142.

2. Mehta, G.S. (1999); 'Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives'; APH Publishing Corporation, New Delhi. page no. 70-77

3. मामोरिया, डॉ0 चतुर्भुज एवं डॉ0 एस0सी0 जैन, (1995), 'भारतीय अर्थशास्त्र ', साहित्य भवन प्रकाशक, आगरा, पृष्ठ सं0 1968

4. बिष्ट, डॉ0 नारायण सिंह; (2003), 'उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण ', डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर, चमोली।

5. उत्तराखण्ड उदय, उत्तराखण्ड दशक 2000–2010 (नवम्बर 2010) अमर उजाला पब्लिकेशनस लिमिटेड, नोएडा।

13.10 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

- उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- http://www.duiuk.org/pdfs/heavy directory.pdf.
- http://www.ibef.org/Uttarakhand_190111.pdf.
- http://www.uttaranchalbiz.com/why_uttarakhand/key-investors.
- http://www.Uttaranchal biz.com/industrial-estates.
- http://www.ibef.org/download/Uttarakhand_14oct_08.pdf.

13.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. औद्योगिक संरचना से क्या अभिप्राय हैं ? उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना पर प्रकाश डालिए।
2. उत्तराखण्ड स्थापना में पूर्व में कार्यरत उद्योगों का संक्षिप्त विवरण दो।
3. उत्तराखण्ड गठन के बाद की औद्योगिक संरचना की व्याख्या करों।

इकाई 14: लघु , ग्रामोद्योग का विकास एवं प्रमुख समस्याएँ

14.1 प्रस्तावना

14.2 उद्देश्य

14.3 ग्रामोद्योग का अर्थ

14.3 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास

14.5 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ

14.6 लघु उद्योग का अर्थ

14.7 उत्तराखण्ड में लघु उद्योग का विकास

14.8 लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएँ

14.9 सारांश

14.10 शब्दावली

14.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

14.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

14.13 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

14.14 निबंधात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास से सम्बन्धित पूर्व इकाई में आप उत्तराखण्ड राज्य की औद्योगिक संरचना को समझ गये है, कि राज्य की औद्योगिक संरचना में पारिवारिक, ग्रामीण, लघु, मध्यम तथा वृहद्ध उद्योगों की स्थिति कैसी है।

प्रस्तुत इकाई में उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत ग्रामोद्योग व लघु उद्योग की विकास प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जायेगी तथा इन उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जायेगी।

इसके अध्ययन से आप ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के विकास तथा उनकी प्रमुख समस्याओं से अवगत हो जायेंगे।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप –

- यह समझ सकेंगें कि लघु व ग्रामोद्योग से क्या तात्पर्य है।
- उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामोद्योगों के विकास की स्थिति को समझ सकेगें।
- उत्तराखण्ड राज्य में लघु उद्योग की विकास प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हो जायेंगे।
- ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के विकास में आ रही समस्याओं से अवगत हो जायेंगे।

14.3 ग्रामोद्योग का अर्थ

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 1990 को ग्रामीण उद्योग को निम्न परिभाषा के आधार पर मान्यता दी गई – ''ग्रामीण उद्योग का अभिप्राय किसी ऐसे उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और जिसकी जनसंख्या 10 हजार अथवा ऐसी किसी संख्या से अधिक न हो तथा जो कोई उद्योग बिना शक्ति की सहायता के अथवा शक्ति के प्रयोग में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है और जिस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश प्लांट, मशीनरी तथा भूमि व भवन में 15 हजार रूपये प्रति कारीगर से अधिक न हो।'' इस परिभाषा के अनुसार किसी ग्रामीण उद्योग में तीन विशेषताओं का होना आवश्यक समझा गया है। एक वह उद्योग गावं में स्थित हो और उस गांव की जनंसख्या 10 हजार से अधिक न हो। दूसरे उस उद्योग में यांत्रिक शक्ति या विद्युत प्रयोग हो रहा है या नहीं। तीसरा इस उद्योग के प्लांट, मशीनरी, भवन व भूमि में स्थायी पूंजी निवेश 15 हजार रूपय से अधिक न हो।

खादी ग्रामोद्योग के ज्ञापन 1996 में ग्रामीण क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ''ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें गांव अथवा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हो जिसकी जनंसख्या 20 हजार से ज्यादा न हो।'' खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई इन कार्यकारी परिभाषा ने ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों को उलझा दिया है। सामान्यता ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समानार्थी माना जाता है। कुटीर उद्योग स्पष्टतः किसी कारीगर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर से ही चलाये जाने वाला उद्योग है। क्योंकि इस उद्योग में घर के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के सदस्य भी उत्पादन कार्य में सहयोग करते है, इसलिए इसे पारिवारिक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है।

वर्तमान समय में ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि जो उद्योग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जहां की आबादी 20 हजार से अधिक न हो वहां स्थापित हो, जिसके उत्पादन व सेवा कार्य करने में विद्युत का प्रयोग हो अथवा न हो एवं 50 हजार रूपये प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोग से अधिक न हो ऐसी इकाईयों को ग्रामोद्योग माना जायेगा। भारतीय केन्द्रीय बैकिंग जांच समिति को रिपोर्ट के अनुसार ''कुटीर उद्योग वह है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाते है। जिनको ग्रामीण या घरेलू उद्योगों के नाम से पुकारा जा सकता है और कृषकों के सहायक व्यवसाय प्रदान करता है।'' इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान कुटीर व पारिवारिक उद्योगों को ही ग्रामीण उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है।

ग्रामोद्योगों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांटा गया है – (1) खनिज आधारित उद्योग, (2) वनाधारित उद्योग, (3) कृशि आधारित और खाद्य उद्योग, (4) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, (5) इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत

ऊर्जा, (6) वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर), (7) सेवा उद्योग।

14.4 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि की परम्परागत व्यवस्था के कारण किसानों में छिपी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योगों की स्थापना होना स्वभाविक है। उत्तराखण्ड के पुराने उद्योगों पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि अल्मोड़ा का तांबा–पीतल उद्योग, पिथौरागढ़ का कालीन, श्रीनगर गढ़वाल का तांबा लोहा उद्योग इस क्षेत्र के लिए आय व रोजगार के आधार रहे है। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योग जैसे– घराट, हाथ तेल पिराई, भांग वस्त्र निर्माण, पशु आधारित उद्योग जैसे– ऊन, चमड़ा, उद्योग, वन आधारित उद्योग जैसे– हस्त निर्मित कागज, काष्ठ कला, रेशा उद्योग, रिगांल बर्तन, मधुमक्खी पालन आदि भी ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हुए।

उत्तराखण्ड राज्य की ग्रामीण उद्योगों की वास्तविक स्थिति के विश्लेषण हेतु कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य स्थापना से पहले इस क्षेत्र का विधिवत आर्थिक सर्वेक्षण नही किया गया। इसलिए इन उद्योगों की स्थिति तथा विकास का विश्लेषण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता रहा है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि उस समय उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था और जो आंकड़े है उसमें मुख्य रूप से प्रमुख पर्वतीय जिले ही सम्मलित है।

तालिका (14.1) में 1971 से 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण (पारिवारिक) उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों केा आधार बनाकर उनकी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

तालिका (14.1) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण (मुख्य कर्मचारियों से प्रतिशत में)

क्र0सं0	जनपद	1971	1981	1991
1	उत्तरकाशी	0.73	1.08	1.71
2	चमोली	1.71	1.70	1.16
3	टिहरी	1.09	0.60	0.30
4	पौड़ी	0.83	0.71	0.50
5	देहरादून	2.47	1.20	0.86
6	**गढवाल मण्डल**	**1.37**	**1.18**	**0.71**
7	अल्मोड़ा	1.20	1.99	0.71
8	पिथौरागढ़	1.70	1.80	1.62
9	नैनीताल	2.05	1.90	0.94
10	कुमाऊं मण्डल	1.65	1.60	1.02
11	पर्वतीय क्षेत्र	1.47	1.60	0.86

स्रोत – जनगणना रिपोर्ट

तालिका से स्पष्ट है कि गढ़वाल मण्डल में 1971–91 के दौरान इन उद्योगों में कुमाऊं मण्डल की तुलना में अधिक कमी आई है। यद्यपि गढ़वाल मण्डल के उत्तरकाशी जिले में 1971 से 1991 के दौरान इन उद्योगों में तेजी से विकास हुआ और इनमें कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ी। लेकिन टिहरी गढवाल में इन उद्योगों में कार्यरत लोगों में तेजी से कमी देखी गई। इसी प्रकार कुमाऊं मण्डल में भी यद्यपि इन उद्योगों के विकास में कमी आई, किन्तु

नैनीताल में यह गिरावट सर्वाधिक थी लेकिन वह भी टिहरी–गढ़वाल से कम ही थी। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में 1971 से 1991 के दौरान कुल मिलाकर ग्रामीण उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की संख्या लगभग स्थिर रही।

तालिका (14.2) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योग की इकाईयों की संख्या

क्र.सं.	जनपद	1989 – 90		1993 – 94		1989 से 94 तक % वृद्धि दर
		इकाईयों की संख्या	इकाईयों की संख्या% में	इकाईयों की संख्या	इकाईयों की संख्या% में	
1	देहरादून	3064	15.6	3456	14.2	12.8
2	पौड़ी	1036	5.3	2027	8.3	95.6
3	टिहरी	1210	6.2	1597	6.5	31.9
4	चमोली	1973	10.0	2379	9.7	20.6
5	उत्तरकाशी	1627	8.3	2017	8.3	23.9
6	नैनीताल	3781	19.3	4412	18.0	16.7
7	अल्मोड़ा	4437	22.6	5556	22.8	25.2
8	पिथौरागढ़	2495	12.7	2972	12.2	19.12
9	**उत्तराखण्ड**	**19623**	**100.0**	**24416**	**100.0**	**24.4**

स्रोतः उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति, रिपोर्ट, उद्योग निदेशालय, कानपुर, 1991–96

तालिका (14.2) के अनुसार पारिवारिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या अल्मोड़ा जनपद में रही, जबकि देहरादून में स्थित सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। वर्ष 1989–90 से 1993–94 के दौरान इकाईयों में सर्वाधिक वृद्धि पौड़ी में देखी गई, जहाँ इस दौरान वृद्धि दर 95.6 प्रतिशत थी। जबकि अल्मोड़ा में 25.2 प्रतिशत थी। जो उत्तराखण्ड की 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी। यदि इकाइयों की संख्या की दृष्टि से भी देखे तो अल्मोड़ा में 1989–90 में 4437 इकाइयां थी, जो 1993–94 में 5556 हो गई थी। वहीं देहरादून में यह क्रमशः 3064 तथा 3456 ही रही और उत्तराखण्ड में 19623 तथा 24416 थी।

तालिका (14.3) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योग में रोजगार स्थिति

क्र.सं.	जनपद	1989 – 90		1993 – 94		1989 से 94 तक % रोजगार वृद्धि दर
		कार्यरत कारीगर	कार्यरत कारीगर का %	कार्यरत कारीगर	कार्यरत कारीगर का %	
1	देहरादून	6128	15.8	6677	15.3	8.9
2	पौड़ी	2072	5.4	3063	7.0	47.8
3	टिहरी	2410	6.2	2797	6.4	16.1
4	चमोली	3946	10.2	4352	9.9	10.3
5	उत्तरकाशी	3254	8.4	3684	8.4	13.2
6	नैनीताल	7562	19.5	8193	18.7	8.3
7	अल्मोड़ा	8874	22.9	9993	22.9	12.6
8	पिथौरागढ़	4490	11.6	4967	11.4	10.6
9	**उत्तराखण्ड**	**39736**	**100**	**43726**	**100**	**12.9**

स्रोतः उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति, रिपोर्ट, उद्योग निदेशालय, कानपुर, 1991–96

यदि रोजगार की दृष्टि से इन उद्योगों की स्थिति देखी जाये तो वह भी सन्तोष जनक नहीं कही जा सकती क्योंकि अल्मोड़ा जो इकाई स्थापना में सबसे आगे रहा, वहां भी रोजगार वृद्धि दर वर्ष 1989–94 के दौरान मात्र 12.6 प्रतिशत रहीं। वही पौड़ी में रोजगार वृद्धि दर सर्वाधिक 47.8 प्रतिशत रहीं जो उत्तराखण्ड की वृद्धि दर 12.9 से लगभग साढ़े तीन गुना अधिक थी।

उत्तराखण्ड स्थापना के बाद प्रदेश में सरकार द्वारा ग्रामोद्योग के विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये 2004 में प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थिति को तालिका (14.4) में प्रदर्शित किया गया है। जिसके अनुसार कुल कार्यरत इकाईयों में सर्वाधिक जनपद देहरादून में स्थित थी। उसके बाद पिथौरागढ़ का स्थान था और अल्मोड़ा, पौड़ी व हरिद्वार की स्थिति लगभग समान थी। लेकिन उत्तरकाशी में कोई इकाई कार्यरत नहीं थी यह एक विचारणीय विषय है। अगर रोजगार की दृष्टि से देखे तो देहरादून की स्थिति और भी अधिक अच्छी कही जा सकती है क्योंकि जनपद में कुल कार्यरत कर्मचारियों का लगभग 40 प्रतिशत कार्यरत थे। लेकिन उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर व रूद्रप्रयाग की स्थिति चिन्ता जनक कही जा सकती है क्योंकि यहां ग्रामोद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का मात्र 2 प्रतिशत थी।

तालिका (14.4) 2004 में उत्तराखण्ड के जिलों में खादी ग्रामोद्योग की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	खादी ग्रामोद्योग की इकाइयाँ		खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत कर्मचारी	
		संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
1.	अल्मोड़ा	1608	13.7	2154	9.8
2.	बागेश्वर	47	0.4	104	0.5
3.	चमोली	1299	11.	1305	6.0
4.	चम्पावत	190	1.6	400	1.8
5.	पौड़ी गढवाल	1523	13.0	1759	8.0
6.	पिथौरागढ़	1689	14.4	2637	12.0
7.	रूद्रप्रयाग	72	0.6	143	0.7
8.	टिहरी गढ़वाल	1129	9.6	2162	9.9
9.	उत्तरकाशी	—	—	—	—
10.	देहरादून	2529	21.5	8651	39.5
11.	हरिद्वार	1608	13.6	2154	9.8
12.	नैनीताल	18	0.2	80	0.4
13.	ऊधमसिंह नगर	14	0.4	375	1.6
	उत्तराखण्ड	11726	100	21924	100

स्रोत – ICRER Working Paper No. 217 (July, 2008)

14.5 ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ :–

गांधी जी ने कहा था कि भारत की प्रगति ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास में निहित है। आज के आधुनिक तकनीक के युग में इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि पूंजीवाद के कारण श्रम प्रतिस्थापन की तकनीक ने श्रम बाजार में बेकारी फैला दी है। ऐसे में कृषि के साथ चलने वाले इन उद्योगों का महत्व और बढ़ा है। लेकिन आर्थिक विकास के इस युग में विभिन्न उद्योगों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी इससे अछूते नहीं है। पिछले दो दशकों में इन उद्योगें में ह्रासमान गति रही है। जो एक विचारणीय तथ्य है क्योंकि ये उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बेरोजगारी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। किन्तु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार है :–

14.5.1 **कच्चे माल की समस्या** :–ये उद्योग कृषि व वन आधारित कच्चेमाल पर निर्भर करते है। जैसे काष्ठ

कला उद्योग– लकड़ी पर, लीसा उद्योग चीड़ के वन पर, अगरबत्ती व धूप निर्माण भी वनों पर तथा जड़ी बूटी खनन भी वनों पर आधारित है। काष्ठ उद्योग का मुख्य कच्चामाल लकड़ी है, लेकिन वर्तमान वन नीति के अन्तर्गत वन वृक्षों का कटान कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है, और उनका भण्डारन पर्वतीय क्षेत्र से दूर रायवाला (देहरादून) कोटद्वार, टनकपुर व काठगोदाम के लकड़ी डिपो में किया जा रहा है। जिससे यातायात व्यय की अधिकता से कारीगरों को दुगने मूल्य पर लकड़ी मिलती ह, जिसके परिणाम स्वरूप जोशीमठ, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चकराता, पिथौरागढ़ तथा रानीखेत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की काष्ठकला उद्योग इकाई बन्द हो गई है।

अगरबत्ती तथा धूपबत्ती निर्माण उद्योग में उपयोग होने वाले सुगन्धित पौधे जैसे– देवदार, सुराई की पत्ती, कुटज, समोया, जटामालसी आदि जड़ी–बूटी तथा खनन पर भी वन विभाग ने जिला भेषज संघों को एकाधिकार दे दिया है। जो कच्चे मालों के उपयोग में बाधा बने हुए है।

लीसा उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख रोजगार सृजन उद्योग है। लीसा से पेंट–वार्निश तथा तारीपन का तेल जैसे उत्पादन बनते है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन बनाने की तकनीक विकसित नहीं की गई। साथ ही दूरस्थ लीसा डिपो की स्थापना के कारण कच्चेमाल की नियमित व निरन्तर प्राप्ति में अनेक बाधाएँ है।

रिंगाल उद्योग का कच्चामाल रिगांल है, रिंगाल की बाहरी क्षेत्र में अवैध बिक्री के कारण कच्चेमाल में कमी आती जा रही है। साथ ही कारीगरों के निर्मित माल को केवल ग्रामीण व स्थानीय क्षेत्र में ही बिक्री का अधिकार दिया गया है, किन्तु वाह्य क्षेत्र में बिक्री पर प्रतिबन्ध है। ग्रामीण कारीगरों को रिगांल के परमिट दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

ऊन उत्पादन उद्योग भी भेड़ पालन तक की सीमित है, क्योंकि ऊन भण्डारन, धुलाई, कार्डिंग व गुणवत्ता निर्धारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कालीन व शॉल उद्योग को कच्चेमाल (तागें) के लिए उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है।

14.5.2 वित्तीय साधनों का अभाव :–ग्रामीण क्षेत्र में यद्यपि सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैकों की अनेक शाखाएँ स्थापित हो चुकी है। लेकिन जटिल ऋण प्रक्रिया व जमानत की कमी के कारण ग्रामीण इनका समुचित लाभ नही उठा पाते। बैंक भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण कारीगर भूमिहीन है और उनके मकान भी पत्थर के है। जिन्हें बैंक जमानत के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए इन कारीगरों को ऊँची ब्याज दर पर अन्य स्रोत से ही पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है।

14.5.3 परम्परागत उत्पादन तकनीक :–सबसे बड़ी समस्या कारीगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिछड़ी उत्पादन तकनीक है, जिससे कम उत्पादन, कम उत्पादकता, कम अधिक्य तथा कम आय का कुचक्र चलता रहता है। जो इन उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। परम्परागत तकनीकी को अपनाने का प्रमुख कारण जानकारी का अभाव व विद्युत शक्ति की उचित व्यवस्था न होना आदि है।

मौन पालन में प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना तथा मार्गदर्शन न दिया जाना। मौन बक्सों की अनुपलब्धता तथा सम्बन्धित संयंत्रों व औजारों की कमी मुख्य समस्या है। चूना उद्योग वन विभाग की नीतियों के कारण मृत होता जा रहा है; क्योंकि ईधन के लिए लकड़ी प्रयोग पर प्रतिबन्ध लग गया है अन्य कोई उचित व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। रेशा उद्योग में यंत्रीकरण की समस्या वर्षों से बनी हुई है। रामबांस से रेशा निकालने व रेशे से रस्सी, आदि बनाने में मशीनों का सीमित उपयोग ही हो रहा है। साथ ही भांग, जंगली कण्डाली, बाबड तथा भेंकल के रेशों को भी पुरानी तकनीक द्वारा ही निकाला जा रहा है। जिस कारण ऊँची लागत व कम उत्पादन की समस्या से ये उद्योग जूझ रहे है।

14.5.4 उत्पादित माल की बिक्री की समस्या :–उत्तराखण्ड के ग्रामीण उद्योगों की प्रमुख समस्या उत्पादित माल की उचित बिक्री की है, क्योंकि राज्य के ग्रामीण उद्योग दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित है जहां से अन्य स्थानों पर निर्मित माल को पहुँचाना आसान नहीं है, क्योंकि इससे यातायात लागत के कारण वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है और गुणवत्ता, डिजाइन, बाजार मांग व प्रतियोगिता के कारण वस्तु बिक्री में कठिनाई आती है। जिससे समय पर धन प्राप्ति न होने के कारण कारीगर ऋण लेकर अपना गुजारा करने को मजबूर होते है और एक बार ऋण जाल में फंसने के कारण उद्योग का विकास भी प्रभावित होता है।

14.5.5 यातायात की समस्या :– राज्य के अधिकांश ग्रामोद्योग दूरस्थ पर्वतीय गांव में है। जहाँ यातायात की उचित सुविधाओं का अभाव है। जिससे कच्चेमाल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने

में कारीगरों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और समय पर माल की आपूर्ति न होने पर आगे के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि राज्य स्थापना के बाद इस ओर अनेक प्रयास किये गये है। परन्तु अभी भी ओर विकास की आवश्यकता है।

14.5.6 अंवाछित करारोपण की समस्या :–ग्रामोद्योग के कच्चेमाल, तैयार माल, मशीनों पर स्थानीय करों के लगने से उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जिससे प्रतियोगिता में अन्य उद्योग की तुलना में ग्रामोद्योग के उत्पाद मंहगे होने के कारण नकार दिये जाते है। जैसे उत्तराखण्ड बनने से पहले हरिद्वार, देहरादून के आसपास तथा ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग सहारनपुर तथा मुरादाबार से कच्चा माल मंगाते थे, परन्तु अलग राज्य बनने के बाद करो की मार के कारण अब इस क्षेत्र के ग्रामोद्योग बन्दी की कगार पर है।

14.5.7 सूचना व परामर्श का अभाव :–पर्वतीय क्षेत्र में संचार व यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों में ग्रामोद्योग विकास की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। साथ ही प्रशिक्षण व परामर्शदाता को जनपदों में रहने के कारण उद्योगों को कठिनाई के समय उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, जिससे उद्योग हानि उठाते हुए बन्दी की कगार पर पहुँच जाते है।

यदि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है तो ग्रामीण उद्योग के विकास की बाधाओं को दूर करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की प्राप्ति हो, और युवको के पलायन में कमी आये। यद्यपि उत्तराखण्ड बनने के बाद इस दिशा में सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक नीतियों व अनुदानों की घोषणा की गई है परन्तु उनका परिणाम सामने आने में अभी समय लगेगा।

14.6 लघु उद्योग का अर्थ

लघु उद्योगों की परिभाषा में निवेश, समय तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर सुधार किये गये है, जिससे लघु उद्योगों के विकास में कोई कठिनाई न हो। स्वतन्त्र भारत में पहले प्रशुल्क आयोग ने अपनी 1950 की रिपोर्ट में कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को पृथक रूप से परिभाषित करने की पहल की गई थी रिपोर्ट के अनुसार ''लघु स्तरीय उद्योग वे है जो साधारणतया अपने कारीगरों को पूर्णकालिक व्यवसाय देते है और नगरीय अथवा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित है।'' द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956) प्रारूप में लघु उद्योग की कार्यकारी परिभाषा इस प्रकार दी गई, ''लघु स्तरीय उद्योग बोर्ड द्वारा एक कार्यकारी परिभाषा अपनाई गई, जिसके अन्तर्गत उन समस्त इकाइयों अथवा प्रतिष्ठानों को लघु स्तरीय उद्योगों की परिधि में लाया गया, जिसमें 5 लाख रूपये से कम पूंजी निवेश और विद्युत शक्ति का प्रयोग कर 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है।''

लघु स्तरीय उद्योग की इस कार्यकारी परिभाषा में 1975 में उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आया और इसे अति लघु उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा एक लाख में कम हो, लघु उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा 10 लाख से कम हो और सहायक या मध्यम उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा 15 लाख से कम हो, के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इनकी निवेश सीमा में समय–समय पर परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में सूक्ष्म (अति लघु) उद्योग, लघु उद्योग तथा मध्यम (सहायक) उद्योग से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधि ानियम 2006 के अध्याय 3 की धारा–7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आते हो जो इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	उद्यम	पूंजी निवेश (रूपये में) (सेवा प्रदान करने वाले)	पूंजी निवेश (रूपये में) (विनिर्माण एवं उत्पादन करने वाले)
1.	सूक्ष्म उद्यम	10 लाख से अधिक न हो	25 लाख से अधिक न हो
2.	लघु उद्यम	10 लाख से अधिक किन्तु 2 करोड़ से कम हो	25 लाख से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम हो
3.	लघु उद्यम	2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम हो	5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम हो

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में भी लघु (सेवा) उद्योग की श्रेणी में वह उद्योग आते है जिनकी पूंजी निवेश 10 लाख रूपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रूपये से कम हो।

14.7 उत्तराखण्ड में लघु उद्योगों का विकास

रोजगार उपलब्धता, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा आय के साधन स्थानीय बाजार की मांगी की पूर्ति में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। लघु उद्योग में पूंजी निवेश की तुलना में श्रम रोजगार की अधिकता होती है। जिससे स्थानीय युवाओं व कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड एक युवा राज्य है। इसलिए लद्यु उद्योग के विकास के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें उत्तराखण्ड के सभी जिले सम्मिलित नहीं है। मुख्य रूप से हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर के आंकड़ों का इसमें समावेश नहीं है।

तालिका (14.5) उत्पाद समूह के आधार पर लघु इकाई उद्योग

क्र0 सं0	उद्योग	1988–89		1991–92		1988–89
		इकाई संख्या	इकाई संख्या % में	इकाई संख्या	इकाई संख्या % में	से 1991–92 तक वार्षिक वृद्धि दर
1.	खादी व सम्बन्धित इकाईयाँ	5483	35.7	14868	44.6	42.8
2.	इंजीनियरिंग उद्योग	1024	6.7	2145	6.4	27.4
3.	रसायन उद्योग	409	2.7	524	1.6	7.0
4.	खाद्य प्रसंस्करण	2148	14.0	3380	10.1	13.3
5.	हथकरघा	779	5.1	2840	8.5	66.1
6.	हस्तशिल्प	3930	25.6	5856	17.6	12.3
7.	रेशम उद्योग	50	0.3	61	0.2	5.5
8.	अन्य	1534	9.9	362	11.0	34.5
	योग	**15357**	**100.0**	**33326**	**100.0**	**29.3**

स्रोत : सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ।

तालिका (14.5) में लघु उद्योग द्वारा उत्पादित किये जाने वाले मदों के आधार पर इकाइयों का विवरण दिया गया है। जिससे पता जबकि खादी व सम्बन्धित इकाईयां सबसे अधिक है। जबकि रेशम उद्योग की इकाईयाँ सबसे कम परन्तु यदि 1988–89 से 1991–92 तक की वार्षिक वृद्धि को देखा जाये, तो हथकरघा में सबसे अधिक वृद्धि हुई हैं, जबकि खादी व संबंधित इकाईयों का स्थान दूसरा रहा 1988–89 से 1991–92 के दौरान समस्त पर्वतीय क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 29 प्रतिशत रही, जो सन्तोष जनक कही जा सकती है।

तालिका (14.6) में पर्वतीय क्षेत्रों में 1995 तथा 2000 में विभिन्न जनपद में कार्यरत इकाईयों की संख्या सहित रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि संख्या को दृष्टि से सर्वाधिक इकाइयाँ नैनीताल में कार्यरत थी जबकि देहरादून व अल्मोड़ा दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। जबकि वृद्धि दर

की स्थिति में 1995 से 2000 के दौरान पिथौरागढ़ में इकाईयों में वार्षिक वृद्धि दर 9-3% रही जो सर्वाधिक थी। जबकि देहरादून में इस दौरान वृद्धि दर सबसे कम 4-3% थी। रोजगार की दृष्टि से देखे तो टिहरी को 1995–2000 के दौरान वृद्धि दर सर्वाधिक थी जबकि देहरादून में रोजगार वृद्धि दर मात्र 1-9% थी इस प्रकार रोजगार वृद्धि दर पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 3-3% थी जबकि इकाई वृद्धि दर इस दौरान 6-4% थी।

तालिका (14.6) पर्वतीय क्षेत्र में 1995 तथा 2000 में लघु उद्योग इकाइयों तथा रोजगार की स्थिति

क्र.सं.	जनपद	इकाई संख्या		रोजगार संख्या		1995–2000 में इकाई में वार्षिक वृद्धि दर	1995–2000 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर
		1995	2000	1995	2000		
1	उत्तरकाशी	1951	2620	5924	7033	6.8	3.7
2	चमोली	2023	2796	4730	6382	6.8	6.9
3	टिहरी	2036	2598	5958	8307	5.5	9.9
4	पौड़ी	2411	3368	8843	10767	7.9	4.3
5	देहरादून	5067	6165	28033	30721	4.3	1.9
6	**गढ़वाल मण्डल**	**13488**	**17547**	**53488**	**63210**	**6.0**	**3.6**
7	अल्मोड़ा	3664	4966	15405	17497	7.1	2.7
8	पिथौरागढ़	2401	3522	8820	10664	9.3	4.2
9	नैनीताल	6311	8080	26372	29862	5.6	2.7
10	कुमाऊं मण्डल	12376	16568	50597	58023	6.8	2.9
11	**पर्वतीय क्षेत्र**	**25864**	**34115**	**104085**	**121233**	**6.4**	**3.3**

स्रोत – विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल के आंकड़ों से आंकलित

उद्योग निदेशालय के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें 700.29 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश था और 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से माह फरवरी, 2011 तक 23,617 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) फाइल किये गये हैं, जिनमें 5508.65 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किये गया है और 1,22,837 लोगों को रोजगार दिया गया है।

तालिका (14.7) में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या, रोजगार व पूंजी निवेश को दर्शाया गया है और राज्य स्थापना के पश्चात पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या, रोजगार व पूंजी निवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है। सर्वाधिक लघु इकाईयाँ हरिद्वार जनपद में रही, रोजगार को स्थिति में भी हरिद्वार ही पहले स्थान पर रहा, जबकि देहरादून का दूसरा स्थान रहा और चम्पावत सबसे नीचा रहा। जबकि पूंजी निवेश में उधमसिंह नगर का दूसरा स्थान रहा। उत्तराखण्ड स्थापना के बाद लघु इकाइयों की संख्या में ढाई गुना, रोजगार में चार गुना तथा पूंजी निवेश में आठ गुना वृद्धि देखी गई।

तालिका (14.7) फरवरी 2011 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों का विवरण

जनपद	दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) पंजीकृत कार्यरत् लघु स्तरीय उद्योग			राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह फरवरी, 2011 तक पंजीकृत / ई.एम.पार्ट–2 फाईल करने वाले सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम			कुल पंजीकृत / ई.एम.पार्ट–2 फाईल करने वाले सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम		
	संख्या	पूंजी निवेश (करोड रू0 में)	रोजगार	संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार	संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार
नैनीताल	816	158.36	3513	1665	144.23	5884	2481	302.59	9397
उधम सिंह नगर	804	233.71	4899	3133	2072.14	29522	3939	2305.85	34421
अल्मोड़ा	904	17.78	1846	1911	17.22	3399	2815	35.00	5245
पिथौरागढ़	534	5.85	1013	1416	19.08	3019	1950	24.93	4032
बागेश्वर	387	2.04	607	563	8.54	1100	950	10.58	1707
चम्पावत	147	4.95	322	600	10.25	1315	747	15.20	1637
देहरादून	2321	88.01	7232	3239	645.82	25119	5560	733.83	32351
पौड़ी	1720	28.39	4196	2127	97.02	5727	3847	125.41	9923
टिहरी	1025	14.44	2413	1941	50.26	4744	2966	64.70	7157
चमोली	844	5.45	1154	1423	26.54	2874	2267	31.99	4028
उत्तरकाशी	1734	10.60	2364	1359	18.66	2404	3093	29.26	4768
रूद्रप्रयाग	394	7.20	737	676	11.75	1577	1070	18.95	2314
हरिद्वार	2533	123.51	8213	3564	2387.14	36153	6097	2510.65	44366
योग	14163	700.29	38509	23617	5508.65	122837	37780	6208.94	161346

स्रोत – औद्योगिक विकास प्रगति रिपोर्ट, फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून

14.8 लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ

क्षेत्रीय आर्थिक विकास व रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से योगदान देने के कारण लघु उद्योगों का महत्व सदैव से रहा है। ये उद्योग बड़े उद्योगों के विकास में सहायक होने के साथ–साथ निर्यात द्वारा देश के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करते है। लेकिन पिछले कुछ समय से इनका विकास ऋणात्मक रहा है और

लघु उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखण्ड भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों उत्तराखण्ड में अनेक लघु इकाईयों या तो बंद हो गई या बंद होने की कगार पर है। इसके मुख्य कारण कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चेमाल के समस्या बिजली की कमी तथा श्रम व विपणन की समस्याएं रहीं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास में अनेक समस्याएं बाधक है जो इस प्रकार है –

14.8.1 कच्चामाल प्राप्ति में कठिनाई :– लघु उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित होते है। लेकिन उत्तराखण्ड में ऐसे उद्योग स्थापना हेतु प्रयास नगण्य है जिनका कच्चा माल पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध है। साथ ही जो इकाईयां कार्य कर रही है वह बाहर से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है और उचित भण्डारन व्यवस्था न होने के कारण इन इकाईयों को बाजार से ऊँचे मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता है। वन आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल लीसा व लकड़ी डिपो से प्राप्त होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों से दूर कोटद्वार, रायवाला टनकपुर आदि में स्थापित है। जिससे यातायात व्यय में वृद्धि होने से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ती है और इकाई को हानि का सामना करना पड़ता है।

14.8.2 कार्यशील पूंजी की कमी :– पूंजी की कमी इन उद्योग की मुख्य समस्या है। जिससे इनकी स्थित ओर अधिक खराब हो गई है। इन उद्योगों का संगठन अकेले या साझेदारी में होता है। जिससे बाहरी स्रोतों से प्राप्त पूंजी का विशेष महत्व होता है। कई बार तो इर्कायों को उन्हीं व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है जिनके लिए यह वस्तु का उत्पादन करते है। ऐसी स्थिति में इनकी सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाने के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ती है।

14.8.3 प्रबन्धकीय क्षमता की कमी :– पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना तथा विकास में एक सबसे बड़ी समस्या उद्यमियों में प्रबन्धकीय क्षमता की कमी है। जिसके कारण नई इकाईयों की स्थापना तथा पुराने इकाईयों के घाटे में चलने की कठिनाई सामने आ रही है। उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की कमी के कारण स्थानीय युवा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

14.8.4 बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित माल से प्रतियोगिता :– आज के युग में बड़े उद्योगों यहाँ तक की बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ भी लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादनों की बिक्री में बाध पहुँचा रही है। क्योंकि बडे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुए कम कीमत तथा उच्च गुणवत्ता के साथ आकर्षक पैकिंग में होती है जिससे उपभोक्ता आकर्षित होते है और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तु की तुलना बड़े उद्योगों की वस्तुओं को खरीदा पसन्द करते है। जिससे लघु इकाईयों को हानि होती है।

14.8.5 बिक्री सुविधाओं का अभाव :– लघु उद्योगों की बिक्री व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। एक तरफ तो यातायात व कच्चे माल की समस्या के कारण इनके उत्पाद का मूल्य अधिक होता है। साथ ही यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने मे असमर्थ रहते है। जिससे बड़े उद्योग द्वारा निर्मित माल के साथ प्रतियोगिता में इनके उत्पाद टिक नहीं पाते है। कई बार तो बड़े उद्योगों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण भी आगे की विपणन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है और इकाई को जारी रखना मुश्किल हो जाता है।

14.8.6विद्युत शक्ति की समस्या :– यद्यपि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। फिर भी राज्य के अनेक पर्वतीय क्षेत्र ऐसे है। जहां अभी तक उचित विद्युत व्यवस्था का अभाव है। जो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बांधा है। असमय बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है। जो लघु उद्योगों के विकास मार्ग में एक बाधा है। क्योंकि उचित बिजली व्यवस्था ना होने के कारण ये उद्योग आधुनिक तकनीक को अपनाने में असमर्थ है जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

14.8.7 तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव :– राज्य की अधिकांश लघु इकाईयाँ ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जहां के युवकों को मशीनों तथा संयंत्रों को चलाने का अनुभव नहीं है। उत्पादन सबन्धी तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जिससे उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इन उद्योगों की वस्तुए बड़े उद्योगों की वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाती है।

14.8.8 स्थानीय करारोपण की समस्या :– लघु उद्योगों को उत्पादन कर, बिक्री कर तथा स्थानीय करों की समस्या का सामना करना पड़ता है। यद्यपि राज्य स्थापना के बाद सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक रियायतों व अनुदानों की घोषणा की गई है। परन्तु सूचना अभाव व नीति क्रियान्वयन के अभाव में लघु उद्यमियों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

14.8.9 यातायात की समस्या :—लघु उद्योगों के कच्चे माल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ सड़कों के साथ परिवहन साधनों का भी अभाव है। जिस कारण कई किमी0 तक पैदल चलना पड़ता है जिससे कच्चे माल की उपलबध दूर क्षेत्रों से होने के जहां उत्पादन लागत में वृद्धि होती है वही तैयार माल को बेचने के लिए अन्य स्थानों पर ले जाने में वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है। जो इन उद्योगों के लिए बड़ी समस्या है।

14.8.10प्रमापीकरण का अभाव :— लघु उद्योगों का माल किसी निश्चित प्रमाप या मानक के अनुरूप नहीं होता क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तु के मानक निर्धारित नहीं किये गये है। जिस कारण मूल्य निर्धारण में समस्या आती है और कारीगरों और मलिकों को अपनी वस्तु व परिश्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। आज प्रतियोगिता के युग में प्रमापीकरण, एकरूपता, गुण स्तर आदि का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। प्रमापीकरण व गुणवत्ता के अभाव में लघु उद्योगों के निर्मित माल की मांग कम हो जाती है।

14.8.11सूचना तकनीक का अभाव :—राज्य के अधिकांश लघु उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जहां इन उद्योग को प्रोत्साहन व सहयोग संबंधित अन्य सूचनाओं की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती है। जिस कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन उद्योगों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी नहीं है अगर है तो पूंजी, व शक्ति के साधन के अभाव के कारण यह नवीन तकनीकी अपनाने में असमर्थ है जो इनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है।

14.8.12 समुचित औद्योगिक नीति का अभाव :— उत्तराखण्ड बनने से पहले यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अध ीन था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए योजना की घोषणा तो की गई परन्तु उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास नहीं किये। यद्यपि उत्तराखण्ड की स्थापना के बाद सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये है। परन्तु उनके परिणाम अभी सामने आने बाकी है।

राज्य स्थापना के बाद लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीति में अनेक व्यवस्थाएं की गई जैसे 2001 की नीति में इनके आधुनिकीकरण हेतु व्यवस्था की बात कही गई वर्ष 2003 की नीति में सरकारी खरीद में लघु उद्योग उत्पाद को प्राथमिकता देने की साथ, वित्तीय सहायता व ब्याज दर में रियायत की व्यवस्था की गई। वर्ष 2008 की विशेष औद्योगिक नीति में राज्य के 'ए' व 'बी' श्रेणी के जनपदों की लघु इकाइयों के लिए विशेष ब्याज अनुदान प्रोत्साहन व्यवस्था, विपणन हेतु मेलों व प्रदर्शनियों के माध्यम से निःशुल्क व रियायती दरो की स्टॉल उपलब्ध करने की बात कहीं गई। सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था का लाभ लघु उद्यमी तक पहुँचने लगा है। लेकिन अभी पूर्ण व्यवस्था के सुधार में समय लगेगा। उम्मीद की जा सकती है कि लघु इकाईयाँ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

14.9 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं ग्रामोद्योग से अर्थ ऐसे उद्योग से है, जो 20 हजार तक कि आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और उसमें 50 हजार तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो। ग्रामोद्योग को पारिवारिक या कुटीर उद्योग भी कहते है। इन उद्योगों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांटा गया है। उत्तराखण्ड में घराट, हाथ तेल पिराई, भांग वस्त्र निर्माण, ऊन, चमड़ा उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, काष्ठकला, रेशा उद्योग, मधुमक्खी पालन तथा रिंगाल बर्तन निर्माण आदि अनेक ग्रामोद्योग पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। राज्य के टिहरी, चमोली, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा नैनीताल व पिथौरागढ़ आदि जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग रोजगार के प्रमुख स्रोत है।

ग्रामोद्योग के साथ राज्य में बड़ी संख्या में लघु उद्योग भी कार्यरत है। लघु (सेवा) उद्योग से अर्थ ऐसे उद्योग से है। जिसमें 10 लाख रूपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रूपये से कम पूंजी निवेश हो। राज्य गठन से पहले प्रदेश में 14163 लघु इकाइयाँ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जो फरवरी 2011 में लगभग 23617 हो गई है। यद्यपि लघु व ग्रामोद्योग आय वृद्धि, रोजगार सृजन व क्षेत्र संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। फिर भी इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे— कच्चामाल प्रति में कठिनाई, पूंजी, प्रशिक्षण, विपणन व्यवस्था यातायात सुविधा, सूचना व मार्गदर्शन का अभाव, बड़े उद्योग से प्रतियोगिता, स्थानीय करारोपण की समस्या तथा समुचित विकास नीति का अभाव आदि। इन उद्योगों के तीव्र विकास के लिए इन समस्याओं का समय रहते समाध

ाान करना अत्यन्त आवश्यक है।

14.10 शब्दावली

कृषको	–	किसानों
समानार्थी	–	समान अर्थ वाला
परम्परागत	–	पुरानी परम्पराओं के अनुसार
छिपी बेरोजगारी	–	ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई न दे अर्थात जहाँ व्यक्ति काम में लगा दिखता है, परन्तु उत्पादन में उसका योगदान लगभग शून्य होता है।
अर्द्ध बेरोजगारी	–	ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति को केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए या योग्यता से कम काम मिले।
श्रम प्रतिस्थापन	–	ऐसी व्यवस्था जहाँ श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाये।
वैश्वीकरण	–	ऐसी व्यवस्था जहाँ विश्व के सभी देशों में वस्तुएँ लाने ले जाने की स्वतंत्रता हो।
काष्ठ उद्योग	–	लकड़ी उद्योग
एकाधिकार	–	ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी वस्तु की खरीदारी या बिक्री पर एक संस्था या व्यक्ति का अधिकार हो।
दूरस्थ	–	मुख्यालयों से दूर स्थित ऐसे स्थान जहां पहुँचना कठिन हो।
अवैध	–	गैर – कानूनी
प्रतिबन्ध	–	रोक लगाना
जटिल	–	कठिन
मौन पालन	–	मधुमक्खी पालन
यन्त्रीकरण	–	मशीन या यन्त्र द्वारा उत्पादन करना
करारोपण	–	कर लगाना
पूर्णकालिक	–	पूरे वर्ष के लिए अर्थात् लम्बे समय के लिए
अनुदान	–	सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग पर प्राप्त हो।
प्रमापीकरण	–	मानक या मापदण्ड अनुसार वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना।
नगण्य	–	न के समान
रियायते	–	छूट देना

14.11 अभ्यास प्रश्न :–

सहित उत्तर का चुनाव करें :–

1. ग्रामोद्योग को कहते है –

   (अ) कुटीर उद्योग (ब) पारिवारिक उद्योग (स) अ और ब दोनों (द) कोई नहीं

2. लघु सेवा उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा हैं –

   (अ) 10 लाख से अधिक (ब) 10 लाख से 2 करोड़ तक

   (स) 2 करोड़ से 5 करोड़ तक (द) इसमें से कोई नहीं।

3. ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्या है –

   (अ) कच्चेमाल की कमी (ब) परम्परागत तकनीक

(स) वित्त की कमी (द) उपरोक्त सभी

4. लघु उद्योग की मुख्य समस्या है –

(अ) यातायात की समस्या (ब) प्रमाणीकरण का अभाव

(स) उचित विपणन का अभाव (द) उपरोक्त सभी

5. भारत की प्रगति ग्रामीण व कुटीर उद्योग के विकास में निहित है यह कथन है

(अ) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (ब) विनोबा भावे

(स) महात्मा गांधी (द) पं जवाहर लाल नेहरू

6. उत्तराखण्ड स्थापना के समय राज्य में स्थापित लघु उद्योग की संख्या थी –

(अ) 23617 (ब) 14163 (स) 20780 (द) 37780

7. ग्रामोद्योग को कितने समूहों में बांटा गया है –

(अ) 5 (ब) 6 (स) 7 (द) 8

8. सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयाँ किस जिले में है –

(अ) देहरादून (ब) हरिद्वार (स) नैनीताल (द) उधमसिंहनगर

उत्तर –(1) (स) (2) (ब) (3) (द) (4) (द) (5) (स) (6) (ब) (7) (स) (8) (ब)

14.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Mittal Surabhi, Gaurav Tripati and Deepti Sethi; (July 2008) Development Strategy for the Hill District Uttarakhand. Working paper no. 217 ICRER, New Delhi, page No. 31-34
- Bisht Major D.S.;(2008); 'Uttarakhand Today'; Trishul Publication, Dehradun' page 132-144
- Mehta G.S.;(1996) 'Uttarakhand prospects of Development'; Indus Publishing Company New Delhi. page no. 74.
- Mehta G.S.;(1999); 'Development of Uttarakhand: Issues and Perspetive's, APH Publising Corporation, New Delhi, page - 72-83.
- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह; (2003) ''उत्तरांचल हिमालयी राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण''; डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर (चमोली)

14.13 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

- उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- Uttara.gov.in
- censusindia.gov.in
- districts.nic.in
- planing commission.nic.in
- doink.org

14.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. लघु उद्योग से क्या अभिप्राय हैं ? उत्तराखण्ड स्थापना के बाद लघु उद्योगों की स्थिति पर प्रकाश डालिये।
2. ग्रामोद्योग से आप क्या समझते है ? इनकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करों।
3. लघु उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्यायें क्या है ? विस्तार में बताईयें।

इकाई 15: औद्योगिक नीति

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 औद्योगिक नीति का अर्थ

15.4. औद्योगिक नीति 2001

15.5 औद्योगिक नीति 2003

15.6 औद्योगिक नीति 2008

15.7 सारांश

15.8 शब्दावली

15.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

15.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

15.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

15.12 निबन्धात्मक प्रश्न

15.1. प्रस्तावना

'उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास' से सम्बन्धित यह तीसरी इकाई हैं। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के बाद आप जान गये है, कि उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना कैसी है और लघु व ग्रामीण उद्योगों का विकास किस दिशा में हो रहा है और उन उद्योगों को विकास हेतु किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार रियायतों व नियमों की घोषणा की जाती है। उत्तराखण्ड स्थापना के समय से अब तक सरकार ने तीन औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है। इस इकाई में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2001, 2003 तथा 2008 में घोषित नीतियों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको राज्य की औद्योगिक नीतियों में की गई घोषणाओं व रियायतों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

15.2. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- औद्योगिक नीति का अर्थ बता सकेंगे।
- 2001 की नीति की मुख्य विशेषताओं को समझ सकेंगे ।
- 2003 की नई नीति में उद्योगों को प्रदान की जानी वाली सुविधाओं से अवगत हो जायेंगे।
- 2008 में घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पर्वतीय क्षेत्र को दी जाने वाली विशेष सहायता को जान पायेगें।

15.3. औद्योगिक नीति का अर्थ

औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार की उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जात है और इसे प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। वास्तव में औद्योगिक नीति से अभिप्राय सरकार की उस औपचारिक घोषणा से लगाया जाता है। जिसमें उद्योगों के प्रति अपनायी जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड अस्तित्व में आया इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अतः उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत औद्योगिक नीतियों का उल्लेख होना स्वभाविक है। उत्तर प्रदेश की नीति 1977 में पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग निदेशालय द्वारा उद्योगों के चयन, स्थापना व संचालन के लिए परामर्श व मार्गदर्शन दिये जाने पर जोर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर बल देने के साथ अनेक अनुदानों की घोषणा की गई। वर्ष 1990 में घोषित नीति में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई इकाइयों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधाओं की बात कही गई।

उत्तराखण्ड की स्थापना के पश्चात् राज्य सरकार ने प्रदेश के स्वावलम्बन हेतु औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के विकास के लिए एक सुनिश्चित व योजनाबद्ध नीति की आवश्यकता महसूस की, इस दिशा में सरकार द्वारा 8 जुलाई 2001 को राज्य की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। इसके पश्चात् वर्ष 2003 में विस्तृत औद्योगिक नीति घोषित की गई और वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति घोषित की गई।

15.4. औद्योगिक नीति 2001

उत्तराखण्ड राज्य की पहली औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तेज औद्योगिक विकास हेतु ऐसा वातावरण तैयार करना था जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ सत्त विकास

को बढ़ावा मिलें। इस नीति के निर्माण में उद्योग संघों, सम्बन्धित सरकारी विभागों व संगठनों सहित सरकारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, ताकि राज्य की शक्तियों व क्षमताओं के अनुरूप औद्योगिक विकास हेतु संरचना को तैयार किया जा सके, जिससे तीव्र सन्तुलित व टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति की मुख्य विषेशतायें इस प्रकार थी :–

15.4.1 राज्य के औद्योगिक संसाधनों का उत्पादन कार्य में उपयोग बढ़ाना।

15.4.2 उद्योग व बुनियादी सुविधाओं जैसे – सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, व दूर संचार में निवेश बढ़ाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी, सुनिश्चित करना।

15.4.3 स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चेमाल व कौशल को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिससे एकीकृत विकास योजनाओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकें।

15.4.4 अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना, राज्य की जीव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योग के विकास पर जोर दिया गया।

15.4.5 राज्य के सभी क्षेत्रों के सन्तुलित औद्योगिक विकास हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय और सम्बन्धों को विकसित करना।

15.4.6 प्रति व्यक्ति आय के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना और मानव संसाधन के विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

15.4.7 उत्तराखण्ड राज्य को उच्च विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए निजी क्षेत्र सहित विदेश व अनिवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करना।

15.4.8 राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य ग्रामोद्योग के पुर्नजीवित करने तथा आधुनिकीकरण हेतु व्यवस्था की जायेगी।

15.4.9 राज्य के घराटों पनचक्की को केन्द्र सरकार ने 6 अप्रैल 2001 को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया, अतः इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

15.4.10 आधारभूत सुविधाओं का विस्तार व विकास करने के अन्तर्गत देहरादून, नैनीताल के बीच एक्प्रेस हाईवे के विकास की बात कहीं गई, साथ ही वायु यातायात को बढ़ावा देने हेतु हवाई अड्डों तथा हवाई पट्टी निर्माण करने तथा दूर संचार व्यवस्था के सुधार व विस्तार के प्रयास की बात कहीं गई।

15.4.11 इन सबसे ऊपर, राज्य में उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास के साथ मजबूत विपणन सुविधाओं के विस्तार की बात कहीं गई।

15.5. औद्योगिक नीति 2003

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्च 2002 की घोषणा के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज औपचारिक रूप से दिनांक 7 जनवरी 2003 को घोषित किया। इस पैकेज के सन्दर्भ में तथा नये उद्यमियों द्वारा दर्शायी गयी रूचि तथा आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा एक नई औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

नई नीति का उद्देश्य एक ऐसा समन्वित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना है, जिससे कि उद्यमियों को औद्योगिक विकास हेतु वातावरण उपलब्ध हो तथा इसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकें। जिससे उत्तरांचल राज्य के घरेलू उत्पादों तथा संसाधनों में वृद्धि हो सके। यह नीति औद्योगिक नीति 2003 के रूप में जानी जायेगी।

इस नीति का निर्माण करते समय राज्य की जलवायु विविधता, विद्युत ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता, पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं, फल निर्यात क्षेत्रों, विभिन्न प्रमुख संस्थाओं की उपलब्धता की क्षमता को ध्यान में रखा गया। साथ ही आयकर में पहले 5 वर्षों तक शत प्रतिशत छूट 5 वर्ष बाद 25 से 30 प्रतिशत तक

छूट, 15 प्रतिशत की दर से पूजी निवेश अनुदान तथा केन्द्रीय परिवहन अनुदान सुविधा के पूर्व उपयोग हेतु की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई नीति की व्यवस्था की गई। 2003 की नीति को प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार है–

15.5.1 एक खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था :–इस योजना को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों तथा राज्य स्तर पर उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा लागू किया जायेगा। ये केन्द्र सभी प्रकार की सूचनायें एवं सेवाएं उद्यमियों को उपलब्ध करायेंगे। इन केन्द्रों पर डाटा बैंक की भी स्थापना की जायेगी तथा संयुक्त आवेदन–पत्र एवं अन्य संबंधित सूचनायें भी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

एकल खिड़की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जायेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश एवं आधारभूत सुविधा समिति की स्थापना की जायेगी। जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया के सहायतार्थ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

15.5.2 औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि व्यवस्था :–राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास तथा उद्यमियों की आवश्यकता, प्राथमिकता एवं उपलब्धता की दृष्टि से शीघ्र भूमि एवं भूखण्ड उपलब्ध करायें जायेगें। विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, थीम पार्को, व आई टी पार्को में आवंटित भू–खण्डों पर रियायती स्टाम्प शुल्क देय होगा। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रो को चिन्हित करने के साथ उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहायता करेगी।

15.5.3 श्रम कानूनों का सरलीकरण :–श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए श्रम कानूनों को इस प्रकार सरलीकृत किया जाएगा, कि औद्योगिकरण हेतु उचित वातावरण तैयार हो सके। श्रमिकों की निरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य दण्डात्मक न होकर सुधारात्मक होगा, ताकि उद्यमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

15.5.4 औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा व्यवस्था :–उत्तरांचल राज्य में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है तथा वर्तमान दशक की समाप्ति तक 5000 मेगा वाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विद्युत दर निर्धारण का दायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया गया। राज्य में पीक आवर विद्युत उपयोग पर कोई पाबन्दी नहीं है। 50 बी0एच0पी0 तक विद्युत भार की स्वीकृति जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा जारी की जायेगी तथा 50 बी0एच0पी0 से अधिक की स्वीकृति उत्तरांचल पावर कारपोरेशन की क्षेत्रीय समिति द्वारा की जायेगी तथा न्यूनतम शुल्क मासिक बिल में सम्मिलित किया जायेगा।

15.5.5 पर्वतीय व दूरस्थ स्थल विकास व्यवस्था :–उत्तरांचल राज्य का अधिकतर भू–भाग पर्वतीय एवं दूरगामी है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के समुचित औद्योगिकरण के लिए समुद्रतल से 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों को राज्य ब्याज प्रोत्साहन हेतु दूरस्थ क्षेत्र माना जायेगा और इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिक ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जो कि 5% की दर से अधिकतम् 3 लाख रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन उन इकाइयों को ही प्राप्त होगा जो इस प्रोत्साहन की अन्तिम किस्त प्राप्त होने के तीन वर्ष बाद तक कार्यरत रहेगी।

15.5.6 लघु उद्योग विकास व्यवस्था :–राज्य में स्थापित होने वाले लघु उद्योगों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले क्रय–विक्रय में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। नई लघु इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं/बैंको से ऋण लेने पर देय ब्याज पर 3 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये प्रति इकाई प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जायेगा। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत की दर अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये होगी। बीमार लघु इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुर्नजीवन की व्यवस्था की जायेगी।

15.5.7 खादी एवं ग्रामोद्योग विकास :–खादी एवं ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा और पैकेजिंग एवं विपणन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों का विकास किया जायेगा। निजी विपणन संस्थाओं के माध्यम से उत्तरांचल में निर्मित वस्तुओं को विश्व के अन्य देशों में निर्यात किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। खादी रेशम सहित उपभोक्ता मांग के अनुरूप नवीनतम तकनीक विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

15.5.8 विपणन सहायता :–गुणवक्ता मानकों को अपनाते हुए उत्तरांचल में स्थापित लघु उद्योगों को राज्य में स्थापित बड़ी इकाईयों तथा अन्य राज्यों की इकाइयों की तुलना में क्रय वरीयता प्रदान की जायेगी, अन्य

राज्य के उत्पाद की तुलना में भी उत्तरांचल राज्य में उत्पादित लघु इकाइयों के उत्पादन को वरीयता दी जायेगी।

15.5.9 हस्तशिल्प उद्योग विकास व्यवस्था :—राज्य में परम्परागत हस्तशिल्प उत्पादों की सहायता के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जायेगा। इन उत्पादों को प्रोत्साहित व विकसित करने हेतु इन्हें प्रतिक चिन्ह के रूप में पर्यटक स्थलों व व्यापारिक केन्द्रों पर राज्य तथा राज्य के बाहर विपणन व्यवस्था की जायेगी। निजी क्षेत्र की सहभागिता से शो—रूमों के विकास, मेलों के आयोजनों एवं प्रचार—प्रसार से इन वस्तुओं का निर्यात प्रोत्साहन किया जायेगा।

ऊन आधारित उद्योग के विकास हेतु अच्छी किस्म के कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार, ऊन प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण, एवं गुणवत्ता तथा विपणन व्यवस्था सहित शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने पर बल दिया जायेगा। गैर परम्परागत पशु ऊन रेशों को भी प्रोत्साहित व विकसित किया जायेगा।

15.5.10 कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास :—राज्य में भण्डारण, प्रसंस्करण एवं फल प्रबन्धन की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते है। इसलिए सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम आकार के कृषि पार्कों, भण्डारण व्यवस्था, प्रसंस्करण, छटाई एवं विपणन हेतु सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। भारत सरकार की कृषि निर्यात क्षेत्र योजना के अन्तर्गत चार—कृषि निर्यात क्षेत्र लीची, उद्यान, जड़ी—बूटी, औषधीय पौधे एवं बासमती चावल के लिए विकसित किये जा चुके है।

उत्तरांचल में प्रायः सभी प्रकार की कृषि भूमि तथा जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता है, जो फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है और बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। इस लिए इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा। पैकिंग, छटाई, प्रसंस्करण, प्री—कूलिंग, कोल्ड चैन तथा विपणन जैसी सामान्य सुविधाओं वाले लोरीकल्चर पार्कों के विकास पर जोर दिया गया।

चाय की खेती का महत्व समझते हुए इसके विस्तारीकरण एवं चाय रोपाई के सघन प्रयास किये गए। 560 एकड़ भूमि पर चाय की खेती प्रारम्भ हो चुकी है। चाय खेती के लिए उपर्युक्त भूमि का डाटा बैस बनाया गया है।

15.5.11 वन आधारित उद्योग के विकास पर बल :—राज्य का लगभग 65 प्रतिशत भू—भाग वन क्षेत्र है। इसलिए राज्य में वन उत्पादों एवं अविशिष्टों जैसे चीड़ की पत्ती, लैन्टाना, वनस्पतिक रेशों जैसे रामबांस आदि पर आधारित उद्योगो के विकास पर जोर दिया जायेगा। गैर काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे कि बांस, लीसा, दियासलाई, कागज आधारित उत्पाद, प्लाई बोर्ड, फर्नीचर, खिलौना, पेन्सिल आदि को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्सान दिया जाये।

उत्तरांचल में हर्बल, औषधीय पौधों तथा सुगन्धीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का भण्डार है। इसलिए सरकार इनके शोध व विकास में सहायता देकर इसका दोहन करना चाहती है। इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं देशभर की विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के समन्वय से एकीकृत कार्य योजना तैयार की गई और इसके वैज्ञानिक उत्पादन हेतु संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.5.12 पर्यटन उद्योग विकास हेतु व्यवस्था :—उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक वैधानिक शीर्ष संस्था ''उत्तरांचल पर्यटन परिषद'' का गठन किया गया है। राज्य में पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। नई पर्यटन इकाइयों को प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए विलासिता कर में छूट प्रदान की जायेगी। रोप—वे की स्थापना पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट तथा नय मनोंरजन पार्कों के पूर्ण रूप से स्थापित होने पर पांच वर्ष तक मंनोरंजन कर से छूट प्रदान की जायेगी।

15.5.13 सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु प्रयास :—सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया, देहरादून में एक समर्पित आई0टी0 पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी आई0टी0 पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है। आई0टी0 पार्क में स्थापित की जा रही इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जायेगी। घोषित आई0टी0 पार्क इण्टस्ट्रियल स्टेट में लगने वाले जनरेटर सैट्स को विद्युत कर से मुक्त रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा सभी सॉटवेयर इकाइयों को 2 एम0बी0पी0एस0 बैण्डविड्थ एक वर्ष तक निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

15.5.14 मानव संसाधन विकास एवं रोजगार वृद्धि :—औद्योगिक नीति 2003 का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसर को बढ़ावा देना है। इसलिए स्वरोजगार अवसर, उद्यमिता विकास, औद्योगिकरण तथा पूरक इकाइयों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे। युवकों में उद्यमिता विकसित करने हेतु

राज्य के औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संगठनों की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पॉलिटेक्नीक्स को विकसित किया जायें जिससे मानव शक्ति कुशलता व गुणवत्ता को बढ़ावा मिले और उन्हें रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो।

निष्कर्ष रूप से राज्य की औद्योगिक नीति 2003 औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें गतिमान नीति पर जोर दिया गया है और समय–समय पर परिवर्तन की बात की गई है।

15.6. औद्योगिक नीति 2008

राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को विशेष 'एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008' लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन रोजगार अवसरों के सृजन के साथ पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोकना है। इस नीति में दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को श्रेणी 'ए' तथा श्रेणी 'बी' में वर्गीकृत किया गया। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को हरित तथ नांरगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह योजना दिनांक 1 अप्रैल 2008 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। इस नीति में निम्न प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई :–

15.6.1 विशेष राज्य पूंजी निवेश अनुदान सहायता :–1 अप्रैल 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नये उद्योगो को कार्यशाला, भवन निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किये गये अंचल पूंजी निवेश पर श्रेणी 'ए' के जनपद/क्षेत्र में 25 प्रतिशत अधिकतम् 30 लाख रूपये तथा श्रेणी 'बी' के जनपद/क्षेत्र में 20 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

15.6.2 भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना :–औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से पूर्णतया छूट दी जायेगी। पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ होगी।

15.6.3 विशेष ब्याज अनुदान प्रोत्साहन सहायता :–इसके अन्तर्गत लघु इकाईयों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज दर में श्रेणी 'ए' के क्षेत्र में कुल ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष तथा श्रेणी 'बी' के क्षेत्र में सामान्य ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

15.6.4 विद्युत बिलों में पूर्ण छूट :–नीति के तहत चिन्हित औद्योगिक गतिविधियों के लिए उद्योग स्थापना की तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें फल संरक्षण, जड़ी–बूटी आधारित उद्योगों व स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जायेगा। होटल, मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि जिसमें अधिक विद्युत खपत है, वह इस छूट के पात्र नहीं होंगे।

15.6.5 बिक्री पर मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति :–श्रेणी 'ए' के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी बी के जनपदों में 75 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

15.6.6 विशेष राज्य परिवहन अनुदान सहायता :–भारत सरकार की केन्द्रीय परिवहन अनुदान योजना 1972 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, तथा उत्पादित कच्चे माल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी इकाईयों को उनके कुल वार्षिक बिक्री के आधार पर श्रेणी 'ए' के क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तथा श्रेणी 'बी' के क्षेत्रों में 3 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जायेगी।

15.6.7 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन :–नीति में मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दी जायेगी। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु अंचल पूंजी निवेष की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है।

15.6.8 उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं सर्वेक्षण :–पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को स्वतः उद्यम की ओर प्रेरित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन पर विशेष वित्तीय तथा शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गई। इसमें आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य को प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान किया गया। आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों / विश्व विद्यालयों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

15.6.9 स्थानीय संशाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन :–पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार

सामान्य सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में संचालित किया जायेगा। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित जैसे– चीड़ की पत्ती, रामबांस व अन्य रेशों, फल व सब्जी, जड़ी–बूटी आदि के शोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण के लिए शोध ा व विकास करने पर सहायता प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण पर किए गये व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम् 2 लाख रूपये प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी।

15.6.10 विपणन प्रोत्साहन सहायता :–उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही मेलों व प्रर्दशनीय में भाग लेने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

इस नीति में दी गई रियायतों को समयानुसार लागू करने से जहां उद्यमों को लाभ होगा वहीं प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जो राज्य का औद्योगिक भविष्य निर्धारित करेगी।

15.7. सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं औद्योगिक विकास का स्वरूप व ढाँचा सरकार द्वारा घोषित नीतियों से प्रभावित होता है। उत्तराखण्ड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 1977 तथा 1990 में इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ अनुदानों की घोषणा की गई और नई इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष सुविधाओं की बात कही गई थी। लेकिन 2000 में राज्य स्थापना के बाद तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, राज्य की पहली औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण सहित तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना था। इसके लिए नीति में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन, संतुलित विकास, विदेश निवेश प्रोत्साहन की बात कही गयी। जिससे प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में वृद्धि हो। राज्य की वास्तविक औद्योगिक नीति 2003 में घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को विकास हेतु समन्वित कार्यक्रम उपलब्ध कराना था। जिससे राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो और रोजगार को बढ़ावा मिलें। इस नीति में औद्योगिक विकास हेतु एकल खिड़की व्यवस्था, श्रम कानून सरलीकरण, उचित ऊर्जा व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, लघु हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग विकास व्यवस्था, पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्र विकास व्यवस्था, कृषि तथा वन आधारित उद्योग विकास, पर्यटन बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी विकास सहित मानव संसाधन विकास द्वारा रोजगार वृद्धि की बात कही गई। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की घोषणा की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों को 'ए' तथा 'बी' श्रेणी तथा उद्योगों को हरित तथा नारंगी श्रेणी में बाटा गया। राज्य में पूंजी निवेश तथा विशेष राज्य परिवहन अनुदान में 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के लिये विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई। विद्युत बिलों में छूट, बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, मेगा प्रोजेक्ट स्थापना हेतु वित्तीय सहायता तथा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना की बात कही गयी। साथ ही नीति में विपणन सहायता, उद्यमिता विकास व प्रशिक्षण व्यवस्था तथा भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन हेतु अनेक रियायतों की व्यवस्था की गई। यह नीति 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेगी।

15.8. शब्दावली

सतत विकास – स्थाई या निरन्तर चलने वाला विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचायें।

अनुदान/रियायत – सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का रूप जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग पर प्राप्त हो।

पुर्नजीवित – बन्द होने की कगार पर पहुँच चुकी औद्योगिक इकाई में पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना।

आधुनिकीकरण – आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना और बढ़ावा देना।

खाद्य प्रसंस्करण – ऐसी व्यवस्था जिससे खाद्य पदार्थ लम्बे समय तक प्रयोग किये जा सकें।

क्रय – विक्रय	–	खरीदना – बेचना
विपणन	–	बाजार व्यवस्था जिससे माल को बेचा जा सकें।
वरीयता	–	प्राथमिकता या प्रमुखता
श्रेणीकरण	–	वस्तु को गुणवत्ता व विशेषता के अनुसार विभिन्न वर्गों और श्रेणीयों में बांटना।
लोरीकल्चर	–	फूलों की खेती।
उद्यमिता	–	जोखिम उठाते हुए उत्पादन कार्य करना।
हरित श्रेणी	–	ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बिना लगाये जा सकते है।
नारंगी श्रेणी	–	ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बाद लगाये जा सकते है।
श्रेणी 'ए'	–	उत्तराखण्ड के सीमान्त व सुदूरवर्ती जनपद – चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत व रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भाग।
श्रेणी 'बी'	–	जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भाग तथा देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर तथा नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र।

15.9. अभ्याय प्रश्न

15.9.1 रिक्त स्थान भरों :–

1. उत्तराखण्ड राज्य की पहली औद्योगिक नीति .... में घोषित की गई।
2. घराटों व पनचक्की को केन्द्र सरकार ने .... को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया।
3. देहरादून नैनीताल के बीच .... के विकास की बात 2001 की नीति में कही गई।
4. उत्तराखण्ड के लिए .... में विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई।
5. उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों को .... वर्ष के लिए शत–प्रतिशत आयकर छूट की व्यवस्था की गई।
6. समुद्र तल से .... से अधिक ऊँचाई वाले सभी क्षेत्रों को राज्य ब्याज प्रोत्साहन हेतु दूरस्थ क्षेत्र माना जायेगा।
7. हस्त शिल्प उत्पादों को .... योजना के अन्तर्गत सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में .... कृषि निर्यात क्षेत्र विकसित किये जा चुके है।
9. चाय खेती के लिए भूमि का .... बनाया गया है।
10. पर्यटन उद्योग विकास हेतु .... का गठन किया गया है।
11. राज्य के लगभग.............. प्रतिशत भू–भाग पर वन है।
12. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति ....लागू की गई।
13. 2008 की विशेष एकीकृत औद्योगिक नीति.............. तक लागू होती रहेगी।
14. नई पर्यटन इकाइयों को प्रारम्भ में.............. वर्ष के लिए विलासिता कर में छूट प्रदान की जायेगी।

उत्तर – (1) 8 जुलाई 2001 (2) 6 अप्रैल 2001 (3) एक्प्रेस हाईवे (4) 7 जनवरी 2003 (5) 5 वर्षों (6) 3000 फीट (7) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (8) चार (9) डाटा बैस (10) उत्तरांचल पर्यटन परिषद (11) 65 प्रतिशत (12) 1 अप्रैल 2008 (13) 31 मार्च 2018 (14) 5 वर्ष

15.10. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मामेरिया डॉ0 चतुर्भज एवं जैन डॉ0 एस0सी0; (1995) भारतीय अर्थशास्त्र प्रकाशक साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ सं0 200.

2. बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली, पृष्ठ सं0 156—178.

3. उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून पृष्ठ सं0 71—73

4. The Entrepreneurs Guide to Investment in Uttaranchal;(2004) IIA Uttaranchal and Directorate of Industries Govt. of Uttarachal published by Arora Sudhir K. Green Fields Publishers Dehradun page no. 29-50.

15.11. सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

1- www.dcmsme.gov.in/policies/state/uttaranchal.

2- www.sidcul.com/sidculweb/Attachements/ip 2003.

3- www.doiuk.org/policies .htm.

4- www.doiuk.org.pdf/hill_policy.

15.12. निबन्धात्मक प्रश्न

1. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते है ? उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न नीतियों की संक्षिप्त व्याख्या करो।

2. औद्योगिक नीति 2003 की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करो।

3. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की प्रमुख विशेषताएं बताइयें।

इकाई 16: औद्योगिक विकास हेतु सहयोग संस्थान

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान

16.3.1 राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड **(SIDCUL)**

16.3.2 भारतीय उद्योग संघ उत्तराखण्ड **(IIA - Uttarakhand)**

16.3.3 कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल **(KGCCI)**

16.3.4 उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद **(UHHDC)**

163.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

16.3.6 उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड **(UTDB)**

16.3.7 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग **(DIPP)**

16.3.8 भारतीय उद्योग परिसंघ **(CII)**

16.3.9 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग **(UERC)**

16.3.10. उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड **(U-Dec)**

16.3.11. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड **(GMVN)**

16.3.12. कुमाऊं मण्डल विकास निगम **(KMVN)**

16.4. सांराश

16.5. शब्दावली

16.6. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

16.7. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

16.8. सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

16.9. निबन्धात्मक प्रश्न

16.1 प्रस्तावना

'उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास' से सम्बन्धित इस इकाई से पहले आप औद्योगिक संरचना, लघु व ग्रामोद्योग तथा उनकी समस्याओं सहित राज्य द्वारा घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके है।

राज्य के औद्योगिक विकास के लिये नीति–निर्माण और क्रियान्वयन व्यवस्था में विभिन्न बोर्डों, परिषदों तथा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस इकाई में उत्तराखण्ड राज्य में समय–समय पर स्थापित विभिन्न संस्थाओं के उद्देश्य तथा कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जिससे प्रदेश में तीव्र आर्थिक विकास हो।

इस इकाई के अध्ययन से आप राज्य में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न संस्थानों की स्थापना के उद्देश्यों तथा उनके कार्यों को जान सकेंगे।

16.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप :–

- गढ़वाल कुमाऊं मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल की राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के विकास में भूमिका को जान सकेंगे।
- तीव्र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में सिडकुल के योगदान को जान सकेगें।
- राज्य में कार्यरत, निगमों, बोर्डों, परिषदों व विभागों द्वारा औद्योगिक विकास हेतु किये गयें कार्यों को जान पायेंगे।

16.3 औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान

9 नवम्बर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल अस्तित्व में आया, बाद में इसका नाम उत्तराखण्ड कर दिया गया। स्थापना के समय राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि व कृषि आधारित, वन व वन आधारित तथा पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर थी। यद्यपि राज्य में अन्य प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। किन्तु कम उत्पादकता तथा पूर्ण उपयोग के अभाव के कारण उनका उत्पादन कार्य में उपयोग नहीं हो पाया। दूसरी ओर जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों के उत्पादन के लिहाज में भी राज्य को ईश्वरीय वरदान है, लेकिन इनका भी पूर्ण दोहन नहीं किया जा सका है। उत्तराखण्ड में चूना पत्थर, रॉक, फास्फेट, मैग्नेसाइड, ताँबा, ग्रेफाइट, जिप्सम के भण्डार है, लेकिन उचित वित्तीय संसाधनों व आधारभूत संरचना के अभाव में कुछ जनपदों को छोड़कर राज्य में औद्योगिक इकाइयों की कमी थी।

नया राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। वन, कृषि, खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में अंश वर्ष 1999–00 में 30-10% था जो वर्ष 2008–09 में घटकर 17-39% रह गया है। इसके मुकाबले निर्माण, विद्युत, गैस व उद्योग जैसे क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी तेजी के साथ बढ़ी है। 1999–00 में यह मात्र 18-79% थी, जो 2008–09 में बढ़कर 33-64% हो गयी। इस दौरान हरिद्वार में 840, ऊधमसिंह नगर में 597, देहरादून में 350 और नैनीताल में 79 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई और पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए विकास पर नजर डाले तो राज्य की आर्थिक तस्वीर बदली नजर आती है। राज्य गठन के समय विकास दर मात्र 2-9% थी जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 9-41% हो गई है। इस आधार पर राज्य ने पिछले पांच साल के दौरान विकास दर के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। राज्य की इस प्रगति में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय–समय पर औद्योगिक विकास व आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनेक संस्थान, बोर्ड व संघों की स्थापना की गई।

16.3.1 राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल)

(SIDCUL- State Industrial Development Corporation Uttarakhand Limited)

यह उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 2002 को एक लिमिटेड कम्पनी के

रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेशकों की ऋण, उद्यम पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विकास परियोजनाओं के प्रबन्धान, निर्माण तथा वित्तीय सहायता द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सिडकुल में राज्य सरकार के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (UBI) आरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) तथा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) तथा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इण्डिया (SIDBI) की भी हिस्सेदारी है। अन्य बैंक भी हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया में है। सिडकुल औद्योगिक परियोनाओं को निश्चित समय पर स्थापित करने की मंजूरी प्रक्रिया को भी देखती है। जिससे औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए सक्रिय व सुविधाजनक औद्योगिक माहौल बनाया जा सके।

सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में 60 मीटर की सड़के, 220 केवी सबस्टेशन, क्षेत्रीय वितरण उद्योग, जल आपूर्ति, वित्तीय प्रोत्साहन, आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्र की सुविधाएं देती है। जिससे औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी सुनिश्चित हो और उनकी स्थापना में कम से कम समय लगे। सिडकुल की स्थापना निम्न उद्देश्यों को लेकर की गयी :–

1. राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना और राजकीय राजधानी क्षेत्र व अन्य प्रमुख बाजारों से उसे सड़कों द्वारा जोड़ना।
2. राज्य में एकल खिड़की सुविधा के तहत परियोजनाओं में तेजी लाना और निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करना।
3. औद्योगिक इकाइयों व आधारभूत संरचना की स्थापना के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराना।
4. औद्योगिक क्षेत्र, विकास केन्द्र, विशेष आर्थिक जोन बुनियादी ढांचा परियोजना, हवाई अड्डो, सड़क निर्माण के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
5. उद्योगों के लिए निरन्तर सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना।
6. श्रम कानूनों व प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना ताकि श्रमिकों को राज्य की आर्थिक समृद्धि से उचित हिस्सा मिले।
7. लघु कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम, हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता व सुविधाएं उपलब्ध करना।
8. बीमार उद्योगों विशेषकर लघु इकाईयों के पुर्नगठन व पुर्नवास के लिए बैंकों व वित्तीय संस्स्थानों के साथ समन्वय द्वारा सुविधा उपलब्ध करना।
9. राज्य के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दौहन के लिए उचित योजना बनाना।
10. विश्व स्तरीय अनुसंधान व तकनीकी संस्थानों की मौजूदगी में उत्तराखण्ड को प्रमुख शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

सिडकुल द्वारा विकसित प्रमुख एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र :–

1. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र भेल, हरिद्वार।
2. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र, पन्तनगर।
3. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र, सितारगंज।
4. आईटी पार्क, देहरादून।
5. फार्मा, सिटी, सेलाकुई, देहरादून।
6. साइबर टॉवर, देहरादून।
7. विकास केन्द्र, पौड़ी।

एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1500 से ज्यादा कम्पनियां स्थापित हो चुकी है। इनमें ज्यादातर को 300 से 1000 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराई गई है। इन क्षेत्रों में कम्पनियों लगभग 16000 करोड़ रूपये निवेश कर चुकी है। जिसमें डाबर, हिन्दुस्तान यूनी लीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, भेल, ग्लोबल आटो टेक, सोमानी फोम लिमिटेड, हॉवेल्स इण्डिया लिमिटेड, वी0आई0पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज आटो, हीरो होण्डा, यूरेका फोर्ब्स, टाटा मोटर्स, लखानी इण्डिया, पोलर इंटस्ट्री लिमिटेड, हिल्ट्रान, एच0सी0एल0 इंफोसिस्टम, विप्रो इंफोटेक, सूर्या, अशोक लीलैण्ड तथा महिंद्रा एण्ड महिंद्रा जैसी नामी कम्पनियां शामिल है।

16.3.2 भारतीय उद्योग संघ उत्तरांचल (IIA-Indian Industries Association, Uttarakhand)

भारतीय उद्योग संघ लघु और मध्यम उद्योग की प्रतिनिधि शीर्शस्थ निकाय है। जो 700 से अधिक मजबूत सदस्यता आधार के साथ 35 से अधिक क्षेत्र व जिलों में फैली हुए है। 1985 में एक प्रतिबद्ध युवा उद्यमियों के समूह ने मिलकर; सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगें को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए एक संगठन की कल्पना की, जिसके फलस्वरूप जुलाई 1992 को युवा उद्यमियों की नेशनल एलायंस अस्तित्व में आयी। जिसे आगे चल कर भारतीय उद्योग संघ नाम दिया गया।

भारतीय उद्योग संघ उत्तरांचल (उत्तराखण्ड उद्योग संघ) राज्य में सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग की शीर्ष संस्था है। जो राज्य में उद्यमिता व आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। यह संघ दो स्तरो राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यरत है। उत्तराखण्ड में इसका मुख्यालय रामनगर, ऊधमसिंह जिले में स्थित है।

उत्तराखण्ड उद्योग संघ की स्थापना निम्न उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर की गयी।

1. उत्तराखण्ड उद्योग संघ सदस्यों के बीच मजबूत समूह तथा आत्म विश्वास की भावना को विकसित करना।
2. तेजी से बदलती हुई उदारीकृत अर्थव्यवस्था में नये औद्योगिक अवसरों की पहचान करना।
3. औद्योगिक उत्पादन, वितरण व विपणन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के सदस्य के रूप में उद्यमियों के हित में कार्य करना तथा उत्तराखण्ड सरकार के बिक्री कर, विद्युत संरचना निर्माण, श्रम आदि से सम्बन्धिाते अधिनियम व कानून बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना।
4. उद्यमिता व प्रबन्धकीय कुशलता को बढ़ावा देना।
5. उत्तराखण्ड में नये उद्योगों को आकर्षित करना।
6. सदस्यों की समस्या से उद्योग मित्र आदि सम्बन्धित विभागों को अवगत कराना।
7. संघ लघु उद्योग इकाई के प्रतिनिधि के रूप में बजट पूर्व बैठकों में हिस्सा लेकर संघ के हितों को बढ़ावा देता है।
8. राज्य स्तर के सम्मेलनों, व्यापार मेलों का अयोजना करना, जिससे क्रेता–विक्रेताओं मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सके।

16.3.3 कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य उद्योग मण्डल उत्तराखण्ड (KGCCI-Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and Industry)

यह कुछ गतिशील उद्यमियों के विचार का परिणाम है जो व्यापारिक समुदाय के हितों के लिए संगठित हुए। उत्तराखण्ड एक नया राज्य है, जो पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था। जहां का भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और सांस्कृतिक वातावरण उत्तर प्रदेश से अलग था। इसलिए इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु वर्ष 1988 में कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल की स्थापना की गई। जिसका कार्यालय जिंदल विलायक परिसर, काशीपुर में स्थित था। वर्ष 1999 में इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर, काशीपुर में परिवर्तित कर दिया गया। इसका शाखा कार्यालय ई0सी0 रोड, देहरादून में भी स्थित है।

कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल क्षेत्र के उद्योगों की बेहतरी के उद्‌देश्य से धीरे–धीरे विकसित हो रहा है। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। जिसमें काशी विश्वनाथ स्टील्स, सैम केबल्स

और कंडक्टर प्रा0 लिमिटेड, सेंचुरी, पल्प और पेपर, सूर्या रोशनी लिमिटेड, होंडा सिएल पावर उत्पाद, सिद्धार्थ पेपर्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स निगम लिमिटेड, रूद्रपुर सॉल्वैंटस, इस्पात इंजीनियर्स, भास्कर एनर्जी लिमिटेड, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेस्ले लिमिटेड, एचसीएल इन्फोसिस्टम, जी0एस0 एस्कॉटर्स, भेल आदि प्रतिष्ठित उद्योग सम्मलित है।

राज्य के औद्योगिक विकास में कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल ने अहम भूमिका निभाई है। यह उत्तराखण्ड में निवेश करने वालों के हितों का ध्यान रखने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है। जो उद्योग और सरकार के बीच समन्वय में का काम करती है।

16.3.4 उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद(**UHHDC-Uttarakhand Handloom and Handicraft Development Council)**

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 'उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद' एक पंजीकृत सोसायटी है। उद्योग मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निजी सचिव, उद्योग, इस परिषद के सदस्य सचिव होते है। परिषद उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से काम करती है। उद्योग के अतिरिक्त निदेशक इस परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते है। उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित पंजीकृत परिषद है।यह कारीगरों, निर्माताओं व खरीदारों का मार्गदर्शन व संगठित करती है। साथ ही उनके बीच सीधी बातचीत के अवसर की व्यवस्था करती है।

उत्तराखण्ड में हथकरघा ऊनी, सूती, रेशम उत्पाद, व अन्य प्राकृतिक रेशों उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ के लोगों को सदियों से कला व शिल्प के विभिन्न रूप बनाने में महारत है। वर्तमान समय में आधुनिक सस्ते मशीन उत्पाद के कारण कला व शिल्प उत्पादों को कठोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इनके विकास व पुनर्जीवन हेतु कठोर कदम उठाये जाने की जरूरत है इस दृष्टिकोण से उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन किया गया था।

यह हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक है। इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर देहरादून में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर यह जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्य करती है।

16.3.5 उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड **(Directorate of Industries Uttarakhand)**

उद्योग निदेशालय राज्य स्तरीय कार्यालय है जिसकी जिम्मेदारी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने को है। निदेशालय का मुख्य उद्देश्य राज्य में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना है। उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से काम करता है। जिला उद्योग केन्द्र, सूचना केन्द्र, परामर्श केन्द्र, उद्यम शीलता केन्द्र तथा एकल खिड़की सम्पर्क सुविधा के रूप में कार्य करते है। राज्य के सभी 13 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे है इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर, देहरादून में स्थित है। जिला उद्योग केन्द्र का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि निवेश प्रोत्साहन द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन हो। ये केन्द्र निम्न कार्य सम्पादित करता है

1. उद्योग स्थापना व स्वरोजगार हेतु परामर्श देता है। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र हल्द्वानी के परामर्श कक्ष की स्थापना की गई है।
2. भारत सरकार/राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता व सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करता।
3. विभिन्न बैंको के माध्यम से उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कराना।
4. लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए भूमि व प्लांट आंवटित करना।
5. विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प व ग्रामोद्योग के विकास हेतु कार्यक्रम लागू कराना।
6. लघु उद्योगों के आंकड़े एकत्र करना।

16.3.6 उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड(UTDB-Uttarakhand Tourism Development Board)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक सांविधिक बोर्ड है। पर्यटन मंत्री इसके अध्यक्ष होते है मुख्य सचिव तथा निजी क्षेत्र के पांच विशेषज्ञ, इसके सदस्य होते है। बोर्ड पर्यटन विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के नियमन के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पर्यटन व सम्बन्धित परियोजना की मंजूरी के लिए एकल खिड़की के रूप में सुविधाएँ प्रदान करता है। यह राज्य में पर्यटन के विकास हेतु प्राशासनिक व वित्तीय सुविधाए भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर, देहरादून में स्थित है।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित रोजगार परक चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर्यटन उद्योग के बढ़ावा देने लागू की गई है। बोर्ड प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार को सुझाव देता है और उद्योग के हित में नीति निर्माण में सहयोग देता है।

16.3.7 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग(DIPP-The Development of Industrial Policy & Promotion)

औद्योगिक विकास हेतु उचित नीति बनाने व कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय व राज्य प्राथमिकताओं, सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन व औद्योगिक विकास हेतु नीति निर्माण की सिफारिश करता है। चयनित उद्योगों जैसे सीमेन्ट, कागज, चमड़ा, टायर व रबड़, हल्के विद्युत उद्योगों, उपभोक्ता वस्तुओं, हल्के मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के अध्ययन, मूल्यांकन व तकनीकी विकास की आवश्यता का अनुमान लगता है। औद्योगिक प्रगति व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में तालमेल बैठाने का काम करता है। ताकि राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

16.3.8 भारतीय उद्योग परिसंघ (CII-Confederation of Indian Industry)

यह एक गैर सरकारी उद्योगों का नेतृत्व करने वाला उद्योग प्रबन्धित संगठन है। जो सरकार के साथ मिल कर नीतिगत मुद्दों पर कार्य करती है। यह कुशल प्रतियोगिता, वैश्विक संबंधों तथा विशिष्ट सेवाओं के माध्यम से उद्योगों के विस्तार के अवसरों को बढ़ाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच समन्वय का कार्य करता है। उत्तराखण्ड राज्य में भी यह उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में इसका कार्यालय देहरादून में स्थित है।

उत्तराखण्ड राज्य परिषद, अपने केन्द्रीय उद्देश्य 'उद्योग के माध्यम से समग्र विकास' पर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड एक युवा राज्य है जो विकास की नई ऊँचाईयां छूने को प्रयासरत है। परिषद आर्थिक विकास के विस्तृत उद्देश्य को प्राप्त करने के अतिरिक्त उद्यम विकास, औद्योगिक प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी कार्य कर रही है।

उत्तराखण्ड के विजन 2020 के दस्तावेज के साथ ही परिषद मजबूत समावेशी व हरित विकास हेतु प्रयासरत है। जिससे कुशल जनशक्ति को रोजगार प्राप्त हो, इस क्षेत्र में परिषद आईटीआई को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका हेतु तैयार है। साथ ही परिषद समय–समय पर विभिन्न विषय पर परिचर्चा, सम्मेलन व कार्यशाला आयोजित कर औद्योगिक विकास में मार्गदर्शक का कार्य कर रही है। परिषद राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे– ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय तथा पेट्रोलियम व ऊर्जा विश्वविद्यालय के युवाओं में उद्यमिता का कौशल निर्माण करने हेतु परियोजना का निर्देशन कर रही है। 'विजन 2022' के तहत परिषद सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी से बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना, सभी के लिए स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार, पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाना, सामाजिक स्थिरता के साथ समावेशी विकास तथा स्थानीय समस्याओं का कम लागत में समाधान आदि विषय पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

16.3.9 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग(UERC-Uttarakhand Electricity Regulatory Commission)

उत्तराखण्ड सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत 1 जनवरी, 2002 को अधिसूचना जारी

कर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। विद्युत अधिनियम 2003 की प्रस्तावना में व्यापक उद्देश्यों के रूप में विद्युत उत्पादन, वितरण, व्यापार, उपभोग व विद्युत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपायों को शामिल किया गया। साथ ही सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत दर व उपयोग के लिए संबंधित कानूनों को मजबूत करना। यह आयोग औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत दर का निर्धारण करता है और विद्युत या विद्युत दर सम्बन्धित विवादों का निबटारा करता है।

16.3.10 उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड(U-Dec-Uttarakhand Infrastructure Development Company Limited)

यह उत्तराखण्ड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड (IDFC) की संयुक्त कम्पनी है। जो 18 नवम्बर 2002 को अस्तित्व में आई। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के चयन, विकास और कार्यान्वयन में सरकार की नीति निर्माण में सहायता करना है। इनसे उत्तराखण्ड सरकार की 49% IDEC की 49-9% तथा I&MSd की 1-1% की हिस्सेदारी है। इसके निदेशक मण्डल में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तथा IDFC द्वारा मनोनीत सदस्य है। यह क्षेत्रीय विकास हेतु नीतियों का विकास करने के साथ आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करती है और उसकी वित्तीय व्यवहारिकता का विश्लेषण करती है। यह चयनित निजी विकास संस्थाओं से बातचीत व समझौते द्वारा संरचना परियोजना में भागीदारी सुनिश्चित करती है।

यह कम्पनी शहरी विकास, परिवहन विकास, पर्यटन विकास, विद्युत, कृषि विकास सहित औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत है। परिवहन के क्षेत्र में यह एक्प्रेस बस परिवहन प्रणाली, बस टर्मिनल, परिवहन नगर निर्माण तथा पुल व लाईओवर निर्माण हेतु कार्य कर रही है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए यह परिस्थितिकी पर्यटन व चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान दे रही है और होटल, रोपवे तथा मनोरंजन पार्को के निर्माण पर सरकार के साथ कार्य कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में यह सरकार के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही और राज्य की औद्योगिक सम्पदा के संबंधित नीतियों में सरकार को परामर्श देती है।

16.3.11 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN-Garhwal Mandal Vikas Nigam)

गढ़वाल मण्डल के विकास हेतु 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मण्डल विकास निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन विकास सहित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। यह निगम अनेक जिलों में उद्योगों का संचालन करता है जैसे – रेजिन एवं अरपेन्टाइन फैक्ट्री तिलवाड़ा (चमोली), पर्वतीय उडऊल फैक्ट्री मुनिकीरेती (टिहरी), सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक इकाई, टिहरी तथा फलशडोर फैक्ट्री कोटद्वार (पौड़ी)। इसके साथ निगम ने चकराता तथा बड़कोट में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की है। निगम खाद्य प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गढ़वाल मण्डल में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए निगम ऊन उद्योग व ऊनी वस्त्र उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उत्पादन केन्द्र तथा देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी, श्रीनगर, नई दिल्ली में निगम ने बिक्री केन्द्र स्थापित किये है। निगम क्षेत्र के विकास हेतु कृषि व उद्यान उत्पादित वस्तु के विक्रय केन्द्र, गैस, पैट्रोल पम्प तथा पर्यटन हेतु यातायात की सेवाएं भी प्रदान करता है। गढ़वाल क्षेत्र में तीर्थ यात्राओं तथा सहासिक पर्यटन को निगम ने नई ऊँचाईयों पर पहुँचाया। वर्तमान समय में निगम के पास 40 करोड़ रूपये से ज्यादा की परिसम्पत्ति, 90 से अधिक अतिथि गृह और पर्यटक बंगलें है और निगम में 1200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

16.3.12 कुमाऊं मण्डल विकास निगम (KMVN-Kumaon Mandal Vikas Nigam)

कुमाऊं क्षेत्र में तीव्र व व्यवस्थित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं मण्डल विकास निगम की स्थापना की गई थी । निगम बुल्स लिमिटेड काठगोदाम, टेलीट्रॉनिक्स लिमिटेड भीमताल (नैनीताल) सीमेन्ट इकाई भुजाने (अल्मोड़ा), वार्वड वायर काठगोदाम, वार्निश इकाई चम्पावत, मशरूम इकाई भवाली आदि का संचालन कर रही है। निगम के कुमाऊं क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु कुमाऊं अनुसूचित जनजाति निगम के नाम से एक सहायक कम्पनी स्थापित की गई, जिसके सहयोग से डीडीहाट पिथौरागढ़ में गलीचा केन्द्र, मुनस्यारी तथा बागेश्वर में ऊन उत्पादन व विक्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। निगम लघु, कुटीर व बागवानी उद्योग की स्थापना हेतु अनुदान के साथ इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ माल बिक्री को भी व्यवस्था

करता है। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास में भी निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार निगम के सहयोग से ही मानसरोवर यात्रा की व्यवस्था करता है। निगम के लगभग सभी पर्यटन स्थल पर आवास गृह है। जिसमें क्षेत्र के हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए बिक्री केन्द्र स्थापित किये गये है।

16.4 सारांश

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखण्ड राज्य 9 नवम्बर 2009 को अस्तित्व आया स्थापना के समय यहां का औद्योगिक विकास बहुत कम था जबकि अनेक उद्योगों हेतु बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध था इसलिये राज्य के अस्तित्व में आने के बाद राज्य सरकार व औद्योगिक विकास हेतु सक्रिय संगठनों के पहल से अनेक संस्थानों बोर्डों व निगमों की स्थापना हुई जो राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मार्गदर्शन का कार्य कर रहे है। यद्यपि गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल विकास निगम, हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद तथा कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल जैसे संस्थान राज्य स्थापना से पहले ही इस दिशा में कार्य कर रहे थे परन्तु राज्य स्थापना के बाद सिडकुल विद्युत नियमाक आयोग, उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रचर विकास कम्पनी, उत्तराखण्ड उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड उद्योग संघ, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ जैसी संस्थानों की स्थापना से राज्य में तीव्र विकास को गति मिली। सिडकुल द्वारा बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। उद्योग व औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग औद्योगिक नीति निर्माण में सरकार के मार्गदर्शक का कार्य कर रहे है। जबकि अन्य संस्थान उद्यमियों के हित में सरकारी नीति–निर्माण व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है ताकि राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

16.5 शब्दावली

दोहन	–	उत्पादन हेतु अत्यधिक उपयोग
आधारभूत संरचना	–	विकास में सहायक आधार जैसे–सड़क, परिवहन, विद्युत, लोह इस्पात, सीमेंट उद्योग आदि।
जी.एस.डी.पी.	–	राज्य का सकल घरेलू उत्पादन अर्थात् राज्य द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएँ व सेवायें
प्राथमिक क्षेत्र	–	कृषि, खनन व मत्स्य उद्योग
उद्यम	–	उद्योग लगाने का जोखिम उठाना
एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र	–	ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योगो की स्थापना हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ हो।
एकल खिड़की सुविधा	–	ऐसी व्यवस्था जहाँ उद्योग स्थापना हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही एक छत के नीचे उपलब्ध हो।
पुनगर्ठन	–	ऐसा उद्योग जो संगठन में दोष के कारण हानि में चल रहे हो उनका संगठन व्यवस्था में सुधार
शीर्षस्थ	–	सबसे उच्च स्तर या प्रमुख
सूक्ष्य	–	अत्यन्त छोटी
उदारीकृत अर्थव्यवस्था	–	ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न नियम–कानून में छूट दी जाती है।
गतिशील उद्यमीयों	–	ऐसे उद्यमी जिनकी विचार धारा आधुनिक हो और जो नवीन तकनीक को बढ़ावा दें।
समन्वय	–	तालमेल
कार्यान्वयन	–	लागू करना
संवर्धन	–	वृद्धि या विकास करना

16.6 अभ्यास प्रश्न

16.6.1 निम्न संस्थाओं का पूरा नाम लिखो :–

1- सिडकुल (SIDCUL)

2- IIA

3- KGCCI

4- UHHDC

5- UTDB

6- DIPP

7- CII

8- UERC

9- GMVN

10- KMVN

उत्तर – (1) State Industrial Development Corporation Uttarakhand Limited (2) Indian Industries Association (3) Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and Industry (4) Uttarakhand Handloom and Handicraft Development Council (5) Uttarakhand Tourism Development (6) Board The Development of Industrial Policy & Promotion (7) Confederation of Indian Industry (8) Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (9) Garhwal Mandal Vikas Nigam (10) Kumaon Mandal Vikas Nigam

16.6.2 रिक्त स्थान भरों :–

1. राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड की विकास दर ....थी जो 2009–10 में .... हो गई।

2. सिडकुल की स्थापना .... को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई।

3. सिडकुल .... का उपक्रम है।

4. .... सिटी सेलाकुई देहरादून में स्थित है।

5. भारतीय उद्योग संघ, उत्तराखण्ड का मुख्यालय .... में स्थित है।

6. UHHDC के अध्यक्ष .... होते है।

7. उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड का .... में स्थित है।

उत्तर– (1)मात्र 2-9% –बढ़कर 9-41% (2)18 जुलाई 2002 (3) उत्तराखण्ड सरकार (4) फार्मा, सिटी (5) रामनगर, ऊधम सिंह जिले (6) उद्योग मंत्री (7) औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर, देहरादून

16.6.3 निम्न का एक वाक्य में उत्तर दो –

1. सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है ?

2. उत्तराखण्ड का आईटी पार्क किस जिले में है ?

3. भारतीय उद्योग संघ किससे सम्बन्धित शीर्ष निकाय है ?

4. KGCCI की स्थापना कब हुई ?

5. UHHDC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई ?

6. उत्तराखण्ड में कितने जिला उद्योग केन्द्र है ?

उत्तर– (1)देहरादून (2)देहरादून (3)सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगा (4)वर्ष 1988 में (5)सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (6)13

16.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार प्रो0 स्वतन्त्र; (नवम्बर 2010) ''सम्पन्नता का हकदार'' उत्तराखण्ड दशक 2000–2010 अमर उजाला पब्लिकेशन्स, नोएडा पृष्ठ सं0 63–64
2. तिवारी अमर दीप; (नवम्बर 2010) ''पहाड़ पर तेज रतार विकास का पहिया'' उत्तराखण्ड दशक 2000–2010 अमर उजाला प0लि0 नोएडा पृष्ठ, संख्या 65–68
3. बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह; (2003)ः उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण; डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास गोपेश्वर (चमोली) पृष्ठ संख्या – 138–140
4. तिवारी अमर दीप; (नवम्बर 2010) 'प्रगति के पथ पर', उत्तराखण्ड दशक 2000–2010 अमर उजाला प0लि0, नोएडा, पृष्ठ संख्या–97।
5. The Entrepreneus Guide to Investment in Uttarakhsand ;(May 2004) Published by Arora Sudhir K. Green Fields Publishers, Rajpur Road, Dehradun for Book World, Dehradun ,page No. 279-280

16.8 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

1- www.sidcul.com
2- www.iiauttaranchal.com
3- http://uttarakhandcrafts.com
4- ww.uerc.in
5- http://kgcci.co.in
6- www.doiuk.org
7- www.uttaranchaltourism.in
8- www.dipp.nic.in
9- www.cii.org
10- www.u-dec.com
11- www.kmvn.org
12- www.gmvnl.com

16.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड के उद्‌देश्य व भूमिका का वर्णन करो।
2. उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में सहयोग देने वाली संस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या करो।
3. उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में उत्तराखण्ड उद्योग संघ और उद्योग निदेशालय की भूमिका की व्याख्या करो।

इकाई 17 सामाजिक क्षेत्र

17.1 प्रस्तावना

17.2 उद्देश्य

17.3 सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता

17.4 आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में अन्तर सम्बन्ध

17.5 उत्तराखंड के सामाजिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन

17.6 शिक्षा

17.7 उत्तराखंड में उच्च तकनीकी शिक्षा

17.8 स्वास्थ्य सेवायें

17.9 महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास

17.10 समाज कल्याण

17.11 ग्रामीण विकास

17.12 पेयजल एवं खाद्यान्न सुरक्षा

17.13 सारांश

17.14 शब्दावली

17.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

17.17 सदर्भ ग्रन्थ सूची

17.16 निबन्धात्मक प्रश्न

17.1 प्रस्तावना

उत्तराखंड के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की निर्णायक भूमिका जिसमें औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थानों का अत्यधिक महत्व होता है। इस सन्दर्भ में व्यापक अध्ययन पूर्व की इकाई किया जा चुका है परन्तु किसी भी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक विकास तभी टिकाऊ एवं व्यापक होता है जबकि उसमें आम जनता की भागीदारी तथा उसका आत्मसातीकरण विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जबकि उसका लाभ समाज में अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचता है साथ ही संविधान निर्माता डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय के बगैर अधूरी है।

अतः विकास के सामाजिक सरोकार के लिये तथा राज्य में आम जनता की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये मजबूत सामाजिक क्षेत्र का विकास अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई, विद्युत, स्वच्छ पर्यावरण एवं रोजगार जैसी सुविधायें सभी क्षेत्रों एवं वर्गो तक पहुंचनी चाहिये। इसलिये आर्थिक विकास को व्यापक करने के लिये सामाजिक क्षेत्र का विकास आवश्यक एवं अनिवार्य है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में भी उपेक्षित वर्ग तक को आर्थिक विकास प्रक्रिया में आत्मसात करने हेतु ''समावेशी विकास'' की अवधारणा को अपनाया गया है तथा इसके लिये गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई एवं समाज कल्याण की सुविधाओं के विस्तार जैसे सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न आयामों में व्यापक प्रयास विशेष तौर पर किये जा रहे है तथा इस संदर्भ में उत्तराखंड में भी विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

17.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्य निम्न है–

- सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक विकास में अन्तर सम्बन्धित की समझ विकसित करना।
- सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवष्यकता
- सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक कौन कौन से है।
- सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में समस्यायें एवं सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना।
- राज्य का सामाजिक विकास के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करना।

17.3 सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता

सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता निम्न कारणों से है–

- आर्थिक विकास को व्यापक, टिकाऊ तथा दीर्घकालिक स्वरूप प्रदान करने के लिये।
- राज्य की मूलभूत समस्याओं जैसे – गरीबी तथा बेरोजगारी एवं पलायन को नियंत्रित करने के लिये।
- सभी क्षेत्रों एवं वर्गो तक बुनियादी सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिये
- महिला सशिक्तकरण तथा बाल विकास करने के लिये
- समाज कल्याण को अधिकतम करने तथा राज्य में जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि करने के लिये।

17.4 आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में अन्तर सम्बन्ध

आर्थिक विकास एवं निरंतर चलने वाली व्यापक अवधारणा है तथा आर्थिक विकास को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है, परम्परागत् तौर पर आर्थिक विकास को सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) तथा प्रति व्यक्ति आय में संवृद्धि एवं तीव्र औद्योगीकरण के रुप में परिभाषित किया जाता रहा है। परन्तु सर्वप्रथम तो प्रो0 डिडले सोरेज तथा विश्व बैंक

के गर्वनर रार्बट मैक्कनमारा ने सत्तर के दशक के आरम्भ में ही जी.एन.पी. में संवृद्धि की अवधारणा पर कुठाराघात करते हुये आर्थिक विकास को गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण एवं न्यायपूर्ण पुर्नवितरण से जोड़ा कर परिभाषित किया।

1990 में मशहूर अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा अर्मत्यसेन के निर्देशन में प्रकाशित सर्वप्रथम ''मानव विकास रिर्पोट'' में आर्थिक विकास को समाज के सम्मुख ''विकल्पों की विस्तार'' (Expansion in choices) की प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित किया है, इसके अन्तर्गत जीवन की गुणवत्ता तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को आर्थिक विकास की अवधारणा में सम्मिलित किया गया है। विकास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया।

उत्तराखंड राज्य में भी राज्य निर्माण के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से मजबूत सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे है इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आदि का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है साथ ही साथ राज्य सरकार राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिये स्वयं भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है तथा आम जनता की सहभागिता के माध्यम् से विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, विद्युत आदि सुविधाओं को जन सामान्य तक पहुंचाकर जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किया जायेगा।

17.5 उत्तराखंड के सामाजिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन

उत्तराखंड में सामाजिक क्षेत्र के विकास के ऑकलन तथा उसके विश्लेषण हेतु यदि सामाजिक विकास के पैमानों पर यदि प्रकाश डाला जाये तो निम्न तस्वीर उभर कर सामने आती है।

		उत्तराखंड	सम्पूर्ण भारत
1.	साक्षरता दर (2001 में)(प्रतिशत में)	71.62	64.84
2.	महिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)	59.6	54.28
3.	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार 2008 में)	44	53
4.	जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	63	65
5.	पेयजल सुविधाओं की तक परिवारों की पहुंच (प्रतिशत में, 2001)	86.1	77.9
6.	लिंग अनुपात(प्रति हजार, 2001)	964	933
7.	मृत्यु अनुपात(प्रति हजार, 2008)	6.5	8.7
8.	जन्म दर (प्रति हजार, 2008)	20.1	21.34
9.	गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालो का प्रतिशत (2004–05)	21.80	31.81
10.	प्रति व्यक्ति उत्पाद स्थिर कीमतों पर (रूपयें) आधार वर्ष 1999–2000 (2008–09)	25114	25494

यदि उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र के विकास का अध्ययन सम्पूर्ण भारत के सापेक्ष किया जाये तो राज्य की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्पूर्ण भारत से बेहतर नजर आती है साथ ही जनांनकीय पैमानों पर भी राज्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखाई देती है। परन्तु गरीबी तथा बेरोजगारी के सन्दर्भ में राज्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से गंभीर है। अतः सामाजिक क्षेत्रों के विभिन्न आयामों

का अध्ययन नितान्त आवश्यक हो जाता है।

17.6 शिक्षा

हिमालय हमेशा से ज्ञान, ध्यान, योग तथा आध्यत्मिकता को स्रोत रहा है एवं देवभूमि उत्तराखंड का स्थान सदैव से इस दिशा में अग्रणी रहा है। राज्य के नगर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देव प्रयाग, उत्तरकाशी आदि प्राचीन काल से ही शिक्षा के जाने–माने केन्द्र रहे है। अंग्रेजी शासन के दौरान मसूरी, देहरादून नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पहाड़ी नगर अभिजात्य वर्गो की शिक्षा के प्रमुख केन्द्र बन कर उभरे। नवोदित राज्य में आर्थिक सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु राज्य में शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे विद्यालयी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे है साथ ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

17.6.1 विद्यालयी शिक्षा – उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा ''उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम् 2006'' के द्वारा संचालित की जाती है, इस अधिनियम् के तहत् उत्तराखंड में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक) को एकीकृत स्वरूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2010–2011 के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2007–2008 तक 15356 प्राथमिक विद्यालय, 4623 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1027 हाईस्कूल तथा 1302 इंटरमीडियेट विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इन विद्यालयों में लगभग 23 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है।

यदि राज्य में साक्षरता के स्तर का विश्लेषण किया जाये तो वर्ष 2001 में राज्य में साक्षरता का स्तर 71.6 प्रतिशत है पुरूषों के लिये यह 83.3 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिये यह 59.6 प्रतिशत है। सम्पूर्ण भारत में साक्षरता का स्तर 65.38 प्रतिशत है। जोकि पुरूषों के लिये 75.85 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 54.16 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड में साक्षरता का स्तर सम्पूर्ण भारत में साक्षरता के स्तर से बेहतर है।

उत्तराखण्ड में साक्षरता की जिलेवार स्थिति – 2001

(प्रतिशत में)

	जनपद	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1.	अल्मोड़ा	73.6	89.2	60.6
2.	उत्तरकाशी	65.7	83.6	46.7
3.	उधमसिंह नगर	64.9	75.2	53.4
4.	चम्पावत	70.4	87.3	54.2
5.	चमोली	75.4	89.7	61.6
6.	टिहरी गढ़वाल	66.7	85.3	49.4
7.	देहरादून	79.0	85.9	71.2
8.	नैनीताल	78.4	86.3	69.6
9.	पिथौरागढ़	75.9	90.1	62.6
10.	पौड़ीगढ़वाल	77.5	90.6	65.7
11.	बागेश्वर	71.3	87.7	57.0
12.	रुद्रप्रयाग	73.6	89.8	59.6
13.	हरिद्वार	63.7	73.8	52.1
	कुल	**71.6**	**83.3**	**59.6**

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि राज्य में पहाड़ी जिलों में साक्षरता का स्तर पूरी तरह से मैदानी जिलों उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार से बेहतर है। देहरादून में साक्षरता का स्तर सबसे बेहतर है। उसके पश्चात नैनीताल तथा पौढ़ीगढ़वाल का स्थान है वही उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार का स्थान सबसे नीचे है। महिला साक्षरता में जहां देहरादून, नैनीताल तथा पौढ़ी अग्रणीय है वही उत्तरकाशी तथा टिहरीगढ़वाल सबसे पीछे है।

शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक बनाने हेतु संविधान मे 86 वे संशोधन के माध्यम् से अनुच्छेद '21।' के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को अब निशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया गया है अतः केन्द्र सरकार की सहायता से शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न योजनायें तथा कार्यक्रम राज्य में चलाये जा रहे हैं साथ ही साथ राज्य सरकार की शिक्षा को समाज के सभी वर्गो तक पहुंचाने हेतु वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्न प्रयास किये जा रहे है।

17.6.2 विजन 2020 – राज्य में विजन 2020 के अन्तर्गत शत् प्रतिशत साक्षरता एवं प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके लिये प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार किया जायेगा साथ ही निःशुल्क तथा गुणवत्तापरक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी।

17.6.3 सर्वशिक्षा अभियान – शिक्षा की सार्वभौमिकता हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ष 2003 से सर्वशिक्षा अभियान उत्तराखंड राज्य में चलाया जा रहा है। इस अभियान में केन्द्र सरकार की भागीदारी 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की भागीदारी 25 प्रतिशत की है। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक ही आयु के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में करवाकर सन् 2010 तक सभी बच्चों को निःशुल्क तथा गुणवतापरक शिक्षा आठवी कक्षा तक उपलब्ध करना है।

17.6.4 'मिड डे मील' कार्यक्रम– केन्द्र सरकार की सहायता से कार्यक्रम भी उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत आठवी कक्षा तक के सभी बच्चों के लिये सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में दोपहर का शुद्ध एवं पोषक भोजन मिलेगा इस योजना के उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान को मजबूती प्रदान करना है।

17.6.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान– सर्वशिक्षा अभियान के पश्चात् बच्चों का नामांकन अनुपात माध्यमिक कक्षाओं में बढ़ाने, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच तथा इसकी गुणवता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009–10 में आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी 75:25 की है।

17.6.6 नवोदय विद्यालय– विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों की ही तर्ज पर उत्तराखंड में 'राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों' की स्थापना की गयी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं प्रतिभावान बालक–बालिकाओं के लिये विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जिसमें निःशुल्क आवास तथा पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में राज्य के अधिकांश जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

17.6.7 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय– शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में बालिकाओं की शिक्षा और विशेष तौर पर अनूसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गो की छात्राओं के लिये शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने केन्द्रीय सरकार की योजना है। राज्य सरकार की भागीदारी की क्रियान्वित की गयी है एवं वर्तमान समय में राज्य लगभग सभी जनपदों में 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कार्य कर रहे है।

17.6.8 बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम– बालिका शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये विकास खण्डों में इस योजना के अन्तर्गत माडल स्कूल स्थापित किये जायेगे एवं पिछड़े विकास खंडो में बालिका छात्रावास स्थापित किये जायेंगे।

17.6.9 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, (एस.सी.ई.आर.टी.) उत्तराखंड– एस.सी.ई.आर.टी. राज्य की शिक्षा व्यवस्था विशेषकर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अभिवर्धन हेतु शोध एवं प्रशिक्षण के माध्यम् शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की प्रभावी अकादिमक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना सन्

2002 में की गयी है, एस.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य का कार्य मुख्य तथा करती है तथा इसका मुख्यालय नरेन्द्रनगर एवं रामनगर में है।

17.6.10 आर्शीवाद योजना– सुदूरवर्ती क्षेत्रों के निर्धन एवं मेधावी छात्र–छात्राओं के लिये यह योजना आरम्भ की गयी है इसके अन्तर्गत निर्धन छात्र/छात्राओं को हाईस्कूल, इंटरमीडियेट के पश्चात चयनकर निःशुल्क इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में निर्धन एवं पिछड़े वर्गो के लिये देव भूमि मुस्कान योजना, पहल कार्यक्रम, सपनों की उड़ान तथा तेजस्वी योजनायें चलाई जा रही है एवं राज्य में मुक्त विद्यालय भी खोले जा रहे है। जिससे शिक्षा सभी वर्गो तक सुलभ हो सके।

17.6.11 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद– इस परिषद का गठन 26 सितम्बर 2001 को किया गया इसके माध्यम से हाईस्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

वर्ष 2011–12 विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग 3109.64 करोड़ का राज्य सरकार के बजट प्रावधान है। जो कि कुल बजट का 16.06 प्रतिशत है।

17.7 उत्तराखंड में उच्च तकनीकी शिक्षा– आर्थिक–सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मानव संसाधन के विकास की मुख्य भूमिका रहती है। मानव संसाधनों का विकास मुख्यतया रोजगार परक, गुणवत्ता परक एवं व्यापक उच्च पेशेवर एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है चूंकि उत्तराखंड में विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है अतः इन अवसरों से भरपूर लाभ उठाने हेतु तथा राज्य से पलायन को रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा का विकास नितांत आवश्यक हो गया है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण से पूर्व राज्य में केवल 6 विश्व विद्यालय कार्यरत थे जो कि निम्नवत् है –

1. हेमवंती नंदन विश्व विद्यालय, श्रीनगर।
2. गोविन्द बल्लभपंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
3. कुमाऊँ विश्वविद्यालय,, नैनीताल।
4. गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय,, हरिद्वार
5. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) डीम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. आई.आई.टी. रूड़की, विश्वविद्यालय,, रूड़की

राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य में विश्वविद्यालयों के निर्माण की गति तीव्र हुयी तथा सरकारी निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय सभी श्रेणीयों के विश्वविद्यालय, की स्थापना हुयी है।

नये स्थापित सरकारी विश्वविद्यालय निम्नवत् है।

1. दून विश्वविद्यालय, देहरादून
2. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून
3. संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
4. वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका को शिक्षा हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुयी है।

1. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. इकफाई विश्वविद्यालय सेलाकुई (देहरादून)।

4. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, देहरादून।

5. पंतजलि विश्वविद्यालय, देहरादून।

इसके अतिरिक्त राज्य में उच्च शिक्षा की दिशा में निम्न प्रयास किये जा रहे है।

- ग्राफिक एरा तकनीकी संस्थान, देहरादून एवं हिमालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, जौलीग्रांट को डीम्ड विश्वविद्यालयों के रुप में मान्यता दी गयी है।
- राज्य में वर्तमान समय में लगभग 70 महाविद्यालय हैं सरकार के बजट 2011–12 के अनुसार महाविद्यालयों के शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा गुणवतापरक शिक्षा की उपलब्धता हेतु अंतरिक्ष उपग्रह शिक्षा प्रणाली ''एडुसैट'' से महाविद्यालयों को चरणवत् तरीके से जोड़ा जायेगा।
- दूरस्थ शिक्षा हेतु मुक्त वि.वि. हल्द्वानी में तथा हेमवन्ती नंदन बहुगुणा वि.वि. श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, का दर्जा दिया गया है।
- 700 करोड़ भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर तथा 250 करोड़ राष्ट्रीय सुमाडी (पोढ़ी) एवं उत्तराखंड तकनीकी वि.वि. की स्थापना की जा रही है।
- सुद्धोवाला (देहरादून) में महिला पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कालेज विकसित किया जा रहा है।
- राजकीय पॉलिटेक्निक उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत सीटे स्थानीय युवाओं हेतु आरक्षित की गयी है।
- स्थानीय भाषा बोली की उन्नति हेतु प्रयास के साथ–साथ राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है एवं संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य के दोनों मंडलो में एक–एक संस्कृत नवोदय विद्यालय का गठन किया जायेगा।

17.8 स्वास्थ्य सेवायें

स्वास्थ्य सेवायें एवं सुविधायें सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिये मजबूत नीव का कार्य कर सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चूँकि उत्तराखंड का अधिकांश भाग भौगोलिक रूप से दुर्गम तथा आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। अतः 2020 के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें के बुनियादी ढांचे का सभी क्षेत्रों में विस्तार कालक्ष्य निर्मित किया गया है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन् 2002 में प्रस्तावित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति की घोषणा 6 फरवरी 2003 को की गयी, जिसके प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है।

- स्वास्थ्य हेतु राज्य के बजटीय वित्तीय प्रावधान को 2005 के कुल बजट के 7 प्रतिशत तथा 2010 में 8 प्रतिशत तक लाना है।
- वर्ष 2005 तक पोलियों का उन्मूलन करना।
- वर्ष 2010 तक मलेरिया, क्षय तथा अन्य विषाणु व जल जनित रोगों से मृत्युदर को कम करते हुये वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत की कमी करना।
- एच.आई.वी. / एड्स के बारे में जन चेतना का विस्तार करना तथा संक्रमणों में संवृद्धि को शून्य के स्तर तक लायें।
- शिशु मृत्युदर को 2003 के 50 प्रति हजार से 2010 तक 28 प्रति हजार तक लाना है तथा बाल मृत्यु दर को 2006 तक 250 प्रति लाख एवं 2010 तक 100 प्रति लाख के स्तर तक लाना है।
- जीवन प्रत्याशा को 2006 तक 67 वर्ष तथा 2010 तक 70 वर्ष के स्तर तक लाना है।
- प्रजनन दर को वर्ष 2001 के 3:3 से 2010 तक प्रतिस्थापन के स्तर 2.1 तक लाना।
- जन्मदर को 2010 तक 19.9 प्रति हजार तक लाना है।
- मातृत्व मृत्यु दर को 250 प्रति लाख 2006 तक तथा 100 प्रति लाख 2010 तक लाना है।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के साथ–साथ स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा विकास एवं उन्हे सर्वसुलभ बनाने के लिये निम्न प्रयास किये जा रहे है। जिनमें केन्द्र सरकार का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार स्वयं इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। जो कि निम्नवत् है :–

उत्तराखंड में विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य के पर्वतीय तथा अतिदुर्गम सुदूर क्षेत्रों में गुणवत्ता परक स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे है।

17.8.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एम.)– इस अभियान की शुरुआत 2005 में सारे देश में गुणवतापरक, वहनीय एवं जवाबदेह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु की गयी है तथा इसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

- सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम इसके अन्तर्गत समाहित होंगे।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के त्रिस्तरीय अवस्थापना ढांचे यानि सामुदायिक केन्द्रों, प्राथमिक केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों का देशव्यापी विस्तार किया जायेगा।
- अभियान के अन्तर्गत डॉक्टरों समेत चिकित्सा कर्मियों जैसे नर्सो, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तथा सहायक नर्स (ए.एन.एम.) की नियुक्ति समुचित मात्रा में की जायेगी।
- प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य तथा सफाई समितियों की स्थापना की जायेगी।
- सुरक्षित प्रसव सुविधाओं हेतु संस्थागत तौर पर प्रसव सुविधाओं के लिये जननी सुरक्षा योजना चलायी जा रही है। जिसके तहत संस्थागत तौर पर प्रसव कराने वाली माताओं को नगद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखंड राज्य में नये 404 सैटेलाईट उपकेन्द्रों की स्थापना, 13 हेडेगेवार अरोग्य रथ तथा 04 सचल चिकित्सालय स्थापित किये गये है। वर्तमान समय में राज्य में 765 उपकेन्द्र, 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 49 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे है।

उपरोक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है :–

- मुख्यमंत्री सुदूर स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के अनुसार राज्य के समस्त दुर्गम, अति दुर्गम विकास खंडो के असेवित क्षेत्रों में भातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे है।
- राज्य में जीवनदायनी प0 दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सचल स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेन्स 108 का सफलता पूर्वक तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के बजटीय भाशण 2011 के अनुसार विगत् वर्शो में इसके माध्यम से 1 लाख 82 हजार मां बच्चों के जीवन बचाने के साथ–साथ लगभग 32 हजार लोगों को विभिन्न दुर्घटनाओं में बचाकर एक विश्वकीर्तिमान बनाया है।
- जीवन दायनी 108 आपात सेवा की असीम लोकप्रियता के बाद अब सरकार 104 निःशुल्क परामर्शी सेवा आरम्भ करने के साथ–साथ आपातकालीन जल तथा हवाई एम्बुलेंस सुविधा आरम्भ कर रही है।
- प्रत्येक जनपद में आयुष (आयुर्वेद, योगा, नैचरोपैथी, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी) के चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना की जायेगी।
- राज्य में एम्स की तर्ज पर श्रीकोट (श्री नगर गढ़वाल) में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान तथा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गयी है तथा हल्द्वानी, देहरादून एवं अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे है।
- राज्य कर्मचारियों तथा पेशनरों के लिये चिकित्सा सुविधा हेतु स्मार्ट हेल्थ कार्ड की योजना आरम्भ की गयी है।
- राज्य के 2011–12 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 824.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही चिकित्सा शिक्षा के लिये 1489.70 करोड़ का प्रावधान है।

17.9 महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास

प्राचीन से ही हिमालय के पर्वतीय भू–भाग मातृशक्ति केन्द्रत रहा है अतः उत्तराखंड में भी महिलाओं की भूमिका सामाजिक संचेतना से लेकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रही है। साथ ही महिलाओं ने यहां राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर समाज सुधार एवं वन तथा पर्यावरण से जुड़े आंदोलनो में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की दिशा में वर्तमान समय में निम्न प्रयास किये जा रहे है :–

- उत्तराखंड राज्य में जेण्डर बजटिंग की अवधारणा को 2007–08 से अपनाया गया है। जिससे महिलाओं के प्रति बजट में संवेदनशीलता न सिर्फ प्रदर्शित होती है बल्कि सरकार की वचन बद्धता भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2011–2012 के बजट में इस दिशा में 1417.75 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया।
- राज्य में महिला आयोग स्थापित किया गया है एवं बाल आयोग का गठन प्रस्तावित है।
- समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) जिसका आरम्भ 1975 में अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था उसका राज्य में सार्वभौमिकीकरण कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य आगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों तथा माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार करना है।

17.9.1 सबला योजना – जीवन कौशल, बोकेगनल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से किशोरी बालाओं के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने हेतु हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एवं नैनीताल में इस योजना को आरम्भ किया गया है।

17.9.2 नंदा देवी कन्या धन योजना – इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी. एल) परिवारों में जन्मी प्रथम दो कन्या शिशुओं के जन्म पर 7500 रू प्रदान किये जाते है।

17.9.3 गौरा देवी कन्या धन योजना – बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु उनके इण्टर पास करने के उपरान्त 25000 रू की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

17.9.4 स्वयं सिद्धा योजना – महिला सशक्तिकरण हेतु यह समन्वित कार्यक्रम है इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की स्थापना कर उन्हे आत्मनिर्भर बना कर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है।

17.9.5 टेकहोम राशन योजना – 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा छात्री माताओं के लिये टेक होम राशन योजना की व्यवस्था की गयी है।

महिला समूहों को स्वावलम्बी बनाये एवं मातृ शक्ति को पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित योजना के अन्तर्गत 'आदि योग योजना' आरम्भ की गयी है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके शैक्षिक विकास के लिये किशोरी शक्ति योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा महिला इंजीनियरिंग कॉलिज आदि की स्थापना की जा रही है साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के लिये 'वीरांगना, तीलू रौतेली' पुरस्कार आरम्भ किया गया है।

17.10 समाज कल्याण

राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो को विकास की प्रक्रिया में आत्मसात् करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से विशेष प्रयास किये जा रहे है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के कल्याण एवं विकास की परियोजनाओं के संचालन के लिये सरकार कारगर ढंग से निम्न कार्य कर रही है :–

17.10.1 समाज कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन – उत्तराखंड में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन श्रीमति

निरुपमा गौड़ की अयक्षता में किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त छः अन्य सदस्य भी नामित किये गये है। बारह सदस्यीय बोर्ड के अन्य छः सदस्यों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नामित करेगा। समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण हेतु स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है इसके लिये बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध ा कराता है। जिससे महिलाओं में शिक्षा प्रशिक्षण सामुहिक चेतना एवं जागरूकता का प्रसार किया जा सके।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति जन जाति आयोग का गठन किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
- अल्पसंख्यक वर्गो के कल्याण तथा हितों की रक्षा हेतु पृथक अल्पसंख्यक आयोग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम का गठन किया गया है।
- विकलांगो के हितों की रक्षा हेतु विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गयी है।
- प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। जिससे किशोर एवं किशोरियों के विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक मामलों की पृथक सुनवाई की जा सके।
- राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का विस्तार करते हुये कुथलिया बोरा, रावाल्टा/जौनपुरी एवं गोरवा समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उन्हे आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है।
- मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में अल्प संख्यक वर्ग के लिये 2 लाख 52 हजार छात्रवृत्तियों को प्रदान करने का लक्ष्य है वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति का लक्ष्य 7 लाख 57 हजार का निर्धारित किया गया है।
- हज हाउस का निर्माण तथा हज समित को अनुदान दिया जा रहा है। मुस्लिमों के मध्य शिक्षा के विस्तार हेतु मुस्लिम ऐजुकेशन मिशन चलाया जा रहा है एवं मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- अनु.जाति अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के वर्गो के निर्धन विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। एवं विशेषतौर पर अनु. जाति जनजाति हेतु देहरादून में एकलव्य आर्दश आवासी विद्यालय का संचालन आरम्भ किया गया है।

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु नवोदय विद्यालय तथा विशेष तौर पर छात्राओं के लिये कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किये जा रहे है। विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और विभिन्न छात्रवृत्तियों में और अधिक पारदर्शिता लाकर लाभ के पात्रों का दायरा विस्तृत किया जा रहा है।

समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 2011–12 में 512.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.11 ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति के अन्तर्गत बड़ा महत्व दिया गया है। इस रणनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत सड़क आदि सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण हेतु व्यापक प्रयास केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा साझा रूप से निम्न प्रकार से किये जा रहे है।

17.11.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी येाजना, (मनरेगा) – 2/2/2006 से आरम्भ यह भारत सरकार का लैग शिप कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही निर्धन बेरोजगार लोगों को 100 दिन के रोजगार प्रदान किया जायेगा। जिससे गरीबी बेरोजगारी निवारण के साथ–साथ पलायन

की समस्या का निवारण किया जा सके। योजना में 33 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की जायेगी।

उत्तराखंड में मनरेगा के अन्तर्गत 2011–12 में 250 लाख मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य है।

17.11.2 भारत निर्माण – भारत तथा इंडिया के मध्य की खाई को पाटने हेतु तथा ग्रमीण भारत में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं जैसे ग्रामीण आवास, सिंचाई, संचार, विद्युतीकरण, पेयजल तथा सड़क का विस्तार कर ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का उद्देश्य 2005–06 में आरम्भ की गयी है।

सड़को द्वारा गांवो को जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसम्बर 2000 से आरम्भ की गयी थी अब भारत निर्माण के अन्तर्गत ही संचालित हो रही है। उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 तक ही जनसंख्या वाले गांवो को बाराहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा।

17.11.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना – इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के नाम से पुनर्गठित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) गंगा कल्याण योजना, ग्रामीण दस्तकारी को उन्नत किट आपूर्ति योजना तथा दस लाख कुँआ योजना का समावेश किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार को निश्चित अवधि में गरीबी की रेखा के ऊपर लाना है। इस योजना के प्रथम घटक में विकास खण्ड स्तर पर चार–पांच गति विधियों चयन पंचायत समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है एवं इन गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थी को स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय घटक में स्वयं सहायता समूह के निर्माण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण करना है।

उत्तराखंड हेतु इस योजना में केन्द्र राज्य की भागीदारी का अनुपात 90:10 का है।

17.11.4 मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना – राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5000 बी. पी.एल. परिवारों के शिल्पकारों को आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीवका में गुणात्मक संवृद्धि करने का उद्देश्य है।

17.11.5 अटल आर्दश ग्राम योजना – यह योजना राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के लिये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य न्याय पंचायत स्तर पर ही ग्रामवासियों को समस्य सुविधायें प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम में बुनियादी सुविधाओं सड़क, विद्युत, आवास, पेयजल एवं शौचालय की सुविधाओं का विकास किया जायेगा। प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय को अटल आर्दश ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन किया जायेगा वर्तमान में अब तक 670 ग्राम इसके अन्तर्गत चयनित किये गये है। अतः न्याय पंचायत स्तर पर ही सभी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 2011–12 के बजट में 551.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17.11.6 अटल आवास योजना – अनुसूचित जाति जनजाति में गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना मार्च 2009 से आरम्भ की गयी है इस योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लक्षित किया गया है जिनकी सालाना आय 32 हजार रूपयें से कम है। तथा वह इंदिरा आवास, दीन दयाल उपाध्याय आवास या ग्रामीण आवास की ऋण, सब्सिडी योजना के अन्तर्गत आवास पाने से वंचित रह गये है।

17.12 पेयजल एवं खाद्यान्न सुरक्षा

प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वच्छ पेयजल हेतु जिला तथा तहसील स्तर पर प्रयोगशालायें विकसित की जा रही है तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरणीय योजना तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों नगरीय क्षेत्रों में पेयजल तथा जल संभरण के कार्यो का विस्तार किया जायेगा। 2011–12 के राज्य सरकार के बजट में उपरोक्त कार्यो के लिये 521.97 करोड़ रूपयें का प्रावधान किया गया है।

17.12.1 अटल खाद्यान्न योजना – गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को 2 रू प्रति किलो गेहूं तथा

3 रू प्रति किलो की दर से चावल सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे। गरीबी की रेखा से ऊपर किन्तु 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को 4 रू प्रति किलो की दर से गेहू तथा 6 रू प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किये जायेंगे।

17.13 सारांश

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखंड देश का दुर्गम, पर्वतीय एवं आर्थिक तौर पर ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है जहां पर संसाधनों का प्रवाह चाहे व भौतिक हो या मानव राज्य से निरन्तर बाहर होता आया है। राज्य में उक्त प्रवृत्तियों को रोकने तथा विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये जीवन की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सारे राज्य में करने की आवश्यकता है तथा इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित की जानी चाहिये। तभी विकास सभी वर्गो तथा सभी क्षेत्रों तक पहुंच पायेगा एवं विकास के अवसर सर्वसुलभ होंगे।

अतः राज्य में समावेशी विकास के अवधारणा के तहत सभी वर्गो तथा क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं के प्रसार हेतु सशक्त सामाजिक क्षेत्र का विस्तार एवं विकास आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त दिशा में विजन 2020 की अवधारणा को स्थापित किया गया है। जिसके सफल एवं न्यायपूर्ण क्रियान्वयन से राज्य में समतापूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं राज्य विकास के पथ की ओर सही मायने में अग्रसर होता है।

17.14 शब्दावली

सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.)– किसी भी राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के भीतर कुल अन्तिम उत्पादन के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.)– सकल घरेलू उत्पाद में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देते है तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।

प्रति व्यक्ति आय – राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।

सूचकांक – सूचकांको का निर्माण तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये किया जाता है। इनका निर्माण सांख्यिकीय रीतियों से होता है।

मानव विकास सूचकांक – विकास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया। इस सूचकांक को जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक योग्यता तथा क्रय शक्ति आधारित प्रति व्यक्ति आय को शामिल करके निर्मित किया गया है एवं वर्तमान समय में यह विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है।

महिला सशक्तिकरण – महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उत्थान के साथ–साथ राजनैतिक चेतना के ऐसे विकास है जहां महिला समाज के हर क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा समान पूर्वक योगदान कर सके एवं प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके।

ग्रामीण विकास – ग्रामीण स्तर पर सभी को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराते हुये ग्रामीण जीवन स्तर सुधार करने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहते है।

अभ्यास प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है।
2. उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है।
3. उत्तराखंड में लिंग अनुपात कितना है।
4. उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है।

5. सर्व शिक्षा अभियान कब से चलाया जा रहा है।
6. वीर चन्द्र सिंह गड़वाली चिकित्कीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया।
7. नन्दा देवी कन्या धन योजना में कितने रूपयें की राशि प्रदान की जाती है।
8. गौरा देवी कन्या धन योजना में कितने रूपयें की धनराशि प्रदान की जाती है।
9. समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्षा कौन है।
10. निर्धन परिवारों के लिये आवास हेतु कौन सी योजना उत्तराखंड में चलाई जा रही है।
11. खाद्यान्न सुरक्षा के लिये कौन सी योजना उत्तराखंड में चलाई जा रही है।
12. ग्रामीण विकास के लिये कौन सी योजना उत्तराखंड में चलाई जा रही है।
13. महिला सशक्तिकरण के लिये चलाई जाने वाली दो योजनाओं के नाम लिखो।
14. उत्तराखंड में आपातकालीन सचल स्वास्थ्य सेवा का नाम क्या है।

17.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. यू.एन.डी.पी. 2. 59.6 3. 964 4. देहरादून 5. 2003

6. श्रीनगर 7. 7500 8. 25000 9. श्रीमती निरूपमा गौड़

10. अटल आवास योजना 11. अटल खाद्यान्न योजना 12. अटल ग्राम योजना

13. सबला योजना, गौरा देवी योजना 14. पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 सेवा

17.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. झिंगन एम0एल0 (2000) ''विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन'', वृदा प्रकाशन दिल्ली।
2. बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।
3. उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
4. आर्थिक सर्वेक्षण (2011), भारत सरकार
4. Thirlwall A.P. (1994) Growth and development (MacMillianPress), London

17.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुये सामाजिक क्षेत्र के साथ अन्तर सम्बन्धों को स्पष्ट करिये।
2. उत्तराखंड में शिक्षा एवं सामाजिक विकास की स्थिति पर चर्चा कीजिये।
3. जनसंख्या एवं स्वास्थ्य योजना के बिन्दुओं को समझाइयें तथा सामाजिक क्षेत्र में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिये।
4. ग्रामीण विकास से क्या समझते है। उत्तराखंड में इस सन्दर्भ में कौन–कौन सी योजनायें चलाई जा रही है।

इकाई 18 बैंकिग और वित्त

18.1 प्रस्तावना

18.2 उद्देश्य

18.3 वित्त

18.4 विकास तथा बैंकिग एवं वित्त

18.5 भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संरचना

18.6 बैंकिग व्यवस्था की संरचना

18.7 लीड बैंक योजना

18.8 गैर बैंकिग वित्तीय मध्यस्थ

18.9 पूंजी बाजार

18.10 सूक्ष्म वित्त

18.11 उत्तराखंड में बैंकिग सुविधा

18.12 उत्तराखंड के विकास में बैंकिग और वित्त का योगदान

18.13 सारांश

18.14 शब्दावली

18.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

18.16 निबन्धात्मक प्रश्न

18.17 सन्दर्भ सूत्र

18.1 प्रस्तावना

पूर्व की ईकाई में सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया तथा यह अवधारणा स्थापित कि गयी कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिये उत्तराखंड राज्य में सुदृढ़ सामाजिक क्षेत्र का विकास कितना महत्वपूर्ण हैं ।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक पूँजी निर्माण होता है चूँकि उत्तराखंड एक नवोदित राज्य है अतः विकास की प्रक्रिया को स्थापित कर उसे संवेग देने करके हेतु व्यापक संसाधनो को गतिशीलता प्रदान करके का आवश्यकता होती है। जिसके लिये निरतंर वित्त की उपलब्धता सरकारी तथा निजी क्षेत्र को अनिवार्य रुप से होनी चाहिये, इस निरतंर वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुदृढ़ बैंकिग तथा वित्त क्षेत्र का विकास अपरिहार्य है।

बैंकिग तथ वित्त न केवल आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं अपितु स्वयं भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया से प्रभावित होते है। उत्तराखंड में भी विकास को तीव्र तथा व्यापक बनाने हेतु बैंकिग एवं वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा होगी अतः बैंकिग एवं वित्त का व्यापक अध्ययन इस इकाई के अन्तर्गत किया जायेगा।

18.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत निम्न उद्देश्यों का अध्ययन किया जायेगा।

- वित्त का अर्थ, वर्गीकरण तथा आर्थिक विकास में भूमिका
- बैंकिग संरचना तथा उसका नियमन
- वित्तीय क्षेत्र की संरचना तथा उसका नियमन
- बैंकिग तथा वित्त की कृषि तथा उद्योगों के विकास में भूमिका
- गरीबी निवारण में बैंकिग तथा वित्त की भूमिका
- पूँजी बाजार की संरचना तथा उसका नियमन
- उत्तराखंड के विकास में बैंकिग तथा वित्त की भूमिका

18.3 वित्त

व्यापक अर्थो में वित्त से तात्पर्य उन मौद्रिक संसाधनों की निधियों से है जिनकी आवश्यकता घरेलू, औद्योगिकरण कृषि तथा सरकारी क्षेत्रों को विभिन्न कारणों से होती है। वित्त की आवश्यकता अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक कारणों से हो सकती है। वित्त को आवश्यकता के अनुसार निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- औद्योगिक वित्त – औद्योगिक आवश्यकताओं के कारण से जिस वित्त की जरूरत होती है उसे औद्योगिक वित्त कहते है।
- कृषि वित्त – कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण से जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसे कृषि वित्त कहते है।
- विकासात्मक वित्त – इसके अन्तर्गत औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी वित्त आते है यह मुख्यतया दीर्घकालिक प्रवृत्ति का होता है तथा इसकी आवश्यकता विकास सम्बन्धी कारणों से होती है।
- सार्वजनिक वित्त – सार्वजनिक संस्थाओं के आय–व्यय के लेखा जोखा इसके अन्तर्गत आते है तथा इसकी आवश्यकता सरकार की विभिन्न जरूरतों के कारणों से होती है।

18.4 विकास तथा बैंकिग एवं वित्त

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान कर उनका आबंटन उत्पादक क्षेत्र में करना अनिवार्य होता है जिससे

अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश दर निरंतर ऊँची बनी रहें, इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिग तथा वित्त की सर्वाधिक निर्णायक भूमिका होती है।

18.5 भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संरचना

वित्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत वह क्षेत्र आता है जहां पर वित्त का लेन देन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुद्रा तथा पूंजी बाजार आते हैं। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में देशी बैंक तथा साहूकार आते हैं जो कि अपनी लेनदेन की गतिविधियों को परम्परागत आधार पर ही क्रियान्वित करते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में ऋण योग्य निधियों के लेन देन की प्रक्रिया में व्यापारिक बैंक मुख्य भूमिका निभाते है, बचतों को गतिशील बनाने के साथ–साथ यह बैंक साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो सके। संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर. बी.आई.) की मुख्य भूमिका होती है आर.बी.आई. पर ही सारी मौद्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निहित होती है।

मुद्रा बाजार के संगठित भाग में वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक एवं गैर बैंकिग वित्तीय मध्यस्थ आते है। इसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार के कई उपबाजार भी है जिसमें कालमनी मार्किट तथा ट्रेजरी बिल मार्किट प्रमुख है। मुद्रा बाजार में मुख्यतया अल्पकालीन उद्देश्यों के तहत मुद्रा का लेनदेन होता है।

18.6 बैंकिग व्यवस्था की संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक :– यह भारत का केन्द्रीय बैंक है तथा देश की (आर.बी.आई.) मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्था में इसका सर्वोच्च स्थान है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गयी थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके मुख्य कार्य निम्न है–

- मुद्रा का निर्गमन, देश में मुद्रा जारी करने का एकाधिकार आर.बी.आई. को है। एक के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गर्वनर के हस्ताक्षर होते है। जबकि एक के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते है।
- आर.बी.आई. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार को ऋण प्रदान करने के साथ–साथ उसके ऋणों का भी प्रबन्ध करता है।
- यह व्यापारिक बैकों के बैंक होने के साथ–साथ उनके लिये अंतिम ऋण दाता का भी कार्य करता है।
- यह मुद्रा तथा साख नियंत्रण करता है इसके लिये आर.बी.आई. मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, इसके अन्तर्गत साख नियन्त्रण के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक उपाय आते है।
- यह विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है तथा विदेशी विनिमेय दर में अत्याधिक उतार–चढ़ाव के नियमन हेतु विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है।
- देश के आर्थिक विकास हेतु समय–समय पर यह सरकार को सलाह भी प्रदान करता है।
- साख नियंत्रण – मुद्रा से तात्पर्य पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा से होता है तथा साख नियन्त्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा तथा दिशा के नियन्त्रण से है। इससे आर.बी.आई. देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास हो, साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्न हैः
- मुद्रा स्फीति या मुद्रा की अत्याधिक आपूर्ति के कारण पैदा हुयी कीमत वृद्धि पर नियन्त्रण करना।
- उत्पादक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग आदि को समुचित कीमत तथा मात्रा में साख उपलब्ध कराना।

साख नियन्त्रण के उपाय मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के होते है।

मात्रात्मक साख नियन्त्रण – इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात एवं वैधानिकता तरलता अनुपात में परिवर्तन करता है। उक्त तीनों में वृद्धि करने से साथ की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त खुले बाजार की क्रियाओं में रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय कर साख की

मात्रा को नियंत्रित करता है।

चयनात्मक साख नियन्त्रण – इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक बैंको को साख के नियमन, राशनिंग, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा नैतिक दबाब आदि के सन्दर्भ में दिशा निर्देश देकर साख को नियंत्रित करवाना है परन्तु इस प्रकार के उपायों का रिजर्व बैंक द्वारा कम ही प्रयोग किया जाता है।

वाणिज्यिक बैंक – वाणिज्यिक बैंक के अन्तर्गत पर वह बैंक आते है जो कि मुख्यतया वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से अपना कारोबार करते है। यह बैंक जनता से सीधा जमा स्वीकार करते है तथा साख का निर्माण करते है, इसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, स्टेट बैंक समूह के बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक तथा विदेशी बैंक आते है। इन बैंको का विभाजन निम्न वर्गो में किया जा सकता है।

अनुसूचित बैंक – यह वह बैंक है जिनकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत् की गयी है तथा जिसकी प्रदत पूंजी एवं संचित कोष 5 लाख रूपयें से कम नहीं होनी चाहिये इन बैंको को रिजर्व बैंक के पास निर्धारित दैनिक नकद कोष रखना होता है एवं यह बैंक रिजर्व बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो जाते है।

गैर अनुसूचित बैंक – जो बैंक अनुसूचित नहीं होते है वे अनुसूचित बैंक कहलाते है। इन बैंको को नकद कोष की शर्तो को भी मानना पड़ता है। लेकिन इस कोष को यह रिजर्व बैंक के पास रखने हेतु बाध्य नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में यह रिजर्व बैंक से उधार लेने हेतु बाध्य नहीं है। परन्तु असामान्य परिस्थितियों में यह रिजर्व बैंक से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

बैकिंग विकास का इतिहास :– भारत का यूरोपिय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक एलेक्जेण्डर एंड कम्पनी द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान को कोलकाता में स्थापित किया गया। यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया सन् 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के रूप में प्रेसीडेंस बैंकों की स्थापना की गयी सन् 1921 में इन्हीं तीनों बैंको के विलय के बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1995 को कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया रख दिया गया। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है।

भारत में आर्थिक विकास को तीव्र करने एवं सामाजिक तथा कृषि क्षेत्र बैंकिग की भूमिका को महत्व प्रदान करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका अन्तर्गत 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1980 में पुनः 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में स्टेट बैंक समूह के 7 बैंक है तथा अन्य राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 19 है।

भारत में 1991 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बैंकिग क्षेत्र में भी हुआ फलस्वरूप निजी तथा विदेशी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रकिया को उदार बनाया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सरकार दारा अपनी भागीदारी को कम करते हुऐ उन्हें और भी अधिक कार्यकारी स्वतंत्रता प्रदान की गयी है तथा बैंकिंग गतिविधियों को अधिक पारदर्शी एवं बाजार आधारित बनाया गया है। साथ ही समावेषी विकास हेतु तथा गरीबी निवारण के लिये स्वयं सहायता समूहों के तथा सूक्ष्म वित्त के माध्यम को अपनाया गया है।

उत्तराखंड में वाणिज्यिक बैंको में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों बैंक अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है। राज्य में सर्वाधिक प्रभावशाली तथा विस्तारित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है। जिसकी लगभग 200 शाखायें पूरी प्रदेश में विस्तारित है तथा यह जमा एवं साख वितरण में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक है। वही दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक है। वही निजी बैंको में नैनीताल बैंक तथा कूर्मांचल बैंक प्रमुख है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें का विस्तार करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गयी थी तथा वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर सारे भारत में की गयी है।

नरसिंहम समिति की सिफारिशों के पश्चात् बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने लक्ष्य समूहों के बाहर भी ऋण एवं अन्य सेवायें मुहैया कराने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उत्तराखंड में भी ग्रामीण विकास को तीव्र करने हेतु ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है तथा इनके कार्य क्षेत्र का दायरा उन जिलों में विस्तृत करने का प्रयास किया गया है जो कि औद्योगिक तौर पर अत्याधिक पिछड़े हुऐ क्षेत्र है या जिन्हे शून्य औद्योगिक जिला करार दिया गया है। राज्य में 2008 तक इन बैंकों की 135 शाखायें है। इसमें उत्तराखंड ग्रामीण की 04 तथा नैनीताल अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक की 31 शाखायें हैं।

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 जून 2006 को तीन क्षेत्रीय बैंक अलंकांदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण तीनों को आपस में मिलाकर की गयी है। इन तीनों बैंको के प्रर्वतक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी 50:15:35 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रर्वतक बैंक के मध्य विभाजित होती है।

सहकारी बैंक :

सहकारी बैंकों का गठन विभिन्न राज्यों में सहकारी नियम कानूनों के अन्तर्गत होता है। इन बैंकों को कृषि तथा गैर कृषि की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। सहकारी बैंकों का कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी स्थापना का मुख्यतया उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र का विकास है। इनका गठन निम्न तीन स्तरों पर होना है।

- शीर्षस्थ स्तर पर राज्य सहकारी बैंक
- मध्यम् स्तर पर जिला या केन्द्रीय सहकारी बैंक
- निचले स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां

प्राथमिक ऋण समितियों की स्थापना एक गाँव या क्षेत्र के कम से कम दस सदस्य मिलाकर कर सकते हैं। यह प्राथमिक कृषि समितियों के तौर पर भी जानी जाती है। यह सामान्यता अल्पकालीन अवधि यानि अधिकतम 1 वर्ष के लिये ऋण प्रदान करती है।

जिला सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र जिला स्तर तक सीमित रहता है तथा यह साख समितियों एवं राज्य सहकारी बैंकों के मध्य मयस्थ का कार्य करता है।

राज्य सहकारी बैंक शीर्ष सहकारी बैंक है। यह जिला सहकारी बैंको को ऋण प्रदान करने के साथ–साथ उन पर नियन्त्रण करता है यह बैक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। उत्तराखंड में इसकी स्थापना 2004 में की गयी है।

उत्तराखंड में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय देहरादून में है। राज्य में जिला सहकारी बैंको की 118 शाखायें सभी जिलों में स्थित है तथा इसके अतिरिक्त राज्य में शहरी सहकारी बैंक भी है। जिसमें अल्मोड़ा शहरी सरकारी बैक प्रमुख जिसकी छः शाखायें कार्य कर रही है।

18.7 लीड बैंक योजना

गाडगिल समूह की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय विकास को तीव्रता प्रदान करने हेतु रिजर्व बैक द्वारा लीड बैंक योजना स्वीकार की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक अनुसूचित बैंक को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह उस जिले की सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने साख के सन्दर्भ में योजना बनाना, समन्वय करना तथा स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनके समाधान के लिये प्रयास करना आदि प्रमुख है।

उत्तराखंड में भी क्षेत्रीय विकास को संवेग देने हेतु लीड बैंक योजना सभी जिलों में क्रियान्वित की गयी है। स्टेट बैंक ऑफ इडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैक ऑफ बड़ौदा यहां पर लीड बैंको की भूमिका में है। स्टेट बैंक 9 जिलो में पंजाब नेशनल बैंक 2 जिलो में तथा बैंक ऑफ बड़ौदा 2 जिलो में लीड बैंक की भूमिका निभा रहे है।

18.8 गैर बैंकिग वित्तीय मध्यस्थ

वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंको के अतिरिक्त भारतीय बैंकिग तथा वित्त व्यवस्था में गैर बैंकिग मध्यस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है इसके अन्तर्गत वह सभी विकास संस्थान आते है जो कि दीर्घकालिक उदद्ेश्यों के तहत् ऋण उपलब्ध कराते हैं इसमें विकास संस्थान आई.डी.बी.आई, आई.सी.आई.सी.

भूमि विकास बैंक नाबार्ड, एक्जिम आदि शामिल है।

विकास बैंक – भारत में विकास बैंको ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास बैंक मध्यम् तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों के तहत ऋण प्रदान करते है साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रोत्साहन गतिविधियों का निष्पादन करते है। आम्र वाणिज्यक बैंको के के विपरीत यह बैंक जनता से प्रत्यक्ष तौर पर जमाएं स्वीकार नहीं करते है। प्रमुख विकास संस्थान निम्न है –

- भारतीय औद्योगिक विकास संस्थान (आई.बी.डी.आई.) यह देश का सर्वोच्च औद्योगिक विकास बैंक है। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुयी थी, यह औद्योगिक विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराता है एवं निर्यात हेतु भी ऋण प्रदान करता है। यह विकास बैंको के मध्य समन्वय के साथ–साथ वित्त भी प्रदान करता है।

- भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई.) इसकी स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के विकास बैंक के रूप में की गयी थी, इसके गठन में बैंक, बीमा कम्पनियों एवं विदेशी संस्थानों विशेषतौर पर विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, इस बैंक ने विशेषतौर पर दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश में अभिगोपन सुविधा को प्रोत्साहन देने एवं विदेशी मुद्रा में ऋणों के प्रावधान करने में प्रमुख भूमिका निभायी है।

- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड : यह देश का प्रथम विकास संस्थान है तथा इसकी स्थापना 1948 में की गयी थी, यह संस्थान औद्योगिक वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

- भारतीय लद्यु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) :– लद्यु उद्योगों के विकास तथा उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 1990 में सिडबी का गठन किया गया इसका उद्देश्य लद्यु उद्योगों को को सहायता, ऋण, रियायती ऋण तथा सुविधायें, राज्य लद्यु उद्योग निगमों को समर्थन प्रदान करना है, उत्तराखंड में भी सिडबी लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राज्य इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है।

- राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) :– राज्य में औद्योगिक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को उत्तराखंड राज्य में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 2002 में सिडकुल की स्थापना की है। इसही शेयर पूंजी 50 करोड़ तथा चुकता पूंजी 20 करोड़ रूपयें है। इसकी पूंजी ने राज्य सरकार के साथ–साथ जीवन बीमा निगम, सिडबी तथा आईसी आई सी आई का योगदान है। यह संस्था औद्योगिक सुविधाओं के विकास हेतु ऋण तथा सदस्यता प्रदान करती है। हरिद्वार, सितांरगंज, पंतनगर एवं कोटद्वार में सिडकुल की सहायता से औद्योगिक इस्टेट विकसित की गयी है। जहां 1500 से अधिक औद्योगिक ईकाई कार्यरत है जिसके 16000 करोड़ रूपयें का निवेश किया जा रहा है। यहां पर प्रत्यक्ष तथा 1 लाख तथा अप्रत्यक्षतया 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) :– इस बैंक का उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास है इसकी स्थापना 1982 में की गयी थी। नाबार्ड ग्रामीण साख सुलभ कराने वाले संस्थानों की शीर्ष संस्था है। इसकी पूंजी में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर का योगदान है। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास से जुड़े संस्थानों को ऋण तथा सहायता तथा पुर्न वित्त की सुविधा प्रदान करना है।

  नाबार्ड ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का भी प्रबन्धन करना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पुल, लघु ऊर्जा आदि। सुविधाओं के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित है वर्श 2010 में उत्तराखंड में इसके द्वारा 220.45 करोड़ रूपयें की सहायता प्रदान की तथा अब तक यह 1191.41 करोड़ रूपयें की सहायता प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से गरीब निवारण के लिये राज्य में रणनीति बनाने वाला मुख्य संगठन है।

19.9 पूंजी बाजार

पूंजी बाजार में मुख्यता दीर्घकालीन उद्देश्यों के तहत पूंजी का आदान प्रदान होता है। पूंजी बाजार के दो भाग है। जिसमें प्राथमिक पूंजी बाजार तथा द्वितीयक पूंजी बाजार आते है। प्राथमिक पूंजी बाजार में नये

शेयरों का निगर्म होता है। जबकि द्वितीयक बाजार में पहले से ही निर्गमित शेयरों का कारोबार होता है। इसे स्टॉक बाजार भी कहते है। पूंजी बाजार में पूंजी की मांग मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्र को की जाती है। जबकि पूंजी की आपूर्ति विकास बैंको, वित्तीय मध्यस्थ, म्यूचल फंड आदि के द्वारा की जाती है। देशभर में इस समय 24 स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में इस समय पूंजी बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेवी) है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे प्राचीन शेयर बाजार है तथा 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेनसेक्स यहां का मुख्य सूचकांक है। इसके अतिरिक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का पहला निगमीकृत बाजार है। इसका सूचकांक निटी फिटी है।

18.10 सूक्ष्म वित्त

सूक्ष्म वित्त वर्तमान परिवेश में गरीबी निवारण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीति बनकर उभरा है साथ ही साथ वित्तीय रूप से उपेक्षित जनता को मुख्य धारा में लाने के लिये आज या पूरे विश्व में एक कारगर हथियार बन चुका है। इसीलिए वर्ष 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा माइक्रो क्रेडिट वर्ष मनाया गया एवं बंग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री तथा समाज सेवी मौहम्मद यूनूस को नोबोल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मौहम्मद यूनूस ने बंग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण किया अपितु गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी इस दिशा में नाबार्ड द्वारा 1992 में एक पायलट परियोजना आरम्भ की गयी एवं 31.03.2010 तक 48.51 लाख रू0 स्वयं सहायता समूहों को 28038 करोड़ रूपयें का ऋण प्रदान किया जा चुका है। आज सारे देश में स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी निवारण प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य गरीब लोगों को उनकी छोटी–छोटी आवश्यकताओं के मुताबिक अल्प अवधि हेतु अल्प ऋण देने की ऐसी व्यवस्था से है जहां पर लोगों को समूहों के माध्यम से न सिर्फ बचत प्रवृत्ति विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाता है साथ ही उनमें उद्यमिता का विकास करने को प्रेरित किया जाता है। माइक्रो क्रेडिट में स्वयं सहायता समूह तथा माइक्रो फाइनेंन्सिग संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिकायें निभा रही है परन्तु बैंक द्वारा सम्बद्ध स्वयं सहायता समूहों का रास्ता अधिक कारगर है। इसके अन्तर्गत 10 से 20 की संख्या में महिलाओं को समूह में गठित कर उन्हें वित्त तथा सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तराखंड में भी माइक्रो क्रेडिट संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी निवारण तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। राज्यभर में लगभग 38487 स्वयं सहायता समूह स्थापित किये गये है जिसमें सर्वाधिक देहरादून में 5241 तथा अल्मोड़ा में 4205 है। वहीं सबसे कम सहायता समूह रूद्रप्रयाग जिले में 1048 है। इन सहायता समूहों में सर्वाधिक भागेदारी वाणिज्यक बैंको की है साथ ही साथ ग्रामीण तथा सहकारी बैंक भी इस दिशा में योगदान कर रहे है। बैंको के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सम्बद्ध करके उनका न सिर्फ वित्तीय सशक्तिकरण होता है बल्कि समूह के सदस्यों की वित्त तक सरल और सुलभ पहुंच हो जाती है। राज्यभर में स्वयं सहायता समूहों को 337.59 लाख रूपयें का ऋण प्रदान किया गया है। सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित किये गये है। इसके अतिरिक्त जलागम कार्यक्रम तथा स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह गठित किये गये है।

माइक्रो क्रेडिट में माइक्रो सूक्ष्म वित्त मुहैया कराने वाली संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। राज्य में कई वित्तीय संस्थायें तथा गैर सरकारी संगठन किस दिशा में प्रयास कर रहे है तथा उनके द्वारा सूक्ष्म वित्त के तौर पर ऋण तथा वित्तीय सहायता एवं सलाह प्रदान की जा रही है। इसमें मुख्य संस्थायें जैसे पहल एवं आजीविका अपना योगदान कर रही है। जोकि वित्तीय सेवाओं को देने के साथ–साथ स्थानीय जनता में उद्यमिता का विकास करने के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे है।

18.11 उत्तराखंड में बैंकिग सुविधा

यदि उत्तराखंड में बैंकिग सुविधाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पर जिलेवार विश्लेषण किया जाये तो निम्न तस्वीर उभर कर सामने आती है।

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	औसत साख प्रति जमा हजार में
अल्मोड़ा	76	6.0
बागेश्वर	26	6.0
चमोली	37	8.3
चम्पावत	23	7.5
देहरादून	241	18.5
पौड़ी	109	6.7
हरिद्वार	137	19.0
नैनीताल	104	14.1
पिथौरागढ़	55	8.0
रूद्रप्रयाग	21	8.2
टिहरी	68	5.9
उधमसिंह नगर	125	17.2
उत्तरकाशी	26	9.1
उत्तराखंड	1048	15.6

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य में बैंकिग सुविधाओं का विस्तार बड़ा असमान है। राज्य में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं पौड़ी जिले में का 65 प्रतिशत बैंकिग शाखायें स्थित है तथा देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर का कुल साख में 74 प्रतिशत योगदान है। वही दूसरी ओर पहाड़ी जिलों में न सिर्फ बैंकिग शाखायें कम है अपितु बैंकिग सुविधाओं का विकास भी बहुत कम हुआ है। अतः यदि राज्य में विकास को तीव्र करना है तो पहाड़ी जिलों में भी बैंकिग सुविधाओं का विकास करना आवश्यक होगा।

18.12 उत्तराखंड के विकास में बैंकिग और वित्त का योगदान

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान कर उनका आबंटन उत्पादक क्षेत्र में करना अनिवार्य होता है जिससे अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश दर निरंतर ऊँची बनी रहें, इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिग तथा वित्त की सर्वाधिक निर्णायक भूमिका होती है। उत्तराखंड में भी आर्थिक संसाधनों को भी गतिशील बनाने के लिये बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य निर्माण के पश्चात बैंकिग तथा वित्तीय सेवाओं के विस्तार में न सिर्फ तेजी आयी है बल्कि राज्य की जनता में वित्तीय जागरूकता भी बढ़ी है। 2001 में राज्य में जहां ऋण जमा अनुपात लगभग 20 का था। वह अब बढ़कर 54 का हो गया है। साथ ही साथ राज्य में सभी प्रकार के बैंको की शाखाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है। जिससे बैंकिग सुविधायें आम जनता तक पहुंच रही है। राज्य भर में वर्ष 2009–2010 में बैंको द्वारा दी जाने वाली साख में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वार्षिक साख लगभग 5114.08 करोड़ रूपयें प्रदान की गयी है।

राज्य में औद्योगिक अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विकास बैंक महत्वूपर्ण भूमिका निभा रहे है। सिडकुल द्वारा राज्य में लगभग 8000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र (इन्डस्ट्रीयल स्टेट) विकसित किया गया है। जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा है साथ ही राज्य में पूंजी निवेश में भी भारी वृद्धि हो रही है।

बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र कृषि के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य में सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि संस्थायें कृषि के विकास हेतु ऋण तथा वित्तीय सेवायें प्रदान कर रही है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा रहा है साथ ही सहकारिता के माध्यम से किसानों में अधिक मूल्य संवर्द्धन की खेती जैसे औषधीय पौधे, पुष्प एवं फलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गरीबी निवारण हेतु तथा गरीबों को बैंकिग सुविधाओं के अन्तर्गत लाने के लिये सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूहों की रणनीति अपनायी गयी है। साथ ही बेरोजगारी निवारण के कार्यक्रमों जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रोजगार योजना आदि को बैंको से सरल और सुलभ वित्त प्रदान किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भी उत्तराखंड में विद्युत परियोजनायें, सड़क परियोजनायें, पर्यावरण संरक्षण, पेय जल तथा आपदा प्रबन्धन आदि का वित्तीयन किया जा रहा है। इसकें अन्तर्गत एशियाई विकास बैंक द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास हेतु 350 मिलियन डालर की सहायता प्रदान की गयी है। वही विश्व बैंक द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु जलागम कार्यक्रम एवं विकास के लिये 7.98 बिलियन डालर की सहायता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त ई गर्वरनेंस जल संसाधनों की सफाई और संरक्षण, वनों के संरक्षण और संवर्द्धन आदि क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भरपूर सहायता प्राप्त हो रही है।

18.13 सारांश

आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिये जहां तक पूंजी को गतिशील करने की आवश्यकता है उसमें बैंकिग तथा वित्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु इसके अतिरिक्त राज्य में कृषि, उद्योग और बुनियादी सुविधायें आदि के विकास में बैंकिग तथा वित्त निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चूंकि उत्तराखंड में बैंकिग सुविधाओं का विकास अत्यधिक असामान्य है इसलिये राज्य में समावेशी विकास को सार्थक करने के लिये बैंकिग सुविधाओं का विकास पिछड़े जिलो में करना नितान्त आवश्यक हो गया है तभी आम व्यक्ति की भागीदारी विकास की प्रक्रिया तक हो पायेगी।

18.14 शब्दावली

ट्रेजरीबिल – यह वह प्रपत्र है जिनके माध्यम से सरकार बाजार से ऋण लेती है।

कालमनी मार्किट – यह अन्तर बैंक बाजार है। इसमें बैंक आपस में अल्पावधि के ऋणों का आदान प्रदान करते है।

बैंक रेट – यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते है।

नगद आरक्षित अनुपात – प्रत्येक अनुसूचित बैकों अपने नगद जमा का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार रिजर्व बैंक में रखना होता है।

खुले बाजार की क्रियायें – रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के लिये बाजार में प्रतिभूतियों का जब क्रय विक्रय करता है। तो उसे खुले बाजार की क्रियायें कहते है।

वैधानिक तरलता अनुपात – रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक को अपने नगद जमा का एक अनुपात अपने पास तरल रूप में रखना होता है।

चुकता पूंजी – यह वह पूंजी होती है जिसे कोई भी कम्पनी जनता से मांगती है तथा जनता उसे प्रदान करती है।

साख नियन्त्रण – रिजर्व बैंक जब मुद्रा बाजार में अतिरिक्त साख की आपूर्ति को नियन्त्रित करने के लिये मौद्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है तो उसे साख नियन्त्रण कहते है।

मौद्रिक नीति – रिजर्व बैंक देश में आर्थिक स्थायित्व तथा विकास के लिये जो नीति बनाता है। उसे मौद्रिक नीति कहते है।

सूक्ष्म वित्त – इस वित्त से तात्पर्य अल्पकाल तथा छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिये प्रदान करने वाले ऋण की व्यवस्था से है। इसमें स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुद्रा आपूर्ति – मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य सामान्यतया जनता के पास कैश तथा बैंको के पास मांग जमा से होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – जिन बैंको में सरकार का प्रबन्धन पर नियन्त्रण होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते है।

18.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार किस बैंक का है?
2. राज्य में किस जिले में बैंको की सर्वाधिक शाखा किस जिले में है?
3. नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
4. सर्वोच्च विकास बैंक कौन सा है?
5. स्वयं सहायता समूह पर पायलट परियोजना किसने प्रारम्भ की ?
6. उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में किसका योगदान है ?
7. सिडबी का राज्य में मुख्यालय कहां है ?
8. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई ?
9. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कितने बैंको को मिलाया गया है?
10. रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
11. सिडकुल द्वारा राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कहां–कहां विकसित किया गया है?
12. उत्तराखंड राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक कौन सा है? तथा इसका मुख्यालय कहां है।
13. राज्य में सर्वाधिक जिलों में कौन सा बैंक लीड बैंक की भूमिका निभा रहा है।
14. भारत का सबसे प्राचीन विकास बैंक कौन सा है।
15. ग्रामीण बैंकों का सुदृढ़ीकरण के लिये कौन सी समिति नियुक्त की गयी थी ?

उत्तर –

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 2. देहरादून 3. 1982

4. आई.डी.बी.आई. 5. नाबार्ड 6. सिडकुल

7. देहरादून 8. 2006 9. 3 बैंक

10. 1934 11. हरिद्वार, कोटद्वार, सितारगंज

12. राज्य सहकारी बैंक, देहरादून 13. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

14. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 15. नरसिहम समिति

18.16 सन्दर्भ सूत्र

1. बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण , डॉ0

नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।

2. उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
3. मिश्रा एस.के. एवं पुरी बी.के. भारतीय अर्थव्यवस्था (2006), हिमालय प्रकाशन हाउस दिल्ली।
4. चड्ढा अनिल एवं गौतम धर्मवीर, गरीबी उनमूलन में बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं का योगदान (2005) बैंक मैन प्रकाशन, दिल्ली।
5. Monthly review of Uttrakhand Economy (March 2011), CMIE Dehradoon.

18.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आर्थिक विकास से क्या समझते है? आर्थिक विकास में बैंकिग और वित्त का क्या योगदान है।
2. माइक्रो क्रेडिट से आप क्या समझते है? गरीबी निवारण तथा राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है?
3. भारत का केन्द्रीय बैंक कौन सा है? तथा इसके मुख्य कार्य कौन–कौन से है ?
4. विकास बैंकों से आप क्या समझते है ? उत्तराखंड राज्य के विकास में विकास बैंको की भूमिका पर प्रकाश डालिये।

इकाई 19 उत्तराखंड का लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार

19.1 प्रस्तावना

19.2 उद्देश्य

19.3 लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना

19.4 लोक वित्त के उद्देश्य

19.5 केन्द्र तथा उत्तराखंड की लोक वित्त संरचना

19.6 लोक वित्त संरचना का विश्लेषण

19.7 उत्तराखंड में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

19.8 राज्य सरकार की प्राप्तियाँ

19.9 करों का वर्गीकरण

19.10 मूल्य संर्वद्धित कर (VAT)

19.11 बजट प्रक्रिया

19.12 सरकारों के प्रमुख घाटे

19.13 उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

19.14 उत्तराखंड सरकार का 2011–12 के आम बजट की मुख्य विशेषतायें

19.15 क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार

19.16 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा क्षेत्रीय व्यापार

19.17 हस्त शिल्प, लद्यु उद्योग एवं क्षेत्रीय व्यापार

19.18 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार

19.19 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार

19.20 सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय व्यापार

19.21 सारांश

19.22 शब्दावली

19.23 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

19.24 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

19.25 निबन्धात्मक प्रश्न

19.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार बैकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की भूमिका विकास हेतु संसाधनों को गतिशील करने की होती है। जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार सहित समस्त उत्पादक क्षेत्रों को निरन्तर संसाधनों की प्राप्ति होती रहती है।

उत्तराखंड देश का नवोदित, पहाड़ी तथा आर्थिक तौर पर ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है जहाँ से संसाधानों का निरन्तर प्रवाह राज्य से बाहर की ओर बना हुआ है। ऐसे में राज्य में विकास हेतु अनुकूल दशाओं के निर्माण के लिये सरकार को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने होंगे। ऐसी परिस्थितियों में लोक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोक वित्त की भूमिका का विश्लेषण सरकारी की आय के संसाधन, व्यय की प्राथमिकताओं के साथ–साथ लोक वित्त के उद्देश्य, सिद्धान्त तथा लोक वित्त की संरचनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक हो जाता है। इस इकाई में अध्ययन दो भागों में किया जायेगा। प्रथम भाग में राज्य में विकास हेतु अनिवार्य दशाओं के निर्माण में उत्तराखंड राज्य की लोक वित्त संरचना की भूमिका का व्यापक अध्ययन किया जायेगा।

चूंकि वर्तमान समय में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण का है। मौजूदा परिस्थितियों में व्यापार एक ऐसे स्रोत के रूप में उभरा है जिसमें विकास की असीमित संभावना है तथा सभी अर्थव्यवस्थायें व्यापार के माध्यम से विकास के नये अवसरों को तलाश कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय व्यापार उत्तराखंड में विकास को नया संवेग दे सकता है। चूंकि उत्तराखंड को पर्यटन, परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग, वनोउत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटियों एवं औषधियों के क्षेत्र में तुलनात्मक बढ़त है। अतः उत्तराखंड का क्षेत्रीय व्यापार न सिर्फ उक्त क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभा सकता है। अपितु राज्य में रोजगार तथा आय के अवसरों को पैदा करने की क्षमता भी रखता है। अतः इकाई के दूसरे भाग में क्षेत्रीय व्यापार का अध्ययन किया जायेगा।

19.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन दो भागों में किया जायेगा। प्रथम भाग में लोक वित्त संरचना के सम्बन्ध में तथा दूसरे भाग में क्षेत्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अध्ययन किया जायेगा। प्रथम भाग के उद्देश्य निम्न है–

1. लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना
2. लोक वित्त के उद्देश्य
3. लोक वित्त का वर्गीकरण
4. करों के प्रकार
5. बजट प्रक्रिया
6. सरकार के लोक व्यय का मूल्यांकन

दूसरे भाग के उद्देश्य निम्न है –

1. क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार
2. क्षेत्रीय व्यापार से लाभ
3. क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये सरकारी प्रयास
4. पर्यटन, उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रीय व्यापार से सम्बन्ध।

19.3 लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना

लोक वित्त से तात्पर्य सरकार की आय तथा व्यय के लेखा–जोखा से होता है। लोक वित्त को राजस्व भी कहा जाता है। जिसका अर्थ राजा के धन से होता है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार लोक वित्त के अनर्गत

''सार्वजनिक सत्ताओं के आय तथा व्यय एवं उनका एक दूसरे से समायोजन का अध्ययन किया जाता है।''

यद्यपि लोक वित्त की संरचना तथा परिभाषा को अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है परन्तु सामान्यतया लोक वित्त की संरचना के निम्न भाग है।

1. सार्वजनिक व्यय   2. सार्वजनिक आय   3. सार्वजनिक ऋण

4. वित्तीय प्रशासन   5. राजकोषीय नीति

1. सार्वजनिक व्यय – इसके अन्तर्गत सरकार व्यय की मदों तथा उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है।

2. सार्वजनिक आय – सरकारी व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य को वित्त एकत्रित करने के स्रोतों तथा उनके सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक आय के स्रोतों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व आदि आते है।

3. सार्वजनिक ऋण – यदि सार्वजनिक व्ययों को पूर्ण करने हेतु सार्वजनिक आय अपर्याप्त हो तो सरकार आन्तरिक एवं वाह्य स्रोतों से ऋण लेती है।

4. वित्तीय प्रशासन – इसके अन्तर्गत बजट का निर्माण तथा उसको प्रकाशित करने की संवैधानिक कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है।

5. राजकोषीय नीति – आर्थिक स्थायित्व लाने तथा विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु सरकार सार्वजनिक आय, सार्वजनित व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम् से जो रणनीति अपनाती है उसका अध्ययन राजकोषीय नीति के अन्तर्गत किया जाता है।

19.4 लोक वित्त के उद्देश्य

परम्परागत अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जे.बी.से आदि ने लोक वित्त के उद्देश्यों को बहुत सीमित रखा। क्योंकि यह अर्थशास्त्री न्यूनतम कर एवं न्यूनतम व्यय के पक्ष में थे। परन्तु आधुनिक समय में लोक वित्त की भूमिका राज्य के विकास तथा समाज के कल्याण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई है। स्वयं लोक वित्त के विद्वान तथा मशहूर अर्थशास्त्री प्रो0 डाल्टन ने लोक वित्त के मुख्य सिद्धान्त ''अधिकतम् सामाजिक लाभ के सिद्धान्त'' का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण को अधिकतम् करना है। संक्षेप में लोक वित्त के उद्देश्य निम्नवत है–

1. बचत तथा निवेश दर को बढ़ाकर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करना।
2. उत्पादक क्षेत्रों जैसे कृषि तथा उद्योग का विकास करना।
3. मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना।
4. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना।
5. न्यायपूर्ण वितरण एवं समानतापूर्ण विकास करना।
6. सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना।

19.5 केन्द्र तथा उत्तराखंड की लोक वित्त संरचना

भारत में संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आय तथा व्यय के स्रोतों को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है तथा संविधान की सातवी सूची में केन्द्र, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है। केन्द्र सरकार केन्द्र सूची के अनुसार, राज्य सरकारों को राज्य सूची के अनुसार विभिन्न विषयों विधान बनाने तथा उनपर कर आरोपित करने का अधिकार है जबकि समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती है यद्यपि समवर्ती सूची में ऐसे विषय है जोकि कर स्रोतों को समाहित नहीं करते है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार

प्रत्येक पाँच वर्षो में वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो कि केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों तथा शुल्कों के विभाजन के सन्दर्भ में मापदंड तय करता है साथ ही साथ केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदानों (Grants in aid) को संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार को तय करता है।

राज्यों को भारत में केन्द्र से अनुदान योजना आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भी प्राप्त होते है योजना आयोग कि संविधानेतर संस्था है तथा इसके द्वारा प्राप्त राज्यों की अनुदान केन्द्र सरकार के विवेकाधीन अनुदानों से प्राप्त होते है। राज्य के वित्तीय स्रोतों में योजना आयोग के माध्यम् से प्राप्त अनुदानों की चूँकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः राज्यों की लोक वित्त संरचना में योजना आयोग की भी निर्णायक भूमिका रहती है। उत्तराखंड भी योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 से ''विशेष श्रेणी'' के राज्यों में सम्मिलित हो गया, यह विशेष सुविधा पाने वाला उत्तराखंड 11 वॉ राज्य है, जहाँ कि विशेष श्रेणी के राज्य को निम्न सुविधायें मिलती है।

केन्द्रीय सहायता में से 90 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत भाग ऋणों के रूप में प्राप्त होता है।

अन्य राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता में 70 प्रतिशत ऋण का तथा 30 प्रतिशत भाग अनुदान का होता है।

इससे न सिर्फ विशेष श्रेणी के राज्यों को विकास में सहायता मिलती है बल्कि राज्य की लोक वित्त संरचना पर कर्जे का अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता है।

19.6 लोक वित्त संरचना का विश्लेषण

उत्तराखंड राज्य की लोक वित्त संरचना में राज्य के आय तथा व्यय के स्रोतो का विश्लेषण आवश्यक है तथा राज्य के आय–व्यय का विश्लेषण संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वर्ष राज्य की विधान सभा में प्रस्तावित व्यय तथा प्रस्तावित प्राप्तियों का ''वार्षिक वित्तीय दस्तावेज'' बहस तथा वोट हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसे बजट भी कहते है। राज्य सरकार के सभी व्यय तथा प्राप्तियों का लेखा जोखा संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक निधि में सम्मिलित रहता है। लोक वित्त संरचना में सरकार की आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है।

19.7 उत्तराखंड में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार अपने आय–व्यय के वर्गीकरण के लिये आर्थिक वर्गीकरण को 1957–58 से अपना लिया था उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आय–व्यय के वर्गीकरण में आर्थिक वर्गीकरण को अपनाया गया है।

उत्तराखंड सरकार के व्यय का वर्गीकरण निम्न खातों में किया जाता है।

अ. राजस्व खाता   ब. पूँजी खाता

अ. राजस्व खाते में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण मदें निम्न हैः

1) प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय

2) ऋण सेवा हेतु ब्याज का भुगतान

3) पेंशन

4) सामाजिक सेवायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई तथा सामाजिक कल्याण पर व्यय

5) आर्थिक सेवायें जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन आदि पर व्यय

ब. पूँजी खाते के व्यय में भौतिक परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश, ऋण प्रदान करना आदि को सम्मलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जो व्यय पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप किये जाते है, उन्हे योजना व्यय तथा शेष व्यय को गैर योजना व्यय के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

19.8 राज्य सरकार की प्राप्तियाँ

राज्य सरकारों को होने वाली प्रप्तियों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है–

अ. राजस्व प्राप्तियां ब. पूंजीगत प्राप्तियां

अ. राजस्व प्राप्तियां निम्न दो प्रकार की होती है।

1. कर राजस्व 2. गैर कर राजस्व

1. कर राजस्व में राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर शामिल किये जाते है, जिनमें बिक्री तथा व्यापार कर, राजकीय उत्पाद शुल्क (शराब तथा नशीले पदार्थ पर), स्टाम्प तथा रजिस्ट्री शुल्क, मनोरंजन कर, भूमिकर, मोटरस्प्रिट पर कर, वाहनों पर कर आदि को शामिल किया जाता है।

2. गैर कर राजस्व में लाईसेंस शुल्क, ब्याज की प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ, राजकोषीय सेवा से, आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं से आय, अनुदान आदि को शामिल किया जाता है।

ब. पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण तथा अग्रिम, ऋणों तथा अग्रिम की वापसी, रिजर्व बैक के उधार, राज्य भविष्य निधि, तथा अन्य प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

उपरोक्त प्राप्तियों के अतिरिक्त राज्य सरकार को वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार से संग्रहित करो जैसे आयकर तथा उत्पाद कर पर भी अंश प्राप्त होता है।

19.9 करों का वर्गीकरण

करो का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कर – प्रत्यक्ष कर वो कर होते है जिन्हे वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर वह वैधानिक तौर पर आरोपित किये जाते है अर्थात जिनके भार को टाला नही जा सकता है। इस कर में कर का विवर्तन नहीं हो सकता तथा करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यह कर केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाये जाते है, केन्द्र सरकार द्वारा लगाये प्रत्यक्ष करों में आय कर निगम कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर आदि शामिल है जबकि राज्य द्वारा लगाये प्रत्यक्ष कर में कृषि आय पर कर आते हैं।

अप्रत्यक्ष कर – अप्रत्यक्ष कर वो कर होते है जिन्हे वैधानिक तौर पर तो किसी पर आरोपित किया जाता है परन्तु जिनका भार किसी और द्वारा वहन किया जाता है अर्थात जिन करो का भार टाला जा सकता है। इस कर का विवर्तन किया जा सकता है तथा इसमें कराघात एक व्यक्ति पर तथा करापात दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। यह कर केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा आरोपित किये जाते है। केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष करों में सीमा या कस्टम् शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि शामिल होते है जबकि राज्य सरकार द्वारा लगाये अप्रत्यक्ष करो में बिक्री तथा व्यापार कर आदि शामिल है।

करों विभाजन संघीय शासन प्रणाली मे करारोपण करने वाली सरकार के आधार पर भी किया जा सकता है। केन्द्र सरकार जिन करो को आरोपित करती है उन करो में आय कर, उत्पाद कर कस्टम शुल्क, सेवा शुल्क, निगम कर आदि कर शामिल होते है। राज्य सरकार द्वारा आरोपित करों में बिक्री कर, मनोरंजन कर, भूमिकर, स्टाम्प शुल्क आदि कर शामिल होते है। स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत एवं नगर पालिकायें भी कर का आरोपण करती हैः इस प्रकार के करो मे भवन कर, जल कर, वाहन कर, आबकारी, साफ सफाई कर आदि शामिल होते है।

19.10 मूल्य संर्वद्धित कर (VAT)

पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु तथा अप्रत्यक्ष प्रणाली अधिक उत्पादक, सरल, लोचपूर्ण,

विवेकपूर्ण बनने के लिये भारत में मूल्य सर्वद्धित कर की अवधारणा को अपनाया गया है मूल्य सर्वद्धित कर की मुख्य विशेषताओं निम्नवत् है।

मूल्य सर्वद्धित कर या वैट, मूल्य सवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर आरोपित होता यानि उत्पादन के बिंदु से उपयोग के मध्य तक जहाँ पर भी मूल्य सवर्द्धन होगा वही पर यह कर आरोपित किया जायेगा, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में लागत 70 रू0 तथा उसकी बिक्री 120 रू0 तो कर मूल्य सवर्द्धन यानि 120–70 = 50 रू0 पर ही आरोपित किया जायेगा।

- सामान्य अर्थो में इसे ''आऊट पुट – इनपुट कर'' भी कहते है एवं इस कर के निर्धारण में इन वायस विधी का इस्तेमाल होता है यदि उत्पादन के इनपुट के क्रय पर कर दिया है तो उसे अंतिम कर देनदारी में से घटा दिया जायेगा।
- वैट मे इनपुट पर दिया कर अंतिम कीमत में शामिल नही होता है जिससे कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नही होती है।
- बहुत सारे कर के एक ही आधार पर लगने से कैसकैड प्रभाव के कारण लागत अत्याधिक हो जाती है वैट के कारण इसकी संभावना न्यूनतम हो जाती है ।
- वैट में कर वंचना तथा कर के परिहार की सम्भावना कम से कम रहती है।
- वैट चूँकि उत्पादन से उपयोग तक की श्रंखला में मूल्य सवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर इन वापस विधि से आरोपित होने के कारण न सिर्फ 'कर वंचना' की संभावना न्यूनतम होती है साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होती है।
- वैट से बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों की जटिलतायें कम होकर सरल कर प्रणाली विकसित होती हैं।
- केन्द्र से राज्यों के मध्य एक जैसी कर प्रणाली से कर विवाद न सिर्फ कम होते है अपितु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के विकास मे मदद मिलती है।
- वैट कर मे पूँजीगत इनपुट की खरीद पर दिये कर मे छूट मिलने के कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलता है तथा लागातों के स्तर मे कमी आने से निर्यात भी प्रोत्साहित होता है।
- कर प्रशासन हेतु निगरानी तथा संभावित कर का अनुमान लगाने में सरलता रहती है।

वैट कर सर्वप्रथम फ्रांस मे 1994 में लगाया गया तथा यह वर्तमान में 129 से भी अधिक देशों मे महत्वपूर्ण कर प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। अप्रत्यक्ष कर सुधार पर बनी ''एल के झा'' कमेटी द्वारा वैट के भारत में क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की थी। 1986 में तत्कालीन वित्मंत्री वी0पी0 सिंह द्वारा 'मॉडवैट' कर केन्द्रीय उत्पादक में सुधार करने दृष्टिकोण से आरोपित किया गया। सन् 2000 में तत्कालीन केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री द्वारा सैनवैट यानि केन्द्रीय वैट को आरोपित किया गया। परन्तु देश व्यापी स्तर पर वैट का तभी क्रियान्वयन किया जा सकता था जबकि राज्य भी इसमें भागीदारी कर बिक्री कर में सुधार कर वैट को आरोपित करे। इस दिशा में प0 बंगाल के तत्कालीन वित्मंत्री असीम्दास गुप्ता के नेतृत्व में एक एम्पावर्ड कमेटी बनी जिसने पूरे देश में वैट लागू करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया। सर्वप्रथम हरियाणा द्वारा 1 अप्रैल 2003 से इसे लागू किया गया तथा उत्तराखंड द्वारा 1 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया है। इसकें अन्तर्गत लगभग 530 वस्तुओं को छॉट कर कर के चार वर्ग 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के बनाये गये है। अधिकांश कच्चे माल, आवश्यकताओं तथा महत्वपूर्ण इनपुटों को 1 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत के वर्ग में रखा गया है तथा उपभोक्ता वस्तुओं विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं को 12.5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के वर्ग मे रखा गया है।

यद्यपि वैट इस समय देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है परन्तु फिर भी पूरे देश में सही मायने में एक आर्दश वैट प्रणाली विकसित नही हो पायी है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये तथा सम्पूर्ण देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के विकास करने हेतु केन्द्र सरकार के वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 1/4/2012 समस्त देश में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानि'' सामान्य वस्तु तथा सेवा कर (जी0एस0टी0) के क्रियान्वयन करने की घोषणा कर चुके है।

19.11 बजट प्रक्रिया

बजट सामान्य तौर पर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के आय और व्यय के लेखा–जोखा सम्बन्धी दस्तावेज होता है, बजट का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित करना रहा है साथ ही साथ बजट के माध्यम से सरकार अपनी राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन करती है केन्द्र सरकार बजट को तैयार कर लोकसभा तथा राज्य सरकार विधान सभा में बहस तथा मतदाता हेतु बजट को पेश करती है बजट में मतदान योग्य तथा मतदान हेतु अयोग्य माँगे दोनो शामिल होती है।

जेण्ड़र बजटिंग– केन्द्र सरकार की भाँति बजट निर्माण तथा बजट की नीतियों को लैंगिक तौर पर संवेदनशील होने के उददेश्य से तथा बजट की महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु जेण्डर बजट की प्रक्रिया को उत्तराखंड सरकार द्वारा 2007–08 में अपनाया गया है। इसका अर्थ मात्र यह नही है कि सरकारी योजनाओं में अधिक से अधिक धन महिलाओं के लिये ऑवटित किया जाये बल्कि सरकारी आय तथा व्यय की प्राथमिकताओं को इस प्रकार से पुन निर्धारित किया जाये कि जिससे सरकार का लैगिंक प्रतिबद्धता तथा लैगिंक संवेदनशीलता स्पष्ट हो जाये, सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तिकरण ही जैण्डर बजटिंग है तथा इसका उद्देश्य महिला एवं बच्चों का सर्वागीण विकास करना है। वर्ष 2010–11 में इस हेतु विभागों का चयन कर लैंगिक बजट हेतु 1417.79 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो कि पिछले बजट से 17.69 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम – (Fiscal Responsiblity and Budget management Act, FBRM), केन्द्र सरकार के एफ0बी0आर0एम0 अधिनियम 2003 की भाँति उत्तराखंड़ सरकार ने अपने राजकोषीय तथा बजटीय व्यवहारों में अधिक अनुशासन, पारदर्शिता एवं बेहतर प्रबन्धन का समावेश करने हेतु तथा राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन के लिये 27 अक्टूबर 2009 को एफ0बी0आर0एम0 अधिनियम को पारित कर दिया गया है। इसके मुख्य विशेषतायें निम्नवत् है–

राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान सभा में वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रस्तुत करेगी, राजकोषीय नीति में राजकोषीय सूचकांको के साथ त्रिवर्षीय लक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे।

- प्रणाली मे सुधार कर राजस्व में वृद्धि की जाये तथा विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों तथा छूटों को न्यूनीकृत किया जाये।
- राजस्व घाटे को दूर करने एवं संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित प्रयास किये जाये तथा राजस्व घाटा 31/3/2009 तक शून्य के स्तर तक, एवं राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्तर तक लाया जाये।
- 1/4/2009 से 31/3/2019 तक के दस वर्षो में सरकार यह सुनिश्चित करे कि अंतिम वितीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हों। एम0बी0आर0एम0 अधिनियम मे सरकार के मुख्य घाटों को परिभाषित किया गया है साथ ही इस अधिनियम का मूल्य उद्देश्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत एवं पोषणीय बनाना है ।

19.12 सरकारों के प्रमुख घाटे

बजटीय घाटा	=	कुल प्राप्तियाँ – कुल व्यय
राजस्व घाटा	=	राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	=	बजटीय घाटा – उधार तथा अन्यदेयताये या
राजकोषीय घाटा	=	(राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ) – (कुलव्यय)
प्राथमिक घाटा	=	राजकोषीय धारा – ब्याज की अदायगी

19.13 उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

इसका मूल्यांकन विभिन्न घाटो के आधारों पर किया जा सकता हैः

	2001–02	2010–11
राजस्व घाटा (करोड़ रू0)	1224.24	968.97
प्रथमिक घाटा (करोड़ रू)	–1188.3	–900.03
राजकोषीय (करोड़ रू0)	–1719.41	–2028.19

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहाँ राजस्व घाटा को समाप्त कर उत्तराखंड में राजस्व खातें में अतिरेक पैदा किया गया है वहीं घाटे की स्थिति में सुधार हुआ है प्राथमिक तथा राजकोषीय घाटे का स्तर भी लगभग उतना ही बना हुआ है परन्तु यदि उपरोक्त सभी घाटों का मूल्यांकन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाये तो राजस्व एवं प्राथमिक एवं राजकोषीय घाटें तीनों में काफी सुधार हुआ है, वर्श 2001–02 में जहाँ राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.96 प्रतिशत पर रहा था वही यह 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.41 प्रतिशत पर आ गया है उत्तराखंड राज्य की बेहतर तथा अनुशासित राजकोषीय तथा वित्तीय स्थिति को देखते हुये 13वें वित्त आयोग द्वारा 1000 करोड़ रूपये का विशिष्ट निश्पादन प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया है।

उत्तराखंड के लोक व्यय का मूल्यांकन– उत्तराखड सरकार के व्यय को वर्गीकृत कर उसका तुलनात्मक अध्ययन निम्न रूप में किया जा सकता है

	2001–02	2010–11
आयोजन व्यय (करोड़ रू0)	1429.90	9681.64
गैर आयोजन व्यय (करोड़ रू0)	3076.29	11233.11
कुल व्यय (करोड़ रू0)	4909.79	16914.79

	2001–02	2010–11
पूँजीगत व्यय (करोड़ रू0)	748.66	4142.73
राजस्व व्यय (करोड़ रू0)	3797.09	12772.02
कुल व्यय (करोड़ रू0)	4909.79	16914.79

जहाँ गैर आयोजन व्यय 2001–02 में कुल व्यय का 68 प्रतिशत था तथा यह 2010–11 में भी कुलव्यय का 66 प्रतिशत पर ही बना हुआ है।

राजस्व व्यय 2001–02 में कुल व्यय का 82 प्रतिशत या वहीं 2010–11 के बजट में यह लगभग 79 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है ।

19.14 उत्तराखंड सरकार का 2011–12 के आम बजट की मुख्य विशेषतायें

बजट सरकार का महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज होता है इसमें सरकार के आय व्यय के समस्त ऑकलन के साथ–साथ सरकार की विकास नीतियों का विवरण होता है। बजट के माध्यम से ही सरकार कर नीति, सार्वजनिक ऋण नीति तथा राजकोषीय नीति को क्रियान्वित करती है बजट की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् है–

- प्रदेश सरकार का दसवां वार्षिक बजट राज्य के मुख्यमंत्री श्री रमेश चन्द्र पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किया गया उनके अनुसार प्रदेश की विकास दर 2001–02 के 2.9 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2010–11 में 11.30 प्रतिशत पर आ गयी है तथा प्रति व्यक्ति आय इसी अवधि में रू 19000 से बढ़कर

रू 96,794 हो गयी है।

- बजट में कुल व्यय रू. 19,366.91 करोड़ का है इसमें राजस्व व्यय 14,329 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय रू 9041.22 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है।
- बजट में आयोजन व्यय रू 6924.29 करोड़ तथा गैर आयोजन व्यय 12,802.62 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है।
- राजस्व प्राप्तियां रू0 14,634.99 करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्तियां रू 3709.96 करोड़ की अनुमानित है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू 7719.09 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें 13 वे वित्त आयोग के माध्यम से केन्द्रीय करों का योगदान रू 2999.31 करोड़ का है। गैर कर राजस्व 6919.64 करोड़ अनुमानित है। पूंजीगत प्राप्ततियां में उधार तथा देनदारियों का अंश रू 3231 करोड़ का अनुमानित है। कुल प्राप्तियां राजस्व तथा पूंजीगत मिलाकर रू 18340.99 करोड़ की है।
- बजट में राजस्व खाते में अतिरेक रू0 309.30 करोड़, राजकोषीय अथवा वित्तीय घाटा रू 2618.23 तथा प्राथमिक घाटा रू0 806.20 करोड़ का अनुमानित है।
- राज्य द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने से बजट में 2900 करोड़ व्यय का सफलतापूर्वक समायोजन किया गया है।

19.15 क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार

उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिये क्षेत्रीय व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिसका व्यापक विश्लेषण क्षेत्रीय व्यापार को तीन भागों में बांटकर किया जा सकता है।

1. अन्तः राज्यीय व्यापार
2. अन्तर्राज्यीय व्यापार
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

अन्तः राज्यीय व्यापार– इस प्रकार के व्यापार में उत्तराखंड राज्य के ही अंदर होने वाली व्यापारिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अन्तः राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारें मेले, मंडी, हाट तथा सहकारी समितियों के माध्यम् विपणन आदि को बढ़ावा देती है। स्थानीय संस्थायें जैसे नगर पालिका तथा पंचायत इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का नियमन करती है। उत्तराखंड की जनजातियां जैसे जाड़, मरछा, शौका, वनरौत आदि की अर्थव्यवस्था आज भी वस्तु विनिमेय पर आधारित है। इन क्षेत्रों में जनजाति समाज के लोग वनोत्पाद, जड़ी बूटियों, पशु उत्पाद, एवं हस्तशिल्प से बने उत्पाद कालीन ऊनी वस्त्र आदि का व्यापार करते है। यह लोग मौसम के हिसाब से अपने आवास क्षेत्रों में भी बदलाव करते है शीतकाल में यह मैदानी क्षेत्रों के साथ आकर व्यापार करते है तथा ग्रीष्म काल में पुनः अपने मूल क्षेत्रों में लौट आते है।

तिब्बत् से निर्वासित तिब्बतीय भी उत्तराखंड के मुख्य व्यापारिक तथा पर्यटक केन्द्रों जैसे देहरादून, नैनीताल आदि स्थानों पर मशहूर तिब्बती बाजारों से अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यो को क्रियान्वित करते है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार– एक राज्य से दूसरे राज्य के निवासियों के मध्य होने वाले व्यापारिक आदान प्रदान इसके अन्तर्गत आते है। उत्तराखंड राज्य से दूसरे राज्यों को होने वाले वस्तु तथा सेवाओं के व्यापार इसमें सम्मिलित हैं। राज्य के मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर आदि नगर मुख्य है। इन शहरों से वस्तु तथा सेवाओं का व्यापार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों से हाता है। रूद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, पंतनगर आदि यहां के प्रमुख औद्योगिक नगर है, कपड़ा, कागज, चीनी तथा वनोत्पाद पर आधारित उद्योग जैसे लीसा, दियासलाई, औषधि आदि यहां के प्रमुख उद्योग है। कोटद्वार, काठगोदाम तथा हल्द्वानी अंग्रेजों के समय से ही टिम्बर टाउन के रूप में मशहूर है यहां से काफी मात्रा में ईमारती लकड़ी का व्यापार हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार– उत्तराखंड राज्य का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जो वस्तुओं का विनिमय होता है वह इसके अन्तर्गत आता है यानि उत्तराखंड राज्य से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान होता है उसे इसके

अन्तर्गत शामिल कर सकते है। परम्परागत अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ''विकास का इंजन'' बताया है साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विशेष तौर पर 1991 की उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीव्र कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार अपनी आयात निर्यात नीति के माध्यम से विभिन्न राज्यों में निर्यात जोनों तथा विशिष्ट आर्थिक जोनों (सैज) की स्थापना पर जोर दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु व्यापार के साथ–साथ सेवाओं का व्यापार भी शामिल होता है। जिनमें पर्यटन, वित, बीमा, बैंकिग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख है।

उत्तराखंड प्राचीन काल से ही जड़ी–बूटियों, औषधियों, मसालों, फल, फूलों, हस्तशिल्प जैसे ऊनी कपड़ो, कालीन, गलीचों आदि के व्यापार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध रहा है साथ ही साथ उत्तराखंड अपने पर्यटन तथा तीर्थाटन के लिये भी पूरे विष्व में मशहूर रहा है। उत्तराखंड के परम्परागत् एवं मशहूर मेले–कौतीग तथा यात्रायें अपने व्यापारिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक कारकों का मिल जुला परिणाम रही हैं। जिनमें हिल जात्रा, राज जात, कुंभ मेला आदि में प्राचीन काल से ही सुदूर देश–विदेश से लोग आकर व्यापारिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करते रहे हैं।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपद की सीमायें तिब्बत से लगी हुयी है। इस सीमांत क्षेत्र के नीति, माणा, दारमा, व्यास–चौदास, जोहार, नीलांग, कोपांग आदि गांवो में मोटिया जनजाति के लोग निवास करते है। इन्हे पिथौरागढ़ में शौका, चमौली में मारछा एवं उत्तरकाशी में जाड़ भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही इनका व्यापार हिमालय के प्रमुख दर्रो लिपुलेख, थंगला, मुंगलिगला, माणा, नीति आदि से होकर तिब्बत के साथ होता रहा है। ग्रीष्म काल में जनजातिया लोग इन्ही महत्वपूर्ण दरों से होते हुये पश्चिमी तिब्बत के गरतोक, खिंगतुंग, तकलाकोट की मंण्डियों में पहुंचते थे तथा वहां यह अपने भेड़ों के साथ अनाज, सूती वस्त्र, चाय, गुड़, तेल, बर्तन, मसाले आदि समान पहुंचाते थे एवं वहां से नमक, कस्तूरी, ऊन, औषधियां, जड़ी–बूटियां, चंवर, रत्न, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, स्वर्ण चूर्ण रत्न एवं मूल्यवान धातुओं आदि को उत्तराखंड की मशहूर मंडियों धारचूला, मनुस्यारी, पिथौरागढ़, तथा जोशीमठ आदि तक लाते थे। यह व्यापार पूरी तरीके से वस्तुविनिमेय पर आधारित था तथा इसके कारण उत्तराखंड के सीमावृर्ती गांवो में सुख समृद्धि निरंतर बनी रहती थी परन्तु चीन के 1949 में तिब्बत पर कब्जे के पश्चात तथा विशेष तौर पर 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात् यह हिमालय के आर–पार होने वाला व्यापार एकदम समाप्त हो गया। जिससे महत्वपूर्ण मंडिया तथा व्यापारिक केन्द्र एकदम से वीरान हो गये एवं उत्तराखंड और विशेष तौर पर सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत सरकार तथा चीन के मध्य व्यापारिक सम्बन्धो में सुधार के चलते हिमालय के आर–पार व्यापार को पुनः आरम्भ करने हेतु लिपु लेख (उत्तराखंड) शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) एवं नाथू ला (सिक्किम) जैसे दर्रो को भारत तिब्बत व्यापार हेतु खोल दिया गया है। लिपुलेख को 1992, शिपकी ला को 1994 तथा नाथूला 2006 में खोला गया है। लिपुलेख से होकर महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। यह लिपुलेख तिब्बत के महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र पुरांग (तकलाकोट) को जोड़ता है। भारत की ओर से निर्यात वस्तुयें तम्बाकू, गुड़, मिसरी, मसाले, दाले, तेल, घी, तथा उपभोक्ता वस्तुयें है जबकि आयातित मदों में ऊन, पशमिना, सिल्क, कालीन, वोरेक्स तथा पशु उत्पाद है। सन् 2006 तक इस दर्रे से होने वाला सालाना व्यापार लगभग रू 1.9 करोड़ का हो गया है।

उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़, चम्पावत तथा उधमसिंह नगर जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है। दोनों क्षेत्रों के मध्य प्राचीन काल से व्यापार होता आया है। वर्तमान समय में भारत तथा नेपाल दोनों दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य है। जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र को स्थापित करना है भारत सरकार तथा नेपाल के मध्यम व्यापारिक संधि 2009 में पुर्नसंशोधित सार्क के उद्देश्यों के तहत की गयी है परन्तु नेपाल में चल रही राजनैतिक अस्थिरता के चलते उत्तराखंड के माध्यम से नेपाल को होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपने वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है।

19.16 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा क्षेत्रीय व्यापार

उत्तराखंड में क्षेत्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले क्षेत्र में कृषि, खाद्य, प्रसंस्करण, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, फल–फूल उत्पादन, आदि प्रमुख है, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में यद्यपि संभावनायें अपार हैं परन्तु कृषक की सीमित आर्थिक क्षमताओं, संगठन तथा जागरूकता के आभाव में एवं भंडारण, संग्रहण,

श्रेणीकरण एवं विपणन की यथोचित सुविधाओं की कमी के कारण से इन क्षेत्रों का पूरी क्षमता के साथ दोहन नहीं हो पा रहा है अतः राज्य सरकार द्वारा इस दिषा में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है।

- प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम् से कृषि तथा खाद्य पार्को की स्थापना एवं भंडारण, संग्रहण, श्रेणीकरण तथा विपणन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
- घरेलू तथा विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से लीची, औषधीय पौधों, बासमती चावल तथा होल्टीकल्चर हेतु चार कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.)की स्थापना की गयी है।
- कृषकों को उच्चमूल्य की खेती जैसे औषधीय तथा सुगंधित पुष्पों, फल–फूल उत्पादन हेतु आसान शर्तो पर ऋण तथा बेहतर बीज एवं प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की जा रही है तथा कृषकों को सहकारी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संस्थान (APEDA) नेशनल होल्टीकल्चर बोर्ड (NHB), खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (MFPI) तथा राष्ट्रीय औषधीय पौधों के बोर्ड (NPMB) के माध्यम् से विभिन्न किस्म की परियोजनाओं के विकास हेतु 20 लाख रू तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

19.17 हस्त शिल्प, लघ्रु उद्योग एवं क्षेत्रीय व्यापार

उत्तराखंड राज्य में परम्परागत कलाकौशल पर आधारित एवं लघु उद्योगों में व्यापार की अभूतपूर्व क्षमतायें है। राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊन तथा कालीन उद्योग काफी मशहूर है अतः इस दिशा में व्यापार को बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे है –

- राज्य के हस्त शिल्पियों को प्रशिक्षण तथा हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण स्थलों पर ''शिल्प ग्राम'' विकसित किये जा रहे है। भारत सरकार की बाबा साहब अम्बेडकर हस्त शिल्प योजना के माध्यम से हस्तशिल्प तथा हस्तशिल्पियों के विकास हेतु 'एकीकृत कलस्टर' योजना चलायी जा रही है।
- हथकरघा आधारित उद्योगों के लिये दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है तथा राज्य सरकार हथकरघा के विकास हेतु ''हथकरघा काम्पलैक्स'' की स्थापना एवं विकास की कार्य योजना बनायी है।
- हस्तशिल्पियों तथा हथकरघा को आर्थिक सहायता के साथ–साथ सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लिये पैकेजिंग तथा विपणन हेतु प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के प्रयास से 'घराट' जो कि पनविघुत हेतु ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनता द्वारा स्थापित किये जाते है को केन्द्र सरकार द्वारा घराट को 'कॉटेज' उद्योग का दर्जा दिया गया है एवं खादी बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री ''क्लस्टर विकास योजना'' चलायी जा रही है।
- उत्तराखंड के कला कौशल आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये व्यापार मेलों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है तथा देहरादून में शहरी हाट केन्द्र स्थापित किया गया है। राज्य से बाहर लगने वाले व्यापार मेलो जैसे दिल्ली, सूरजकुंड आदि में भी उत्तराखंड के हस्तशिल्प को प्रचारित–प्रसारित किया जाता है।
- प्रदेष में हथकरघा एवं हस्त शिल्प उत्पादों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिये ''हिमाद्रि'' ब्रांड को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

19.18 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार

औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार में गहरा सम्बन्ध है राज्य में औद्योगिक विकास के जरिये वाणिज्य तथा व्यापार को तीव्र किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में संवृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से औद्योगिक पैकेज 2003 में प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगीकरण

हेतु निम्न प्रयास किये गये है

- राज्य की स्थापना के पश्चात बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सड़क परिवहन, ऊर्जा, उड्डयन, संचार आदि का विस्तार किया गया है, राज्य में औद्योगिक अवस्थापना की सुविधाओं के लिये राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) कार्यरत है।
- औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति बनाई गयी है तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गयी है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

इसके तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है।

क. ए श्रेणी, ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्र, प्रयाग जिले सम्मिलित है।

ख. बी श्रेणी, बी श्रेणी में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के सम्पूर्ण तथा देहरादून एवं नैनीताल के पहाड़ी विकास खंड शामिल है।

इसके अन्तर्गत पूंजी निवेश, भूमि आवंटन, कच्चे माल के परिवहन, ऋणों की उपलब्धता, विद्युत बिलों आदि पर सहायता के साथ–साथ कर रियायतें प्रदान की गयी है। साथ ही राज्य में औद्योगिक पार्क और औद्योगिक कॉम्लैक्स की स्थापना कर औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

19.19 पर्यटन तथा क्षेत्रीय व्यापार

पर्यटन उत्तराखंड के क्षेत्रीय व्यापार को गति प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पर्यटन के माध्यम् से न केवल राज्य को आय प्राप्त होती है बल्कि राज्य के उद्योगो, हस्तशिल्प तथा औषधियों के व्यापार को भी नया बल मिलता है। राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की छवि पर्यटन के रूप में उभारने हेतु पर्यटन नीति बनायी गयी है तथा पर्यटन के लिये बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया गया है। पर्यटन के सभी आयामों को जैसे तीर्थोटन, मनोरंजन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, चिकित्सीय पर्यटन आदि चिन्हितकर सभी दिशाओं में ठोस प्रयास किये जा रहे तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता को पर्यटन हेतु प्रोत्साहित किया गया है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा युवा उघमी को प्रोत्साहित करने हेतु ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार'' योजना को क्रियान्वित किया गया है।

19.20 सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय व्यापार

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) न सिर्फ उद्योगो, पर्यटन, शिक्षा, गर्वेनेस, वाणिज्य तथा व्यापार के विकास में सकारात्मक योगदान प्रदान करती है अपितु यहाँ स्वयं अपने आप में एक महत्वपूर्ण नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गयी है। उत्तराखंड की जलवायु तथा यहां का शैक्षणिक विकास का स्तर आई.टी. तथा अई. टी. आधारित सेवाओं के विस्तार हेतु तुलनात्मक बढ़त का कार्य करता है। इस दिषा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे है–

- प्रदेश सरकार द्वारा सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नौसकॉम (Nass Com) की सहायता से राज्य में आई.टी. हेतु बुनियादी सुविधायें को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में संयुक्त कार्यदल भी गठित किया गया है।
- साटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा आई.टी. पार्क की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण में प्राथमिकता, सहायता तथा रियायते प्रदान की गयी है। देहरादून में आई.टी. पार्क तथा अर्थस्टेशन को स्थापित किया गया है।
- आई.टी. मानव संसाधन विकास हेतु आई.आई.टी. रूड़की तथा प्रदेश के विश्व विद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है तथा राज्य में भारतीय सूचना तथा प्रौद्योगिकी संस्थान प्रस्तावित है।

19.21 सारांश

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके हैं लोक वित्त संरचना के विभिन्न भागों के मूल्यांकन

करने पर स्पष्ट है कि सुधार के बावजूद भी उत्तराखंड में सरकार का अधिकांश व्यय गैर विकासात्मक, अनुत्पादक तथा कमीटेड प्रवृत्ति का है क्योंकि गैर आयोजन एवं राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान, पेंशन, सरकार के सामान्य व्यय सरकारी कर्मचारी के भुगतान समेत सब्सिडी आदि आते है अतः आयोजन व्यय तथा पूँजीगत व्यय के अपेक्षित स्तर पर ना होने से भविष्य में राज्य की विकास के मार्ग पर वितीय समस्यायें भी आ सकती है। यह वितीय स्थिति उस समय भी गम्भीर समस्या का विषय बन सकती है जबकि राज्य की कुल पूँजीगत वसूली में ऋणों का योगदान 92 प्रतिशत के आस–पास है एवं ऋण भविष्य में न सिर्फ देनदारी का बोझ बढ़ातें है साथ–साथ वित्तीय स्थिति पर दवाब बढ़ाकर राज्य विकास को भी प्रभावित कर सकते है अतः उत्तराखंड सरकार को व्यय की गुणवता में निरंतर सुधार जारी रखना होगा।

व्यय की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ सरकार को आय के नये स्रोतों की निरन्तर तलाश में रहना होगा। जिसके लिये सरकार को करों के दायरे को व्यापक करना होगा साथ ही कर चोरी एवं कर परिहार को न्यूनतम करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता को युक्ति संगत बनाते हुये सरकारी सेवाओं पर विवेकपूर्ण लागत वसूलनी होगी एवं सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को लाना होगा। तभी राज्य में मजबूत लोक वित्त संरचना का आधार बनाया जा सकेगा तथा राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रीय व्यापार के व्यापक विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष सामने आता है कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय व्यापार निःसन्देह एक बहुत महत्वपूर्ण विकास स्रोत बनकर उभर रहा है यद्यपि इस दिशा में अभी बहुत सारी बाधायें तथा समस्यायें परन्तु इस समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी पहलूओं पर समग्रता से प्रयास करने की आवश्यकता है।

जहां तक क्षेत्रीय व्यापार का प्रश्न है राज्य में पलायन, बेरोजगारी तथा आय के नये स्रोतों को पैदा करने के लिये क्षेत्रीय व्यापार एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। साथ ही राज्य के पर्यटन उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जड़ी बूटी एवं औषधियों को ही निरन्तर प्रोत्साहित कर सकता है। इस दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से सरकार को कारगर योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जिससे राज्य में विकास तीव्र गति से होता है।

19.22 शब्दावली

संचित निधि – इसके लिये प्रावधान संविधान के अनु0 266 के अनुसार किया जाता है इसके अन्तर्गत सरकार की सभी कर तथा गैरकर प्राप्तियाँ, ऋण आदि आते है तथा भारित व्यय के प्रावधान जैसे राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन सम्बन्धी प्रावधान भी आते है, इस प्रकार के व्यय पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है तथा अन्य प्रकार के व्यय सदन द्वारा अनुमति के बाद ही किये जा सकते है।

आकस्मिक निधि – राज्य सरकार को अनुच्छेद 267 के तहत् आकस्मिक व्ययो की पूर्ति के लिये इसका प्रावधान किया गया हैं तथा इस निधि से व्यय हेतु विधान सभा से अनुमति नहीं लेनी होती है।

लोक निधि – इस निधि पर सदन में मतदान की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकार की निधि में अल्पबचत, भविष्य निधि आदि समाहित होते है तथा इस प्रकार की निधि में सरकार की भूमिका ट्रस्टी के रूप में रहती है।

कर भार – जब भी कोई कर किसी व्यक्ति पर अरोपित किया जाता है तो कर दाता को सर्वप्रथम मौद्रिक रूप में कर का भुगतान करना पड़ता है यह कर का मौद्रिक भार कहलाता है परन्तु इसके कारण व्यक्ति को वास्तविक रूप में उपयोग एवं कल्याण में जो त्याग करना पड़ता है वह कर का वास्तविक भार कहलाता है।

कराधात – करा धात कर का प्रथम या तात्कालिक परिणाम होता है कर जब भी किसी व्यक्ति पर आरोपित होता है तो वह कर का तुरन्त भुगतान करता है मौद्रिक रूप में कर के प्रथम भार को वहन करने की प्रक्रिया को कराधात कहते है।

कर विवर्तन – कर का विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरित कर देता है, यह कर का विवर्तन अग्रगामी तथा पच्छगामी दोनों रूप में हो सकता है।

करा पात– कर के अंतिम भार को करापात कहते है क्योंकि कर के विवर्तन के पश्चात् कर का अंतिम भार दूसरे व्याक्ति को ही वहन करना पड़ता हैं। कर के अंतिम भार वहन करने की प्रक्रिया को ही करापात कहतें है।

कर वचंना– कर की सीधे–सीधे चोरी को कर वंचना कहते हैं कर वचंना से सरकार को न सिर्फ भारी हानि

होती है अपितु काला धन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है कर की वंचना कानून का उल्लघन है।

कर का परिहार – जब कोई कर दाता कर के नियम कानून में मौजूद विभिन्न छूटों एवं प्रावधानों मे जोड़–तोड़ कर कर के दायित्व से बच जाता है तो उसे कर का परिहार कहते हैं इस प्रक्रिया में कर दाता कानून का प्रत्यश्रतया उल्लघन न करते हुये वह कानून की मंशा तथा भावना का उल्लघन करता हैं। वर्तमान समय में का परिहार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व में हानि का मुख्य कारण बन रहा हैं।

अनुदान/रियायत – सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं तथा कर में दी जाने वाली छूट को कर रियायत कहते है।

अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त किसने दिया।
2. उत्तराखंड को विशष श्रेणी का राज्य किस आयोग ने घोषित दिया।
3. केन्द्रीय सहायता का कितना प्रतिशत उत्तराखंड को अनुदान के रूप में मिलता है।
4. राजस्व खाते में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण मदें कौन सी है।
5. राज्य सरकार के दो अप्रत्यक्ष करों को बताइये।
6. कर का प्रथम मौदिक भाग क्या कहलाता है।
7. कर की चोरी को कहते है।
8. वैट कर प्रणाली किस प्रकार के कर प्रणाली में सुधार करने के लिये अपनाई गयी है।
9. जैण्डर बजटिंग राज्य में कब से अपनाई गयी।
10. उत्तराखंड राज्य का 2011–2012 का बजट किसने प्रस्तुत किया।
11. लिपु लेख दर्रा कब तिब्बत से व्यापार हेतु खोला गया।
12. उत्तराखंड में कितने कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की गयी है।
13. उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को कौन से ब्राण्ड के तहत पहचान दिलवाई जा रही है।
14. औद्योगिक अवस्थापना की सुविधा के लिये कौन सा निगम कार्यरत है।

19.23 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. प्रो0 डाल्टन 2. योजना आयोग 3. 90 प्रतिशत 4. पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 5. मनोरंजन कर, व्यापार कर 6. कराघात 7. कर की वंचना 8. वस्तु की प्रणाली में (बिक्री कर) 9. 2007–2008 10. डॉ0 रमेश पोखरियाल निशंक 11. 1992

12. 4 13. हिमाद्री 14. सिडकुल

19.24 संदर्भ ग्रन्थ सूची

6. त्यागी बी0पी0, (1997) लोक वित्त, जयनाथ प्रकाशन मेरठ
7. बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।
8. उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।

9. Chelliah R.J. (2001) "The nature of fiscal crisis in the indian federation"

10. Monthly review of Uttrakhand Economy (March 2011), CMIE Dehradoon.

19.25 निबन्धात्मकप्रश्न

1. लोक वित्त संरचना के अर्थ उद्देश्य तथा भाग लिखिये।
2. उत्तराखंड सरकार के व्यय का वर्गीकरण तथा विश्लेषण कीजिये।
3. उत्तराखंड सरकार के आय के स्रोतों का वर्गीकरण एवं वैट कर प्रणाली की विशेषतायें लिखिये।
4. क्षेत्रीय व्यापार के लाभ, प्रकार तथा पर्यटन के माध्यम से किस प्रकार क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट कीजिये।

इकाई –20 पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण

20.1 प्रस्तावना

20.2 उद्देश्य

20.3 पर्यटन उद्योग की सम्भावनायें

20.4 पर्यटन तथा आय के अवसर

20.5 पर्यटन तथा वाणिज्य एवं व्यापार

20.6 पर्यटन एवं बुनियादी संरचना

20.7 पर्यटन तथा पर्यावरण

20.8 पर्यटन उद्योग की समस्यायें

20.9 पर्यटन नीति

20.10 पर्यटन तथा विजन 2020

20.11 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध

20.12 पर्यावरण समस्यायें

20.13 उत्तराखण्ड में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण

20.14 औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण

20.15 स्वच्छ ऊर्जा का विकास एवं पर्यावरण

20.16 जल संसाधन एवं पर्यावरण

20.17 आपदा प्रबन्धन एवं पर्यावरण –

20.18 वनों का आर्थिक महत्व एवं पर्यावरण

20.19 वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु प्रयास

20.20 कृषि तथा पर्यावरण

20.21 शहरीकरण तथा पर्यावरण

20.22 सारांश

20.23 शब्दावली

20.24 अभ्यास प्रश्न

20.25 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

20.26 निबन्धात्मक प्रश्न

20.1 प्रस्तावना

पूर्व की इकाई में यह अध्ययन किया गया था कि किस प्रकार राज्य में विकास हेतु अनुकूल दशाओं के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया को संवेग देने के लिये लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार से न केवल अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास निर्भर करता है साथ ही साथ राज्य में संवृद्धि के भावी अवसर भी सृजित होते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनायें है तथा पर्यटन राज्य में आय के नये अवसरों को पैदा करने, रोजगार प्रदान करने, वाणिज्य तथा व्यापार को नई तीव्रता प्रदान करने के लिये, राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के साथ–साथ सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के आदान–प्रदान का मुख्य स्रोत बनकर राज्य के विकास को नवीन गति प्रदान कर सकता है।

चूँकि उत्तराखंड का पर्यावरण अत्यधिक समृद्ध परन्तु संवेदनशील है। अतः विकास की प्रक्रिया में राज्य में पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य में विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिये सरकार के साथ –साथ आम जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी विकास टिकाऊ एवं दीर्घकालिक होता है।

20.2 उद्देश्य

वर्तमान इकाई में हम पर्यटन उद्योग तथा पर्यावरण के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई के प्रथम भाग में पर्यटन उद्योग तथा द्वितीय भाग में पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जायेगा।

1. पर्यटन उद्योग से विकास की क्या सम्भावनायें है।
2. पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार तथा आय के अवसर कैसे प्राप्त किये जा सकते है।
3. पर्यटन उद्योग एवं बुनियादी संरचना तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या भूमिका है।
4. पर्यटन एवं पर्यावरण में अन्तर सम्बन्ध
5. पर्यटन उद्योग की मुख्य समस्यायें कौन सी है तथा सरकार की पर्यटन नीति क्या है।

20.3 पर्यटन उद्योग की सम्भावनायें

यदि उत्तराखण्ड के पर्यटन की सम्भावनाओं पर विचार किया जाये तो सर्वप्रथम धार्मिक तथा तीर्थो के भ्रमण हेतु उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, पूर्णागिरी, गौमुख, रूद्रनाथ, तुगनाथ, महमद्देश्वर, हेमकुण्ड साहेब, लोकपाल तथा पिरान कालियर जैसे तीर्थ स्थान है साथ ही उत्तराखण्ड भगीरथी अलकनंदा यमुना जान्हवी, मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियों का उद्गम है। यही नही शिव के निवास कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग यही से होकर जाता है एवं कुम्भ की नगरी हरिद्वार में करोंड़ों श्रद्धालु हमेशा से आते रहे है। अतः यह धार्मिक पर्यटन उत्तराखण्ड के विकास हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों को गतिशील बनाने में एक प्रभावी विकल्प हो सकता है।

राज्य में सरोवर नगरी नैनीताल, पहाड़ों की रानी मसूरी, भारत का स्विटजर लैण्ड कौसानी, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, रानीखेत, धनौल्टी जैसे कई विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है जहाँ वर्ष भर सैलानी सामान्य तौर पर मनोरंजन एवं घूमने के दृष्टिकोण से आते है इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य है जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु–पक्षी एवं पेड़–पौधे मौजूद है जो कि वर्ष भर सैलानियो के आकर्षण का केन्द्र बने रहते है।

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण, रिवर राटिंग, स्कीईग जैसे साहसिक पर्यटनों स्थलों की भरमार है। जिनमें नेहरू पर्वतारोहण केन्द्र उत्तरकाशी, विश्वप्रसिद्ध स्कीईग केन्द्र औली, रिवर राटिंग केन्द्र शिवपुरी अवस्थित है जो कि साहसिक पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों के लिए विश्वविख्यात हैं। हाल ही में औली में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजन से राज्य की छवि साहसिक खेलों के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित हुयी है।

उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म, बायोटूरिज्म की अपार संम्भावनायें हैं चूँकि राज्य की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वन तथा औषधीय उत्पाद एवं यहाँ की संस्कृति व आध्यात्मिकता के कारण राज्य योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र के रूप में देशी ही नहीं बल्कि विदेशियों के मध्य तीव्रता के साथ आर्कषण का केन्द्र बनकर उभर रहा है। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पंतजलि योगपीठ हरिद्वार एवं महर्षि योगी द्वारा उत्तरकाशी में स्थापित योगपीठ का इस दिशा में उल्लेख किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड लोक गीत–संगीत, मेलों कौतीग, लोक नृत्यों जैसे झोड़ा, चौफला, छोलिया, रम्माण, चौचरी आदि सुदूर तक विख्यात है। यहाँ का परम्पारगत पहाड़ी खान–पान, वेश–भूषा, भाषा बोली आदि सभी अपने आप में आद्वितीय है जोकि पर्यटन को नया आयाम देकर विकास के नये अवसरों को प्रशस्त कर सकता है।

20.4 पर्यटन तथा आय के अवसर

उत्तराखण्ड की भौगोलिक तथा जलवायुवीय परिस्थितियॉ इस प्रकार की है कि राज्य में आय के अवसरों की तीव्रता से गति प्रदान करने के लिये तीव्र औद्योगीकरण एवं विनिमार्ण सम्बन्धी गतिविधियाँ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ के पर्यावरण के अनुरूप तथा राज्य की पर्यटन की दिशा में तुलनात्मक बढ़त को देखते हुए पर्यटन राज्य में आय के नये अवसरों को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस दिशा में पर्यटन से जुड़ें क्षेंत्रो में होटल, रेस्टोरेन्ट, मोटल, पर्यटन वाहन, टैन्टनुमा आवासीय योजनायें, टूरिस्ट गाईड, पर्वतारोहण के संस्थान एवं प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनायें तथा उक्त के लिये मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र है जिनसे न केवल स्थानीय लोगों को आय तथा रोजगार के नये अवसर मिल सकते है अपितु यहाँ पर पलायन जैसी समस्या को भी नियत्रिंत किया जा सकता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 करोड़ देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण करने आते है तथा राज्य के मुख्यमंत्री डॉ0 निशंक के अनुसार 2010 के हरिद्वार कुंभ मेले में लगभग 10 करोड़ लोगों ने कुंभ नगरी का भ्रमण किया था। इससे राज्य की पर्यटन क्षमता का पता चलता है। अतः स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने तथा रोजगार के नये अवसरों को सृजित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरम्भ की गयी है।

यद्यपि उत्तराखण्ड में पर्यटन के माध्यम से विकास के असीमित अवसर उपलब्ध है परन्तु अभी भी पर्यटन क्षेत्र में आय तथा रोजगार में संवृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के बावजूद भी राज्य की राष्ट्रीय पर्यटन में भागीदारी मात्र .75 प्रतिशत की है तथा विदेशी पर्यटकों की वार्षिक संवृद्धि दर राज्य में 12.3 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय संवृद्धि दर 14 प्रतिशत से कम है। वहीं उत्तराखण्ड के समान भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में पर्यटन की स्थिति उत्तराखण्ड की तुलना में काफी बेहतर है। अतः यदि राज्य को पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को तीव्र करना है तो पर्यटन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नितान्त आवश्यक होगा।

20.5 पर्यटन तथा वाणिज्य एवं व्यापार

वाणिज्यक तथा व्यापारिक गतिविधियों को पर्यटन के माध्यम से नयी दिशायें प्राप्त होती है। उत्तराखण्ड की स्थानीय परम्परागत हस्तशिल्प तथा कलाकौशल के साथ–साथ यहाँ की जड़ी बूटियों सुदूर तक प्रसिद्ध है जिन्हे प्रचार–प्रसार के साथ–साथ बाजार की आवश्यकता है पर्यटन के जरिये उत्तराखण्ड के वाणिज्य तथा व्यापार को राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की पहचान एवं एक गतिशील बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध ा हो जाता है।

उत्तराखण्ड में रिंगाल, बाँस, भगेंल, ताँबे तथा काष्ठ से बने हस्त शिल्प एवं सीमावर्ती जिलों में ऊन से बने उत्पाद जिनमें कालीन, पश्मीना, कम्बल आदि अत्यधिक प्रसिद्ध है। साथ ही राज्य के स्थानीय जड़ी बूटी तथा फल–फूलों से तैयार परम्परागत खाद्य एवं पेय पदार्थ काफी लोकप्रिय है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कला कौशल से तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एवं उन्हे पर्यटन से जोड़ने के लिये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर शिल्प ग्राम विकसित किये जा रहे है तथा देहरादून में शहरी हाट को विकसित किया जा रहा है। राज्य में तथा राज्य के बाहर जैस दिल्ली, सूरजकुंड आदि स्थलों पर उत्तराखण्ड महोत्सव के माध्यम यहां के उत्पादों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है तथा उत्कृष्ट उत्पादों की छवि हेतु ''हिमाद्री'' ब्रांड को स्थापित किया जा रहा है।

20.6 पर्यटन एवं बुनियादी संरचना

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को विदोहित करने हेतु ठोस बुनियादी ढाँचें तथा सुविधाओं जैसे सड़क, रेल एवं वायु परिवहन तथा उत्तम विश्राम ग्रहों, संचार सुविधाओं आदि के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। जिसके लियें सरकारी प्रयास के साथ–साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गयें है –

- स्थानीय जनता को पर्यटन की गतिविधियों जोड़ने एवं पर्यटकों के लिये गुणवत्तापरक सुविधाओं के विस्तार हेतु ''वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना'' आरम्भ की गयी है। इसके तहत् पर्यटन से जुड़ी योजनाओ जैसे होटल, रेस्तरां, टेन्टनुमा आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु उद्यमियों को रू 10 लाख तक का ऋण पर्यटन विभाग बैकों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। जिसमें स्वीकृत धनराशि पर 20 प्रतिशत राजकीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। वर्ष 2010 तक इस योजना से 2771 लोग लाभन्वित हुये है।
- राज्य में पर्यटन के विकास हेतु तथा पर्यटन उद्योग के नियमन के लिये पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है।
- बेहतर सम्पर्क स्थापित करने हेतु गौचर(चमोली), चिन्याली सौड़(उत्तरकाशी), नैनी सैनी(पिथौरागढ़) में हवाई पटट्यिों को क्रियाशील कर विस्तारित किया गया है। पंतनगर तथा जौलीग्रांट(देहरादून) हवाई अड्डो से उड़ानों को नियमित करने के साथ–साथ सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
- विभिन्न पर्यटन स्थलों में अवस्थापना की सुविधाओं की सुविधाओं के लिये 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अगले पाँच सालों में रू 100 करोड़ प्राप्त होगा तथा एशियन डेबलपमेन्ट बैंक से पर्यटन योजनाओं तथा सुविधओं के विस्तार हेतु रू 350 करोड़ की सहायता पर सैद्धान्तिक सहमति दी है।
- चार धाम विकास के लिये चार धाम विकास परिषद का गठन किया गया है तथा हेमकुंड समेत चारों ध ाामों हेतु हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ की गयी है।
- केदारनाथ तथा यमुनोत्री के पैदल मार्ग का सुद्दढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा पूर्णगिरी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री एवं मसूरी में रज्जू मार्गो का निर्माण किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पर्यटन महायोजना पर आधारित रू 2000 करोड़ के पूँजी निवेश के माध्यम से पर्यटन योजनाओं की एक–एक श्रंखला तैयार की गयी है।
- बृहद पर्यटन हबों की स्थापना जिसके अन्तर्गत रामनगर के निकट 802 एकड़ भूमि पर लगभग रू 500 करोड़ की कार्बेटइन्ट्री नामक ईको सिटी, मसूरी में ईको पार्क रिर्जोट टिहरी में पर्यटन झील स्थापना एवं नौकायन की सुविधा, दयारा बुग्याल में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्की रिजौर्ट विकसित किया जायेगा।
- कुभ की तर्ज पर आगामी ''नंदा देवी राजजात'' का आयोजन किया जायेगा।
- भारत सरकार की सहायता से विभिन्न पर्यटन परिपथों का विस्तार किया जायेगा जिससे हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनी की रेती–स्वर्गाश्रम में मेगा पर्यटन सर्किट सहित देहरादून–हरिद्वार पर्यटन सर्किट, गोविन्द घाट–धांधरिया–फूलों की घाटी–हेमकुण्ड सहित निर्मल गंगोत्री पर्यटन सर्किट पुरोला–नैटवाड़, खिर्सू–लैन्सडाउन–पौड़ी तथा कुमाऊ में भिकिया सैण–नीलेश्वर मंदिर, चौखुटिया–द्वारहाट, कौसानी–बागेश्वर, मुक्तेश्वर–भीमताल–सातताल– हल्द्वानी, पिथोरागढ़–मुनस्यारी पर्यटन सर्किट तथा औली ईको टूरिज्म् के केन्द्र के रूप में विकसित किये जा रहे है।
- तीर्थाटन, साहासिक पर्यटन, कला तथा संस्कृतिक पर्यटन तथा ईको पर्यटन पर विशेष समितियाँ गठित की गयी है।
- उत्तराखंड को पर्यंटन के मानचित्र पर लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। जिसके लिये इंटरनेट, बेवसाइट, सीडी रोम, प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया का सहारा लिया जा रहा है साथ ही विभिन्न स्थानों जैसे दिल्ली, चेन्नई, सूरजकुंड में उत्तराखंड के महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।

20.7 पर्यटन तथा पर्यावरण

उत्तरांखण्ड का प्राकृतिक पर्यावरण एवं जलवायु पर्यटकों हमेशा आकर्षित करता है। सरकार ने भी ईकों टूरिज्म को बढावा देने के लिये विशेष प्रयास किये है। टूरिज्म् की परियोजनाओं को बढावा देने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। रामनगर में ईको सिटी एवं मसूरी में सर जार्ज एवरेस्ट ईको पार्क बनाया गया है साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रदेश के नगरों को सुन्दर, स्वच्छ तथा हरा–भरा बनाने हेतु हर्बल वाटिकाओं, हर्बल पार्को को विभिन्न नगरों में स्थापित करने की योजना है। देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा हरा है।

उत्तरांखण्ड का पर्यावरण समृद्ध परन्तु संवेदनशील है अतः अत्याधिक पर्यटको की आवाजाही से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कूड़े–कचरे एवं अपशिष्टों की समस्याये गहराती हैं। अतः सरकार द्वारा चारों धामों समेत देहरदून, हरिद्वार, नैनीताल आदि में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण विधि अपनायी गयी है। नैनीताल समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों, सरोवरों की साफ–सफाई का प्रावधान किय गया है तथा पतित पावन गंगा समेत उसकी सहायक नदियों की सफाई तथा स्वच्छता हेतु ''स्पर्श गंगा'' अभियान आरम्भ किया गया है।

पर्यटक तथा पर्यावरण में बड़ा ही नाजुक अन्तरसम्बन्ध है। अतः पर्यटन के विकास में उत्तरांखण्ड के समृद्ध किन्तु संवेदनशील पर्यावरण का ध्यान रखकर ही इस दिशा में विकास नीति बनाने की आवश्यकता है।

20.8 पर्यटन उद्योग की समस्यायें

यद्यपि उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग में व्यापार क्षमतायें है परन्तु अभी भी यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहा है। इस दिशा में निम्न समस्यायें एवं चुनौतियां सामने आ रही है।

1. पर्यटन हेतु गुणवत्तापरक बुनियादी सुविधाओं का अपेक्षित स्तर का ना होना तथा बुनियादी सुविधाओं की पहुच प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र एवं प्रत्येक पर्यटक तक ना हो पाना सबसे प्रमुख समस्या है।

2. पर्यटन के नये–नये क्षेत्रों को विकसित करना एवं नये क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आकर्षक एवं पेशेवराना रणनीति का सुदृढ़ ना हो पाना।

3. बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु भारी पूँजी निवेश की आवश्यकता का होना।

4. निजी क्षेत्र एवं स्थानीय जनता की भागीदारी का कुछ ही वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति तक ही सीमित हो पाता है।

5. पर्यटन क्षेत्र का स्थानीय कला, संस्कृति, कुटीर उद्योगों, आश्रमों, योग एवं ध्यान के केन्द्रों से अपेक्षित जुड़ाव का न हो पाना।

6. उत्तराखंड को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रचारित–प्रसारित करने के लिये राज्य की छवि बेहतर पर्यटन सेवा प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिये परन्तु अभी भी राज्य की छवि पर्यटन के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।

7. राज्य का पर्यावरण अत्यधिक नाजुक तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। पर्यटन के साथ–साथ भीड़–भाड़ बढ़ने से राज्य में प्रदूषण एवं अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है।

20.9 पर्यटन नीति

उत्तरांखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य सरकार ने पर्यटन को सुनियोजित रूप से विकसित करने हेतु 2001 में पर्यटन नीति का निर्माण किया। राज्य की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व के मानचित्र में उत्तरांखण्ड को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है।

- उत्तरांखण्ड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना।
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं एवं सम्भावनाओं को उजागर

करना।

- पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिये ईको टूरिज्म् को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटको के लिए उनकी रूचि तथा आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाओं के विस्तार हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को बढाना।
- प्रदेश के पर्यटन स्थलो का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- मनोरंजन पर्यटन के साथ–साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का विकास करना।
- पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन नीति की कार्य योजनाओं के सुदृढीकरण के लिये पर्यटन विकास परिषद् गठन किया गया है।
- पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न स्रोतो से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन के विकास हेतु गढ़वाल तथा कुमाऊँ मंडल विकास निगमों में परस्पर समन्वय स्थापित करना।
- पर्यटकों की सुविधा हेतु सड़क परिवहन के साथ–साथ रेल तथा वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पर्यटन के क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से ''उत्तरांखड पर्यटन विकास योजनाओं'' को ''क्रियान्वित करना।
- तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों के रूप में आकर्षित करने के लिये प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना तथा तीर्थटन एवं पर्यटन का समेकित विकास करना, तनाव से मुक्ति के उद्देश्य से उत्तरांखण्ड के प्राकृतिक स्थलों को विश्रामत्मक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना।

20.10 पर्यटन तथा विजन 2020

विश्व पर्यटन संगठन द्वारा उत्तरांखण्ड के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया है। जिसके अनुसार राज्य सरकार राज्य में सुनियोजित, दीर्घकालीन एवं सतत पर्यटन का विकास कर राज्य को धरती के स्वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रयास कर रही है। उक्त लक्ष्य को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिये एक रणनीति दृष्टिकोण के तहत विजन 2020 की अवधारणा को स्थापित किया गया है। जिसके अनुसार पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दोहन हेतु सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी से गुणवत्ता परक बुनियादी सुविधाओं का विकासकरण राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में एक ब्रांड के तौर पर उभारना है जिससे पर्यटन के द्वारा राज्य का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सके

20.11 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध

पर्यावरण 'परि' तथा 'आवरण' दो शब्दों से मिल कर बना है, जिसका सीधा अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। पर्यावरण के विभिन्न घटक जल, वनस्पतियॉ, मृदा, वायु आदि आपस में परस्पर अर्न्तक्रियायें करके जटिल एवं नाजुक तंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के घटकों की यही परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पर्यावरण में एक समायोजन क्षमता प्रदान करते हुये पर्यावरण को संतुलित बनाये रखती हैं, यदि किसी कारणवश पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है तो पर्यावरण की यही अन्तः समायोजन क्षमता पर्यावरण को पुनः संतुलन में ला देती है परन्तु आधुनिक समय में जनसंख्या विस्फोट, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, नगरीकरण, अत्याधिक उपभोक्तावाद, लाभ की लालसा आदि के चलते मानव ने पर्यावरण में इस कदर हस्तक्षेप किया है कि पर्यावरण की समायोजन क्षमता निरन्तर क्षीण होती जा रही है तथा पर्यावरण संकट का गंभीर खतरा पूरे विश्व के सामने गहराने लगा है। पर्यावरण तथा विकास पर बने ''विश्व आयोग'' की ''ऑवर कॉमन यूचर'' रिर्पोट 1987 के अनुसार ''आधुनिक प्रगति ने पर्यावरण को भी उत्पाद बना दिया है'' एवं ''पर्यावरण अवनयन समस्त विश्व के अस्तित्व हेतु सबसे बड़ा संकट है।''

पर्यावरण तथा विकास में आपस में सामजस्य स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम बर्टलैण्ड कमीशन द्वारा पोषणीय विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया। जिसके अनुसार, ''आज की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जायें कि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी से न गुजरना पड़े।'' सन् 2002 में पर्यावरण तथा विकास के मसाले पर हुये दक्षिण अफ्रिका में जोहन्सबर्ग के ''पोषणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन'' में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा निम्न पॉच महत्वपूर्ण मसलों पर पर्यावरण एवं विकास की दृष्टि से विशेष ध्यान देने को कहा,

1. जल, सफाई एवं स्वास्थ्य।
2. स्वच्छ ऊर्जा
3. गरीबी निवारण
4. कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा
5. जैव विविधता।

जहाँ तक उत्तराखण्ड राज्य के पर्यावरण का प्रश्न है, राज्य पूर्णतया हिमालय के पर्वतों, घाटियों तथा तराई क्षेत्र में अवस्थित है, सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र एवं विशेषतौर पर उत्तराखण्ड राज्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यन्त समृद्ध एवं विविधता पूर्ण है। जहाँ स्थित हिमालय पर्वत न सिर्फ भारत की जलवायु को नियत्रित करता है अपितु यहॉ के हिमनदों द्वारा जो सदानीरा सरितायें निकलकर प्रवाहित होती है वह सम्पूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण एवं पोषण करती है लेकिन उत्तराखण्ड का यह समृद्ध पर्यावरण बड़ा ही नाजुक तथा संवेदशील है तथा राज्य पूरी तरह से भूकम्प के अत्याधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। समय–समय पर उत्तराखण्ड में बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदायें आती रही है जिसके कारण उत्तराखण्ड में हमेशा से ही जनसमुदाय न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन में सक्रिय रहा है अपितु यहाँ कई जन आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए मशहूर हुये है। सत्तर के दशक में गौरा देवी,चंडीप्रसाद भटट् एवं सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनो के बचाव तथा अनियंत्रित कटाई के विरूद्ध जो '' चिपको ''आंदोलन हुआ वह शीघ्र ही पूरे विश्व में मशहूर हो गया, बड़ी बाँध परियोजना जैसे टिहरी बाँध परियोजना, खान तथा खनन् के विरूद्ध भी सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में जनव्यापी आंदोलन हुये हैं, वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु कल्याण सिंह रावत द्वारा ''मैती'' आन्दोलन चलाया गया जोकि अब एक संस्कार का रूप ले चुका है। इसके अतिरिक्त रक्षासूत्र आन्दोलन तथा वृद्ध मानव वीरेन्द्र सकलानी द्वारा चलाये गये वृक्षा रोपण के आन्दोलन राज्य में बेहद लोकप्रिय हुये हैं।

अतः उत्तराखण्ड में आज विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के साथ–साथ आज पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक हो गया है क्योंकि औद्योगीकरण, नगरीकरण, बड़ी परियोजनाओं के विकास, परिवहन, खनन एवं प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का पर्यावरण पर प्रभाव निरन्तर पड़ रहा है। अतः ऐसे में सरकार की भूमिका यहाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार वह विकास के जरिये जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ–साथ पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

20.12 पर्यावरण समस्यायें

उत्तराखंड में पर्यावरण के सामने मुख्य समस्यायें निम्न है

1. तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से राज्य के पर्यावरण पर दवाब बढ़ता जा रहा है।

2. औद्योगीकरण तथा शहरीकरण से राज्य में पर्यावरण प्रदूषण निरन्तर बढ़ रहा है।

3. बड़ी परियोजनाओं जैसे – ऊर्जा परियोजना (जैसे टिहरी बांध परियोजना), सड़क निर्माण, औद्योगिक निर्माण, खान–खनन आदि के कारण राज्य के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय जनता भी विस्थापन का शिकार हो रही है।

4. राज्य में स्थायी जनसंख्या के साथ–साथ पर्यटन के कारण से भारी पैमाने पर गतिशील जनसंख्या राज्य में आवाजाही करती रहती है। जिसके कारण से राज्य के पर्यावरण पर अतिरिक्त दवाब बना रहता है।

5. राज्य में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से जो आपदायें आती है उनसे भी राज्य के पर्यावरण पर निरन्तर दवाब सा बना रहता है। भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, दावानल आदि के घटित होने से राज्य में जान माल की क्षति के साथ–साथ पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

6. आर्थिक विकास को तीव्र करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन ना होने से राज्य के पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

7. पर्यावरण प्रबन्धन में सरकार एवं स्थानीय जनता के मध्य सामंजस्य के अपेक्षित ना होने से पर्यापरण का संरक्षण एवं प्रबन्धन समुचित नहीं हो पा रहा है।

8. अवैध कटान, अवैध खनन एवं नियम कानूनों की उपेक्षा कर आवश्यकता से अधिक विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों से राज्य में पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

20.13 उत्तराखण्ड में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण

उत्तराखण्ड की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 8,479,562 तथा जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991–2001 तक 19.20 प्रतिशत रही है विभिन्न दशकों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत निम्नवत् है –

1951–1961	1961–1971	1971–1981	1981–1991	1991–2001
22.57	24.42	27.45	23.43	19.20

यदि 2001–2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 15 प्रतिशत के हिसाब से बढती है तो राज्य की जनसंख्या लगभग 95 लाख होगी तथा उत्तरांखण्ड की अधिकांश जनसंख्या का दबाव देहरादून से लेकर टनकपुर तक हिमालय के संकीर्ण तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं का दबाव राज्य की संवेदनशील पर्यावरण पर निश्चित तौर पर होगा। उत्तराखण्ड पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा यहाँ के तीर्थ तथा पर्यटन स्थलों पर हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री एवं पर्यटक आते है ऐसे में स्थायी जनसंख्या के साथ–साथ अस्थायी जनसंख्या का भारी दबाव उत्तराखण्ड के नाजुक पर्यावरण पर निरन्तर रहेगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार राज्य में जनसंख्या नीति को विकास तथा जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से लागू किया गया है।

20.14 औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण

उत्तराखण्ड नवोदित राज्य है तथा लम्बे समय से यह आर्थिक तकनीकी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है यदि राज्य में तीव्र गति से विकास करना है तो राज्य में औद्योगीकरण, यातायात एवं परिवहन सुविधायें, ऊर्जा के संसाधनों, संचार व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने होगें जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ना अवश्यभावी है, साथ ही आर्थिक विकास के तीव्र होने से नगरीकरण, उपभोक्तावादी जीवन शैली, अनियत्रित भीड़ तथा वाहनों की समस्या आदि के चलते विकास के नकरात्मक प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण रूप में सामने आने लगे है। अतः पर्यावरण के सभी पहलुओं पर विकास के प्रभाव का व्यापक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष एकत्रित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में घोषित की गई है। जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों को ए तथा बी श्रेणीयों में विभाजित कर वहाँ पर स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल उद्योंगो की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहायता तथा छूटें दी जा रही हैं। राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं सहित किसी भी परियोजनाओं के निमार्ण से पूर्व उनका पर्यावरण पर प्रभाव का आंकलन अनिवार्य बना दिया गया है।

20.15 स्वच्छ ऊर्जा का विकास एवं पर्यावरण

उत्तराखण्ड में जल विद्युत द्वारा ऊर्जा के विकास की अपार सम्भावनायें है परन्तु ऊर्जा के विकास हेतु बनी व्यापक तथा वृहद परियोजनाओं में लगने वाले समय, लागत, भारी विस्थापन राजनैतिक विवाद तथा पर्यावरण

पर उनके प्रभाव के चलते सरकार द्वारा लघु तथा मध्यम आकार की जलविद्युत परियोजनाओं को बढावा दिया जा रहा है जिससे स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी बढावा मिलें।

इस उद्देश्य से राज्य में ऊर्जा नीति अपनायी गयी जिसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है –

- अक्षय ऊर्जा को ऊर्जा नीति में शामिल कर रियायत एवं सहायता दी जा रही है।
- अक्षय ऊर्जा में पवन चक्की, बायोमास, जियो थर्मल, सौर, अपशिष्ट द्वारा ऊर्जा को शामिल किया गया है।
- 25 मेगावाट तक ऊर्जा की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय उद्यमियों को ऑवटित किया जायेगा तथा 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की रायल्टी में छूट प्रदान की जायेगी।
- राज्य में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास ऐजेन्सी का गठन नवीकरणीय साधनों तथा पर्यावरण के अनुकूल विधियों से ऊर्जा के विकास हेतु किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण तथा सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को सौर लालटेनो का ऑवटन किया गया है।
- घराट तथा पनचक्की को कॉटेज उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है।

20.16 जल संसाधन एवं पर्यावरण

नदी घाटियों में बसे उत्तराखण्ड की जनता का जल संरक्षण एवं उसके उपभोग के प्रति बड़ा ही आत्मीय रिश्ता रहा है। नदी घाटियों ने यहॉ के जीवन को आर्थिक आधार तो दिया ही है साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समन्वय से जीवन जीने की प्रेरणा की है। सदियों से जल समेत समस्त पर्यावरण के प्रति रिश्ता उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।

जल संसाधन उत्तराखण्ड के पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ के हिमनद गंगा, यमुना, काली जैसी सदानीराओं का उद्गम हैं जिसके ऊपर समस्त उत्तर भारत के मैदानों का आर्थिक, सांस्कृतिक अस्तत्वि बना हुआ है। परन्तु बढती आर्थिक आवश्यकताओं, प्रदूषण तथा जनसंख्या वृद्धि के चलते जलसंसाधन की न सिर्फ गुणवत्ता प्रभावित हुई है अपितु अब तो जल के अस्तित्व पर संकट मडराने लगा है। जलवायु परिवर्तन पर बने ''अंतर सरकारी समिति'' की रिर्पोट के अनुसार इक्कीसवी शताब्दी में यदि प्रदूषण को न रोका गया तो शीघ्र ही हिमालय के हिमनदो तथा नदियों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।

अतः जल के प्रति इन्ही चिन्ताओं ने उत्तराखण्ड में कई आन्दोलनों को जन्म दिया जहॉ प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा तो यह टिप्पणी की गयी है कि ''विवादित टिहरी बाँध हमारे ऑसूओं पर बना है।''

गाँधीवादी संगठन ''लक्ष्मी आश्रम'' कौसानी द्वारा '' उत्तराखण्ड नदीं बचाओं'' आंदोलन आरम्भ सन् 2007 में किया गया वहीं आई. आई. टी. कानपुर के सेवानिवृत्त डीन डॉ जी. डी. अग्रवाल द्वारा गंगा को बचाने हेतु आमरण अनशन किया गया एवं कथा वाचक गोपालमणि द्वारा दिल्ली से गंगोत्री तक की पद यात्रा गंगा जी को बचाने हेतु की गयी। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड की जनता, गैर सरकारी संगठन, समाजसेवी तथा बुद्धीजीवी वर्ग द्वारा जल संसाधनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु निरन्तर प्रयास राज्य सरकार के सहयोग से निम्नवत् तरीकों से किये जा रहे है –

- केन्द्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदीं तथा गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों की साफ सफाई हेतु स्पर्श गंगा अभियान का आरम्भ किया गया है।
- जैविक तथा अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु पर्यावरण मित्र योजनायें आरम्भ की गयी है।

- जल वनस्पति एवं मृदा के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु जनसहभागिता के माध्यम् जलागम कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- राज्य के नगरों में सीवेज ट्रीटमैन्ट तथा अवशिष्टों के निस्तारण के व्यवस्था की जा रही है।

20.17 आपदा प्रबन्धन एवं पर्यावरण

विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य भूहलचलों की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील जोन 5 तथा जोन 4 में आता है। समय–समय पर उत्तराखण्ड में महाविनाशक भूकम्प आते रहे है जिसमें 1991 में उत्तरकाशी तथा 1999 में रूद्रप्रयाग में आये भूकम्प प्रमुख है इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने के कारण आपदायें आती रहती है जैसे उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत में आये भूस्खलन एवं सितम्बर 2010 में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण से जान–माल के साथ–साथ पर्यावरण को भी गम्भीर क्षति पहुँची है।

अतः आपदाओं के प्रभावों को न्यून करने के लिये आपदा प्रबन्धन मंत्री की अध्यक्षता आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र का गठन किया गया है। इस केन्द्र के अधीन भूगार्मिक पर्यावरणीय, अभियात्रिकी एवं अन्य महत्वपूर्ण अवयवों की व्यवस्था के साथ–साथ जी0 आई0 एस0 प्रणाली का उपयोग एवं सामाजिक तथा आर्थिक विशेषज्ञों का सहारा लिया गया है। आपदा प्रबन्धन के लिये सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक जिला अधिकारी के पास एक 50 लाख का आपदा प्रबन्धन कोष गठित किया गया है।

20.18 वनों का आर्थिक महत्व एवं पर्यावरण

उत्तराखण्ड के वन विभाग के अनुसार राज्य के 64.8 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है, वन न केवल उत्तराखण्ड के पर्यावरण को समृद्धता प्रदान करते है अपितु वनों की भूमिका उत्तराखण्ड के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जन जीवन में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। वन, उपवनों से उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व, उद्योगों को वन उत्पाद तथा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर अनियत्रित विदोहन, अवैध कटान, बढती जनसंख्या का दबाव तथा दवानल, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वनों पर निरन्तर दबाव बढता जा रहा है। जिससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

उत्तराखण्ड में वनों को भौगोलिक रूप से निम्न वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(अ) उश्ण कटिबंन्धीय वन।

(ब) कोण धारी वन।

(स) पर्वतीय शीतोष्ण वन।

(द) अल्पाइन वन।

(ड.) घास के मैदान।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को निम्न भागों में बॉटा जा सकता है–

(अ) वन विभाग के अन्तर्गत वन।

(ब) सिविल सोयम वन।

(स) पंचायती वन।

(द) निजी वन।

निजी वन– इनमें निजी संस्थाओं, नगरपालिका एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रबन्धन किये जाने वाले वन है जो कि कुल वनों के 8.2 प्रतिशत भागों पर मौजूद है।

वनों का आर्थिक महत्व– वनों का उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में बड़ा ही महत्व है। वनों से लकड़ी, ईधन,

चारा, जड़ी–बूटियाँ तो प्राप्त होती है साथ ही कई महत्वपूर्ण लघु उत्पाद जैसे– रेशा, गोंद, लाख, कत्था, तेंदू, केन, शहद आदि महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते है जिन पर कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे टिम्बर तथा निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जड़ी–बूटी एवं दवा उद्योग आदि सभी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें है। वनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर भारी मात्रा में लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों में ईधन, चारा आदि हेतु ग्रामीण पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर है।

उत्तराखण्ड के वनों में जिम कार्बेट, राजाजी तथा फूलों की घाटी समेत छः राष्ट्रीय उद्यान तथा छ वन्य जीव बिहार है जिसमें हर वर्ष भारी आय तथा आम जनता को रोजगार प्राप्त होता है साथ ही ऊँचें हिमालय में स्थिति ''बुग्याल'' साहसिक पर्यटन को निरन्तर आकर्षित करते जा रहे है।

यदि वनों से मिलने वाली सरकार को रायल्टी का आंकलन किया जाये तो वनों का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा –

वर्ष	करोड़ रूपये
2004–05	69.53
2006–07	100.33
2009–10	119.48

वनों की समस्यायें – उत्तराखण्ड में बनने पर बढ़ती जनसंख्या से लेकर आर्थिक आवश्यकताओं का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है वनों की समस्याओं को संक्षेप निम्न बिन्दुओ में विश्लेषित किया जा सकता है–

- यद्यपि उत्तराखण्ड के 63.5 प्रतिशत भू–भाग पर वन है परन्तु वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 43.5 प्रतिशत भाग पर ही उपस्थित है जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन के दृष्टिकोण से 60 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित होना आवश्यक है।
- उत्तराखण्ड की बढ़ती जनसंख्या का निरन्तर दबाव वन संसाधनो पर पढ़ रहा है जिससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या बढ़ रही है।
- अनियत्रित, अवैज्ञानिक तथा अवैध तरीकों से वनों की कटाई तथा वन क्षेत्रों खनन समेत अन्य आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव वनों पर काफी पड़ रही है।
- विकास परियोजनायें जैसे जल विद्युत परियोजनाओं सड़क रेल, औद्योगिक तथा अन्य के कारण वन तथा वन भूमि का अतिक्रमण से वनों की परिस्थितिकी पर निरन्तर दबाव बढ़ रहा है।
- प्राकृतिक आपदायें जैसे भूकम्प, भूस्खलन, बाढ, सूखा दावानल आदि से वनों तथा वन उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा अक्सर मानवीय क्रियाकलापों से भी आग आदि की परिस्थितियॉ पैदा हो जाती है जिनसे वनों को भारी नुकसान पहुँचता है।

20.19 वनों के संरक्षण तथा संर्वद्धन हेतु प्रयास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में वन नीति की घोषणा की गयी जो कि उत्तराखण्ड समेत सारे प्रदेशों में लागू है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

- पर्यावरण स्थिति तथा परिस्थितिकी संतुलन बनाना।
- सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी को लोकप्रिय बनाना।
- वृक्षारोपण तथा वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
- जैव विविधता तथा वन्य जीव जन्तुओं के संरक्षण की कार्यनीति तैयार कर उसे क्रियावित करना।
- वनों के विषय में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को बढावा देना।

उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं –

- उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा आम जनता की भागीदारी वनो के प्रबन्धन में बढाने हेतु राजस्व ग्राम में एक वन पंचायत स्थापित करने का लक्ष्य रखा है वर्तमान में 14643 राजस्व ग्रामों में 12089 वन पंचायतें कार्यरत है तथा राज्य में संयुक्त वन प्रबन्धन के सिद्धान्त के अनुसार आम जनता की भागीदारी के माध्यम् से वन विभाग वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन का दायित्व सुनिश्चित कर रहा है।
- राज्य में छः राष्ट्रीय उद्यान तथा छः वन्य जीव बिहार स्थापित किये गये है एवं नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है जिससे वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा संवर्द्धन हो सके।
- वनविभाग को आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सुविधासम्पन्न कर राज्य सूचना नेटवर्क को मजबूती प्रदान की गयी है।
- सरकार ईको टूरिज्म के विकास का प्रयास कर रही है। 2010 – 11 में वन विभाग के अन्तर्गत रू 309.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ''तदर्थ कैम्पा'' के माध्यम् से आगामी दस वर्षो में रू 873.61 करोड़ की वन सुरक्षा, मृदा जलसंरक्षण, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, ईकोटूरिज्म आदि की विभिन्न योजनायें चलायी जायेगी।
- विजन 2020 के तहत् सरकार ग्राम सभाओं में ग्राम वन विद्यालयों में विद्यार्थी वाटिका की स्थापना का लक्ष्य है।
- शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु मुख्यमंत्री हरित विकास योजना को कार्य रूप दिया गया है एवं हर्बल गार्डन नक्षत्र वाटिका की स्थापना की जायेगी।
- 9 सितम्बर को वन पंचायत दिवस घोषित किया गया है तथा महिलाओं की भूमिका वानकी में बढाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी का गठन किया गया है। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण को बढावा देने हेतु रू 3 लाख का तरूश्री सम्मान आरम्भ किया गया है।
- राज्य में बैम्बु एंड फाइबर डैवलपमेंट बोर्ड वन विकास निधि, हर्बल गार्डन, हाई टैक नर्सरी तथा रामनगर के समीप सेन्टर फार ईको टूरिज्म एडं सस्टेनबल लिवलीहुड की स्थापना वनों से जुड़ें विभन्न पहलुओं अनुसंधान एवं विकास के लिये की गयी है साथ राज्य में विश्व स्तरीय वन अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान विकास एवं प्रशिक्षण हेतु लम्बे समय से कार्यरत है।

20.20 कृषि तथा पर्यावरण

कृषि कार्यो का पर्यावरण से गहरा सम्बन्ध है। बढ़ती जनसंख्या के दबाव तथा पर्यावरण के अनुकूल कृषि कार्यो के न होने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः सरकार द्वारा कृषकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने एवं कृषकों को अतिरिक्त आय के अवसरों को पैदा करने हेतु कृषि वानिकी की योजना आरम्भ की गयी है जिससे राज्य में कृषकों की वृक्षों के संरक्षण तथा सर्वद्धन के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी एवं कृषकों को फल, रेशा, ईधन के लिए अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त हो पायेंगे। विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिनके तहत् कृषकों की सहभागिता के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि के विकास के साथ–साथ मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण को सुनिश्चित कर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जा सकें।

20.21 शहरीकरण तथा पर्यावरण

वर्तमान में राज्य की 26 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है तथा उत्तराखण्ड में भी देश के अन्य प्रदेशों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर निरन्तर पलायन हो रहा है साथ ही शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की अत्याधिक वृद्धि से शहरों के पर्यावरण पर निरन्तर ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण से दबाव बढ़ता जा रहा है। शहरों में कूड़े कचरे अशुद्ध जलमल तथा ठोस अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या बढती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शहरों में जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को रोकने के उद्देश्य तथा पर्यावरण संतुलन

स्थापित करने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे है–

- पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों आर्थिक विकास के जरिये रोजगार तथा आय के अवसर पैदा किये जा रहे है साथ ही बुनियादी सेवाओं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार प्रभावी तौर पर किया जा रहा है।
- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत रू 734 करोड़ के कार्य शहरी क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, स्वच्छीकरण तथा बुनियादी सेवा के विस्तार हेतु सुरक्षित है।
- देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है तथा राज्य के बड़े नगरों में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिये ''पर्यावरण मित्र'' योजना चलायी जा रही है जिसके अर्न्तगत रिक्शा चालकों के माध्यम से घर–घर जाकर जैविक तथा अजैविक कचरा एकत्रित किया जा रहा है।
- नगरों के सौन्दर्यीकरण के लिए शहरी वानिकी, हर्बल वाटिकायें तथा हर्बल गार्डन विकसित किये जा रहे है।
- विजन 2020 के तहत् शहरों को मलिन बस्ती विहीन बनाने एवं शहरों में अपशिष्ट प्रबन्धन की पुख्ता व्यवस्था लागू करने की योजना बनायी गयी है।
- सुन्दर तथा स्वच्छ नगरो को श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
- शहरी क्षेत्रों में वृक्षरोपण को बढवा देने हेतु मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड हरित विकास योजना चलायी जा रही है।

20.22 सारांश

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिये व्यापक पैमाने पर संसाधनों को गतिशील करना होगा साथ ही राज्य में विकास के अनुकूल दशाओं का निर्माण करना होगा। इसके लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। चूँकि उत्तराखंड एक नवोदित एवं आर्थिक तौर पर उपेक्षित राज्य रहा है एवं राज्य की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी रही है कि यहां पर व्यापक औद्योगिक एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को संवेग देना अल्प काल में उचित नहीं है। इसलिये यहां पर पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास में ना सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही आय के अवसरों को पैदा कर राज्य की प्रमुख समस्यायें जैसे – बेरोजगारी एवं पलायन को भी नियंत्रित कर सकता है साथ ही साथ पर्यटन उद्योग उत्तराखंड राज्य की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर सकता है। इस दिशा में सरकार एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ–साथ विवेकपूर्ण नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तभी यह उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के विकास में योगदान कर पायेगा।

राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये इस प्रकार से रणनीति बनानी होगी कि राज्य का पर्यावरण न सिर्फ संरक्षित रह सके बल्कि उसका संवर्धन भी निरंतर होता रहे। चूँकि राज्य का पर्यावरण अत्यधिक संवेदनशील है एवं इसके ऊपर व्यापक क्षेत्र की जलवायुवीय एवं आर्थिक परिस्थितियां निर्भर करती है। इसलिये राज्य के पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन में सरकार के साथ–साथ स्थानीय जनता की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि राज्य में स्थानीय जनता हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग एवं संवेदनशील रही है। जिसके कारण राज्य में हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सरोकारों के चलते कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुये है। मौजूदा समय में स्थानीय जनता की संवेदनशीलता के साथ साथ उनके आर्थिक सरोकारों को भी पर्यावरण से जोड़कर देखने की आवश्यकता है तभी टिकाऊ एवं दीर्घकालिक विकास की संकल्पना साकार हो पायेगी।

20.23 शब्दावली

टिकाऊ एवं दीर्घकालिक विकास – इसे पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बर्टलैण्ड कमीशन

द्वारा पोषणीय विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया। जिसके अनुसार, ''आज की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जायें कि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी से न गुजरना पड़े।''

कर रियायत एवं सहायता – सरकार द्वारा दी जाने वाली करों में छूट को रियायत कहते है तथा किसी वस्तु या सेवा को सस्ते में उपलब्ध कराने को सहायता कहते है।

उशण कटिबंन्धीय वन –हिमालय की तराई तथा निचलें पहाड़ी क्षेत्र में यह वन पाये जाते है इनमें साल सागौन, खैर, शीशम आदि के वन प्रमुख हैं।

कोण धारी वन – यह वन 900 मीटर से 1500 मीटर तक के मध्य पाये जाते है इसमें चीड़ प्रमुख है।

पर्वतीय शीतोष्ण वन – यह वन 1500 मीटर से 2400 मीटर तक के मध्य पाये जाते है इनमें बाँझ, बुराँस, देवदार आदि के वन प्रमुख है।

अल्पाइन वन – यह वन 2400 मीटर से 3000 मीटर तक के मध्य पाये जाते है इनमें देवदार, भोजपत्र, कैल आदि प्रमुख है।

घास के मैदान – यहाँ 2700 मीटर की उँचाई से घास के मैदान आरम्भ हो जाते है। जिन्हें बुग्याल कहा जाता है।

वन विभाग के अन्तर्गत वन– वन विभाग द्वारा उत्तरांखण्ड के 64.6 प्रतिशत वन आते है। इसमें आरक्षित एवं संरक्षित वन दोनों प्रकार के वन आते है।

सिविल सोयम वन– राजस्व विभाग द्वारा प्रबन्धित वनों का इन वनों के अन्र्तगत शामिल किया जाता है। इन वनों में उत्तराखंड के वनों का 26.2 प्रतिशत भाग आता है।

पंचायती वन– ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबन्धन किये जाने वाले वन इनके अन्तर्गत आते है जो कि कुल वनों का 8.26 प्रतिशत है।

सामाजिक वानिकी – समाज की भागीदारी के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयास को सामाजिक वानिकी कहते है।

20.24 अभ्यास प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. स्थानीय जनता के पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने के लिये कौन सी योजना चलाई जा रही है।
2. राज्य में ईको पार्क कहां स्थापित किया गया है।
3. राज्य में गंगा की सफाई के लिये कौन सा अभियान चलाया जा रहा है।
4. राज्य के किस शहर को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
5. शहरों को स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिये कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है।
6. राज्य में कितने प्रतिशत भू –भाग पर वन है।
7. उत्तराखंड भूकंप के कौन से जोन में आता है।
8. घराट को कौन से उद्योग का दर्जा दिया गया है।
9. राज्य में चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया।
10. 2001 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है।
11. पोषणीय विकास की अवधारणा को किसने दिया।

12. तदर्थ कैम्पा योजना किस क्षेत्र के संरक्षण के लिये है।

13. वन पंचायत दिवस किस दिनांक को मनाई जाती है।

14. राज्य का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?

उत्तर –

1. वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना 2. मसूरी 3. स्पर्श गंगा

4. देहरादून 5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल पुरस्कार 6. 63.5 प्रतिशत

7. भूकंप के चौथे और पांचवे जोन में 8. कॉटेज उद्योग 9. श्रीमती गौरा देवी

10. 169 11. वर्टलैण्ड 12. वन क्षेत्र 13. 9 सितम्बर 14. जिम कार्बेट नेशनल पार्क

20.25 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्यः पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली.
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून
- आर्थिक सर्वेक्षण (2011), भारत सरकार
- हुसैन माजिद मानव भूगोल (2000) रावत पब्लिकेशन जयपुर।
- Thirlwall A.P. (1994) Growth and development (MacMillianPress), London

20.26 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पर्यटन उद्योग की समस्यायें क्या है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है ?

2. राज्य में पर्यटन उद्योग की सम्भावनाओं पर टिप्पणी करते हुये आर्थिक विकास में इसका महत्व बताइयें?

3. पोषणीय विकास किसे कहते है तथा पर्यावरण तथा आर्थिक विकास में अन्तरसंबंधो को समझाइयें ?

4. वनों की समस्याओं को बताते हुये वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये राज्य में क्या प्रयास किये जा रहे है। इस पर विस्तार से लिखिये।